खण्ड-300, अंक-7
मंगलवार, 28 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(19 दिसम्बर, 1972 ई0)

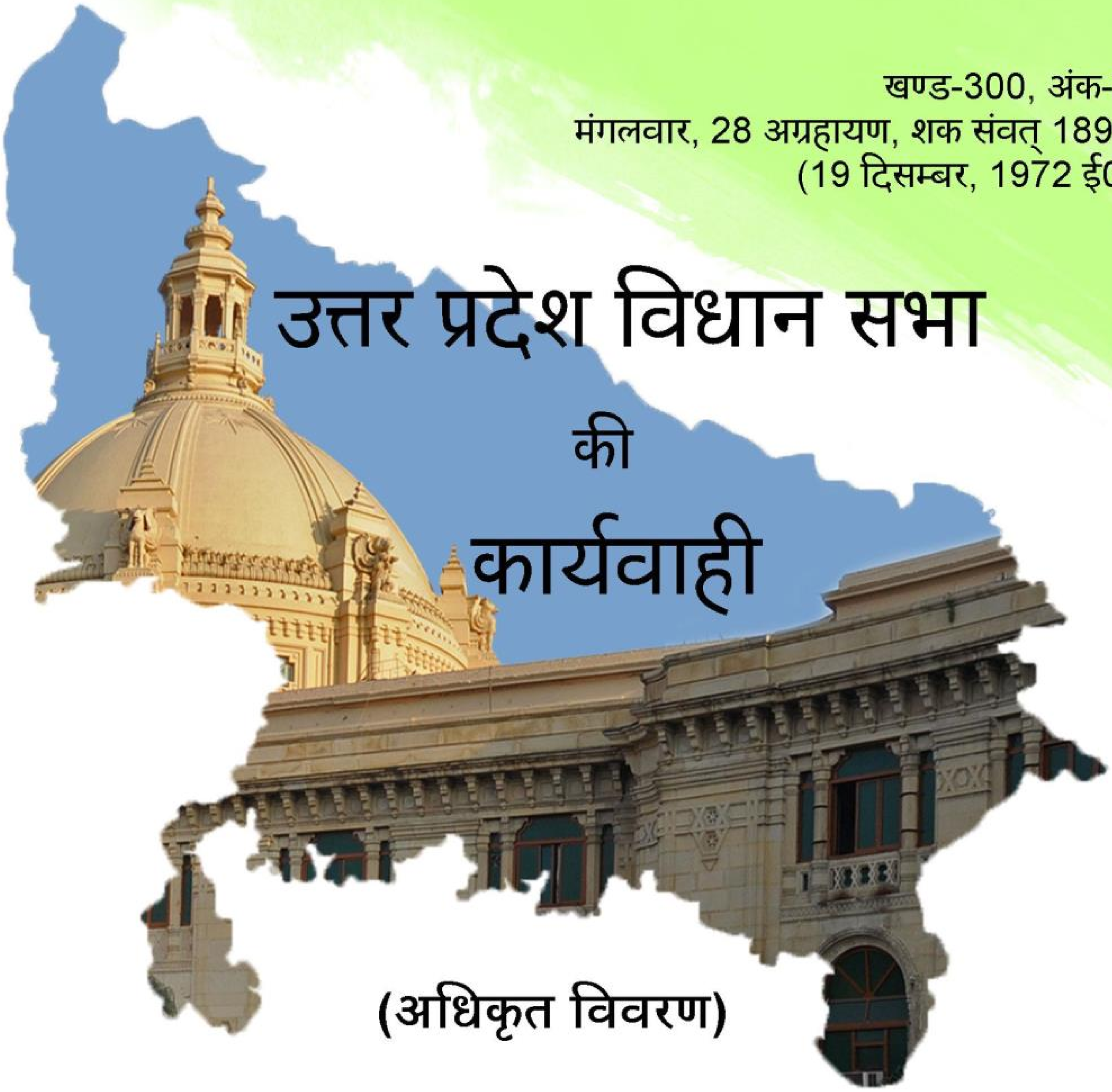

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार 19 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---377

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुर गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्र जीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री

बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बांके लाल , श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
ममताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री

राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री

शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वमुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज श्री (उर्फ हंसा)
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रबाल, श्री

नोट---पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हल्द्वानी (नैनीताल) में विषैली शराब से मृत्यु

** 1--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद) श्री रामगोपाल संड, (जिला इलाहाबाद), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) --

क्या सरकार को पता है कि बुधवार दिनांक 27-9-1972 को हल्द्वानी, जिला नैनीताल में 16 नागरिक जहरीली शराब पीने से मर जाने और 32 व्यक्ति अचेत अवस्था में चिकित्सालय में दाखिल हुए, यदि हां, तो वह विषैली शराब कहां और किस ठेके से ली गई थी और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवही की गई ?

कारागार तथा आबकारी उप-मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

प्राप्त सूचना के अनुसार हल्द्वानी के सदर अस्पताल में विषाक्त टिंचर जिंजर पीने से 27-9-1972 से 30-9-1972 तक 24 व्यक्ति, अचेतन अवस्था में दाखिल हुये थे। इनमें से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 12 व्यक्ति जीवित हैं। एक अन्य व्यक्ति जो उक्त अवधि में दाखिल हुआ था। और जिसकी मृत्यु हो गई। के बारे में जांच अभी जारी है कि क्या उसने भी विषाक्त टिंचर जिंजर पी थी। उक्त औषधि सर्वश्री साहब सिंह रियासत उल्ला हरिओम वार्ष्णेय की दुकान से खरीद कर दी गई थी। टिंचर जिंजर एक औषधि है, जो शराब के ठेकों पर नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया है:—

(1) मृतकों का विसरा तथा घायलों का स्टकमकवाश रसायनिक परीक्षण हेतु आगरा भेजा गया है।

(2) 29-9-1972 को हल्द्वानी के नगरपालिका क्षेत्र में 2 महीने के लिये टिंचर जिंजर की बिक्री पर दफा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया।

(3) उपरलिखित दुकानदारों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमे कायम कर दिये गये हैं और टिंचर जिंजर बेचने वाली अन्य दुकानें भी सील कर दी गई हैं। इसी सम्बन्ध में लखनऊ के एक डाक्टर को भी गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है।

(4) औषधि विक्रेताओं द्वारा टिंचर जिंजर न बेचने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(5) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर छापे मारने तथा दवाइयों के नमूने लेने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

(6) टिंचर जिंजर तथा अन्य पेयरूप में दुरुपयोग होने वाली निर्मितियों पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी के स्तर तक ड्यूटी बढ़ाने की संस्तुति भारत सरकार से की गई है।

(7) इन निर्मितियों की फुटकर बिक्री केवल डाक्टरों के नुस्खों पर करने, टिंचरों की संख्या कम करने तथा उनमें एलकोहल की मात्रा घटाकर 20 प्रतिशत करने की संस्तुति भी भारत सरकार से की गई है।

(8) इन निर्मितियों के परिवहन, परिग्रह तथा बिक्री पर रोक लगने के सम्बन्ध में नियम बनाये जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन बारह तेरह व्यक्तियों की मत्यु हुई तो उनका डाइंग डिक्लेरेशन क्या है?

कारागार तथा आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से सब लोगों के डाइंग डिक्लेरेशन हुए हैं और कुछ ने बताया कि हमने फलां दुकान से टिंचर जिंजर पिया है जिन तीन विक्रेताओं के नाम बताये हैं वह पृथक्-पृथक् हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मन्त्री जी यह बतानेकी कृपा करेंगे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन हुए हैं उनमें उन्होंने क्या बताया है ? क्या उन्होंने किसी भट्ठी से लेकर टिंचर जिंजर पिया है या किसी दुकान से लेकर पिया है ? यह स्पष्ट कर दें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो मृतक लोग हैं उन्होंनें यह नहीं कहा कि ठेके से लेकर उन्होंने पीया है। उन्होंने कहा है कि जो औषधि विक्रेता हैं उन लोगों के यहां से दवाई के नाम से टिंचर जिंजर लिया और उसको पिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो शराब जहरीली बतायी जाती है उसको उन्होंने पिया या पिलाई गयी तो उसका केमिकल एग्जामिनेशन हुआ और जिसने उसको बनाया उसके खिलाफ कोई कार्यवाई हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो जवाब में ही दिया हुआ है। यह एक औषधि है। जो पेक्टिशनर हैं और जो मेडिसिन बनाते हैं उनसे उन्होंने खरीदा। जो मरे हैं उनका विसरा और जो जिन्दा हैं उनका उनका स्टमक वाश करा कर भेज दिया गया था और अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह उन्होंने किसी डाक्टर के प्रेसक्रिपशन पर खरीदी या बिना प्रेसक्रिपशन के खरीदी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, अभी तक रूल्स यह है कि टिंचर जिंजर बिना किसी डाक्टर के प्रेसक्रिपशन के ले सकते हैं और अब राज्य सरकार यह करने जा रही है कि टिंचर जिंजर अगर कोई ले तो डाक्टर के प्रेसक्रिपशन पर ही खरीदे। अभी तक यह कायदा नहीं था। अब यह करने जा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रदेश में, कानपुर इत्यादि में, इससे मौतें हुई हैं, टिंचर जिंजर की प्रेक्टिस के लिए कोई ऐसा नियम बनायेंगे कि जो देने वाला डाक्टर है वह विशेष प्रकार का रजिस्टर रखे जिसकी समय-समय पर चेकिंग होती रहे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत सुन्दर है और ऐसे रूल्स बनाये जा रहे हैं और व्यवस्था की जा रही है जिससे टिंचर जिंजर जो सस्ता बिकता है, वह न बिके और उस पर लाइसेंस कड़ा हो रहा है।

श्री रामगोपाल संड—

जो दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और एक संदिग्ध है, वह भी शायद मरा है तो मृतकों के परिवार को कुछ मुआवजा दिया या कोई धनराशि दी या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसी अभी कोई सहायता देने का विचार नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

जिस टिंचर जिंजर पीने से मृत्यु हुई उसकी निर्माता फर्म कौन है और क्या विसरा के रासायनिक विश्लेषण के बाद यह पता लगा कि उसमें बैरियम कारबोनेट —बी0 ए0 सी0 ओ3, मिला हुआ था जो कि अत्यन्त जहर है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो विक्रेता हैं उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में बतलाया गया है कि औषधि बेचने वालों में एक हरिओम और रियासतुल्ला हैं। ये हल्द्वानी के हैं और एक डाक्टर लखनऊ का है जो कि लीगल प्रैक्टिशनर है, उसके यहां से जाता था। जहां तक परीक्षण का सम्बन्ध है तो बिसरा का परीक्षण जो हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया कि किस तरह का मिथाल था।

श्री त्रिवणी सहाय (जिला गोंडा)—

यह प्रदेश में देखने में बराबर आता है कि हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं, अभी गोंडा में बलरामपुर में हो गयी है। तो इस बात को देखते हुये कि जहरीली शराब पिला कर के कई लोगों की हत्या हो चुकी है, तो हत्या का अभियोग अगर साबित हो तो उन पर धारा 302 की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो लोग दोषी पाये गये हैं उन पर कार्यवाही की गयी है, चालान किया गया है। कुछ बेल पर छूट गये हैं, कुछ अन्दर जेल में हैं और धारा 302 नहीं, उन पर धारा 304 आती है आई0 पी0 सी0 की, इसको माननीय सदस्य देख लें।

श्री त्रिबेणी सहाय—

इस प्रकार की घटनायें रोज आती हैं जिनमें मृत्युएं होती रहती हैं तो जो शराब बेचने वाले हैं या पिलाने वाले हैं उन पर आप किस दफा में कार्यवाही करते हैं ? अगर मारने वाली दफा में करें मर्डर में करें तो सब दूकानदार बन्द कर देंगे लेकिन आज तक ऐसी कार्यवाही नहीं हुई तो बलरामपुर में जो 3 व्यक्ति मरे हैं उस संबंध में किस दफा में कार्यवाही हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य को गलतफहमी है। ये जो मौतें हुई हैं टिंचर जिंजर के पीने से ये शराब के पीने से नहीं हुईं। ये तो जो मेडिकल प्रेक्टिशनर हैं उन्होंने औषधि के नाम से टिंचर जिंजर बनाया और बनाते समय उसमें मिथाल वगैरह इस तरह की शराब का बहाना बनाकर के पिलाया है कि इसको एक्साइज डिपार्टमेंट चेक करने का भी अधिकारी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अब तक जो नियमों की व्यवस्था है उसमें टिंचर जिंजर जो औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है बगैर लाइसेंस के या बेचा जाता है वह काग्निजेबिल आफेंस नहीं है, आप केवल कंप्लेंट पर ऐक्शन ले सकते हैं ? तो इस घटना को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का यह विचार है कि बिना लाइसेंस टिंचर-जिंजर का पंजेशन काग्निजेबेल ओफंसबन जाए।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसका जो लाइसेंस है वह ड्रग ऐक्ट में आता है और इसका आबकारी विभाग को कोई अधिकार नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट को तो इसका सेम्पेल तक लेने का अधिकार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार नियमों में कोई ऐसा संशोधन करने का विचार कर रही है, जिससे यह काग्निजेबेल आफेंस बन जाए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसका संशोधन करने पर विचार हो रहा है और केन्द्रीय सरकार को भी लिखा गया है, क्योंकि यह केन्द्र के परव्यु में आता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि ऐसे केसेज यू0 पी0 में बहुत होते हैं और लाइसेंसी इस प्रकार की शराब बेचते हैं और इसको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास मोनोपोली होती है, तो क्या सरकार हरियाणा की तरह यहां भी शराब लाइसेंस फ्री करने पर विचार करेगी, ताकि कम्पटीशन में लोगों को सही और अच्छी शराब मिले।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य फिर कन्फ्यूज कर रहे हैं—शराब पीने से मरने की जो बातें होती हैं, वह हरियाणा में जिस तरह से हो रही है, वह एक अलग चीज है। लेकिन टिंचर जिजर की जो बात है, उस पर कड़ी कार्यवाई की जा रही है, नियमों में सुधार किया जा रहा है, उसकी किस्मों को कम किया जा रहा है आदि तमाम उपाय किये जा रहे हैं। जो दुकानों को बढ़ाने की बात कही, पूरा हाउस कहे तो बढ़ाई जा सकती है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या यह सही है कि जिन दुकानों को सील कर दिया गया था, उसके बाद उसके पास में तिकोनिया और भोटियापार में फिर टिंचर जिजर बिकने लगा है ? और क्या इसमें पुलिस का हाथ था ? जिन लोगों को यहां पर भर्ती किया गया था, उसमें भी क्या पुलिस के आदमी थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पीने वालों में पुलिस थी या नहीं, इसकी सूचना नहीं है।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशित)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे जिला कानपुर में मिलों के फाटक के सामने टिंचर-जिजर की दुकानें खुली हुई हैं और जिसके पीने से हजारों आदमी अंधे हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर के उनको बन्द कराने का कष्ट करेगी ? और क्या सरकार इसका भी लाइसेंस करने की कृपा करेगी। जिससे यह बिना लाइसेंस जगह जगह न बेचा जाए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लाइसेंस के बिना कोई इसे नहीं ले सकता है। मिलों के बारे में माननीय सदस्य निश्चित जानकारी भेजें, तो इसकी चेकिंग की जाएगी।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नियम कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे तथा केन्द्रीय सरकार से जो उन्होंने पहले अनुरोध किया था तो केन्द्र से क्या उत्तर आया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जवाब आ जायगा तो जल्दी से जल्दी बनायेंगे। नं० 7 के सम्बन्ध में केन्द्र का जवाब इनकारी में आया था। उन्होंने इनकार कर दिया था।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

रिपोट मंगाये हुये ढ़ाई महीने हो गये मगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी। तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि अधिकारीगण इस रिपोर्ट को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज को दबाने की कोशिश हो रही हो।

स्वामी कैलाशानन्द संस्थापक, कैलाशानन्द, मिशन लक्ष्मण झूला के विरुद्ध जांच

**2—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 अगस्त 1972 को मा० मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश को ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के कैलाशानन्द आश्रम के स्वामी कैलाशानन्द के अमेरीकी एजेन्ट होने, ट्रान्समीटर रखने और अमरीकी धन से 13 मंजली इमारत बनाने और विदेशी जासूसों से सम्पर्क बनाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला था ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय पर क्या कार्यवाही की है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

ऋषिकेश के दौरे के समय एक ज्ञापन स्वामी कैलाशानन्द, संस्थापक, कैलाशानन्द मिशन, लक्ष्मण झूला के विरुद्ध लक्ष्मण झूला तथा अन्य ग्रामों के कुछ निवासियों से प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में उन सभी बातों का उल्लेख नहीं था, जिनको प्रश्न में उठाया गया है। उसमें वर्णित मामलों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त सूचना से विदित हुआ है कि वे अधिकांशतया न्यायालयों में विचाराधीन है, अतएव शासन द्वारा उन पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो उत्तर आया है उसमें "सभी" शब्द नहीं आया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उसे संशोधित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

तो वह कौन सी बातें हैं वह भी बतलाइये फिर।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

एक यह भी है कि उनको विदेशों से धन मिल रहा है। इसकी भी जांच करायी जा रही है। आज ही माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिया है कि सी० बी० आई० द्वारा इसकी भी जांच करायी जाय।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जो 22 अगस्त को रिशीकेश में उनको ज्ञापन दिया गया था उसमें मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ? और क्या 4-9-72 को एक टेलीग्राम द्वारा भी सरकार का ध्यान इस दिशा में आकर्षित कराया गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि उसमें अधिकांश मांगे तो ऐसीही हैं जिनके कारण वहां लोगों में असंतोष है और आपस में मुकदमेंबाजी भी चल रही है। लक्ष्मण झूला के पास जो इमारत बनी है उसमें काफी पैसा लगा है। इसमें यह देखना होगा कि यह पैसा कहां से आया। जो शिकायत आयी है उसकी जांच हो रही है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। वास्तव में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त वहां के साधु सन्यासियों से भी उनका झगड़ा चल रहा है। तो अभी जांच हो रही है। जो गालिबन मुख्य मन्त्री जी को दिया गया था और उसमें इसी प्रकार के झगड़ों का जिक्र है। उसमें असंतोष था और उस पर भी जांच हुई और सबका निष्कर्ष यह निकला कि अधिकांश मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं और कुछ के सम्बन्ध में जांच और आगे हो रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

जो इन्होंने मसला बतलाया क्या इसके विषय में कोई लोकल इंटेलिजेन्स ने भी रिपोर्ट दी है ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

लोकल इंटेलीजेंस ने भी रिपोर्ट दी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उस पर अभी जांच चल रही है। खाली लोकल इंटेलिजेंस नहीं हमारे यहां की इंटेलिजेंस ने भी जांच की थी। डी० आई० जी० गये थे। भारत सरकार को लिख दिया गया था। वहां की भी कुछ जांच पड़ताल चल रही है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

इन्हीं कैलाशानन्द जी द्वारा महाराजा टेहरी के पैलेस, नरेन्द्रनगर में 65 लाख में खरीदने की बातचीत चल रही है और 12 अक्तूबर से भगवानदास मुल्तानी ने भूख हड़ताल कर रखी थी और उसको पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर ने तुड़वाई थी तो उनको क्या आश्वासन दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आश्वासन देने की कोई बात नहीं थी। मैंने खुद प्रार्थना की थी तार दे कर। वहां से आदमी आये थे और चिट्ठी भेजी थी मुल्तानी जी को कि आप कृपा करके भूख हड़ताल खत्म कर दें। वह चाहते थे कि जांच पड़ताल उनकी हो तो मैंने यह कहा था कि जांच पड़ताल शुरू कर दी गयी है और रिपोर्ट आने पर जैसा मुनासिब होगा किया जायगा। आप भूखहड़ताल छोड़ दें। जहां तक मकान खरीदने की बात है इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

स्वामी कैलाशानन्द जी की 6 मंजिली विशाल कोठियां बनी हुई हैं। उनकी एक्टिविटीज बहुत दिनों से सन्देहात्मक हैं। उनके यहां से ट्रान्समीटर भी पकड़े गये थे। सी० आई० डी० उत्तर प्रदेश की उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है। अब तक जो इंक्वायरी हुई है उससे क्या यह बात साबित नहीं होती है कि कैलाशानन्द को विदेशी सूत्रों से अपार धनराशि प्राप्त हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी --

जहां तक ट्रांसमीटर की बात है उनके यहां से वह पकड़ा गया था । केस भी चला था लेकिन छूट गया । अब दूसरा केस वह पुलिस पर चला रहे हैं कि उनको मेलाइन करने के लिये यह कार्यवाही की गयी और वह कोर्ट में विचाराधीन है । उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता । उनका एक मिशन अमेरिका में है कैलाश मिशन और कहा यह जाता है कि उनका एक भाई उस मिशन का सेक्रेटरी है और वह योगाभ्यास सिखाते हैं । संभवतः उनको अमेरिका से पैसा मिलता होगा जसे बहुत से साधु, महात्माओं को मिलता है । बाकी उनकी जांच खुले रूप से तथा गुप्त रूप से हो रही है । जब रिपोर्ट आ जायगी तो बतला दिया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस व्यक्ति के विरुद्ध आम जनता वहां पर आन्दोलन कर रही है और इतना अधिक व्यापक आन्दोलन चल रहा है कि यह व्यक्ति इस बात की कोशिश में है कि वह यहां से कभी भी भाग जाय, अमेरिका चला जाय और जो कुछ उनके खिलाफ आरोप हैं ट्रान्समीटर पकड़ा गया उसमें वह टेक्निकल ग्राउन्ड पर छूट गये । स्टेट गवर्नमेन्ट ने अपील की होती तो शायद वह फंस भी जाते । मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं क्या सरकार इस व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी रखेगी और इस बात का प्रतिबन्ध लगायेगी कि वह बाहर न जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, व्यवस्था कानून की जाती है । माननीय सदस्य को कोई सूचना हो कि भागने वाले हैं तो हमें दे दें । जहां तक गतिविधि का सवाल है गतिविधि तो देखी जाती है प्रत्येक व्यक्ति की और जांच-पड़ताल चल रही है । यह ठीक है कि बहुत से मुकदमें दायर हुए हैं इधर से और उधर से और वह कैसे विचाराधीन हैं ।

श्री बलवीर सिंह—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि वह बात देखते हुए कि अगस्त के महीने में सरकार को इस बात की सूचना मिल गयी थी, क्या उनको पता लग गया है कि कौन-कौन देश के जासूसों से इनका सम्बन्ध है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे डाकुओं से सम्बन्ध का पता नहीं लगा ।

श्री बलवीर सिंह—

मैं पढ़े देता हूं, सवाल में यह है—"13 मंजली इमारत बनाने और विदेशी जासूसों से सम्पर्क बनाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला था ?" कौन सा देश है जिनके जासूसों से उनका सम्बन्ध है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जैसा माननीय सदस्य ने खुद कहा है यह शक लोगों को है कि इन्हें पैसा विदेश के लोगों से मिलता है । विदेश में इनका कैलास मिशन है । वहां के चेले-चाटे आते भी हैं । सुनते हैं, योगाभ्यास सिखाते हैं । एक इनके भाई साहब उसके सेक्रेटरी हैं । अवश्य बाहर से पैसा आता है । चेले लोग आते होंगे देते होंगे । एक बड़ी इमारत बनायी है लक्ष्मणझूले के उस पार । यात्री भी टिकते हैं । स्वर्गाश्रम इत्यादि से झगड़ा है, वह अदालत में है । सारी चीजों की जांच हो रही है । जितनी सूचना मिली है उसके आधार पर और जांच की जा रही है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री ने यह जानकारी करने की कोशिश की है कि विगत वर्षों में इस आश्रम की सम्पत्ति की वृद्धि किस गति से हुई है, 22 अगस्त, 1972 तक और उसके बाद कुल सम्पत्ति कितने की है ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्या इस गति की आप जांच करवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। इन सब बातों की जांच हो रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि आजकल पिछले दस वर्षों के भीतर हरिद्वार और ऋषिकेश में अनेकों भगवान पैदा हो गये हैं जैसे स्वामी प्रेमवर्णी, महेश योगी, कैलाशानन्द, बाल योगश्वर इन तमाम भगवानों ने विदेश में जा कर भारत की क्या तस्वीर प्रस्तुत की है और उनके साथ प्रति वर्ष हजारों-लाखों विदेशी इस देश में आते हैं और मुझे शंका है.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में सैकड़ों नाम लेकर प्रश्न नहीं कर सकते। सीधा प्रश्न कीजिये।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, ये तमाम मिशन हरिद्वार और ऋषिकेश में स्थापित हैं और इन से भारत की स्वतन्त्रता को खतरा भी हो सकता है, क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इन सब की जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, इंसान के पैदा होने पर फैमिली प्लानिंग से रोक लगायी जा रही है लेकिन भगवान पैदा होने लगें तो कौन रोक लगायेगा ? जहां तक जांच-पड़ताल की बात है उस पर पूरी आंख रखी जाती है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि कैलाशानन्द मिशन की जो ब्रांच न्यूयार्क में है उनके शिष्यों में अमेरिका और और देशों के लोग हैं, जो प्रति वर्ष आते-जाते रहते हैं, इस सारे अर्थ का हस्तांतरण अमेरिका और हिन्दुस्तान के बीच में होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, हो सकता है जांच की जा रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह कैलाशानन्द आश्रम है वह कब स्थापित हुआ था ? और इसके जो स्वामी कैलाशानन्द हैं वे साधू के वेश में रहते हैं या गृहस्थवेश में रहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे उनके दर्शन करने का न तो सौभाग्य ही प्राप्त हुआ है और न अवसर ही प्राप्त हुआ है, लिहाजा वेश के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं। स्वामी कैलाशानन्द उनका नाम है, सम्भव है गेरुवा वस्त्र पहनते हों या न पहनते हों।

मुहल्ला त्रिमिनीगंज, (लखनऊ) में पेय-जल कष्ट

**3—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ), श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर), श्री राम निहोर (जिला वाराणसी) तथा श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

द्वितीय सत्र 1966 के पांचवें सोमवार (5 दिसम्बर, 1966) के तारांकित प्रश्न संख्या 50—52 के उत्तर में संदर्भ में क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि मुहल्ला त्रिमिनीगंज, वार्ड सआदतगंज, शहर लखनऊ में पीने के पानी की कमी इस समय 1966 की अपेक्षा और भी अधिक है इस परिस्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने 1966 से अब तक क्या प्रयत्न किये ? क्या सरकार शीघ्र ही इस इलाके में कम से कम एक ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मोहल्ला त्रिमिनीगंज, वार्ड सआदतगंज, शहर लखनऊ में पीने के पानी की समस्या में 1966 की अपेक्षा इस समय कुछ सुधार हुआ है क्योंकि नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा दो स्थानों पर स्लूईस वाल्व लगाये गए हैं जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के जलचाप में थोड़ी वृद्धि हो गई है। लखनऊ नगर की जल समस्या निवारण हेतु 92,922 लाख रुपया की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। जब इस योजना का कार्य पूरा हो जायगा तो लखनऊ शहर में जो जल की समस्या है उसमें सुधार हो जायगा।

मुहल्ला त्रिमिनीगंज में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

(माननीय मंत्री जी के प्रश्नोत्तर पढ़ने के बाद)

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने क्या पढ़ा, यह हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। आप यदि समझ गये हों तो हम लोगों को भी बता दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, सुधार के नाम पर माननीय मंत्री जी ने जो बाल्व लगाने की बात कही है उसमें ऐसा है कि वह खुला ही रहता है, बन्द नहीं रहता है जिसका नतीजा यह होता है कि ऊपर तक पानी नहीं चढ़ पाता है और मुहल्ले में प्रातःकाल 7 बजे से पानी नहीं मिल पाता है। क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बेनी सिंह)—

मान्यवर, मेरी जानकारी तो यह है कि वहां पर बाल्व लग जाने से सुधार हुआ है। जो सूचना माननीय सदस्य ने दी उसके अनुसार भी जानकारी कर लेंगे और आपको बता देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी क्षेत्रीय विधायक श्री सच्चिदानन्द, वहां के नागरिक तथा अपने विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर इस समस्या को हल करने का उपाय निकालेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

यह तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें बुला कर सलाह ले ली जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र के अन्दर जो पानी देने के उपाय किये गये हैं उनसे पानी नहीं बढ़ा है और सारे क्षेत्र में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। तो क्या माननीय मन्त्री सदन को यह निश्चित आश्वासन देंगे कि एक सप्ताह के अन्दर इस स्थिति को सुधार दिया जायेगा ?

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, जहां तक असन्तोष का सवाल है उसकी जानकारी मुझे सवाल के आने पर ही हुई। अब जहांतक एक हफ्ते के अन्दर स्थिति में सुधार होने का सवाल है, वह सम्भव नहीं है क्योंकि यह एक लम्बी स्कीम है किन्तु जितना सुधार एक हफ्ते के अन्दर हो सकता है, वह जरूर करेंगे।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न सन् 1966 में 5वें सोमवार के लिये भेजा गया था और जहां तक मुझे जानकारी है, उस समय सरकार ने यह उत्तर दिया था कि इस पर कार्यवाही पूर्ण होने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे अविलम्ब इस कार्य को पूरा कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

यह सही है कि 1966 में यह सवाल पूछा गया था और यह भी सही है कि उस समय कहा गया था कि इस पर कार्यवाही होगी और इस स्कीम पर 3 करोड़ रुपये खर्च होने की बात है। यह भी सही है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा लेकिन इस वक्त तक उस स्कीम पर 30 लाख रुपया खर्च हो चुका है और इस साल 21 लाख रुपया खर्च होना है। इस सम्बन्ध में कई जगह काम हो रहा है और बहुत सी चीजें ऐसी हुई भी हैं, जैसे हमारा पम्पिंग स्टेशन ऐशबाग व गऊघाट में बन गया है। अन्य पम्पिंग स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। इसमें देर जरूर लगेगी फिर भी हम इसको जल्द से जल्द पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इसमें 3 करोड़ रुपया लगेगा और 50 लाख रुपया कुछ दिनों में खर्च हो जायगा। ऐसी सूरत में जब कि अभी ढ़ाई करोड़ रुपया खर्च होना बाकी है, और यह देखते हुए कि यह लखनऊ नगर है, जहां के नागरिकों को पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, अन्तरिम समय के लिये वहां कम से कम एक ट्यूबवेल बनवाने की व्यवस्था माननीय मन्त्री जी करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

अगर महापालिका से इसके लिये कोई प्रस्ताव आवेगा तो उस पर हम गौर करेंगे, क्योंकि यह सब काम महापालिका ही करती है।

श्री सच्चिदानन्द---

चूंकि वह मेरा क्षेत्र है और मेरी निजी जानकारी है कि वहां पानी की समस्या को हल करने के लिये नगरपालिका ने लाखों रुपये की जो स्कीम बना रखी है उससे त्रिमिनीगंज मुहल्ले को कोई लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि वह पूरा क्षेत्र ऊंचा है, जब तक कि वहां कोई ट्यूबवेल नहीं बन जाता, तो क्या माननीय मन्त्री जी वहां की जल समस्या को हल करने के लिये तत्काल एक ट्यूबवेल बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

इसका मैंने जवाब दे दिया है और आपको बुलाकर सलाह भी कर लेंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि अगर महापालिका इस प्रकार का प्रस्ताव करेगी तो वहां ट्यूबवेल लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार अपनी

ओर से वहां के पानी की समस्या को हल करने के लिये ट्यूबवेल लगाने के लिये अपने को जिम्मेदार नहीं समझती और क्या वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार की ओर से वहां ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाकर तत्काल ही वहां ट्यूबवेल लगा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

तारांकित प्रश्न

कुक्कुट पालन अनुभाग में राजपत्रित पदों की पूर्ति

*1—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुक्कुट पालन के अन्तर्गत ग्रुप वन अधीनस्थ राजपत्रित तथा अन्य राजपत्रित पदों की पूर्ति 50 प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति से तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब-तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

पशुपालन विभाग के कुक्कुट पालन अनुभाग के अन्तर्गत ग्रुप एक तथा अन्य राजपत्रित पदों को भरने हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है:—

श्रेणी		विधि
ग्रुप एक के पद	..	एक तिहाई पद पदोन्नति द्वारा तथा दो तिहाई पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।
राजपत्रित पद	..	50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

राजपत्रित पदों को नियमित चयन द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है तथा ग्रुप एक के कतिपय पदों के लिये अर्हतायें निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रुप वन में कितने ऐसे पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं और शासन की नीति कब तक उन पदों को भरने की है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

16 वेटेरिनरी स्नातक अस्थायी रूप से अभी कार्य कर रहे हैं ।

श्री रामगोपाल संड—

कब तक नियुक्ति हो जायगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

बहुत जल्दी की जायगी ।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि 50 प्रतिशत प्रमोशन करके राजपत्रित अधिकारी बना दिये जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने राजपत्रित पद रिक्त हैं, कितने दिनों से रिक्त हैं और कब तक भर देंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

उनमें भी भर्ती होने की शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी और कार्यवाही हो रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पदोन्नति से स्थान भरे जायेंगे तो क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इस विभाग की तरह से अन्य विभागों में भी इस प्रकार का निर्णय लेंगे ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, तत्काल इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि राजपत्रित पद कितने रिक्त हैं और वे कब तक भरे जायेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

आठ पदों के लिये आयोग को लिखा गया है । चार पदों की सीधी भर्ती होनी है उनके लिये भी विज्ञापन किया जा चुका है ।

जनपद मिर्जापुर में सिरसी बांध द्वारा ग्रामों को पानी

*2—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के सिरसी बांध द्वारा कितने ग्रामों को पीने के लिये पानी एल० एस० जी० डी० प्रोग्राम द्वारा दिया जा रहा है ? यदि पानी नहीं दिया जा रहा है तो इसका क्या कारण है ?

श्री काजी जलील अब्बासी—

इस बांध से पटहेरा गांव समूह पेयजल योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत 56 ग्रामों को पानी देने की योजना है । अभी किसी भी गांव को नियमित रूप से पानी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि योजना निर्माणाधीन है ।

श्री रामनिहोर राय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन गांवों को पानी कब तक दिया जायेगा ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, यह तैयार हो जाता 1971 में लेकिन बाढ़ आ गई और जहां यह बन रहा था वह स्थान बदलना पड़ा । अब वन विभाग तथा इरीगेशन आदि विभागों द्वारा दूसरे स्थान की तलाश हो रही है । जिन गांवों में पानी अनियमित रूप से दिया गया है वह हीट करक नहीं दे पाते ह ।

श्री रामनिहोर राय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस मड़िआहूं क्षेत्र में सूखा रहता है, यह योजना कब तक पूरी होने वाली थी और कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बेनी सिंह—

मार्च, 1974 तक पूरी होनी चाहिये थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस क्षेत्र के जो विधायक माननीय रामनिहोर राय हैं उनकी सूचना को आधार मानकर इस योजना को प्राथमिकता देंगे ताकि समय से पहले पूरी हो जाये ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, पीने के पानी की समस्या को एक सी प्राथमिकता होती है । जितनी जल्दी बन सके बनाने का प्रयास करेंगे ।

श्री रामनिहोर राय—

इन 56 गांवों में कौन-कौन से गांव हैं जिनको पानी देने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष—

54 गांवों की फिहरिस्त पढ़ने की मैं इजाजत न दूंगा ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

श्रीमन्, लिस्ट तो दे देते । अब बाद में आप दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिस्ट बाद में दे दें । 54 गांवों की लिस्ट को मैं पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं ।

विकास खंड मिर्जापुर का मुख्यालय सरायमीर ले जाने का विरोध

*3—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मिर्जापुर का मुख्यालय मिर्जापुर से सरायमीर ले जाने के विरोध में सरकार का आदेश गया है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का पालन आज तक हुआ ? यदि नहीं तो क्यों ? या आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज उपमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

जी हां । आदेश का पालन किया जा चुका है तथा 4-9-1972 से मिर्जापुर ब्लाक का कार्यालय मिर्जापुर में ही कार्य करने लगा है । चूंकि आदेश का पालन हो चुका है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । मिर्जापुर ब्लाक के मुख्यालय के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है और मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम बचन यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खंड का कार्यालय मिर्जापुर से सरायमीर और सरायमीर से मिर्जापुर ले जाने में एवचुअल कितना खर्चा हुआ है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामबचन यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कष्ट करेंगे कि जब हमारे सामुदायिक विकास मन्त्री मिर्जापुर विकास कार्यालय की भूमि देखने गये और उस मामले में आदेश भी दे चुके हैं कि वह बनाया जाय और उसके लिये जमीन भी निश्चित हो गयी है तो क्या यह कार्य इस वर्ष आरम्भ हो जायगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

जी हां, मान्यवर। माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री ने इस मुख्यालय के लिये 2-3 स्थलों का निरीक्षण किया था और इसके बाद जिलाधीश को रिपोर्ट आयी है। सारा मामला सरकार के विचाराधीन है और शीघ्रातिशीघ्र फैसला लिया जायगा।

श्री रामबचन यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी इस वर्ष विकास भवन बनवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

मैंने निवेदन किया यह प्रश्न 2-3 सालों से शासन के विचाराधीन है। इसमें एक स्थान सिकहुला भी है और 1-2 स्थल माननीय मन्त्री जी देख चुके हैं और शासन द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जायगा।

श्री रामबचन यादव--

श्रीमन्, अधिकारियों के सामने यह मामला तो 1962 से ही खटाई में पड़ा हुआ है तो क्या माननीय मन्त्री जी इस वर्ष इस भवन को बनवाने का कष्ट करेंगे ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मैंने मिर्जापुर विकास क्षेत्र के 3 स्थलों का निरीक्षण किया था। सिकहुला भी उस क्षेत्र में शामिल है, पर अभी तक विकास मुख्यालय बनाने का अंतिम निर्णय नहीं कर सके हैं। हम शीघ्र ही निर्णय करके जिलाधिकारी को सूचित कर देंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

माननीय विकास मन्त्री मिर्जापुर से सरायमीर और सरायमीर से मिर्जापुर और तीसरे स्थान का भी जिक्र कर रहे हैं यह ठीक वैसे ही है जैसे तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी को बदला था। यह मामला 1962 से चल रहा है लेकिन अभी तक अर्थात् 1972 तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास मुख्यालय बनवाने का सरकार ने कहां निश्चित किया है और क्या इस भवन का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ हो सकेगा अथवा नहीं?

श्री बलदेवसिंह आर्य --

आयुक्त ने जो संस्तुति की थी उसमें उन्होंने सरायमीर के लिये कहा था। सरायमीर विकास खण्ड के किनारे पर है और मिर्जापुर दूसरे किनारे पर है। मुख्यालय का स्टाफ मिर्जापुर में है। अभी किसी के बारे में निर्णय नहीं किया गया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह निर्णय कब तक ले लेंगे।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैंने बताया कि जितनी जल्दी संभव होगा उतना जल्दी निर्णय किया जायगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

एक महीने के अन्दर क्या यह निर्णय ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक ही बात है।

छंटनीशुदा अमीनों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा में रखने का आदेश

*4—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग से छंटनीशुदा अमीनों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक और किन शर्तों पर ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

बाढ़ व अतिवर्षा के कारण कृषि देयों की वसूली स्थगन होने के फलस्वरूप हटाये गये ऐसे कृषि अमीनों/चपरासियों, जिनका कार्य पहले सन्तोषजनक रहा तथा जो निकम्मे नहीं हैं, को पुनः सेवा में रखने के आदेश मई, 1972 में जारी कर दिये गये हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि मई 1972 में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी विभाग से निकाले गये थे और उनकी अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह सूचना तो नहीं है कि कितने निकाले गये।

श्री रामगोपाल सण्ड—

आपने लिखा है कि हजारों कर्मचारी निकाले गये हैं पर जिनका काम सन्तोषजनक होगा उनको ले लिया जायगा। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कितने अमीन और कितने चपरासी राजाज्ञा के बाद लिये गये हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जिनका काम सन्तोषजनक रहा है उन सबको रख लिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, जो छंटनीशुदा कर्मचारी हैं क्या उनको नौकरियों में प्राथमिकता देंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह तो सिद्धान्त है ही।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से नहीं बताया कि कितने निकाले गये। मंत्री जी ने यह भी स्वीकार नहीं किया कि कितने रखे गये। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि वे देख लेंगे कि केवल सन्तोषजनक कार्य के नाम पर या इस श्रेणी के नाम पर जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको न निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका अपना अन्दाज है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

छटनीशुदा अमीन और कर्मचारियों के रहते हुये तो तमाम चपरासी भर्ती किये गये हैं। यदि ऐसा है, तो क्या इस बात का आश्वासन देंगे कि आइन्दा से ऐसी गलती नहीं होगी।

कृषि तथा पशुपालन मंत्री (श्री रामलखन)—

सन्तोषजनक कार्य पर ही रखेंगे। अगर और जगहों पर रखना है तो रखेंगे ही।

श्री रामधारी शास्त्री--

पिछले साल बाढ़ के सिलसिले में तमाम जगह मालगुजारी की वसूली बन्द कर दी गई थी और वसूली के आंकड़ों से ही उनकी कार्यकुशलता को नापते हैं। उनको अग्र कुशलता की दृष्टि से किस श्रेणी में रक्खेंगे ? उनको उसी काम पर रक्खेंगे या नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

बाढ़ और वर्षा के कारण वसूली मुल्तवी की गई थी। जिनका काम बिल्कुल गड़बड़ था उनको नहीं रखा गया जिनका काम ठीक रहा और मुल्तवी की वजह से वसूली कम हुई उनको पुनः सेवा में रख लिया गया था।

श्री रामगोपाल सण्ड--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी निकाले गये जिनका कार्य अच्छा रहा और बाढ़ आने से नयों को रख लिया गया। क्या आप आश्वासन देंगे कि उन लोगों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायगा कि दैवी प्रकृति के कारण वसूली नहीं कर पाये थे उनको पुनः उनके पदों पर नियुक्त किया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इस तरह का अगर कोई मामला आयेगा तो विचार किया जायगा उनके विषय में जिनका काम अच्छा रहा है।

वाराणसी जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु चिकित्सक

*5--श्री रामनिहोर राय--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में कौन-कौन पशु-चिकित्सा अधिकारी व पशु चिकित्सक एक ही स्थान पर तीन वर्ष से ऊपर कार्यरत हैं ? और क्या यह भी सही है कि पशु चिकित्सा अधिकारी आराजी लाइन्स फार्म, वाराणसी को 5 वर्ष से अधिक समय रहते हो गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वाराणसी जनपद में निम्नलिखित पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु चिकित्सक एक स्थान पर 3 वर्ष ऊपर से कार्यरत हैं :--

पशुचिकित्सा अधिकारी--

1--श्री आर० बी० एल० तिवारी,
2--श्री रघुवर सिंह।

पशु चिकित्सक--

1--श्री मुरारीलाल,
2--श्री कोमल सिंह,
3--श्री तिलकेश्वर सिंह।

2--श्री आर० बी० एल० तिवारी, पशु चिकित्सा अधिकारी आराजी लाइन्स, वाराणसी के पद पर दिनांक 8-8-67 को पदस्थापित हुये थे परन्तु वे दिनांक 24-7-68 से 13-5-69 तक कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण हेतु भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, आइज्तनगर बरेली में रहे। इस प्रकार इनका आराजी लाइन्स में कार्यकाल केवल 4 वर्ष रहा। अब श्री तिवारी का स्थानान्तरण भेड़, पर्यवेक्षक, ओरई, जालौन के पद पर कर दिया गया है।

श्री रामनिहोर राय--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों में से किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यदि हों, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

इस प्रकार की सूचना इस वक्त उपलब्ध नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, यह देखने को मिलता है कि बहुत से अधिकारी जिनके सेवा काल के तीन वर्ष पूरे हो गये हैं वे शासन पर जोर डाल कर अभी तक पड़े हुए हैं--इसको देखेंगे। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रदेश में इस तरह के आर्डर्स निकाले जायेंगे कि जो अधिकारी तीन साल तक रह चुके हो उनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।

श्री रामलखन--

पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके लिये वही नियम हैं जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। लेकिन उनको पांच वर्ष तक रहने के आदेश हैं। यदि उनका कार्य अच्छा है तो उनको जनहित में पांच वर्ष तक रहने दिया जा सकता है।

श्री रामनिहोर राय--

श्री आर० बी० एल० तिवारी के खिलाफ, क्या भ्रष्टाचार का आरोप है, यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामलखन--

प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता।

श्री रामनिहोर राय--

मान्यवर, यह इसलिये पैदा होता है कि उनका स्थानान्तरण जो किया गया है वह उनके खिलाफ जो आरोप हैं उसके आधार पर किया गया है, यह क्या सही है।

श्री रामलखन--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि प्रश्न किया गया था कि कौन-कौन से अधिकारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक हैं। अगर भ्रष्टाचार के बारे में किया गया होता तो सूचना मंगा ली होती।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, उनका जो ट्रांसफर हुआ है वह किस आधार पर हुआ है।

श्री रामलखन--

मान्यवर, वह प्रशासनिक कारणों से जनहित में हुआ।

जनपद आजमगढ़ में फूलपुर-खादा सड़क

*6--श्री राम बचन यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ में फूलपुर से खादा तक की सड़क त्वरित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां।

इस सड़क के 31 मार्च, 1974 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी अलीगढ़ श्री हरिशरण दास का स्थानान्तरण

*7---श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के श्री हरिशरण दास, ए0 डी0 सी0 ओ0 (अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी) का स्थानान्तरण उपनिबन्ध सहकारी समितियां, आगरा मंडल द्वारा उनके भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, पद का दुरुपयोग आदि की शिकायतों के आधार पर किया गया था? और क्या यह सच है कि उनका स्थानान्तरण रद्द करा दिया गया? यदि हां, तो रद्द करने में कौन-कौन से कारण हैं?

सहकारिता तथा पंचायतीराज मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

श्री हरिशरण दास, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी अलीगढ़ का स्थानान्तरण बिजनौर जनपद को प्रशासनिक आधार पर किया गया था, जो रद्द नहीं किया गया है।

श्री ठाकुर इंजीनियरिंग वर्क्स (कछवा मिर्जापुर) को लोहे का कोटा

*8---श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत कछवा टाउन एरिया में श्री ठाकुर इंजीनियरिंग वर्क्स को सरकार द्वारा कृषि यन्त्र निर्माण के लिये लोहे का कितना कोटा सन् 1971-72 में दिया गया? और सन् 1971-72 में कितने थ्रेसर इस संस्था से सरकार द्वारा खरीद करके किसानों को बांटे गये?

श्री रामलखन---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*9---श्री नेतराम सिंह तथा श्री सियाराम---

[4 थे शुक्रवार के लिए प्र0 सं0 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

स्वायत्त शासन विभाग की शाखाओं का स्थायीकरण

*10---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश अभियंत्रण विभागों के लिये मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि जितने मंडल और उनके शाखायें तीन साल से अधिक समय से अस्थायी हैं उनके 90 प्रतिशत को स्थायी कर दिया जायेगा। यदि हां, तो क्या इस प्रकार का स्थायीकरण करते समय जो मंडल तथा उसकी शाखायें उत्तराखंड में कार्य कर रही हैं उनको भी स्थायीकरण में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री बेनीसिंह---

जी हां, उत्तराखंड में स्वायत्त शासन विभाग के अधीन दो शाखाओं में तीन वर्ष से अधिक समय से चल रहे पदों में से 90 प्रतिशत पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

सहकारी उद्योगों का उद्योग विभाग को हस्तान्तरण

*11—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उन उद्योगों को भी उद्योग विभाग को सौंपने पर विचार कर रही है जिनका संचालन सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो बुलन्दशहर जनपद के सहकारिता विभाग द्वारा संचालित सहकारी टैक्सटाइल मिल को उद्योग विभाग को किस आधार पर सौंपने जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सहकारी क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को उद्योग विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

उद्योग विभाग की ओर से एक यह सुझाव दिया गया था कि सहकारी उद्योग पहले से ही उद्योग विभाग के पास है, यह उचित होगा कि सहकारी सूती मिल लि0, बुलन्दशहर भी उद्योग विभाग को हस्तान्तरित की जाये और उसकी देख रेख भी उद्योग विभाग के अन्तर्गत अन्य औद्योगिक इकाइयों की भांति ही हो सके। यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आगरा तथा मथुरा जनपद के पेयजल-व्यवस्था

*12—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा तथा मथुरा जनपद में पेयजल की समस्या के सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

आगरा तथा मथुरा जनपद के 6 ग्रामों तथा 17 कस्बों में मार्च, 1972 तक पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अर्थात् मार्च, 1974, तक 3 अतिरिक्त ग्रामों तथा 6 अतिरिक्त कस्बों में और पेयजल व्यवस्था पूर्ण कर दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

*13—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण'—

क्या सरकार को विदित है कि आगरा तथा मथुरा जनपदों की ग्रामीण पेयजल योजनाओं को भारत सरकार के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है और इन योजनाओं पर शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ? इन जनपदों की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों और किस आधार पर ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। किन्तु इन जनपदों की ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता क्योंकि आगरा व मथुरा के जिले न तो सूखाग्रस्त जिलों में आते हैं, न पहाड़ी जिलों में आते हैं और न भाभर क्षेत्र में आते हैं जहां के लिए राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

महरुआ—दोस्तपुर सड़क (फैजाबाद) का निर्माण

*14—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले के विकास क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत महरुआ-दोस्तपुर सड़क निर्माण के लिये त्वरित योजना में

ली गई है ? यदि हां, तो इसके का की निगरानी किसके जिम्मे है ? क्या यह सही है कि इस सड़क पर पुलिया आदि के निर्माण के लिये ईंट बहुत दूर के भट्ठे से और बहुत ज्यादा किराया देकर मंगाई गई है जब कि इस के करीब भट्ठे मौजूद हैं ? यदि हां, तो किस भट्ठे से और किस किराये की दर पर ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

इस कार्य की निगरानी खण्ड स्तर पर विकास खंड अधिकारी करते हैं तथा तकनीकी कार्य के लिये सहायक अभियन्ता (क्रैश) एवं ओवरसियर जिम्मेदार हैं।

यह सही है कि ईंटें विशेष परिस्थितियों में अधिक दूरी से क्रय की गई हैं किन्तु यह सही नहीं है कि बहुत अधिक किराया दिया गया है।

ईंटें सर्वश्री सन्तोष सिंह तथा सन्तदास के भट्ठे से 60 रु0 प्रति हजार की ढुलाई से मंगाई गई हैं।

प्रतापगढ़ जनपद की बेल्हा नगरपालिका के विरुद्ध शिकायत

*15—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़), श्री सच्चिदानन्द तथा श्री त्रिलोकचन्द—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रतापगढ़ जनपद के बेल्हा नगरपालिका द्वारा किये अनियमित कार्यों के विरुद्ध वहां के नागरिकों ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1972, फैजाबाद मण्डल के आयुक्त को दिया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि नगरपालिका के सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन करके नगरपालिका के अन्तर्गत निर्मित होने वाले नालों, सड़कों, पुलिया का ठेका, दुकानों का रजिस्ट्री द्वारा आवंटित, पेड़ों का सस्ते दामों पर नीलाम आदि अपने सगे सम्बन्धियों को किया और अपनी औरत तथा लड़कियों को नगरपालिका के स्कूल में अध्यापिका नियुक्त कराये ? यदि हां, तो शासन तथा आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? और यदि नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

आयुक्त, फैजाबाद मण्डल के कार्यालय में प्रश्नगत 18-12-71 का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

त्वरित योजनाबद्ध कठधरिया-पनियाली मार्ग

*16—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 1972 के नत्थी [ग] के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त कुमायूं मंडल नैनीताल के दिनांक 27 दिसम्बर, 1971 को आवश्यक निर्णय लेने के पश्चात् ही उपखंड अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, हल्द्वानी ने एस0 ई0 22वां वृत्त के आज्ञानुसार अपने पत्र सं0 43/1-सी, दिनांक 4 जनवरी, 1972 द्वारा सड़क बनाने का कार्य करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो इस आदेश के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ शासन ने अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कठधरिया-पनियाली मार्ग पर प्रश्नगत अवधि तक सम रेखन (Alignment) निश्चित न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हुआ था। अतः कार्य रोके जाने और किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, देवरिया, बस्ती एवं आजमगढ़ के कृषि गोदाम

*17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, देवरिया, बस्ती एवं आजमगढ़ में अलग-अलग कितने कृषि (खाद बीज) गोदाम वर्तमान समय में चल रहे हैं? इनमें से कितने ऐसे हैं जो आज से आठ वर्ष पूर्व गबन के केस में आ चुके हैं और इस दिशा में दोषी पाये गये लोगों के साथ शासन ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री रामलखन—

इन जनपदों में इस समय चल रहे कृषि गोदामों का विवरण निम्न प्रकार है :—

जनपद	गोदामों की संख्या
1—गोरखपुर	106
2—देवरिया	79
3— बस्ती	117
4—आजमगढ़	80
योग ..	382

इनमें से किसी भी गोदाम पर आज से आठ वर्ष पूर्व गबन का मामला प्रकाश में नहीं आया।

पंचायती राज अधिकारी जनपद गोरखपुर पर आरोप

*18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के पंचायती राज अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सन् 1971 से अब तक कितनी शिकायतें पंचायत सेवकों की ओर से प्रेषित शासन को प्राप्त हुई हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर में सचिव की नियुक्ति

*19—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर की सहकारी बैंक आजकल सरकार के नियंत्रण में है और उसमें सचिव की नियुक्ति जो महीना पहिले की गई है जिसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में लिखित शिकायत कई विधायकों ने मुख्य मंत्री से अगस्त, 1972 में की और उसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी शाहजहांपुर को भी भेजी ? यदि हां, तो शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की और शिकायतें क्या-क्या थी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक शाहजहांपुर एक स्वायत्तशासी संस्था है। बैंक में सचिव की नियुक्ति मार्च, 1972 में बैंक के संचालक मंडल द्वारा की गयी जिसको निबन्धक ने नियमानुसार स्वीकृति दिनांक 27-9-72 को दी थी।

सन्दर्भित शिकायती-पत्र तीन विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर का प्राप्त हुआ है जिसमें सचिव की नियुक्ति की अवैधानिकता के अतिरिक्त कतिपय और आरोप भी हैं। इस शिकायती-पत्र की जांच हो रही है।

क्षेत्रीय समितियों का गठन

*20—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार ने विकास खंडों के क्षेत्रीय समितियों में विभिन्न समुदाय के सदस्यों को सहयोजित (कोआप्ट) करने के सम्बन्ध में जिला इकाइयों को कोई परिपत्र हाल में जारी किया है ? यदि हां, तो क्या और क्षेत्र समितियों का गठन कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। 10 जुलाई, 1972 को जिलाधिकारियों को क्षेत्र समिति के सदस्यों के निर्वाचन तथा अनुमेलन की तैयारी करने के लिये एक परिपत्र जारी किया गया था। क्षेत्र समिति के सदस्यों के अनुमेलन के उपरान्त क्षेत्र समिति गठित कर दी जायेगी।

देहरादून में पेयजल संकट

*21—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि देहरादून नगर में 20 मई, 1972 से 7 जून, 1972 तक बिल्कुल पानी बन्द रहा जिसका मुख्य कारण स्वायत्त शासन विभाग के अभियन्ता तथा नगरपालिका के बीच मतभेद था तथा विभाग की लापरवाही से नगर के दो लाख नागरिक पानी की बूंद-बूंद के लिये तड़पे ? क्या स्वायत्त शासन मंत्री प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 7 जून, 1972 का पत्र जिसे माननीय मुख्य मंत्रीं जी ने उचित कार्यवाही हेतु उन्हें भेजा था मिला ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बेनी सिंह—

यह सत्य है कि माह मई, जून 1972 के बीच नलकूपों के खराब हो जाने के कारण देहरादून में पेय जल संकट रहा। नलकूपों का रखरखाव नगरपालिका द्वारा ठीक तौर पर नहीं किया गया है।

पत्र दिनांक 7 जून, 1972 को प्राप्त हुआ था और जो बातें कही गई हैं उनके बारे में मुख्य अभियंता, स्वायत्त अभियंत्रण विभाग, को लिखा जा चुका है।

देहरादून की जल सम्पूर्ति की स्थिति सुधारने की कार्यवाही की जा रही है।

मुरादाबाद में नजूल की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

*22—श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद शहर में वर्ष 1972 तक कुछ बड़े आदमियों ने नजूल की जमीन पर अनधिकृत रूप से दूकानें व मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बेनी सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नजूल की भूमि पर अनधिकृत कब्जे की जांच

*23—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय एक सभासद न अपनी पत्नी के नाम से दारुलशफा के सामने तथा नगर महापालिका के बराबर कुछ जमीन एलाट करायी और दुकान

[श्री रघुनाथ सिंह]

बनवाकर उसे किराये पर देने के लिये प्रयत्नशील हैं ? यदि हां, तो इसको किसने अलाट किया है और उन्होंने नजूल की भूमि पर अनधिकृत रूप से क्यों कब्जा किया है, क्या उनके विरुद्ध शासन द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी सिंह---

जी हां। भूमि का आवंटन नहर महापालिका लखनऊ की कार्य-कारिणी-समिति द्वारा किया गया जो अनियमित था। मामले की जांच की जा रही है।

हसनगंज (उन्नाव) में फल संरक्षण केन्द्र की मांग

*24---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार यह बताने की कष्ट करेगी कि उन्नाव जिले के विकास क्षेत्र हसनगंज मे फल संरक्षण केन्द्र बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब से और कितने रुपये की लागत से आरम्भ की जायेगी ?

श्री राम लखन ---

जी नहीं।

ग्राम सभा गांढा, (इलाहाबाद) की सिंचाई बन्धी की धनराशि

*25---श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ढाई हजार रुपये की जो ग्राम सभा गांढा, विकास खंड शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद की सिंचाई बन्धी की धनराशि वहां के अवकाश प्राप्त पंचायत मंत्री, श्री बद्री प्रसाद सिंह के द्वारा उपर्युक्त विकास खंड के आंकिक के पास दिनांक 20 अप्रैल, 1971 को जमा की गई वह लापता है ? यदि नहीं, तो उसका ट्रेजरी चालान उक्त अंकिक ने आज तक क्यों नहीं दिया और इस सम्बन्ध में नियोजन अधिकारी इलाहाबाद को दिनांक 11 दिसम्बर 1971 को पंचायत मन्त्री द्वारा 7 फरवरी, 1972 को उपर्युक्त ग्राम सभा के प्रधान द्वारा जो सूचना दी गई और दिनांक 3 अप्रैल, 1972 को मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी इलाहाबाद को जो सूचनायें भेजी गईं, उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्री शम्भूदयाल सिंह श्रीवास्तव, आंकिक विकास खंड कार्यालय, शंकरगढ़, इलाहाबाद ने माह अप्रैल, 1971 में श्री बद्रीप्रसाद सिंह भूतपूर्व पंचायत मंत्री से ढाई हजार रुपये जो गांव सभा गाढ़ा के बंधी निर्माण ऋण से सम्बन्धित था, प्राप्त किया था। आंकिक ने यह धनराशि खंड कार्यालय के कोष में न जमा कर तथा प्राप्ति की कच्ची रसीद देकर धन का उपयोग संदेहास्पद किया है। ट्रेजरी चालान भी नहीं दिया है।

पंचायत मंत्री एवं प्रधान गांव सभा गाढ़ा, शंकरगढ़ ब्लाक द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 1971 व 7 फरवरी, 1972 एवं अप्रैल 1972 पर जांच की गई और यह सुनिश्चित हो जाने पर कि धन का उपयोग सन्देहास्पद है श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव, आंकिक को निलम्बित कर दिया गया है, एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

*26---श्री इन्द्र लाल---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*27---श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव---

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बी० डी० ओ० अकबरपुर (कानपुर) के विरुद्ध जांच

*28—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बी० डी० ओ०, अकबरपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध वहां के ब्लाक प्रमुख ने कई शिकायती-पत्र जिसमें शासकीय धन के अपहरण व अपव्यय के आरोप भी थे, अप्रैल, 1971 में शासन को प्रेषित किये थे ? यदि हां, तो कब जांच हुई और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, केवल अप्रैल, 71 का एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, जिस पर जिलाधीश, कानपुर के माध्यम से जिला कृषि अधिकारी, कानपुर से जांच कराई गई थी। जिला कृषि अधिकारी ने दिनांक 17-7-71 को जांच सम्पन्न की तथा जिलाधीश, कानपुर ने उक्त जांच रिपोर्ट प्रेषित की। जिसके फलस्वरूप खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), कानपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र का आलेख्य आयुक्त, कृषि उत्पादन के अनुमोदन हेतु दिनांक 17-11-72 को मुख्यालय में प्राप्त हुआ है जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

थाना सदरबाजार, शाहजहांपुर में गबन का आरोप

*29—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1971 में थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर में 85 हजार के गबन होने के रिपोर्ट ए० आर०, शाहजहांपुर में दर्ज कराई जिसमें एक भूतपूर्व मन्त्री डी० सी० डी० एफ० को गबन का उत्तरदायी ठहराया गया ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जून, 1971 में थाना सदरबाजार, शाहजहांपुर में ए० आर० शाहजहांपुर द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई जिसमें एक भूतपूर्व मंत्री, डी० सी० डी० एफ० को गबन का उत्तरदायी ठहराया गया हो।

सिंह इन्जीनियरिंग स्टोर, आजमगढ़ से सामान की खरीद

*30—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कोटवा आजमगढ़ के प्रभारी अधिकारी वर्ष 1971 में कितनी धनराशि का सामान सिंह इंजीनियरिंग स्टोर, सिविल लाइन, आजमगढ़ से खरीदे ? क्या उन सामानों के खरीदने के पूर्व अन्य दूकानों से भी कोटेशन मंगवाये थे ? यदि हां, तो किन-किन दुकानों से ? और क्या उक्त सामान सरकार की कृषि यंत्र वर्कशाप, आजमगढ़ या रेट कन्ट्रैक्ट की कम्पनी गिनी कृषि यन्त्र वर्कशाप, आजमगढ़ के पास नहीं थे ?

श्री राम लखन—

वर्ष 1971 में सिंह इंजीनियरिंग स्टोर, सिविल लाइन, आजमगढ़ से 186 रु० 3 पै० का सामान क्रय किया गया। सामान क्रय करने के पूर्व निम्नलिखित दुकानों से कोटेशन मंगवाये गये थे:—

1—सिंह इंजीनियरिंग स्टोर, सिविल लाइन, आजमगढ़।

[श्री राम लखन]

2—सिंह स्टील सप्लाई कम्पनी, सिविल लाइन, आजमगढ़ ।

3—विरेन्द्र यंत्र प्रतिष्ठान, सिविल लाइन, आजमगढ़ ।

जो सामान सिंह इंजीनियरिंग स्टोर से क्रय किया गया वह सरकारी यंत्र वर्कशाप, आजमगढ़ या गिनी कृषि यंत्र वर्कशाप, आजमगढ़ के पास नहीं था ।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर (नैनीताल) के अन्तर्गत जमीन तथा उपकरण

*31—श्री सुखलाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर, जिला नैनीताल के अन्तर्गत 16 हजार एकड़ से अधिक जमीन है? यदि हां, तो कितने ट्रैक्टर, कितनी कार कितनी जीप, कितने ट्यूबवेल तथा अन्य कृषि के कौन-कौन से साधन हैं और गत तीन वर्षों में कितनी रकम प्रति वर्ष उन पर व्यय हुई और कितना रुपया इन तीन वर्षों में सरकार द्वारा अनुदान किया गया ?

श्री राम लखन—

कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर के पास 16 हजार एकड़ से ऊपर नहीं बल्कि कुल 14,241.35 एकड़ भूमि है । विश्वविद्यालय के पास ट्रैक्टर, जीपकार व अन्य साधनों तथा व्यय व अनुदानों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 873 पर)

सीड स्टोर इन्चार्ज, बफर गोडाउन इन्सपेक्टर, सेन्टर सीड स्टोर इन्चार्ज का स्थानान्तरण

*32—श्री सुखपाल पाडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय द्वारा प्रदेश में कितने सीड स्टोर इन्चार्ज, बफर गोडाउन इन्सपेक्टर, सेन्टर सीड स्टोर इन्चार्ज का स्थानान्तरण मई, जून, जुलाई, 1972 में किया उसमें से कितने का आदेश सितम्बर, 1972 तक कार्यान्वित हुआ, कितने का रद्द हुआ और कितने का परिवर्तित हुआ ?

श्री राम लखन—

मई से जुलाई, 1972 तक कुल 268 बीज भण्डार प्रभारी, केन्द्रीय बीज भण्डार प्रभारी एवं बफर गोदाम निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया जिसमें से सितम्बर, 1972 तक 201 स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित हुये, 13 रद्द हुये तथा 3 परिवर्तित हुये ।

*33-34—श्री सजीवन लाल—

[2रे शुक्रवार के लिए प्र0सं0 49-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा नगर में वाटर सप्लाई एवम् ड्रेनेज योजना

*35—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के लिये 21.50 करोड़ की कोई मास्टर प्लास वाटर सप्लाई (8 करोड़) एवं ड्रेनेज (13.50 करोड़ की प्रगति) के लिये बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब तक कार्यान्वित कर दी जायगी ।

श्री बेनी सिंह--

जी हां, इस योजना के अन्तर्गत आगरा, नगर की अबसे 30 वर्ष बाद की संभावित जन-संख्या को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था एवं जलोत्सारण हेतु विभिन्न कार्य प्रस्तावित हैं। योजना के पूर्ण होने पर नगर महापालिका, आगरा के जलकल की वर्तमान क्षमता 6.8 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 28.55 करोड़ लीटर प्रतिदिन हो जायगी। योजना का कार्यान्वयन धन की उपलब्धता और नगर महापालिका आगरा की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

नगर महापालिका, लखनऊ में अनियमितताओं की जांच

*36--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर महापालिका, लखनऊ में भिन्न-भिन्न प्रकार की अनियमितताओं एवं धनराशि के दुरुपयोग की जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? यदि हां, तो किस आधार पर और उसके टर्म आफ रिफरेंस क्या हैं और कब तक वह अपनी रिपोर्ट देगी और उस कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं?

श्री बेनी सिंह--

जी हां। इस जांच के लिये आयुक्त, लखनऊ मंडल को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम की धारा 532 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था। आयुक्त की रिपोर्ट मुख्य आरोपों पर प्राप्त हो गई है और शासन के विचाराधीन है।

गोंडा जिला परिषद् में सड़कों का निर्माण

*37--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 1969-72 में जिला परिषद् गोंडा द्वारा कौन-कौन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है उन सड़कों का नाम क्या है और कहां से कहां तक जाती हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

1971-72 में निम्न सड़कों का कार्य जिला परिषद् गोंडा ने शुरू किया है :--

1--बालपुर-परसपुर सड़क 12 किलो मीटर यह बालपुर से परसपुर को मिलाती है।

2--नरायनपुर-हरैया सड़क--7 कि0मी0 यह नरायनपुर से हरैयी को मिलाती है।

3--तरबगंज से बंधा सुसला--8 कि0 मी0 यह तरबगंज से बंधा को मिलाती है।

4--हलधर मऊ-परसपुर सड़क--3 कि 0 मी0।

5--बंधु सराय-देवरिया रानी जोत--5 कि0 मी0 यह बंधु सराय से देवरिया रानी जोत को मिलाती है।

6--कुआनी रेंज से बालपुर--3 कि0 मी0 यह कुआनी से बालपुर को मिलाती है

7--लिंक रोड-गंडास-बुजुर्ग--2 कि0 मी0 यह सड़क ब्लाक को पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से मिलाती है।

8--सरयू से चचई-माझा--7 कि0 मी0 यह सरयू स्टेशन से चचई माझा को जाती है।

9--सोनवरसा-रेहरा--4 कि0 मी0 यह सड़क सोनवरसा से रेहरा को जाती है।

*38—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 168 नं0 निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषद् की तरफ से कौन-कौन सड़क बनायी जा रही है ? उक्त सड़क का नाम क्या है तथा इसे रौजा में दुर्जनपुर घाट तथा वजीरगंज बाजार से मिलाही रेलवे स्टेशन तक एवं वजीरगंज बाजार के टिकरी रेलवे स्टेशन तक बनाने में क्या अड़चन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

168 नं0 निर्वाचन क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बनाई जा रही है । रौजा से दुर्जनपुर घाट तथा वजीरगंज बाजार से मिलाही रेलवे स्टेशन तक एवं वजीरगंज बाजार से टिकरी रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाने में जिला परिषद् को कोई अड़चन नहीं है । केवल धनाभाव है ।

खंड विकास अधिकारी हरचन्दपुर (रायबरेली) की पोस्टिंग

*39—श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी) तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को ज्ञात है कि रायबरेली जिला के हरचन्दपुर ब्लाक के क्षेत्राधिकारी वर्तमान पोस्टिंग के कुछ महीने पहिले उसी ब्लाक में रह चुके हैं जहां उनके ब्लाक के दूसरे कर्मचारियों से मारपीट हुई थी? यदि हां, तो यह जानते हुए उक्त क्षेत्र विकास अधिकारी की पुनः उसी ब्लाक में नियुक्ति के क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

खण्ड विकास अधिकारी हरचन्दपुर, जिला रायबरेली उक्त विकास खण्ड में दिनांक 2-5-72 से कार्य कर रहे हैं । इसके पूर्व वे इसी विकास खण्ड में दिनांक 30-7-71 से 29-9-71 तक कार्य कर चुके हैं ? कर्मचारियों से मारपीट होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

नगरपालिका कोंच (जालौन) के कर्मचारियों का वेतन

*40—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले की कोंच नगरपालिका के मेहतरों, चुंगी कर्मचारियों, लिपिक वर्ग और अध्यापकों को क्रमशः कितने-कितने माह से तनख्वाह नहीं मिली है, और क्यों ?

श्री बनी सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका, कोंच (जालौन) के जलकल अभियन्ता तथा कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

*41—श्री रामसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे लगभग दो वर्ष पूर्व कोंच (जालौन) पालिका द्वारा जलकल विभाग के लिये बीस हजार रुपयों की पाइप की खरीद में तत्कालीन पालिकाध्यक्ष और कार्याधिकारी पर दस हजार रुपयों के गोलमाल का आरोप कई सदस्यों और एक पत्रकार ने लगाया था ? यदि हां, तो उसकी जांच पर जिलाधिकारी की आख्या

को क्या मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे? जिलाधिकारी की जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी सिंह—

नगरपालिका, कोंच के 11 सदस्यों ने अपना शिकायती-पत्र दिनांक 22-12-70 जलकल विभाग हेतु खरीदे गये पाइपों में पालिका के धन के अपव्यय के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया था। उक्त शिकायती-पत्र की जांच जिला मजिस्ट्रेट ने परगनाधिकारी द्वारा करायी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में लिखा है कि पालिका द्वारा 19,951.85 रु0 के पाइप वर्ष 1970 में खरीदे गये थे। तत्कालीन जलकल अभियन्ता द्वारा मूल एस्टीमेट में इन जी0 आई0 पी0 पाइपों की दर अधिक लगाये जाने के कारण पालिका को लगभग 7,317.25 रु0 की हानि हुयी। उक्त हानि का उत्तरदायित्व जलकल अभियन्ता तथा तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष पर बताया गया है। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर शासन विचार कर रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट की आख्या सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

तुलासिता रोग से खरीफ की नष्ट फसल

*42—श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत खरीफ 1972 में किसानों को खराब शंकर बाजरा एवं धान के बीज सरकारी बीज गोदामों एवं निगम से महंगी दर पर दिये गये जिससे रोग फैल गया और सारी फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन जिले ऐसी गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं और सरकार क्षति को पूरा करने और दोषी व्यक्तियों को दंडित करने में क्या कदम उठाया है ?

श्री राम लखन—

गत खरीफ 1972-73 में किसानों को कृषि बीज भंडारों से गत वर्षों की भांति ही निर्धारित दरों पर शंकर बाजरा एवं धान का बीज वितरित किया गया। शंकर बाजरा की फसल में तुलासिता (ग्रोन इयर) नामक रोग लगने का समाचार प्राप्त हुआ। धान की फसल में कोई रोग फैलने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। उक्त तुलासिता रोग संख्या 20 जिले जिनकी सूची संलग्न है, शंकर बाजरा बीज राष्ट्रीय बीज निगम से क्रय करके वितरित किया गया था। यह अभी निश्चित नहीं हो सका है कि तुलासिता रोग का प्रकोप फैला। अतः किसी को दोषी ठहराकर दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 874 पर)

दो तहसीलों में स्थित विकास खंड का क्षेत्र

*43—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विकास खंड है जिनका क्षेत्र दो तहसीलों में फैला है ? क्या शासन का ऐसा निश्चय है कि एक विकास-खंड का क्षेत्र किसी एक तहसील के ही भीतर होना चाहिये ? यदि हां, तो जालौन जिले के एटा विकास खंड के क्षेत्र को उरई तहसील और कोंच तहसीलों में सम्मिलित न करके किसी भी एक ही तहसील में रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रदेश के 54 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 जिलों के 14 निम्न विकास खंड हैं जिनका क्षेत्र दो तहसीलों में फैला है:—

नाम जिला	नाम विकास खण्ड
1—आगरा	1—अकोला
2—मैनपुरी	2—कुरावली
3—रामपुर	3—बिलासपुर
4—इटावा	4—चक्रनगर
5—जालौन	5—एट
6—देवरिया	6—कसिया
7—बस्ती	7—जोगिया बांसी
8—नैनीताल	8—खटीमा
	9—हल्द्वानी
	10—रामनगर
	11—रुद्रपुर
9—अल्मोड़ा	12—ताकुला
	13—भसियाछाना
10—उत्तरकाशी	14—नौगांव

शासकीय आदेशों के अनुसार एक विकास खण्ड का क्षेत्र एक ही तहसील में होना चाहिए।

विकास खण्ड एट के विषय में आवश्यक अभिलेख व सूचना जिलाधिकारी जालौन से प्राप्त हो गई हैं। शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लिया जायगा।

*44—श्री रामनिहोर राय—

[3रे मंगलवार के लिए प्र0 सं0 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पंचायत सेवकों का महंगाई भत्ता

*45—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचायत मंत्रियों को पंचायत सेवक घोषित करने के पश्चात् दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 से महंगाई भत्ता 56.00 रु0 न दिये जाने के क्या कारण हैं? और अब तक प्राप्त होने वाले महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि भी उन्हें मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पंचायत सेवकों को दिनांक 1 मार्च, 1972 से राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता शासन ने स्वीकृत कर दिया है और तदनुसार अवशेषों का भुगतान किया जा रहा है।

सरकार द्वारा रासायनिक खाद तकावी पर देने की बाबत जानकारी

*46—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद तकावी पर देने की प्रणाली में हैसियत तथा भूमि के रकबे संबंधी अमूल परिवर्तन कर दिये गये हैं जिससे किसानों

को रासायनिक खाद समय से पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो रही है? यदि हां, तो यह परिवर्तन किस आधार पर किये गये हैं तथा सरलतापूर्वक खाद उपलब्ध कराने की क्या योजना है ?

श्री राम लखन—

जी नहीं ।

इस दिशा में कोई अमल परिवर्तन नहीं किये गये । केवल यह निर्देश दिये गये हैं कि 90 प्रतिशत तकावी एवं उर्वरक तीन हेक्टर (साढ़े सात एकड़) तक के छोटे किसानों को बांटी जाय।

सुपरवाइजर दिलदार हुसैन, अकबरपुर के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

*47—श्री जयराम वर्मा तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या फैजाबाद जिले के सहकारी संघ, अकबरपुर के सुपरवाइजर जो संघ के भवन में रहते थे 15–16 जुलाई, 1972 की रात में अचानक लापता हो गये और उनका सामान सहकारी संघ के भवन में मौजूद है ? क्या यह सही है कि उक्त सुपरवाइजर ने दो-तीन दिन पहिले स्थानीय सहकारी बैंक से 12 हजार रुपया निकाला था ? क्या अभी तक उनका कुछ पता चला और उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां, सहकारी संघ अकबरपुर (फैजाबाद) के ऋण पर्यवेक्षक (श्री दिलदार हुसैन), जो संघ के सचिव भी थे, 15–16 जुलाई, 1972 की रात में लापता हो गये थे । उनका सामान संघ के भवन में ही रह गया था । उन्होंने जिला सहकारी बैंक की स्थानीय शाखा, अकबरपुर से दिनांक 13–7–72 को 12,500 रुपया निकाला था, उनके विरुद्ध गबन की रिपोर्ट पुलिस थाना अकबरपुर में की गयी थी । उन्होंने दिनांक 2–8–72 को जुडीशियल मजिस्ट्रेट, अकबरपुर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया । अब स्थानीय पुलिस द्वारा इस केस में जांच की जा रही है । श्री दिलदार हुसैन जेल में बन्द हैं उनकी जमानत नहीं हुई है ।

डलमऊ विकास खण्ड (रायबरेली) में गबन का आरोप

*48—श्री शिव शंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जनपद में डलमऊ विकास खण्ड के घुरवारा, डलमऊ व लालगंज के कृषि भंडारों में 1970–71 में कितना गबन प्रकाश में आया है और उसके लिये खंड विकास अधिकारी का क्या उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ?

श्री रामलखन—

वर्ष 1970–71 में डलमऊ विकास खंड जनपद रायबरेली में किसी कृषि बीज भंडार पर गबन प्रकाश में नहीं आया है ।

फैजाबाद दुग्ध योजना पर खर्च तथा प्रगति

*49—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये 55 लाख रुपये की फैजाबाद दुग्ध योजना 1969–70 के बजट द्वारा स्वीकृत हुई थी तथा तदोपरान्त प्रत्येक वर्ष की बजट में इस योजना के लिये धन स्वीकृत होता रहा ? यदि हां, तो योजना की प्रगति क्या है तथा इस पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

पचास लाख रुपये की लागत की फैजाबाद दुग्ध योजना 1970-71 की नयी मांगों द्वारा स्वीकृत हुई थी ।

1970-71 के बजट में उसके लिये 5 लाख रुपये का तथा 1971-72 के बजट में 20 लाख रुपये का प्राविधान हुआ था ।

अब तक उसके लिये 12. 50 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है ।

योजना प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा चलाई जायगी । फेडरेशन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है जिसके लिये रु0 10,201.80 फैजाबाद के सरकारी खजाने में जमा भी कर दिया गया है ।

*50---श्री हुकुमसिंह परिहार---

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में खाद की कमी

*51---श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)---

क्या सरकार को पता है कि प्रदेश भर में खाद की भारी कमी है ? क्या सरकार ने ब्लाक स्तर पर कृषि विभाग द्वारा नकद दी जाने वाली खाद की सप्लाई को रोक दिया है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम लखन---

जी हां, सरकार को पता है कि प्रदेश में खाद की कमी है । कृषि विभाग के गोदामों से नकद पर खाद की सप्लाई को रोकने के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटवा (आजमगढ़) के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप की जांच

*52---श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्भागीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटवा, आजमगढ़ के प्रभारी अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 8 सितम्बर, 1972 को सरकारी धन के दुरुपयोग एवं अन्य अनेकों गंभीर आरोप आपको दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच हो रही है ? यदि हो रही है तो क्या उपरोक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण कर के जांच हो रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम लखन---

जी हां, जांच हो रही है । अधिकारियों का स्थानान्तरण करके जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

*53---श्री पारसनाथ सिंह, श्री उमानाथ सिंह, तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा---

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

प्रदेश मे मंडी समितियों का चुनाव

*54---श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायं)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी समितियों के चुनाव कब सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

श्री राम लखन—

क्षेत्र समितियों के चुनाव सम्पन्न हो जाने के पश्चात् अगले वर्ष मण्डी समितियों के चुनाव कराने की संभावना है ।

उझियानी कृषि मंडी (बदायूं) का स्थल

*55—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के उझियानी कृषि मंत्री क्षेत्र के प्रधानों ने कोई ज्ञापन शासन को अक्तूबर, 1972 में भेजा है कि उझियानी की वर्तमान कृषि मण्डी को वर्तमान स्थल से न हटाया जावे ? यदि हां, तो उसमें शासन मे अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम लखन—

बदायूं जिले के उझियानी कृषि मण्डी क्षेत्र के प्रधानों से अक्तूबर, 72 में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

*56—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

कोटद्वार नगरपालिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

*57—श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को मई, 1972 में श्री रामचन्द्र उनियाल, मन्त्री, युवक कांग्रेस गढ़वाल का नगरपालिका के द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अनियमितताओं का विवरण क्या है ? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां । उक्त शिकायती-पत्र में अनियमितताओं के विवरण संलग्न सूची में दे दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल, पौड़ी द्वारा जांच कराई जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 875 पर)

विकास क्षेत्र मड़ियाहूं (जौनपुर) के अधिकारियों का स्थानान्तरण

*58—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत कितने ऐसे ग्राम सेवक तथा सहायक विकास क्षेत्र अधिकारी 5 वर्ष या उस से अधिक काल से उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ? क्या उनका स्थानान्तरण कई बार हो चुका है और उनके अन्यत्र स्थानान्तरण रोके गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र मड़ियाहूं में नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट) तथा दो ग्राम सेवक ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का हो गया है । इन दोनों ग्राम सेवकों का स्थानान्तरण आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं किन्तु अभी तक ग्राम सेवक अपने स्थानान्तरित स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु मुक्त नहीं हो सके हैं । स्थानान्तरण रोका नहीं गया है, रबी अभियान कार्यक्रम तथा पंचवर्षीय योजना बनाने के कारण खंड विकास अधिकारी ने इन ग्राम सेवकों को कार्य मुक्त नहीं किया है । पंचवर्षीय

योजना का विवरण प्रस्तुत करने पर तुरन्त कार्यभार से मुक्त करने के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं। सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट) के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*59—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी में नियुक्त रीजनल एकाउन्ट्स आफीसर

*60—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी में नियुक्त रीजनल एकाउन्ट आफिसरों के नाम क्या-क्या हैं? वह कितने दिनों से सरकारी सेवा में हैं तथा कितने ऐसे रीजनल एकाउन्ट अफसर ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है? कन्फर्म न करने का कौन-सा कारण है?

श्री राम लखन—

फैजाबाद तथा इलाहाबाद में नियुक्त रीजनल एकाउन्ट आफिसरों के नाम क्रमशः श्री शम्भनाथ गुप्त तथा श्री मुक्ति नाथ मिश्र हैं जो अपने पदों पर दिनांक 18-1-72 एवं 22-1-72 से कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर तथा वाराणसी में रीजनल अकाउन्ट्स आफीसर का कोई पद नहीं है। पांच रीजनल एकाउन्ट आफीसर हैं जिन्हें अभी तक अपने पदों पर स्थायी नहीं किया गया है। एकाउन्ट्स आफीसरों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जिसमें इनके सम्बन्ध में भी विचार होगा।

जिला परिषद् टिहरी-गढ़वाल के आशुलिपिक

*61—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्ट्री के आशुलिपिकों की तरह क्या जिला परिषदों के आशुलिपिकों को कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था है, यदि हां, तो क्या जिला परिषद् टिहरी-गढ़वाल के आशुलिपिकों को भी वरिष्ठता के आधार पर यह सुविधा प्रदान की गई है। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

टेहरी-गढ़वाल के भतपूर्व आशुलेखक और 6 मई, 1972 से अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री राणा को नवम्बर, 1972 में कार्यालय अधीक्षक के स्थान पर अल्पकालिक पदोन्नति दी गई थी।

व्यवस्थापक, भेड़ फार्म, कचहरी (वाराणसी) के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*62—श्री देवराम—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भेड़ फार्म, कचहरी, वाराणसी के व्यवस्थापक के विरुद्ध अवैधानिक रूप से भेड़ फार्म के कार्यालय में निवास बनाने की शिकायत जनता द्वारा हाल में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही उक्त अधिकारी के विरुद्ध की गई है?

श्री राम लखन—

कचहरी, वाराणसी में मकबूल आलम रोड पर कोई भेंड़ फार्म नहीं है परन्तु जिला भेंड़ एवं ऊन विकास अधिकारी का कार्यालय स्थित है। भेंड़ फार्म के व्यवस्थापक के विरुद्ध अवैधानिक रूप से भेंड़ फार्म के कार्यालय में निवास बनाने के संबंध में जनता द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम बरसाना का टाउन एरिया में परिवर्तन

1—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण'—

क्या सरकार को विदित है कि मथुरा जिले के प्रमुख प्रसिद्ध ग्राम बरसाना की आबादी छः हजार से अधिक है और वहां की ग्राम पंचायत क्षेत्र समिति तथा जिला अधिकारियों की ओर से इसको नोटीफाइड एरिया किये जाने के प्रस्ताव एवं संस्तुति सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार द्वारा यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बेनी सिंह—

ग्राम बरसाना को नोटीफाइड एरिया नहीं बल्कि टाउन एरिया में परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

जिला कानपुर में सड़कों का निर्माण

2—श्री चौधरी रामपालसिंह यादव तथा श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत छोटी-छोटी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये शासन की ओर से करीब 14 लाख रुपया दिया गया था और कानपुर जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति की बैठक 20-6-72 को सर्वसम्मति से 21 कि०मी० छोटी-छोटी सड़कें बनाये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था जिसकी पुष्टि 1-7-1972 की बैठक में की जा चुकी है? यदि हां, तो यह सड़क कौन-कौन सी हैं और उनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है और इनके निर्माण कराये जाने का कार्य कब शुरू किया गया या किया जायगा और कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले के कृषि फार्म

3—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कृषि फार्मों में सन् 1970-71 और 1971-72 में कुछ घाटा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले के कृषि फार्मों का आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामलखन—

जी नहीं । फर्रुखाबाद जिले के कृषि फार्मों में वर्ष 1970-71 व 71-72 में घाटा नहीं हुआ है । प्रश्न नहीं उठता ।

जलसम्पूर्ति योजना (गोरखपुर) के लिये धनराशि

4—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में जलसम्पूर्ति योजना के लिये पचीस प्रतिशत धनराशि जिला परिषद् से लगाने या सरकार से कर्ज लेकर लगाने की योजना है ?

श्री बेनी सिंह—

जी नहीं ।

क्षेत्र समिति धानी द्वारा ग्रामीण जन-शक्ति योजना में सड़क बनाने का प्रस्ताव

5—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार 4 जनवरी, 1972 के प्रश्न संख्या 12 के संबंध में बतानें की कृपा करेगी जिन सड़कों को क्षेत्र समिति ने आर० एम० पी० में बनाने का प्रस्ताव किया था ? क्या यह सही है कि वे वही सड़कें हैं जो ग्रामीण जन-शक्ति योजना में शामिल नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें त्वरित योजना में लेकर पक्की सड़कें बनाने की इजाजत देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

क्षेत्र समिति, धानी ने ग्रामीण जन-शक्ति योजना में उन्हीं सड़कों को बनाने का प्रस्ताव किया था जिनका 4 जनवरी, 1972 के प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में उल्लेख किया गया है । यह सत्य है कि यह सड़कें ग्रामीण जन-शक्ति योजना में शामिल नहीं की जा सकीं तथा प्रसंगगत सड़कों को त्वरित योजना के अन्तर्गत पक्की करने की भी कोई संभावना नहीं है ।

कृषि विभाग द्वारा वितरित कृषि रक्षा केमिकल्स का मूल्य

6—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा वितरित किये जाने वाले कृषि रक्षा केमिकल्स के मूल्य 1 अक्तूबर, 1972 से बढ़ा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन वह सूची देने की कृपा करेगी जिसमें ऐसे प्रत्येक केमिकल्स के दाम 1 अक्तूबर सन् 1972 से पहले तथा बाद के दर्शाये गये हैं ?

श्री राम लखन—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में टाउन एरियाओं की वार्षिक आय

7—श्री शिवराज सिंह—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जनपद बदायूं में कौन-कौन सी टाउन एरिया ऐसी हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख अथवा एक लाख से अधिक है ?

श्री बेनीसिंह—

जनपद बदायूं में बिसौली और दातागंज टाउन एरियाओं की वार्षिक आय एक लाख से अधिक है ।

जनपद बदायूं में दुधारू पशुओं की खरीद तथा यांत्रिक जुताई हेतु सहायता

8—श्री शिवराज सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं के लघु कृषक विकास योजना क्षेत्र में विभिन्न विकास खंडों में सन् 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के काल में कितनी-कितनी धनराशि लघु कृषकों को दुधारू पशुओं के क्रय करने हेतु दी गयी और कितनी सब्सिडी एग्रो के माध्यम से यंत्रों से जुताई कराने पर लघु कृषकों को दी गई ?

श्री राम लखन—

लघु कृषक विकास संस्थान, बदायूं द्वारा परियोजना क्षेत्र के विभिन्न विकास खंडों में लघु कृषकों को दुधारू पशुओं एवं यंत्रों से जुताई कराने पर वर्षवार दिये गये अनुदान का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:

		1970–71	1971–72	1972–73 (नवम्बर, 1972)
			रु0	रु0
1—दुधारू पशु ..	—		15,134.45	1,70,930.65
2—एग्रो के माध्यम से यंत्रों से जुताई कराने पर ..	—		3,454.95	890.10

9—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

इलाहाबाद जनपद के बारा विधान सभा क्षेत्र में परियोजना का अभाव

10—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी तक इलाहाबाद जनपद के बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत त्वरित योजना के संबंध में कोई भी परियोजना नहीं लागू की गई जबकि यह इस जिले का एक बहुत ही पिछड़ा भाग है और इसमें आवागमन के साधनों का भारी अभाव है और यहां पर बेकारी की समस्या भी गम्भीर है ? क्या कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इलाहाबाद जनपद के बारा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत कोई भी परियोजना नहीं ली गई है। किन्तु ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम (क्षेत्रीय सूखाग्रस्त परियोजनाओं) के अन्तर्गत उपर्युक्त विधान सभा क्षेत्र में 66.29 लाख रुपये की सड़क और सिंचाई की परियोजनायें ली गई हैं।

इलाहाबाद जनपद में पेयजल योजना से लाभान्वित गांव

11—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद की जारी सर्किल में जो 65 गांव तथा शंकरगढ़ सर्किल में 95 गांव पेयजल पूर्ति के लिये चुने गये थे उनकी संख्या में क्या इधर कुछ वृद्धि की गई है या किये जाने की निकट भविष्य में आशा है ? यदि हां, तो कब तक और कितने और गांवों में यह योजना लागू की जायेगी ?

श्री बेनी सिंह—

इलाहाबाद की करछना तहसील में जारी सर्किल में 63 गांव तथा शंकरगढ़ सर्किल में 95 ग्राम पेयजल योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इनकी संख्या में कोई वृद्धि तो नहीं हुई है किन्तु इसी तहसील में 5 ग्रामों की अमिलिया ग्राम समूह पेयजल योजना और कार्यान्वित की जा रही है जिसकी मार्च, 1974 तक पूरी होने की आशा है।

ब्रजमनगंज (गोरखपुर) में वाटर सप्लाई योजना

12—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार 27 जुलाई, 1971 के प्रश्न 5 एवं 6 के सन्दर्भ में कृपया यह बतायेगी कि बृजमनगंज, जिला गोरखपुर में वाटर सप्लाई योजना लागू करने के संबंध में उस वक्त के खंड विकास अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 270, प्रस्ताव 1971, 1972, दिनांक 17 जुलाई, 1971 के द्वारा प्रस्ताव की प्रतिलिपि स्वायत्त शासन (अभियंत्रण) को भेजी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी सिंह—

हां। क्योंकि योजना बनाने के लिए जिला परिषद् गोरखपुर के प्रस्ताव की आवश्यकता थी। अभी तक जिला परिषद् से बृजमनगंज की योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

म्युनिसिपल बोर्ड कैराना (मुजफ्फरनगर) को स्वीकृत सड़क हेतु अनुदान

13—श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर को साल 1970–71, 1971–72 व 1972–73 में कितनी-कितनी रोड ग्रान्ट स्वीकृत हुई और किस आधार पर दी गई ?

श्री बेनी सिंह—

नगरपालिका कैराना जनपद मुजफ्फरनगर को वर्ष 1970–71 में साधारण व विशेष सड़क अनुदान के रूप में क्रमशः 58,900 रु0 तथा 70,000 रु0 स्वीकृत किया गया। वर्ष 1971–72 में केवल 47,100 रु0 साधारण अनुदान तथा 15,000 रु0 का विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया। 15,000 रु0 के विशेष अनुदान की धनराशि को बाद में वापस करा लिया गया। वर्ष 72–73 में इस नगरपालिका को अभी तक कोई सड़क अनुदान नहीं स्वीकार किया गया। प्रत्येक वर्ष सड़क अनुदान शासन द्वारा सड़क अनुदान नियमावली के नियमों के आधार पर दिया जाता है।

कृषि विभाग (पौढ़ी-गढ़वाल) के कर्मचारियों का स्थायीकरण

14—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौढ़ी-गढ़वाल में कृषि विभाग के अन्तर्गत कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सरकारी सेवा करते हुए 15 साल से अधिक हो गये हैं लेकिन अभी तक अस्थाई हैं और कब तक उनके स्थाई किये जाने की संभावना है ?

श्री राम लखन—

ऐसे कर्मचारियों की संख्या 9 है। स्थाई पदों के लिये उपलब्ध होने पर ही उन्हें स्थायी करना संभव होगा।

15—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

16—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रश्नों के सही उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मान्यवर, तारांकित प्रश्न जो2 है उसके विषय में उत्तर मिला है वह यह है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष——

आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं ।

श्री रामकुमार दीक्षित—

मान्यवर, यह दस पेज पर हैं । इसका उत्तर जो आया है वह आप देख लें ।

प्रश्न तो केवल यह था कि जिला परामर्शदात्री समिति ने कोई निर्णय लिया था, उसी की जानकारी चाहिए थी । यह प्रश्न मैंने 30-9-72 को किया था और उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । श्रीमन्, मेरी यह जानकारी है कि इस निर्णय के विपरीत कानपुर जिले में सड़कें बन रही हैं । इस प्रकार से उत्तर देकर माननीय मन्त्री जी सदन को गमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष——

यह तो अतारांकित प्रश्न है । जो उत्तर मिला है उसके सम्बन्ध में मेरे कमरे में आकर शिकायत करते तो मैं उनसे पूछ लेता । इस वक्त मैं क्या जवाब दिलवा सकता हूं ?

श्री रामकुमार दीक्षित——

श्रीमन्, कल इसका उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष——

कल कैसे दिलवा दूं, उसको देखना होगा ।

श्री सुखपाल पांडेय की पुलिस द्वारा हत्या के कथित प्रयास के संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी की मांग

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)

श्रीमन्, कल सुखपाल पांडेय जी का मामला जब उठा था तो आपने सारे सदन की भावनाओं को मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा देने के लिए राज्य गृह मन्त्री जी से कहा था और आपने यह भी कहा था कि चार बजे आपके कमरे में बैठकर कुछ निर्णय होगा । तो क्या निर्णय हुआ और जो आपने सदन की भावनाओं को मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचाने की बात कही थी उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष—

इसके दो पहलू थे । एक तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, दूसरे जो चार्ज किया है उसकी जांच के बारे में क्या तरीका होना चाहिए । सुरक्षा के लिए तो मैंने आज्ञा दे ही दी कि उनकी सुरक्षा का इन्तजाम किया जाय । उसके बारे में डी0 आई0जी0 मुझसे मिले भी और उन्होंने लिखकर भी भेजा है कि सुखपाल जी ने पहले जो उनके पास शैडो रहता था उसको स्वीकार नहीं किया बल्कि यह कहा कि इसको हटा लेना चाहिये और न तो बस्ती का और न गोरखपुर का शैडो हम लेने को तैयार हैं । लेकिन यह प्रश्न सदन में आ गया । इंटैलीजेन्स डिपार्टमेन्ट की तरफ से जो सरकार शैडो देना चाहती है उनके बारे में कहा जाता है कि

[श्री अध्यक्ष]

मन्त्रियों के शैडो रहे हैं और अच्छे आदमी हैं और न गोरखपुर न बस्ती के अन्डर वाले हैं। उनसे पूछा गया कि स्वीकार कर लेंगे तो उन्होंने कहा कि सदन जो कहेगा उसको हम मानेंगे।

दूसरे, मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछूंगा, शायद उन्होंने गोस्वामी जी से बातचीत की होगी, क्या फैसला हुआ वह बता दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

जांच के बारे में क्या फैसला हुआ ?

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष जी, आपने आदेश दिया था कि जब मुख्य मन्त्री जी आ जायें तो मुख्य मन्त्री जी रहेंगे, राज्य मन्त्री जी रहेंगे, और विरोधी दल के दो-चार नेता रहेंगे और आपके कमरे में बैठकर बात हो जायेगी कि जांच करने का क्या तरीका हो ?

श्री अध्यक्ष--

जब वह चार बजे नहीं आए तो मैं चला गया। यहां पर जो डिस्कशन हुआ वह मुख्य मन्त्री जी के रात में आने पर उनको बता दी गई। अब उनसे क्या बात हुई है वह बता दें ?

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, आपने सदन में कहा था कि जो भी इंक्वायरी होगी यह माननीय सदन किसी न किसी रूप में उससे एशोशियेट होगा, यह बात भी मुख्य मन्त्री जी की नालेज में आई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह सभी उनको बताया गया है। उसके बाद हमसे भी रात में उनकी बातचीत हुई। अब राज्य गृह मंत्री जी से उनसे जो बातचीत हुई है उसको अगर वह हों तो बता देंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मुझे खेद है कि कल रात में देर से लखनऊ पहुंचा इस कारण से आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। रात में जो राज्य मन्त्री जी से बातें मालूम हुई, जांच के सम्बन्ध में निर्णय किया है कि गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन्स जज को तत्काल भेज दिया जाय और वे एक हफ्ते में जांच करके रिपोर्ट दे दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

मायन्वर, कल सदन की यह स्पष्ट राय थी कि इधर के और उधर के बैठने वाले सदस्यों के साथ राज्य मन्त्री जी जायें। आपने भी उस राय की पुष्टि की थी। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने जो सदन की यूनानिमस ओपीनियन थी उसके विपरीत यह दूसरी इन्क्वायरी की बात मुख्य मन्त्री जी ने तय की है ?

श्री अध्यक्ष--

यह बात नहीं है। मेरी बात गोस्वामी जी से हुई, मुख्य मन्त्री उस समय तक नहीं आये थे तो हमारी तरफ से यह बात आई कि कम से कम यह बात तो जरूर हो जानी चाहिये कि जुडीशल इन्क्वायरी हो जाय। जुडिशल इन्क्वायरी निष्पक्ष होगी और इसमें झगड़ा होने की बात नहीं है। अगर कुछ इधर के और कुछ उधर के आदमी होते हैं तो एक मत का होना जरा कठिन हो जाता है इसलिये निष्पक्ष कोई आदमी एक जुडिशल आफिसर ही हो सकता है। इसके बीच में कोई पड़ेगा नहीं। कोई वोटिंग तो हुई नहीं थी और न तो यहां से कोई इस प्रकार की राय ही ली गई थी केवल कुछ थोड़े से आदमियों ने इस पर कुछ कहा था। उनकी जो राय थी

उसको मैंने मुख्य मन्त्री को बता दिया था । जुडिशियल इन्क्वायरी में कोई झगड़ा नहीं होगा और उसका फैसला निष्पक्ष भी होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

अगर इसकी रिपोर्ट वह एक हफ्ते में दे दें तो ठीक ही है ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, कल आपने रूलिंग दी और अखबार में भी आया । एक इन्तजाम तो कर दिया है । दूसरी बात को शायद आप भूल गये । वह बात यह है कि वहां के एस० पी० साहब के बारे में भी काफी चर्चा करते हैं । सदस्य ने जो चार्ज लगाया है वह यह है कि एस० पी० ही उनके पीछे पड़े हैं और उन्हीं से उनका डर भी है । वहां से एस० पी० का फौरन ही स्थानान्तरण किया जाय । दूसरी बात यह है कि सदन की यह यूनानिमस राय थी जिसको आपने भी स्वीकार किया था जिस पर एक तरह से वोटिंग भी हो ही चुकी थी लेकिन उसके बाद भी आप मुख्य मन्त्री जी को छूट देते हैं । इसमें कोई झगड़े का सवाल तो था नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि निष्पक्ष जांच हो । जज तो हर कोई निष्पक्ष जांच करते हैं ।

श्री बलवीर सिंह--

यह तो फैसला टालने वाली बात है ।

श्री अध्यक्ष--

फैसला नहीं हुआ था । यह बात हुयी थी कि मुख्य मन्त्री जी से पूछेंगे ।

श्री बलवीर सिंह--

फैसला तो यही है--यूनानिमस राय आयी है ।

श्री अध्यक्ष--

यूनानिमस राय नहीं थी ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

आप कल की प्रोसीडिंग्स का रिकार्ड देखें । यह आब्जर्वेशन था कि एक-आध को छोड़ कर इस सदन की राय है कि इस सदन को किसी न किसी प्रकार से इस जांच में एसोशियेट होना चाहिये और इसीलिये सदन में यह मांग की गयी थी । श्री सुखपाल पाण्डे जी ने इस सदन के अन्दर लगातार पुलिस के खिलाफ कहा है । चूंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है इस कारण उनको इनटीमिडेट किया जा रहा है । इसलिये उनकी जान खतरे में हो रही है । केवल जुडिशियल इन्क्वायरी का ही प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न तो यह है कि क्या माननीय सदस्य इस सदन में अपने कर्तव्यों का निर्भीकतापूर्वक पालन कर सकते हैं या नहीं । इसी सिद्धान्त को लेकर आपने सदन के अन्दर चर्चा चलायी और चर्चा चलने के बाद आपने आब्जर्वेशन किये कि एक-आध को छोड़कर सदन के अन्दर सामान्य राय यह है कि इस सदन को किसी न किसी रूप में इस इनक्वायरी में एसोशियेट होना चाहिये । प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्यों को सदन में निर्भीकतापूर्वक अपनी राय जाहिर करने की इजाजत है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

है । सवाल सिर्फ इस बात का है कि किस तरह इनक्वायरी हो और निष्पक्ष इनक्वायरी हो । इसीलिये उन्होंने यह रास्ता निकाला है । निष्पक्ष इनक्वायरी के लिये सबसे अच्छा

[श्री अध्यक्ष]

रास्ता यही है। इसमें पार्टीबाजी का सवाल पैदा नहीं होता--न इस पार्टी की तरफ से और न उधर की तरफ से। जुडिशियल इनक्वायरी करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

कल आपने कुछ विचार व्यक्त किये थे। मैं तो आपका बहुत आदर करता हूं, मगर जिस तरह से यह मन्त्रि-मण्डल आपके विचारों का अनादर करे और बाद में आप स्वीकार कर लें कि वह मुख्य मन्त्री की ओर से आया है, उचित नहीं है। मैं तो आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जुडिशियल इनक्वायरी की बात है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। मान्यवर, आप खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। यह उनकी तरफ से नहीं है, यह हमारी तरफ से हुआ है कि आप जुडिशियल इनक्वायरी करा लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हम ऐसा समझते हैं कि आपके शब्दों का पूरा-पूरा वजन है, उनका कार्यान्वयन होगा। आपने कल कहा था कि सदन के सारे लोग, इधर के भी और उधर के भी, सन्तुष्ट थे। उसी आधार पर आपने सोच समझकर ऐसा कहा था, लेकिन आज यह परिवर्तन कर दिया। हम सब संतुष्ट हैं और एक प्रश्न जो पहले सोचा था कि मन्त्री जी रहेंगे, दो-दो मेम्बर्स इधर और उधर के रहेंगे। इसमें निष्पक्षता का प्रश्न उतना नहीं है जितना कि सदस्यों की मर्यादा का प्रश्न है और उनकी जानमाल की रक्षा का प्रश्न है। अब उस बात को छोड़कर दूसरी बात कही गयी।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि यह सब चर्चा उनके सामने रख दी गयी कि इस तरह से लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उसके बाद यह हुआ कि राज्य मन्त्री जी ने कहा कि जो लोग जायेंगे तो लोग हो सकता है कि उनको बुरा कहेंगे और अगर हम भी जायेंगे तो लोग हम पर लांछन लगा कर बुरा-भला कहेंगे। तो मैंने कहा कि उनसे यह पूछ लीजियेगा कि क्या वे जुडीशियल इनक्वायरी करने के लिये तैयार हैं तो इसमें पक्षपात का सवाल नहीं आयेगा और उस तरह से न इसमें आपके ऊपर आयेगा और न किसी और के ऊपर तो उन्होंने कहा कि हम पूछ लेंगे और उन्होंने पूछकर बतला दिया कि वे तैयार हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने श्रीमन्, इसका एक पहलू नजरंदाज कर दिया। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहते लेकिन माननीय सदस्य ने कल कहा था कि यहां के विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं उनसे वहां के एस० पी० सम्बन्धित हैं। मैं नहीं कहता कि वह दोषी हैं या निर्दोष लेकिन आज जैसा करप्शन का वातावरण चल रहा है उसमें, उस वायुमंडल में, डिमोक्लीज के सोर्ड की तरह हर अधिकारी के ऊपर तलवार लटकी रहती है और इसीलिये सर्वोत्तम सुझाव यह था कि यहां दोनों तरफ के सदस्य रहें और मन्त्री जी रहें।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन पुलिस आफिसर्स के बारे में आप संदेह कर रहे थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो वातावरण श्रीमन्, आज है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी अधिकारी इस तलवार की मार से अछूता नहीं है. . . . ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन क्या जुडिशियल आफिसर्स भी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब एक आफिसर से दूसरा आफिसर सम्बन्धित है और जो इसमें इन्वाल्व्ड है तो उसमें संदेह होना स्वाभाविक है और उस पर अंगुली उठ सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

यह गलत बात है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात नहीं है, आज जो वातावरण है उसमें चाहे मन्त्री जी हों, चाहे कोई एम० एल० ए० हो और चाहे कोई आफिसर हो, वह इस वक्त इस वातावरण से भलीभांति परिचित है । इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले जो कल बात कही गयी थी वही इसमें रहना उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके बारे में अब कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, केवल निवेदन यह करना है कि वैसे तो यह सदन प्रभु है, और अगर कभी कोई निर्णय यह ले ले बहुमत से या सर्वसम्मति से तो चाहे कोई सरकार हो उसे स्वीकार करना ही पड़ता है लेकिन यह एक घटना हुई और उसमें कितनी सच्चाई है, और यदि सच्चाई है तो कौन लोग दोषी रहे हैं, इसकी जांच करने के लिये जो सब जगह एक स्वीकृत तरीका है वह हमने अपनाया है और कोई असाधारण तरीका नहीं अपनाया है बल्कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में जो तरीका अपनाया जाता है, जो दुनिया में अपनाया गया है वही अपनाया है । मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट के आ जाने के बाद सदन तो उस रिपोर्ट पर विचार कर ही सकता है और अपनी राय भी जाहिर कर ही सकता है । जहां तक माधव जी ने कहा मैं समझता हूं कि यह बात कुछ उचित नहीं है कि यहां बैठे-बैठे किसी के ऊपर कर दिया जाय । जहां तक किसी से सम्बन्धित होने का प्रश्न है तो यहां जाने कितने सरकारी नौकरों से माननीय सदस्यों का सम्बन्ध होगा और किसी माननीय सदस्य के कारण किसी सरकारी नौकर से बदला निकाला जाय. . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बदला निकालने की बात नहीं है । जो सदन ने कहा था वह मैंने कह दिया, मैंने किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो सदन में कहा गया वह आपने कहा तो मैं भी तो सदन को ही बता रहा हूं, कृपा करके सुन लीजिये । आपने जो कहा है उसमें एक आक्षेप आता है जो मुनासिब नहीं है । जो डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन्स जज नियुक्त हैं उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिये, वह मैं आपके सम्मुख पेश कर दूंगा और फिर आप जैसा उचित समझेंगे करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अब इसे खत्म करना चाहिये । बात यह है कि जो कुछ इसमें चल रहा था उन्होंने (गोस्वामी जी ने) कहा था कि मैंने इंस्पेक्टर जनरल से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है । तो फिर यह हुआ कि इंस्पेक्टर जनरल हों या कोई दूसरा एक्जीक्यूटिव आफिसर हो उसके ऊपर यकीन नहीं है तो फिर सवाल आया कि दोनों पक्षों के सदस्य इसमें हों । मुझे भी यह महसूस हुआ कि शायद सरकार इस बात को स्वीकार न करे, शायद दोनों पक्षों के लोग एक मत न हो सकें और आपस में झगड़ा न हो तो मैंने समझा कि ऐसी बात अगर है तो आप जुडिशियल इन्क्वायरी करा लें तो इसके लिये सब लोग राजी हो जावेंगे । क्योंकि वह निष्पक्ष आदमी होंगे । कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं है । हाई कोर्ट के अन्दर में जज और सेशन जज हैं तो ऐसी हालत में कोई हर्ज नहीं है । मैंने कहा पूछ लीजिये । उन्होंने पूछा और कहा कि स्वीकार कर लिया है । जब स्वीकार है तो बहुत अच्छी बात है । इससे आपस में मतभेद भी नहीं हो सकता । इस तरफ वाले कुछ कहेंगे और उधर वाले कुछ कहेंगे तो ऐसी चीज नहीं होगी । जैसा आपने कहा है तो जो रिपोर्ट होगी उसे आप सदन में पेश करेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, आपके पास फैसला भेज दूंगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

बलबीर सिंह जी ने एस० पी० के ट्रांसफर के बारे में कहा था तो उस पर क्या कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, ट्रांसफर का मामला प्रशासनिक है । उसे देख रहा हूं । जैसा सम्भव होगा करूंगा ।

गिरफ्तार छात्रों को छोड़ने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अभी सरकारी आदेश से जो विद्यार्थी पकड़े गये थे उनमें से 31 को छोड़ दिया गया है । मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन दस, ग्यारह विद्यार्थी अभी नहीं छोड़े हैं । बाकी को छोड़ दिया है लेकिन दस, ग्यारह को क्यों रखा है और इस तरह से जो भेद आ गया है इससे भ्रम पैदा हो गया है ।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, भ्रम की कोई दवा मेरे पास नहीं है । जिसे भ्रम पैदा होता है वही उसका निराकरण करे तो अच्छा होता है । यह मानसिक रोग है । हमने जिनको छोड़ा है, उनको छोड़ दिया है । जिनके खिलाफ हिंसात्मक कार्यवाही करने की बात रही तो उनको रोका है, और कहा है कि उनके केसेज हमारे सामने लाये जायं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक निवेदन इसी सिलसिले में करना था । गोरखपुर के तमाम छात्र और दूसरे कालेजेज के छात्र बन्द हैं । लखनऊ में आपने बड़ी कृपा की कि यहां छात्रों को छोड़ दिया । वहां भी छुड़वा दें । बनारस की भी वही हालत है । इलाहाबाद में भी यही स्थिति है । मैं निवेदन करूंगा कि जहां-जहां छात्र गिरफ्तार हुए हैं तो उन्हें भी छोड़ दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विद्यार्थियों को और बच्चों को जेल में रखने का कोई शौक सरकार को नहीं है। जब किन्हीं परिस्थितियों में बाध्य होते हैं तो रखते हैं। जब देखा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो छोड़ दिया। लखनऊ में छोड़ दिया है। जहां जैसी परिस्थिति होगी वैसा किया जायगा। मैं राजनैतिक दल के नेताओं से, विरोधी दल नहीं कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसा वातावरण उत्पन्न करें क्योंकि उनका भी प्रभाव समाज पर होता है कि यूनिवर्सिटी में शांति बनी रहे। अब दो-तीन महीने रह गये हैं। इसलिये आवश्यक है कि बच्चों को पढ़ने और इम्तिहान देने का मौका मिले। जहांतक छोड़ने और न छोड़ने का सवाल है तो परिस्थिति का अध्ययन करके जैसा मुनासिब समझेगी सरकार करेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है उसमें दो मत नहीं हो सकते। सचमुच हम लोगों को उसमें सहायक होना चाहिये—अच्छा वातावरण बनाने में। माननीय मुख्य मन्त्री ने समय-समय पर उदारता भी दिखलाई है लेकिन अभी कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी हैं उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जैसा उन्होंने स्वयं कहा, 2—3 महीने परीक्षा का समय बाकी है, इस पर भी विचार करें और चीजें तो होती रहेंगी।

श्री अध्यक्ष—

यह तो इशारा ही है कि सिम्पैथेटिकली देखेंगे। उस पर जरा उनके पास सूचना भेजिये कि इन-इन लोगों ने इस तरह के हिंसात्मक कार्य नहीं किये हैं इसलिये यह हो जाय।

प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया था कि मन्त्रिगण जवाब ऐसे समय पर भेजते हैं कि क्या कहा जाय। नियम के अनुसार एक रोज पहले हमें जवाब मिलना चाहिये और मिलता है तब जब हम सदन से चलने लगते हैं उससे कुछ ही समय पहले। मुझे तो 9 बजे के बाद मिला, आज ही की बात है। तो आपने कहा था कि परामर्श कर रहे हैं और बतायेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि कुछ नियमों का पालन होगा या नहीं और इस सत्र में होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नियम के हिसाब से बाध्य करना तो मुझे भी कठिन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसी रूलिंग आपने दे दी कि उनको खुली छूट है।

श्री अध्यक्ष—

पहले सुन लीजिये। सवाल यह आता है कि नियम में है कि "एक रोज पहले"। एक रोज पहले शाम तक यहां डिस्कशन होते हैं, फिर एजेंडा बनता है। तो जबतक आपका काम खत्म नहीं हुआ, प्रश्न पूरे नहीं हुए और जो प्रश्न उठे हैं और जिसके बारे में यह बात सोची गयी है कि कल इसी पर विचार किया जायगा वह सब एजेंडे में आना पड़ता है तो शाम तक जब होता है तो लैटीट्यूड देते हैं इस तरह का सदस्यों को कि वह जितनी जल्दी प्रश्न उपस्थित करते हैं या कोई चीज होती है तो उनको सवेरे सबसे पहले अगर वह कोई कागज दे दें तो उनसे ले लें और हम उसमें शामिल कर लें। तो इस तरह की चीज हम कोई कर सकते हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे पहले उनके पास उत्तर पहुंच जाय यह कठिन प्रतीत होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उत्तर न मिलने का भी तो कारण हो मालूम होना चाहिये । दो-तीन रोज पहले उत्तर आ जाते हैं । शायद ही कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिस दिन आते हों उत्तर ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

एक दिन बाद भी उत्तर नहीं मिलता, आप तो 24 घंटे पहले की बात करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

सबेरे तक भी आ जाय तो सबेरे सबसे पहले उनको ले लेंगे, इतना लैटीट्यूड देना पड़ेगा । तो परिस्थिति के अनुसार एक रोज पहले एजेंडा तैयार करें यह नहीं हो सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उत्तर उन्हीं को देना पड़ता है जिसका प्रश्न आता है । यह नहीं है कि प्रत्येक मेम्बरों को आ जाय । वह कुछ ही व्यक्ति होते हैं तो टाइप करने में भी दिक्कत नहीं है । इसलिये इस नियम का उल्लंघन न करें । ऐसा तो होता नहीं है कि 24 घंटे पहले आता हो, विशेष परिस्थिति में ही ऐसा होता है कि जवाब देने के 24 घंटे के अन्दर मिलता है, बल्कि 4-5 रोज के पहले मिल जाता है, विभाग वाले रोज तैयार करते हैं । यह तो यहां की ढिलाई है कि हमको टाइप करके देते नहीं हैं । मेरा अनुभव है, एक भी इंसटेंस ऐसा नहीं है कि मुझे जवाब न मिले .....

श्री अध्यक्ष--

हम यहां तक करेंगे कि अगर जल्दी आये तो रात को आपके पास डिस्ट्रिब्यूट कर दें, यह करने की कोशिश करेंगे । क्योंकि सोलह आने 24 घंटे पहले का नियम जरूर है लेकिन लटीट्यूड दी जाती है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसी भाषा का प्रयोग न करें कि नियम ऐसे ही बने हैं, ऐसे ही धसड़-धसड़ चला करते हैं यह न कहें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कहा कि नियम एक ही तरह के हो सकते हैं । लेकिन परिस्थिति अगर ऐसी पैदा हो गयी है तो मैं उसके लिये दूसरा रास्ता निकालता हूं रात का डिस्ट्रीब्यूट करने का । कोशिश करूंगा ताकि लेट न हो जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अगर देर में मिलता है तो सप्लीमेन्टरी तैयार नहीं कर सकते । गवर्नमेन्ट के यहां से जवाब आ जाता है । सवाल यह है कि आपके यहां से नहीं आता । इसका आप क्या कर रहे हैं । हमें तीन-तीन दिन बाद जवाब मिलता है । अगर वहां किसी वजह से देर हो वह तो मान लिया जाय लेकिन वहां से जवाब आ जाता है तो भी दिन के दिन भेजते हैं । तो कब सप्लीमेन्टरी तैयार करेंगे । सवाल यह है कि यह सवाल नहीं है कि देर में आता है ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने बता दिया आपको ।

सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के संबंध में जानकारी

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक एप्लीकेशन अभी आपको दी है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं। मैं कोई निर्णय नहीं चाहता, निर्णय जो कुछ आप करने वाले हों करें। आपने यह निर्णय लिया है या लेने वाले हैं कि जो मेडिकल कालेजेज के अध्यापक हों या और अस्पतालों के डाक्टर हों उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत न दी जाय। इसकी मेरिट्स पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन वे भी एक निश्चित तिथि से इस सम्बन्ध में स्ट्राइक करने वाले हैं जिससे मरीजों की स्थिति बड़ी खराब हो जायेगी। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं जैसा बहुगुणा जी ने भी दिया कि निर्णय लेने से पहले बड़ा अच्छा होता अगर मडिकल एसोसियेशन के रेप्रेजेन्टेटिव्ज को बुला लें, उनसे बात कर लें कि किन शर्तों पर करना चाहिये मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाय कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो कि अव्यवस्था फैल जाये। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि उनको बुलाकर उनसे परामर्श कर लें तो बड़ा अच्छा होगा और जैसा अखबारों में भी पढ़ते हैं, वह परिस्थिति न आने पाये। इसमें राजनीति में लेशमात्र भी नहीं ला रहा हूं। यह मेरी हृदय से अपील है मुख्य मन्त्री जी से।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मेडिकल एसोसियेशन वालों से बात करने की आप अपील कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उनके कोई रेप्रेजेन्टेटिव या कोई एसोसियेशन हो उससे बात कर के निर्णय लें तो अच्छा हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, निर्णय तो एक हो चुका है और उसका अध्यादेश भी जारी हो चुका है और उसका बिल आपके सामने आयेगा। तो निर्णय जो था वह तो हो चुका है, लेकिन मेडिकल एसोसियेशन वालों का एक प्रतिवेदन आया हुआ है हमारे पास और हम जरूर उनसे बात करेंगे। उनके सुझाव भी लेंगे कि किस तरह से यह कार्यान्वित किया जाय। माननीय त्रिपाठी जी ने चूंकि इस निर्णय के मेरिट पर कोई बात नहीं कही इसलिये मैं भी उस पर कुछ नहीं कहता।

होमियोपैथिक कालेज के छात्रों की रिहाई की मांग

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

एक निवेदन मेरा है मुख्य मन्त्री जी से कि होमियोपैथिक कालेज के दो छात्र भी गिरफ्तार हैं। उन्हें भी मुख्य मन्त्री जी छोड़ दें। वह डेढ़ वर्ष से अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनको भी छोड़ दिया जाय तो अच्छा हो।

संसदीय अध्ययन समिति का संसदीय शिष्टाचार, सदन की कार्यवाही का शान्तिपूर्ण संचालन तथा औचित्य के प्रश्न के अधिकार से संबंधित विषय पर प्रतिवेदन†

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति का संसदीय शिष्टाचार, सदन की कार्यवाही का शांतिपूर्ण संचालन तथा औचित्य के

---

†छापा नहीं गया।

[श्री रामसिंह]

प्रश्न के अधिकार से संबंधित विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। यह संसदीय अध्ययन समिति का तृतीय महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

इसको पूरा पढ़ना नहीं है।

श्री रामसिंह—

इसकी मुख्य-मुख्य बातें मैं 2—3 मिनट में निवेदन कर दूं। संसदीय प्रजातंत्र में विधान मण्डलों का विशेष महत्व है। विधान मंडलों में सभी विषयों पर निष्पक्ष व स्वतंत्र वाद-विवाद के माध्यम से निर्णय लिये जाते हैं। विधान मण्डल में वाद-विवाद के लिये जो संसदीय प्रक्रियायें अपनायी गयी हैं उनका यह उद्देश्य है कि सदस्यों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सभी प्रकार की सुविधा व अवसर प्राप्त रहें। इसलिये यह आवश्यक है कि विधान मंडलों की कार्यवाही संसदीय शिष्टाचार के अन्तर्गत रखते हुए शांतपूर्ण वातावरण में संचालित हो जिससे जनता में विधान मण्डलों के प्रति विश्वास व आस्था बनी रहे और संसदीय पद्धति सुदृढ़ हो सके। समिति ने इस सम्बन्ध में समस्त उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया तथा उक्त विषय को निम्न तीन भागों में विभक्त किया—

(1) संसदीय शिष्टाचार—इस विषय के अन्तर्गत (क) आचरण संबंधी नियमों (ख) सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों, तथा (ग) सदस्यों के लिये आचार संहिता संबंधी प्रश्न पर विचार किया गया है।

(2) सदन की कार्यवाही का शान्तपूर्ण संचालन—इस विषय के अन्तर्गत (क) सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित शिष्टाचार, (ख) सचेतकों के दायित्व व कर्तव्य, तथा (ग) पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था का आदर आदि के लिये नियमों एवं प्रथाओं की चर्चा की गयी है।

(3) औचित्य के प्रश्न का अधिकार तथा उसका उचित प्रयोग—इस विषय के अन्तर्गत सदन में वाद-विवाद के मध्य किस समय औचित्य का प्रश्न उठाना चाहिये और उनका क्या महत्व है इसके सम्बन्ध में नियमों तथा प्रथाओं पर विचार करते हुए सदन के सदस्यों के कर्तव्यों व पीठासीन अधिकारी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाये रखने के प्रयत्न की विवेचना की गयी है।

समिति ने उपर्युक्त तीनों विषयों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत प्रथक-प्रथक दी हैं। समिति ने प्रतिवेदन के आरम्भ में यह सामान्य संस्तुति की है कि समिति द्वारा इस प्रतिवेदन में जो संस्तुतियां की गयी हैं उनके कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता अनुसार उन्हें नियमों में सम्मिलित कर लिया जाय जिससे सब सदस्यों को उसका समुचित ज्ञान हो सके तथा उन नियमों का पालन भी हो सके।

मुझे आशा है कि सदन इस प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों को स्वीकार करेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

सचिव जी हर वक्त सटे रहते हैं, अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं इधर ध्यान दें इस समिति के प्रतिवेदन पर कृपया बहस करा दें। एक दिन का समय इस पर चर्चा के लिये नियत कर दें।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति के सामने बहुत से प्रतिवेदनों पर विचार करने का मसला सामने आया था। वही समय निर्धारित करती है। कुछ पर विचार के लिये उसने समय नियत भी किया है। 23 जनवरी को शायद एक, दो प्रतिवेदन लिये भी जायेंगे। इस पर भी कार्य-मन्त्रणा समिति ही निर्णय लेगी।

प्रश्नों के गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

दो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हैं। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये हैं। एक सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी का है और दूसरा माननीय चन्द्र-भान शर्मा का है। जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि मन्त्री जी ने जानबूझकर गलत उत्तर दिया है, तब तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। माननीय चन्द्रभान शर्मा जी से मैंने कहा था कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। इसलिये मैं नियम 49 में इसे लिये लेता हूं। इसमें और प्रश्न आप पूछ लें, उससे स्थिति स्पष्ट हो जायगी। तो उसे मैंने नियम 49 में स्वीकार कर लिया है, आधा घंटा की चर्चा उसमें होती है।

दूसरा माननीय सुरेन्द्र विक्रम का है। आपने उसके बारे में यह नहीं कहा है कि झूठी बात कही है। मैंने मन्त्री जी से पूछा है। उनका उत्तर आ जाये, फिर मैं इसे देख लूंगा कि यह नियम 49 में स्वीकार हो या नहीं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं

श्री अध्यक्ष—

इलेक्शन के बारे में कल बताया था मैंने और कहा गया था कि इसकी तारीख बढ़ा दी जाए। उसी सम्बन्ध में आज मेरे पास एक प्रार्थना-पत्र आया है और उसमें सभी सचेतकों के दस्तखत हैं। उन्होंने उसमें कहा है कि इसके चुनाव जनवरी, 73 तक स्थगित करने की कृपा करें। इसमें रामधारी शास्त्री, नारायणदत्त तिवारी, हरिनाथ तिवारी जी के दस्तखत हैं, कांग्रेस ओ० वालों के भी हैं और इसमें भारतीय क्रांति दल के श्री असरार अहमद के भी दस्तखत हैं। इन सबकी इच्छा है तो मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति न हो तो जनवरी के अन्त तक चुनाव स्थगित करने की कार्यवाही की जाये और तदनुसार नया कार्य क्रम बनाया जाए तथा वापसी का भी।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 56 के अन्तर्गत एक श्री विश्वनाथ कपूर व श्री रामविलास पाण्डेय जी ने दिया है—राज्यपाल महोदय के लिये फैजाबाद यात्रा में प्रशासन द्वारा सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था न किया जाना। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

आप मेरी बात तो सुन लीजिये। राज्यपाल महोदय 14 तारीख को फैजाबाद गये और वहां से अयोध्या जाने का प्रोग्राम रख दिया। इनके अधिकारी उनको नेशनल हाई वे से जो एक सीधा अच्छा मार्ग था, न ले जाकर कच्चे मार्ग से ले गये। जहां रास्ते में विद्यार्थियों ने उनका घिराव कर लिया, उनकी गाड़ी तोड़ दी, उनको काफी समय रोके रखा, उनकी सुरक्षा नहीं हुई। वहां पर सारे उच्चाधिकारी मौजूद थे, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं की गई, कोई घटना हो गई होती तो क्या होता? उनको अपने लिये लखनऊ से दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ी, रात्रि में उन्हें वहीं ठहरना पड़ा। तो जब हेड आफ दि स्टेट की यह हालत है तो सामान्य जनता की क्या हालत होगी, यह गौर करने की बात है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है, इसे आपको जरूर स्वीकार करना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति इस हालत में पहुंच गई है कि आज राज्यपाल की भी जान और मान-मर्यादा खतरे में है। यह भी होता है कि अध्यापक आये, खा-पीकर चले गये और वह अकेले खाने को रह गये। आज हमारे प्रदेश में प्रशासन के सिरमौर की यह दुर्दशा है। इससे ज्यादा महत्व की और क्या बात हो सकती है, माननीय मन्त्री जी को देखना चाहिये कि आई० जी० और डी०आई० जी० वगैरह ने कितना निकम्मा प्रबन्ध किया, उन्हें गली से घुमाकर ले गये। जानते हैं कि आप और आपके अधिकारी यही कहेंगे कि छात्रों के डर से यह कार्यवाही की गई। आजकल सी० आई० ए० और छात्रों पर ही तो सारे चार्जेज लगाये जाते हैं।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

राज्यपाल और उनकी सुरक्षा के बारे में इस सदन और प्रदेश की जनता का जानने का पूरा अधिकार है। यह बहुत ही उचित है, आप इसको इजाजत दें, ताकि सदन के सारे सदस्यगण अपनी बात यहां रख सकें और सही-सही वारदात जनता के सामने आ सकें। यह अविलम्बनीय है और लोकमहत्व का भी है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

यह राज्यपाल के साथ ही नहीं, पूरे राज्य में पुलिस की जनता के साथ जुल्म और ज्यादती की कहानी है। यह सारा शासन सड़ गया है इसलिये इस पर आम चर्चा होनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दी है।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, बड़ी चिन्ता हो गयी है, राज्यपाल महोदय की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पूरी सुरक्षा हो गयी उनकी। मेरा निवेदन तो यह है कि स्थिति यह हो गयी है कि पता नहीं मान्यवर, यह मन्त्रि-मण्डल सड़ गया या हमारे अन्य मित्रों का जो विचार करते हैं विचार सड़ गया है, यह समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो अगर पुलिस सुरक्षा का प्रबन्ध करे तो दूसरी तरफ डेपुटेशन आता है कि इन लोगों को छोड़ दो और अगर सुरक्षा का प्रबन्ध न करो तो प्रश्न यह उठाया जाता है कि सरकार सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकती। लड़कों ने जो कुछ किया, आपकी राय यह होगी कि उन पर गोली चला देनी चाहिये, डंडों से सर फोड़ देना चाहिये, पकड़ कर बन्द कर देना चाहिये और दूसरे ही दिन प्रतिनिधि मण्डल आता कि यह लड़कों के साथ क्या कर रहे हैं, बड़े उदार व्यक्ति हो, उनको जेल से बहिर्गत कर दीजिये, छोड़ दीजिये। मेरी प्रार्थना तो यह है अपने माननीय मित्रों से इस पर कोई छड़ी लेकर, सरकार के ऊपर डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। वह तो मौका मिल जाता है शास्त्री जी को मिल जाता है, हमारे मित्र माधव जी का कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन इधर से भी और उधर से भी, दायें से भी बाएं से भी दोनों ओर से आक्रमण करें, देखना यह चाहिये कि जिन परिस्थितियों में, कितनी शांति के साथ उनको निकाला जाता है, तो प्रशंसा करना दूर रहा, ये प्रश्न उठाय जाते हैं। वास्तविकता यह है कि आज जो शांति व्यवस्था की स्थिति है उसको अगर हम इस प्रकार उभारें, जिस प्रकार उभारने की चेष्ठा की जाती है उन चीजों में हस्तक्षेप करें, जो प्रशासनिक दृष्टि से उनका अभ्यादान करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं तो प्रदेश का कल्याण नहीं होगा। जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है उनकी पूरी तरह से सुरक्षा रहती है। बड़ी बुद्धिमानी से लड़कों से बचा कर उनको ले जाया गया। किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। कुछ थोड़े बहुत ढेले फेंक दिये गये थे। वहां पर शांति के साथ व्यवस्था करना, यह ऐसा कार्य रहा है जिसकी सराहना होनी चाहिये न कि यह प्रश्न उठाया गया।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मैं सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री ने सही बात नहीं कही है। राज्यपाल ने स्वयं कमिश्नर, डी० आई०जी०, एस० पी०, डी० एम०, सबको हटा दिया और लड़कों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह मेरी गलती है, अधिकारियों की गलती नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, तब बचे हैं। इनके स्टाफ ने कोई सुरक्षा नहीं की। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस दे रहा हूं। उन्होंने सदन को गुमराह करने के लिये सदन में बयान दिया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसमें कौन सी विशेषाधिकार की अवहेलना हो गयी, मेरी समझ में नहीं आता है। अगर यह कहा कि शांति के साथ राज्यपाल चले आये और वहां किसी प्रकार के बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी, जब हो जाता है तो निन्दा होती है, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न कहां उठता है?

श्री विश्वनाथ कपूर--

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि अधिकारियों ने राज्यपाल को बचाया। राज्यपाल ने अधिकारियों को हटा दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आपने रख दिया मामला, ठीक है। कामरोको प्रस्ताव उसमें आता है जिसमें सरकार का कोई ऐसा कृत्य हो जिसके कारण यह हुआ हो। लेकिन लोकल अधिकारियों के कृत्य के ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आता है। मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में देख लीजिये। केन्द्र में जो होता है उसको देख लीजिये। जब तक उनका हाथ न हो, क्या उन्होंने लड़कों को भड़काया या उन्होंने आर्डर दिया गलियों से ले जायं उनका कोई आर्डर नहीं था। लोकल अरेंजमेन्ट होते हैं। कोई गलती होती है तो लोकल अथारिटीज की होती है। उनको ही आप बुरा-भला कह सकते हैं लेकिन उसमें कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसी तरह से दूसरा जो कामरोको प्रस्ताव है उसे भी मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

नियम 51 में वक्तव्य दिलवा दें?

श्री अध्यक्ष--

उसके लिये आप नोटिस दे दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था लेखपालों की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में और उसमें प्रदेश के 80 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष--

सरकार का कोई कसूर उसमें नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप वक्तव्य के लिये कहते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

वक्तव्य के लिये आर्डर दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य के लिये दूसरा लिखकर भेज दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

आपने जो बात कह दी उससे बड़ा दुख मुझे हो रहा है । आपने जो व्यवस्था दी...

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था यह हमेशा से चली आ रही है । उसे आप भूल गये । उस व्यवस्था को मैंने आज केवल दोहरा दिया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सरकार के किसी काम पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता, उनके अधिकारियों द्वारा घटित किसी घटना पर आ सकता है.....

श्री अध्यक्ष--

उनमें उनका डायरेक्टली हाथ नहीं था ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

चीफ मिनिस्टर अथवा चीफ सेक्रेटरी किसी को डायरेक्टली लाठी मारेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष--

आप यहां इस समय आर्ग्यु न करें । मेरे कमरे में आ जाइयेगा मैं वहां बातचीत कर लूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप अपनी रूलिंग को रिवाइज करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं हमेशा तैयार हूं । लेकिन आप भी अपनी गलती मंजूर करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

अपोजीशन पार्टीज ला ऐंड आर्डर को तोड़ रही हैं यह गलत बात है । मैं पंडित जी से निवेदन कर दूं कि आपकी पार्टी में जो कम्युनिस्ट घुसे हैं वे ला एंड आर्डर को बिगाड़ रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

ला ऐंड आर्डर को कौन बिगाड़ता है यह तो हम बाद में बतलायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 [क्रमागत]†

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

मैं कल चर्चा कर रहा था कि सत्तारूढ़ दल सन् 46 से ही गांव वालों तथा शहर वालों में भेदभावपूर्ण रवैया बरत रहा है । कांग्रेस ने अनेक प्रस्ताव पारित किये पूर्ण रूप से पूंजीवादी

---

†18 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था को समाप्त करने के लिये, राष्ट्रीयकरण करने के लिये, शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने के लिये लेकिन आज तक किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। अगर सामाजिक न्याय की तरफ कोई कदम कभी उठाया गया तो हमेशा वह ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ही उठाया गया। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्या आज तक उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे शहर में रहने वालों की सम्पत्ति अथवा आमदनी पर कोई रोक लगाई गयी हो ? अधिक से अधिक केवल यह हुआ कि कुछ उद्योगों एवं व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन उसके बाद उनके हिस्सों की बाजार में जो कीमत थी उससे ज्यादा मुआविजा उनको दे दिया गया।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि आखिर यह सरकार किसानों को किस स्तर पर रख देना चाहती है। यह प्रश्न केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, देश के माने-जाने अर्थशास्त्री प्रोफेसर बांकेवाला ने अपने एक लेख में यह बात कही कि भारत के प्रेसीडेन्ट की तनख्वाह 10 हजार रुपया महीना है। बैंकों के जो कस्टोडियन्स हैं उनकी तनख्वाह भी 10 हजार रुपया, उससे नीचे के 8 हजार, 6 हजार और 3 हजार है। इसी तरह से उन्होंने आगे लिखा है कि विभिन्न स्तरों के जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, एल० आई० सी० है और फर्टीलाइजर्स कम्पनीज हैं उनके चपरासियों को वेतन पांच-पांच और छः-छः सौ रुपया तक है। उन्होंने यह भी लिखा है कि एक किसान जिसके पास केवल 18 एकड़ जमीन है, वह मुश्किल से पांच सौ रुपया प्रति मास ही कमा सकता है। उन्होंने सवाल पूछा है कि जो सबसे बड़े से बड़ा किसान है वह अपनी जगह पर कायम रहे और छोटा किसान सबसे न्यूनतम स्तर पर ही रहे। उन्होंने पूछा है कि क्या हम यही चाहते हैं? यदि सरकार की मन्शा यह हो, तो वह स्पष्ट कर दी जाय। यदि समाजवादी ढांचे में उन्हें भी बराबरी पर लाना है तो हमारे नेताओं को यह तय करना चाहिये कि हम अधिक से अधिक और कम से कम कितनी आमदनी तक मंजूर कर सकते हैं। इसके लिये एक स्केल निश्चित होना चाहिये जिससे कि प्रत्येक भारतवासी को अपनी आमदनी करने का अधिकार रहे और उसमें किसान को भी रख दिया जाता। तब तो कहा जा सकता था कि यह समाजवादी सरकार है। लेकिन आज तक स्केल निश्चित करने की बात नहीं सोची गई और न यह सोचा गया कि बड़े से बड़ा आदमी कितना तक कमा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया गांव वालों के प्रति प्रारम्भ से ही आपका रहा है।

श्रीमन्, भूमि बांटने का प्रश्न है। मैं इस सदन को यह सूचना देने के लिये कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में हमारा यह उद्देश्य होता कि भूमिहीनों को भूमि मिले तो यह लक्ष्य भी दूसरी तरह से पूरा किया जा सकता था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिन तौर-तरीकों से आप भूमि निकालने के उपाय कर रहे हैं उससे कोई अधिक भूमि नहीं बंट सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के मातहत 90 लाख एकड़ भूमि ग्राम समाज में इन्वेस्ट हुई जबकि इस 90 लाख एकड़ में 90 फीसदी भूमि उन लोगों के हाथ में चली गयी जिनके पास जमीन पहले से मौजूद थी। यह इस सरकार के ऊपर एक स्थायी कलंक है। भूमिहीनों को भूमि देने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, उन्हें भूमि दी जा सकती थी। लेकिन समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। मैं एक अपने वक्त की बात कहता हूं कि उस समय के राजस्व मन्त्री से मैंने कहा भी तो उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि जाने दो, जिसकी जमीन है, उसी के पास तो वह जा रही है। श्रीमन्, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछली सीलिंग के फलस्वरूप 2,35,939 एकड़ ज़मीन निकली थी और आज तक केवल 1 लाख 17 हजार एकड़ भूमि ही आप बांट पाये हैं। तो अभी आप आधा से ज्यादा जमीन भी नहीं बांट पाये हैं। प्रायः कहा जाता है कि भूमि उससे लेनी चाहिये और जिसके पास कम है या नहीं है उसको बांटी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं अपनी राय न पेश करके इस सदन के सामने प्लानिंग कमीशन की एक लैंड रिफार्म की सब-कमेटी की रिपोर्ट से एक उदाहरण रख देना चाहता हूं। मैं पहले अंग्रजी में पढ़ूंगा और उसके बाद उसे हिन्दी में बता दूंगा।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

"Two surveys have been conducted for locating culturable waste lands. So far, .48 (point fortyeight) million hectares have been located in blocks of more than 100 hectares, and 1.84 million hectares in smaller blocks. In addition to this, considerable area would be available in major irrigation projects in Rajasthan. In the Rajasthan canal area alone, about 0.8 million hectares would be available for resettlement. Over 1 million hectares of Bhoodan lands remain to be distributed".

(इस समय 1 बजे उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

अब मैं उसका हिन्दी कर देता हूं । रिपोर्ट में लिखा है कि .48 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसे टुकड़ों में उपलब्ध है जो 100 हेक्टयर से बड़े हैं और जो छोटे टुकड़ों में भूमि उपलब्ध है वह 1.48 मिलियन हेक्टेयर है । राजस्थान में वे कहते हैं कि जो नयी नहरें बनी हैं जिसमें बहुत जमीनें हैं, उस सब कमेटी ने लिखा है कि 4 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा कल्टिवेबिल जमीन है जो दश में उपलब्ध है और जिसको रिक्लेम करके बांटा जा सकता है । यह 4 मिलियन हेक्टेयर कितना है, आप इसका अनुमान लगा लें ।

हमारे राजस्व मन्त्री ने और इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के राजस्व मन्त्रियों ने जो अनुमान लगाया है सीलिंग लगाने का कि इससे बड़ी जमीनें उपलब्ध होंगी, उसका 7 गुना ये अधिक हैं । हमारा अनुमान नहीं है कि ऐसा होगा, फिर भी यदि उनको सही मान लिया जाय तो यह जमीन जिसको प्लानिंग कमीशन कहता है कि कल्टिवेबिल हैं और जिनको रिक्लेम किया जा सकता है, वे जमीनें उससे 7 गुना अधिक हैं । श्रीमन्, यह भी कहा जाता है कि बहुत बड़े-बड़े लोगों ने जमीनें दबा रखी हैं ।

मैं माननीय राजस्व मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले अधिकतम जोत सीमा विधेयक के अन्तर्गत निकृष्ट से निकृष्ट भूमि भी एक परिवार के पास 128 एकड़ से अधिक नहीं रखी गयी थी । अगर आज किसी के पास 128 एकड़ अधिक भूमि है तो क्या इस सरकार की अकर्मण्यता का यह फल नहीं है ? आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? उधर के बैठने वाले खड़े होकर रोने लगते हैं, और तो और सरकारी बैंचेज पर बैठने वाले भी यह कहते हैं तो क्या यह सरकार की कमजोरी नहीं है कि बजाय इसके कि वे अपने प्रशासन की कमी को दूर करते और जो दूसरी कमियां हैं उनको दूर करते, विधेयक की कमियों में संशोधन करते उनके मन में संदेह पैदा हो गया है कि इससे हमारी जमीनें निकल जायेंगी । आप 18 एकड़ के बजाय 8 एकड़ कर दें, चाहे 6 एकड़ कर दें लेकिन आपका प्रशासन इतना अकुशल और भ्रष्ट है कि किसी को वह जमीनें नहीं मिलने वाली हैं ।

मैं व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं कि आज पिछले 10 वर्षों से इसके लिये अपने क्षेत्र में मैं निरन्तर प्रयत्न करता रहा हूं कि भूमिहीनों को भूमि मिले लेकिन मुझे एक केस में भी सफलता नहीं मिली । जब कभी भी हाकिम परगना के यहां से लौटकर आने में सफल भी हुआ तो आपके कानूनगो और लेखपाल उन्हें कब्जा नहीं करने देते । आप निश्चित समझें कि जो जमीनें निकलेंगी भी वे आपके प्रशासक उनको कभी भी नहीं दिला सकेंगे । कागज पर भले ही दिला दें लेकिन वास्तव में अधिकार नहीं पायेंगे ।

यह कहा गया है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं । उस सिलसिले में एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं । माननीय राजस्व मन्त्री ने अपने अनुमान में कहा है कि इस सीलिंग कानून से साढ़े 3 लाख एकड़ भूमि बांटने के लिये उपलब्ध होगी । यद्यपि मैं उनके इस अनुमान को सही नहीं मानता हूं क्योंकि चौधरी साहब ने केवल 46 हजार एकड़ जमीन निकलने की बात कही है । हां, इन दोनों के बीच के आंकड़े सही हो सकते हैं । लेकिन अगर थोड़ी देर के लिये तर्क के लिये राजस्व मन्त्री जी के आंकड़े को सही मान लिया जाय तो साढ़े 3 लाख एकड़ का परसेन्टेज साढ़े 4 लाख एकड़ भूमि का .8 आता है ।

आप अपने मन से, आप अपने को समाजवादी घोषित करते हैं और आप को इस बात का भी फख्र है कि आप उग्र विचार वाले हैं, रैडीकल हैं, ऐसे मंत्री द्वारा बनाये गये बिल का अगर अनुमान सही मान लें जितनी खेती लायक भूमि हमारे प्रदेश में है तो .1 प्रतिशत जमीन ऐसी निकलेगी क्या इसका यह अर्थ नहीं होता है कि 99.2 प्रतिशत भूमि इतनी बराबरी से बंटी हुई है कि बावजूद इतने कड़े कानून के कोई अन्तर नहीं आने वाला है। जो आप की रेंज 10 से लेकर 18 एकड़ की है जिसको आप उचित समझते हैं, उसके अन्दर 99.2 प्रतिशत भूमि पाई जा रही है, यह आपके अनुमान के अनुसार है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि भूमि पहले से ही काफी अच्छे ढंग से बंटी हुई है और उसमें आगे कोई गुंजाइश नहीं है।

श्रीमन्, मैं अब इस विषय पर आता हूं कि यदि भूमि उपलब्ध भी हो तो क्या हर एक लैंडलेस को दे देना हो, देश की हित की बात को जाने दीजिये उसके हित में है या नहीं जिसको आप जमीन देंगे। यहां माननीय चौधरी साहब ने भी कहा है कि यह भ्रम है कि छोटे-छोटे किसान ज्यादा खेती की पैदावार कर सकते हैं। इसकी सम्भावना से इंकार नहीं कर सकते हैं लेकिन देश की जो परिस्थिति है उसमें कदापि नहीं कर सकते हैं। यदि आज यह बात सच होती कि छोटे खेत अच्छी खेती के लिये, ज्यादा उत्पादन के लिये अच्छे होते हैं तो हमारा भारतवर्ष दुनियां के सब देशों में कृषि उत्पादन के मामले में सब से आगे होता क्योंकि इस देश में आराजी बहुत छोटी-छोटी हैं। मैं आपका ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में लुधियाना कृषि उत्पादन में अपने देश में आज सब से आगे हैं और आराजियां 10 एकड़ की 80 प्रतिशत हैं। अगर यह सच होता तो बस्ती और गोरखपुर आदि जिलों की कृषि की पैदावार मेरठ और मुजफ्फरनगर से ज्यादा होती क्योंकि यहां छोटी-छोटी आराजियां हैं।

श्रीमन्, मेरा अपना विचार है कि जमीन की लम्बाई और चौड़ाई को नाप कर और उसको गुणा करके उत्पादन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जमीन के आकार से उत्पादन का कोई सम्बन्ध नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जमीन में कितना पैसा और बुद्धि लगाई जाती है। श्रम, पैसा और ज्ञान इन तीनों का कितना एप्लीकेशन भूमि में होता है, इस पर कृषि का उत्पादन निर्भर करता है। मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि निकट भविष्य में यानी आने वाले 50 वर्ष में इस स्थिति में देश नहीं हो सकेगा। मैं भी चाहता हूं कि छोटे किसानों की उन्नति हो क्योंकि भारत जैसे देश में जब तक इनकी उन्नति नहीं होगी तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकेगी।

हमें गणित पर भी ध्यान देना होगा। गणित यह है कि पिछड़े हुये खेतों को तथा बुरे खेतों को यदि आधुनिक बनाना चाहते हैं तो एक हजार रुपया प्रति एकड़ उस पर इनवेस्ट करना होगा। यह मेरा अनुमान है। वेस्ट बंगाल ने 3,600 रुपये प्रति एकड़ का हिसाब लगाया है। लेकिन मैं एक हजार रुपया प्रति एकड़ का ही अनुमान लगाता हूं। उत्तर प्रदेश में 4 1/4 करोड़ एकड़ में खेती होती है। अगर आप पूरी जमीन को ले लें तो उसके लिए आप को 4,250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है इस पिछड़ी हुई खेती को आधुनिक बनाने के लिए और यह धनराशि उत्तर प्रदेश की प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 वर्ष बिना योजना के और चौथी पंचवर्षीय योजना में लगी धनराशि से अर्थात् 1950-51 से 1973-74 तक लगायी गयी या लगायी जाने वाली धनराशि की दुगनी रकम बैठती।

मैं माननीय शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि वे बताने की कृपा करें कि क्या जो सुविधायें जापान के किसानों को मिलती हैं, वे ही यहां पर मिलती हैं? अगर वे सुविधायें यहां के किसानों को मिल जायं तो मैं अपना विरोध वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आज आप क्यों कुछ वोटों को प्राप्त करने के बजाय राष्ट्र हित की बात नहीं सोचते हैं। आप फिर दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने लगे हैं और आप की हरित क्रांति केवल धोखा मात्र है। आज आप दूसरे भ्रम में पड़े हुए हैं। आज आप सोचते हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुयी है वह केवल सूखे के कारण उत्पन्न हुयी है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि चाहे आपके मन के मुताबिक भी वर्षा हो लेकिन जो आप की भूमि की नीति और कृषि मूल्यों की नीति है, अगर ये

[श्री भानुप्रताप सिंह]

नीतियां चलती रहीं तो चाहे जितनी अच्छी वर्षा हो आप को पेट भर भोजन नहीं मिल सकता है और इसके लिए मैं आंकड़े उपस्थित करना चाहता हूं।

यह तो सब को ही विदित है कि कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई के साधन तेजी से बढ़ने चाहिए। इन नीतियों के क्या परिणाम हुए हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक्चुअल बोरिंग्स प्रतिवर्ष कितनी होती रही हैं पिछले वर्षों से, उसके आंकड़े इस प्रकार से हैं—

वर्ष 1966–67 में .. 68 हजार नयी बोरिंग्स हुयी हैं,
वर्ष 1967–68 में .. 75 हजार नयी बोरिंग्स हुयी हैं,
वर्ष 1968–69 में .. 1 लाख बोरिंग्स हुयी हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 93 हजार और ज्यों ही आपने घोषणा की है सीलिंग की और उसका आधार सिंचित और असिंचित भूमि होगा तो उसके परिणाम देखिए। 1969–70 में 93 हजार, यह घट कर 1970–71 में 29 हजार, 1971–72 में 22 हजार हुआ। इन दो वर्षों में 11/2 लाख और ट्यूबवेल गड़ गये होते और किसानों की खेती और बढ़ती अगर यह इन्सिक्योरिटी न पैदा कर दी होती कि जो खेत में ट्यूबवेल लगायेगा, उसकी जमीन निकल जायेगी। उनमें अगर किसान अनाज पैदा करते तो यह भूखों मरने की नौबत न आती। इसलिए मैं विरोध करता हूं कि यह राष्ट्र के हित में नहीं है। खेतिहर मजदूर को आप ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहते हैं कि वह ठीक से खेती न कर सकें।

श्रीमन्, मैं अब उस विषय पर भी आना चाहता हूं कि क्या आप वास्तव में जमीन बांट कर खेतिहर मजदूरों के लिए सचमुच कोई भलाई करेंगे? मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि न तो मंत्रिमंडल के सदस्यगण कुछ पढ़ते ही हैं और न कुछ सोच विचार ही करते हैं। उनके ही विभाग की ऐसी रिपोर्टस् प्रकाशित हुयी हैं कि अगर ये उनको पढ़ लें तो इनकी आंखें खुल सकती हैं। पन्त नगर यूनिवर्सिटी ने बलिया जिले का एक सर्वे किया था, जो कि एक पिछड़ा हुआ जिला है, और इस सर्वे में उन्होंने वर्गीकरण किया है।

लैंडलेस लेबरर्स मार्जिनल फारमर्स यानि एक हेक्टेयर से नीचे वाले किसान और स्माल लेबरर्स 3 हेक्टेयर से नीचे वाले किसान और उन्होंने पर केपिटा इनकम निकाली थी पर हाउस-होल्ड इनकम उनकी आज यह है कि लैंडलेस लेबरर की इनकम पर हाउस होल्ड भी ज्यादा है, इनकम पर केपिटा भी ज्यादा है। मार्जिनल फारमर्स का कुल अनुपात स्माल फारमर्स के लगभग बराबर ही रहती है। 133.06 प्रति व्यक्ति से 135.29 स्माल हेक्टेयर तक के किसान लगभग पहले से बदतर हुये। जिला बलिया है और बलिया में भी रसड़ा तहसील। अगर आप पंजाब को देखें तो वहां भी यह स्थिति होती है कि 3 हेक्टेयर तक के किसानों की माली हालत लैंडलेस से बदतर है और इसका परिणाम भी दिखाई देता है। आप उनको भूमि देना चाहते हैं और वह क्या कर रहे हैं। आप जरा सा समझें। 1971 की पापुलेशन का जो सेन्सस हुआ है उसकी तरफ देखिये। लैण्डलेस लेबरर पूरी आबादी में 18.87 प्रतिशत थे जो 1971 में बढ़कर 29.9 प्रतिशत हो गयी। यह बात नहीं है कि उनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे होते हैं तो पूरी आबादी में, वही अनुपात रहनी चाहिये लेकिन 19% थी वह बढ़कर 27% हो गई। इसके लिये कि वह ज्यादा अपनी स्थिति को समझते हैं कि वह बदतर हैं कि हम कहां से कलेक्शन करें। हम एक लैण्डलेस को 1 एकड़ उसको प्रति एकड़ भूमि देते हैं तो वास्तव में उसे जमीन से बांध देते हैं। 365 दिन का रोजगार भी नहीं दे सकते। जमीन अगर आप को देनी है तो ऐसा करके देनी है जो कम से कम जो हाफ-एम्प्लायड हैं, फुल एम्प्लायड हो जायं। उनकी स्थिति भी अन्य की तरह हो।

वैसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके डर से जो भी जमीनें दी गई वह नहीं रख सके। यह आपका दूसरा भ्रम है कि यह किसी अन्य कुछ बड़े आदमी के कारण नहीं रख सके। आज

आर्थिक स्थिति ऐसी है, आज खुद का ऐसा खर्चा बढ़ गया है, वह उसके खेती में लगे रहने की अपेक्षा में ज्यादा कमा सकते हैं तो यह कौन सी बीमारी की बात है कि जो छोटे किसान हैं एक एकड़, 2 एकड़ के बैल बेचकर बन्द करेंगे। मजदूरी करा रहे हैं आप छांट-छांट कर भूमि देते हैं। जो भूमिहीन हैं उनको छोटे-छोटे किसान बना रहे हैं इसका आप हमें उत्तर देंगे। बांटन का दिखावा कर रहे हैं।

अब श्रीमन् मैं इस विधेयक के विषय में आता हूं। एक गाइडलाइन सेन्टर से आई हैं। यद्यपि यह इनके दल के सर्वोच्च बुद्धि की उपज कही जा सकती है फिर भी उसमें इतनी त्रुटियां हैं कि इतनी मानी जानी बातों से अलग हटकर दिया गया है। सिंचितयतीं पर जो कोई खेती करता है या भूमि से जिसका कोई भी संबंध है यह जानता है कि केवल सिंचाई द्वारा ही भूमि की उत्पादकता या उसकी लाभ कमाने की क्षमता नहीं निर्भर करती मगर आपके नेताओं ने अपने फार्मूले में यह निर्णय किया है कि सिंचित से निर्णय हो जायगा, भूमि कैसी है, भूमि कहां स्थित है।

कभी आपने यह भी ध्यान दिया भूमि के लोकेशन पर भी, कभी आपने उसके बनावट पर भी ध्यान दिया। बस आपको आदेश आ गया और आपने उसका पालन कर दिया। उसका भी पालन नहीं किया। उसमें भी आपने नवीनतायें दिखाई हैं। उसमें कहा गया है कि डबुल क्राप-इरेगेटेड वह भूमि मानी जायेगी, इसमें एश्योर्ड इर्रीगेशन हो और दो फसलें हों। दो खरीफ और दो रबी में सिंचाई हो जाय तो एश्योर्ड है। मेरी भगवान से यहीं अभिलाषा है कि आपके सारे काम छूटकर आप किसान बन जाते और दो सिंचाई में गेहूं पैदा करके दिखाते, तो मैं मानता कि आपकी परिभाषा सही है। क्या आपने किसी विशेषज्ञ को कन्सल्ट किया और उसके सामने रक्खा कि आपका आधार क्या है। आपने दो सिंचाई वाली भूमि को कह दिया कि यह पूरी तरह से सिंचाई की भूमि है। मैं अपनी बात तो क्या कहूं। मेरी बात तो विरोध पक्ष की बात मानी जायेगी। एक कृषि विभाग का पैम्फलेट है जिसमें लिखा है कि उन्नतिशील गेहूं की खेती कैसे की जाय। आपका जो विशेषज्ञ विभाग है वह कहता है कि पांच सिंचाई हों और आपने यह कहां से निकाला कि दो सिंचाई में ही पैदा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में कहें क्योंकि बहुत से बोलने वाले हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

श्रीमन्, आपने अभी तक किसी पर भी समय का सीमा नहीं लगाई। मैं यह भी नहीं चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा समय तो दीजिये। श्रीमन्, फिर वर्गीकरण को लीजिये। गाइड-लाइन में तीन तरह का वर्गीकरण किया गया है। एक तो, इर्रीगेटेड डबुल क्राप, दूसरा इर्रीगेटेड सिंगिल क्राप और एक अन्य या अनइर्रीगेटेड। आपने उसमें क्या किया। इर्रीगेटेड और अनइर्रीगेटेड पहले रक्खा था अब तीन की संख्या को पूरा करने के लिये उसमें ऊसर को भी डाल दिया गया। उसको रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां तो इर्रीगेटेड डबुल क्राप को रखने के लिये उन्होंने 27 एकड़ रक्खा और बिल्कुल ही जो इर्रीगेटेड नहीं है उसके लिये कहा गया कि 54 एकड़ हो सकता है।

आपने इर्रीगेटेड या अनइर्रीगेटेड के लिये 27 एकड़ ही रख दिया। अगर वर्गीकरण से यह भी अन्दाजा निकालें जिनको 54 एकड़ मिल सकता था उनको 27 से ज्यादा नहीं निकलेगी। बाजार भाव से दुगुनी रिकमैन्डेशन है। वहां ज्यादा रिकमैन्डेशन है। पांच व्यक्तियों से अधिक का परिवार हो और जब तक कि दुगुनी सीलिंग के बराबर न हो जाय। पर आपके यहां तो सब के लिये एक ही रेट है। आपने सारी बातें तो की हैं। आप गाइड लाइन से भी हट

[श्री भानुप्रताप सिंह]

गये हैं। आपने उग्रता देख ली उनकी जो बड़े भारी सोशलिस्ट हैं। वहां निजी स्वार्थ को या क्षेत्रीय स्वार्थ को वे नहीं दबा सके। आपने बुन्देलखंड में किया क्योंकि वहां से राजस्व मंत्री जी आते हैं, कहीं से राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी आती हैं। कहीं माननीय मुख्य मंत्री जुड़े हुए हैं। सब को एक जगह रख कर यह कहते कि यहां पर विशेष व्यवस्था होगी और इनको 45 एकड़ मिलेगा।

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आधार है? क्या बुन्देलखंड की भूमि और भूमि से कम उर्वरा है? हो सकता है कभी 70–75 वर्ष पहले यह रहा हो। लेकिन आज क्या स्थिति है यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड में हमीरपुर जिला है। हमीरपुर जिले में गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 11.45 कुन्तल है। यह मैं बुलेटिन आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स से बता रहा हूं। अब मैं उन जिलों के नाम बताता हूं जहां गेहूं कि प्रति हेक्टेयर पैदावार 11.45 कुन्तल से कम है। देहरादून, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, नैनीताल का तराई क्षेत्र, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रीमन्, अगर इन सारे जिलों से अधिक गेहूं प्रति हेक्टेयर बुन्देलखंड में पैदा होता है तो ज्यादा जमीन देने का क्या औचित्य है?

इसी प्रकार धान की प्रति एकड़ पैदावार को आप लें। बांदा जिले में पैदावार 6.99 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है जब कि मैनपुरी में 6.66, गाजीपुर में 5.99, देवरिया में 6.59, बस्ती में 6.48, आजमगढ़ में 6.39, सीतापुर में 6.29 और खीरी में 5.59 है। फिर भी आपने फेवर करने की दृष्टि से अपने और अपने सहयोगियों के इलाके में बढ़ा लिया। ट्रेडीशनल की बात कही जाय तो इसमें नान-ट्रेडीशनल एरिया भी हैं। आपने यमुना वालों के लिए कृपा की है। जैसे केवल यमुना वाले ही हों। उस पार तो था ही, 16 किलोमीटर इस पार भी जोड़ दिया, जैसे कि यमुना से ज्यादा भयंकर और विनाशकारी कोई प्रदेश में नहीं है। गोमती 7–8 किलोमीटर इधर और उधर का हिसाब बिठा देती है। इसी तरह से राप्ती है। घाघरा तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो यह जो भेदभावपूर्ण बातें आपकी हैं इससे सन्देह होता है कि यह जो हमदर्दी आप गरीबों से दिखा रहे हैं वह मिथ्या है, केवल पालिटीकल स्टन्ट है।

अन्त में श्रीमन्, मैं बता दूं कि सत्तारूढ़ दल का अन्तिम लक्ष्य क्या है। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, इनका अन्तिम लक्ष्य इस देश में सहकारी या सामूहिक खेती की स्थापना करना है और उसके अनेक प्रमाण मैंने एकत्र किए हैं। मेरे पास 11 प्रमाण हैं। समय कम होने की वजह से उन सब को न बाताते हुए मैं सबसे अन्तिम प्रमाण को यहां बताना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन, जैसा यहां है उसी प्रकार का बनाया है और इस प्लानिंग कमीशन की जो स्कीम है वह मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह मैं 29 सितम्बर के स्टेट्समैन से पढ़ रहा हूं—

'The State Government therefore, proposes to consolidate holdings into 31 viable blocks of 10 thousand acres each administered by professional managers with the aid of farmers representatives. The State Planning Board is confident that with the State Government guaranteeing loans there will be no difficulty in obtaining estimated credit requirement of Rs.3.6 crores for each block.'

मैंने कहा था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 10 हजार एकड़ का ब्लाक डेवलपमेंट करने के लिये उन्होंने 3.6 करोड़ का फंड बनाया है। किसानों का कोआपरेशन सीक करने के लिये कुछ कम्पलशन बिल बी नेसेसरी। इसको उन्होंने माना है। किसी न किसी रूप में सख्ती तो करती ही होंगी जब कि इस प्रकार की स्कीम स्वीकार की जायेगी। वास्तव में उनका यह भी कहना

है मैं तो एक छोटा आदमी हूं, चौधरी चरण सिंह जो यहां के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और इस देश में उनकी एक प्रतिष्ठा है और उन्होंने इस सदन में और सदन के बाहर भी अनेकों बार यह आरोप लगाया है कि यही उनका उद्देश्य है। क्यों नहीं प्रधान मंत्री इसको कन्ट्रेडिक्ट करती हैं कि चौधरी साहब गलत बात कह रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है कि राजस्व मंत्री ने फोरम की मीटिंग में यह शिकायत की कि अगर छोटे किसान देश के लिये अनाज नहीं पैदा कर पायेंगे तो हमारी सरकार बड़े पैमाने पर सहकारी खेती करने में नहीं हिचकेगी।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

जो लोग बड़े-बड़े ट्रैक्टरों से खेती करना चाहते हैं, वे लोग सहकारी खेती करके उसको कर सकेंगे। यह मैंने कहा था।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

चौधरी चरण सिंह भी वहां पर थे।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं भी वहां पर था और बोलने वाला था।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

अब आप बात को बदल रहे हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

वहां पर श्री चतुर्भुज शर्मा जी भी मौजूद थे।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप यह स्पष्ट कर दें कि आपका इरादा सहकारी खेती करवाने के बारे में क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

हमारे दल का इरादा जहां कहीं भी हो सके सहकारी खेती करवाने का है।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा था कि—

"Once the Land Reforms Act have been enacted, there would be no fundamental changes on the record of such legislation for 50-60 years".

10 वर्षों के अन्दर ही इन आश्वासनों और वायदों का कोई मूल्य नहीं रह गया। आज आप जो आश्वासन दे रहे हैं उनका भी क्या हश्र होगा यह इससे स्पष्ट है। इन आश्वासनों के टूटने के बाद कोई मूर्ख किसान होगा जो आपकी बातों में आकर ट्यूबवेल लगाएगा। मैं तो यहां तक कहने वाला हूं कि इस धन्धे को आपने ऐसा बना दिया है कि अब शायद ही कोई समझदार व्यक्ति खेती के नजदीक जाए—कोई नहीं नजदीक जाएगा। जिस कदर समझदार और पैसे वाले लोग खेती से हटेंगे उस हद तक यह देश खाद्यान्न के मामले में दूसरों पर निर्भर होगा व यहां की अर्थ व्यवस्था बिगड़ेगी। उस हद तक इस देश का अहित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मंत्री जी ने कहा कि जहां तक सम्भव होगा सहकारी खेती करेंगे। इस बिल के द्वारा जो जमीन निकलेगी क्या उसमें भी सहकारी खेती कराएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

3 बजे तक यह बहस चलेगी। इसके बाद माननीय हरिनाथ तिवारी को मौका मिलेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

वे तो बिल के पक्ष में ही बोलेंगे, विपक्ष वालों को ज्यादा टाइम मिले।

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिए हरिनाथ जी तिवारी को 15–20 मिनट दिए जाएं और 40 मिनट आपकों तो इस प्रकार 1 घंटा हो जाएगा। 3 बजे तक हम चल सकते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

सरकारी पक्ष वालों को पांच-पांच मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपको भी ५ मिनट ही दिए जांय ?

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

समय का निर्धारण करें। कितने समय तक आप हमें बोलने देंगे ? हम तो तैयारी करके आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले तो आप स्वच्छन्द थे जितना बोलना चाहते बोल सकते थे लेकिन आज तो बोलने वालों की संख्या ज्यादा है।

श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

हम भी बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री चतुर्भुज शर्मा तथा श्री शिवराज सिंह के भी नाम आए हैं। माननीय राम सिंह का भी नाम है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हमारी पार्टी से तो एक ही आदमी को मौका मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—

और मौका देंगे। राम सिंह जी को भी मौका देंगे।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

हमें काफी बोलना है। हमारे काफी बोलने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नाम तो बहुत पहुंचे हैं। हर दल वालों को मौका मिलेगा। सब में से एक-एक को मौका देंगे।

श्री जगवीर सिंह—

हम तो बहुत अच्छे सुझाव देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

5 मिनट का मौका दे दें, इनकी कलई खोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर दो सदस्यों को इधर से मौका देंगे तो आपको 3 को समय मिलेगा और अगर इधर 3 बोलते हैं तो आपके 4 सदस्यों को मौका दे देंगे।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, 3–4 का रेशियो मत लगाइये। उन्हें तो बिल का समर्थन ही करना है। हमें भी अपनी बात कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समर्थन और विरोध—दोनों ही करने के लिए आप यहां हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं तो बहुत कम बोलूंगा। बहुत दिन से बोला भी नहीं हूं। अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ बातें हमारे भाई भानु प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह और शायद हमारे मित्र वर्मा जी ने भी कही हैं। बुन्देलखंड के लिए कुछ खास बातें कही गयी हैं।

हमारी शिकायत यह है कि बुन्देलखंड में इसका उल्टा हो रहा है। बुन्देशखंड के हमारे वर्तमान मंत्री जी हैं और उन्होंने बुन्देलखंड के साथ बहुत अन्याय किया है। श्रीमन्, मैं और बातें बाद में लूंगा पहले बुन्देलखंड की ही कहे देता हूं। आज से नहीं, बल्कि दो सौ और डेढ़ सौ साल पहले से, अंग्रेजी शासन के समय से ही बुन्देलखंड में और जगहों की एक एकड़ भूमि के बराबर दो एकड़ भूमि मानी जाती रही है। कोई भी कानून हुआ, हमेशा बुन्देलखंड की यह स्थिति मानी गयी है। जमींदारी उन्मूलन के समय हम लोग भी उस समिति के मेम्बर थे, उसमें कृषि के बड़े-बड़े विशेषज्ञ उसके सदस्य थे और मैं भी उसका एक सदस्य था लेकिन उसमें एक एकड़ के बराबर वहां की दो एकड़ भूमि रखी गयी थी। लेकिन एस० वी० डी० की गवर्नमेंट आयी और उन्हीं हमारे माननीय उदित नारायण जी शर्मा ने एक एकड़ के बराबर वहां का डेढ़ एकड़ ही माना और वह अब लग गया।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

मैं श्रीमन्, शर्मा जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह जो जोत सीमा आरोपण विधेयक है क्या उसमें बुन्देलखंड के लिये कोई विशेष व्यवस्था है? जो और जगहों के लिये है उसी को आप बुन्देलखंड के लिये क्यों नहीं मानते?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बुन्देलखंड की एक दूसरी स्थिति है। वहां जो कल्टीवेटेड जमीन है, उसके अलावा जो अनकल्टीवेटेड जमीन है पहाड़ी जमीन है या और जो ऐसी जमीन है जहां कुछ नहीं होता और उन सबका गुजारा इसी जमीन से होता है और पैदावार के आंकड़े भानु प्रताप जी ने दिये वह मैं भी बतलाऊंगा कि बुन्देलखंड में एक बीघा जमीन में जितना पैदा होता है तो दूसरी जगह की एक बीघा जमीन में उससे दुगुना या तिगुना पैदा होता है। असल में बुन्देलखंड में जो रियायत दी गयी है वह इसी लिये दी गयी है कि वहां दूरदूर तो बस्तियां हैं और जो आबादी खेती नहीं भी करती तो वे लोग भी उसी पर मुनहसिर रहते हैं।

तो श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि जब हमारी एस० वी० डी० की गवर्नमेंट हुई तो जो बात वहां हुई तो वही बात यहां हुई। हमारे यहां सिंचाई का प्राविधान बहुत कम है। 57 लाख एकड़ भूमि में कृषि होती है बुन्देलखंड के चारों जिलों में और उनमें केवल 8.7 लाख एकड़ में सिंचाई होती है यानी मुश्किल से 14 या 15 फीसदी भूमि में सिंचाई होती है, सब साधनों से ऐसी सिंचित भूमि बिल्कुल नहीं है जिस पर पूरा पानी मिल जाता हो। जहां एक पानी से दूसरा पानी नहीं

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मिलता और जहां डबल क्रापिंग होती है वहां लोग छोटे-छोटे कुंये बनाकर सिंचाई करते हैं और सिर्फ बुन्देलखंड के उस इलाके में ही नहीं जो हमारे इधर पड़ता है बल्कि वह हिस्सा भी जो कि मध्य प्रदेश में है वहां भी यही हाल है कि छोटे-छोटे कुंये बनाकर कहीं एक बीघा है कहीं दो बीघा और कहीं चार बीघा, बस इतनी डबल क्रापिंग कर पाते हैं।

ट्यूबवेल्स वहां बने नहीं हैं क्योंकि इंजीनियर्स नें डिक्लेयर कर दिया है कि बुन्देलखंड में ट्यूबवेल बन नहीं सकते, यद्यपि अब थोड़े ट्यूबवेल्स बने हैं और इसीलिये ट्यूबवेल के अभाव में कुंये से वहां सिंचाई हुई जिनकी बदौलत कहीं-कहीं डबल क्रापिंग से काम चलाया गया। अब यह विधेयक जो रखा गया है सिंचित भूमि जहां और डबल क्रापिंग होती है वहां भी बुन्देलखंड के लिये 18 एकड़ ही रखा जायगा। पैदावार की बात मैं कह रहा हूं। चाहे परती जमीन हो या राकड़ जमीन हो उसमें जहां सिंचाई भी होगी तो वहां डबल क्राप कर लेंगे लेकिन उसमें पैदावार कम होती है। हमारे यहां किसी भी भूमि में 25 मन, 30 मन फी एकड़ से ज्यादा पैदा नहीं होती जबकि दूसरी जगह 50 से 60 मन के बीच पैदावार होती है। मैंने अच्छी और बुरी सभी का एवरेज लिया है और स्टेट का भी एवरेज लिया है। भानुप्रताप जी ने कुछ आंकड़े दिये थे। हो सकता है यह सही हो कि और जगह भी पैदावार कम हो लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ऐवरेज है वह यह है कि हमारे यहां 6.3 मन होता है और 11.8 मन का ऐवरेज स्टेट का है। गेंहू हमारे यहां होता है 10.3 मन और उत्तर प्रदेश का ऐवरेज है 14.8 मन, चना होता है 6.3 मन और ऐवरेज यू० पी० का है 8.2 मन, मक्का होती है 7.8 मन और उत्तर प्रदेश का ऐवरेज है 10.50 का। मूंग और दूसरी दालें होती हैं 2.2 मन और सारे प्रदेश का ऐवरेज 3.30 मन। इसलिये जो औसत है वह निश्चय ही सब जगह डेढ़ गुने से ज्यादा है।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

एक और स्पष्टीकरण कर दें। आपने पूरे राज्य का औसत पढ़ दिया और बुन्देलखंड का पढ़ दिया। मैंने बुन्देलखंड का और दूसरे जिलों का पढ़ा था। आप अगर इस बात को कंसीडर कर लें तो हमारे सारे मतभेद दूर हो जायं कि जिन जिलों में पैदावार कम है जैसे कि बुन्देलखंड मे तो उन्हें भी वही सुबिधा मिलनी चाहिये जो कि बुन्देलखंड को मिल रही है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वह तो सारा ऐवरेज लिया जायगा, सारी फसलों का लिया जायगा।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

आपसे भी जिसका कम है तो उसको तो ज्यादा मिलना चाहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आप पूरी बात सुन लें।

श्री पारसनाथ सिंह—

एक स्पष्टीकरण मैं भी चाहता हूं। पाइनियर की न्यूज है जिसमें लिखा है:—

"For example, while the production of rice per hectare is as high as 19.7 tons in Tamil Nadu, it is as low as 8.19 tons in U. P. Similarly, while the yield per acre of wheat in Punjab is 22.51 tons, it is barely 12.86 tons in U. P."

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप तामिलनाडू की दे रहे हैं। यह राज्यीय है।

श्री पारसनाथ सिंह—

यू० पी० का भी इसमें है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

व्यवधान न करायें। समय कम है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बुन्देलखंड में केवल अनाज पैदा होता है। दूसरी जगह कैश क्राप्स भी होती है जैसे आलू, गन्ना, तम्बाकू आदि। हमारे यहां आलू होता ही नहीं। थोड़ा बहुत गन्ना होता है जिसका लोग गुड़ बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि आखिर आप ईल्ड पर ही तो जायेंगे। जितनी पैरीटी सारे रीजन्स में रखी जानी चाहिए उतनी रखेंगे या नहीं। कैश क्राप्स होती नहीं। गल्ला होता है और वह भी इसलिये कि हम मेहनत करते हैं और कुछ जमीन भी ज्यादा रही क्योंकि आबादी कम रही। मेहनत की वजह से पैदावार हो जाती है वरना हमारे यहां कोई सरकारी साधन नहीं है।

हमारे यहां कैश क्राप्स होती नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा जिला है जिसमें गेहूं की पैदावार कम होती है लेकिन वहां गन्ना पैदा होता है, आलू पैदा होता है, तम्बाकू पैदा होता है। उनमें यह चीजें होती हैं तो किसान कैश क्राप पैदा करके वह कम्पेन्सेट कर सकता है। लेकिन हमारे यहां साधन नहीं हैं। वहां का किसान तो केवल अनाज पैदा करता है। 15-20 मन अगर फी एकड़ पैदा हो गया दोनों फसलों को मिला करके तो 4-5-सौ मन हो जायगा उसी में गुजर-बसर करनी होगी जोकि उससे उसको पैसा मिलेगा। तो हमारे यहां इसी कारण जो एक रियायत बराबर चली आ रही है वह सर्वे की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों पर अंग्रेजों के जमाने से बुंदेलखंड को और उन इलाकों को मिली हुई है जो यमुना के दक्षिण में हैं। भानुप्रताप जी ने यमुना का नाम ले लिया। वहां जो ट्रैक्ट है उसकी कंडीशंस बदल जाती है। वहां की स्वायल अलग है, रांगड जमीन है, बागीचे होते नहीं है। सिवाय जमीन के और कोई सहारा नहीं है। तो जो मेजा में, इलाहाबाद में, मिर्जापुर में, इटावा में जो जमुना के नीचे के ट्रैक्ट हैं उनकी एक सी स्वायल है, एक से सवालात हैं। कोई गंगा जमुना की बात नहीं है कि जमुना नुकसान करती है। तो मैं अर्ज करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह रुहेलखंड के होने के नाते से यह मालूम करें, जैसा कि अभी उन पर लांछन लगाया गया कि बुंदेलखंड के हैं इसलिये वहां पर इतनी सीलिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जनता के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिये।

अब दुसरी बात पर आता हूं। वह यह है कि मैं एग्री करता हूं कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है, एक तरह से मान कर हुआ है और मान लिया गया है। लेकिन यह होना चाहिये था स्वायल पर, किस्म जमीन पर। क्योंकि इरिगेटेड होते हुए भी अगर जमीन बेकार है तो उसमें भी उतनी पैदावार नहीं हो सकती है एक एकड़ में जितनी कि एक असिंचित जमीन में हो सकती है। बड़ा फर्क होगा। इसीलिये किस्म जमीन के अनुसार सरकिल रेट था। हमारे बुंदेलखंड में आपको ताज्जुब होगा कि 4 आने फी एकड़ ऐसी जमीनों का सरकिल रेट है। कहीं इससे भी कम। तो इसीलिये सरकिल किस्म जमीन पर था, उसी तरीके से किस्म जमीन को सामने रखना चाहिये था। अब चूंकी पैटर्न आल इंडिया हो गया उसमें कोई तरमीम इस तरह की नहीं कर सकते है, लेकिन मेरे ख्याल में यह चीज आनी चाहिये कि सिंचित भूमि के इलाकों में जहां खराब जमीन होने से कम ईल्ड होती है वहां पर देना चाहिये।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

दूसरे जो परिवार लिखा गया कि बालिग लड़कों को 2 हेक्टेयर दी जायगी । अगर 3 तक लड़के हैं तो 6 हेक्टेयर मिलेगी, ज्यादा नहीं दी जायगी । लेकिन अगर 4–5 लड़के हैं परिवार में, 3 से ज्यादा हैं और इकट्ठा रहते हैं तो उन दो तीन का क्या अपराध है जो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा ?

फिर दूसरी चीज इसमें यह लिख दी गयी कि वह खातेदार न हों । अब मान लीजिये कि कोई 4 डिसिमल का खातेदार है, कोई 50 डिसिमल का खातेदार है, तो उसको जो 5-4 एकड़ जमीन मिलती उससे भी वह महरूम हो गया । मेरा अपना यह सुझाव है इन्साफ के नाते कि हर बालिग लड़के को मान लीजिये मैं कुछ होशियार आदमी हूं, कुछ जानता हूं, मैंने अपने लड़कों को जितनी जमीन ट्रांसफर हो सकती थी कर दी, लेकिन कोई बेचारा भला, ईमानदार आदमी है और उसके 5 या 3 लड़के हैं और उसने उनके नाम जमीन ट्रांसफर नहीं की, तो कम से कम लिमिट वह होनी चाहिये थी कि उसके परिवार को एक यूनिट मानते जो 5 की आपने यूनिट मानी । किसी किसान का अगर वयस्क लड़का बालिग है और उसके 3 या 4 लड़के हैं तो उसको यूनिट मान लेना चाहिये । अगर इतना नहीं तो कम से कम वह जो ट्रांसफर कर सकता था ईमानदारी के साथ...

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

सब ट्रांसफर हो चुके हैं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नहीं हुये । मैं वही कहता हूं कि जिनके नहीं हुये हों...

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जिनके नहीं हुये हैं उनके लिये भी प्राविधान है इसमें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उनके लिये ही मैं कह रहा हूं । उनके लिये तो साढ़े 12 एकड़ तक तो जाना ही चाहिए था । उसमें अगर किसी खाते में 12 बीघे लिखा है तो उससे वह महरूम थोड़े ही हो जायेगा । इसी तरह से जिसके नाबालिग लड़के, लड़कियां ज्यादा हैं, ज्वाइंट फैमिली का अभी हमारे यहां सिस्टम बना हुआ है, अभी तो बात कही जा रही थी तो किसानों के परिवारों को हमको मिटाना नहीं है, जो भानु प्रताप जी कह रहे थे कि कांग्रेस का उद्देश्य सामूहिक खेती करने का है, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा आरोप है जो किसी तथ्य पर आधारित नहीं है । किसान, जो हमारे समाज की रीढ़ है उसकी इंडिविजुअल खेती ऐसे ही रहेगी और रहनी चाहिये क्योंकि रूस वगैरह में भी जहां सामूहिक खेती हुई आज तजुरबे ने यह दिखलाया कि वे ज्यादा गल्ला पैदा नहीं कर पाते हैं, फी एकड़ और उनको दूसरे देशों से गल्ला मंगाना पड़ता है ।

खेती के कार्य में तो हम सहकारिता कर सकते हैं और जो उसके लिये चीजों की जरूरत होती है उनमें सहकारिता से काम ले सकते हैं, लेकिन सामूहिक खेती में कुछ फायदा नहीं होगा और यह कांग्रेस का भी दृढ़ निश्चय है । ठीक है समाजवाद आये, हम लाना चाहते हैं, आपने 18 एकड़ रखा, उससे कम में हम तैयार हो जाते लेकिन पैरिटी रहे किसान के परिवार में । इस वजह से कि किसी के लड़के ज्यादा हैं चाहे वह बालिग हों या नाबालिग । वह 10 साल बाद ऐसे हों जांय कि अपने परिवार का पालन पोषण न कर सके, इस बात को देखना चाहिये ।

आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे । एक बात और मैं कानपुर वाली बात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । वह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं ही वहां प्रीसाइड कर रहा था और कृषक समाज का प्रेसीडेन्ट था । उस समय माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने जो आपत्ति

उठायी थी मैंने उसका प्रतिरोध किया था और आज भी कर रहा हूं । मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह बात गलत है कि सामूहिक खेती होगी । सहकारिता द्वारा खेती के उपकरण आदि बनाये जा सकते हैं ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

मैंने उस समय यह कहा था कि आपने यह कहा है कि यदि छोटे किसानों से काम नहीं चलेगा तो सरकार कदम उठायेगी ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

आपने यह एतराज किया था कि जब छोटे-छोटे खेत हो जायेंगे तो बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स नहीं चल पायेंगे । उस पर मैंने यह कहा था कि जो बड़े ट्रैक्टर्स का उपयोग करना चाहेगें वे सहकारी खेती करें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

भानुप्रताप सिंह जी की एक बात से मैं भी सहमत हूं कि अगर एक-एक दो-दो एकड़ जमीन फी परिवार में बाटी गयी तो उससे लाभ न हो सकेगा । मैं इससे सहमत हूं कि एक परिवार को कम से कम 4–5 एकड़ जमीन अवश्य दी जाय । मैं सदा इस मत का रहा हूं कि भूमिहीनों को जमीन देनी चाहिये । यह केवल आर्थिक सवाल ही नहीं है, यह एक सामाजिक सवाल भी है । माननीय भानु प्रताप सिंह जी भी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी एक गांव का ही रहने वाला हूं । गांव में उनकी क्या दशा है, मैं जानता हूं । हरिजनों के साथ आज जो अत्याचार होता है वह भी सब जानते हैं । उसकी चर्चा भी यहां आये दिन हुआ करती है । जो मेन्टालिटी हमारे समाज में बहुत दिनों से चली आ रही है वह भी अपनी जगह पर है ।

एक सदस्य--

आपके पास पचासों बसों के परमिट हैं, उन्हें बांट दीजिय ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मेरे पास तो एक भी गाड़ी नहीं है । और मेरे परिवार के पास भी अगर दो से अधिक गाडियां हों तो मैं सब आपके नाम करने को तैयार हूं । (व्यवधान) यह इस प्रकार का गलत लांछन लगाना उचित नहीं है । मैं चैलेन्ज करता हूं आप आकर देख लें । बैंक बैलेन्स भी कभी मेरा 2–4 हजार से अधिक नहीं रहा । मैं जमींदार 5–5 गांव का रहा, मगर मैं आज भी 50 हजार का कर्जदार हूं ।

मैं यह कह रहा था कि गांव में जहां भी कुर्मी भाई या जमींदार हैं वहां कुछ अत्याचार होते हैं, वे दूसरों को सताते हैं । जहां लोधी लोग जमींदार हैं, वहां पर वे नान जमींदार क्लास को सताते हैं, जहां यादव लोग हैं वहां वे भी दूसरों को सताते हैं, जहां जाट हैं, जहां ब्राम्हण हैं वहां पर वे जमींदार दूसरे जो जमींदार नहीं हैं उनको सताते हैं । हमारे गांव में लोधी जमींदार हैं, हमारे पड़ोस में दो मील पर यादव हैं । हमारे यहां जो यादव माना जाता है वहां पर लोधी माना जाता है । हमारे यहां यादव रियाया माना जाता और वहां पर लोधी रियाया माना जाता है । रियाया अलग बैठती है और उमींदार अलग बैठता है ।

जमीन मिलना आर्थिक सवाल ही नहीं सामाजिक सवाल भी है । हमें सामाजिक सवाल हल करना है तो उसे जमीन मिलनी ही चाहिये । हमें कोशिश यह करनी चाहिये कि जिनके पास जमीन कम है उनको साधन दें ताकि वह अपनी जमींनें बेचे नहीं, और हम बेचने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हों तो वह लगायें । यदि वे बेचेंगे तो भी उनको रुपया तो मिलेगा ही । वे उस रुपये से रोजगार करने लगेगें । भानुप्रताप सिंह जी ने कहा है कि जिनको जमीन मिली है

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

उन्होंने किसी को बेच दिया। तो यदि बेच दिया तो उससे उनके पास साधन तो हो गया। उससे उन्होंने छोटा-मोटा काम कर लिया होगा, अब अकेले मजदूरी नहीं करते होंगे। भूमि सही तौर पर हरिजनों और भूमिहीनों में वितरित हो यह सही सवाल है और देश के हित में है, यह केवल वोट लेने का नारा नहीं है। सामाजिक विषमताओं को तोड़ना है, समाज में समानता लानी है, जिसको हम लाना चाहते हैं तो हमें यह कदम अवश्य उठाना पड़ेगा, ताकि वे बराबर का स्टेट्स महसूस करने लगें। जो हरिजन एम० एल० ए० हो जाते हैं, उनकी मेन्टिलिटी बदल जाती है, जो बराबरी में चारपाई पर नहीं बैठते हैं, वे बराबर में बैठने लगते हैं। इसलिये तरह-तरह के तरीके से जमीन देकर उनको मानो वैज्ञानिक ढंग से हमें बराबर लाने का प्रयत्न करना चाहिये। हरिजनों को कुछ जमीन अवश्य मिलनी चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं, इस बिल में कुछ खामियां तो हैं ही, वे रह ही जाती हैं चाहे जितना अच्छा बनाया जावे। लेकिन जब क्लाज-वाईज डिस्कशन हो तो उस समय उसमें तरमीम की बात हो सकती है, उसमें सुधार अवश्य होना चाहिये। मैं भी उसमें पूरे सुधार लाना चाहता हूं। इसलिये इतना ही अर्ज करूंगा कि हमारे मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो खामियां यहां पर इसमें हैं और जो हमारे अन्य मित्रगण बता चुके हैं, उनको दूर कर दिया जाय।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री जगवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, इसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बिल जिस प्रकार से हमारे सामने लाया गया है इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, इस ख्याल से भेजा जाय कि इसके अन्दर अनेक खामियां हैं और प्रवर समिति को यह भी अधिकार हो कि हर तरीके से इस पर गौर करने का ताकि इस प्रकार का बिल सदन में पेश कर सके जो हमारी मंशा रही होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इस बिल के लाने का मंशा क्या है, इसको लाया किस नीयत से गया है। इसके पीछे दो बातें बतलायी जाती हैं। एक तो यह कहा जाता है कि इससे गरीबी हटाने में सहूलियत मिलेगी। दूसरी बात यह कही जाती है कि इससे एक सामाजिक न्याय होगा। साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि इस बिल के आने से एक सामाजवादी कदम भी उठा रहे हैं। ठीक है। अगर हम इस बात पर आने लगे कि कौन-कौन सी बातें को बिल करेंगा तो यह बिल पूरी तरह से फेल्योर साबित होगा। मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में बयान दिया था कि मैं इस प्रकार का बिल ले आऊंगा कि जिसने ट्रांसफर्स किये होंगे वह बच नही पायगा जिन्होंने लैंड सीलिंग से बचने की बात की होगी वह निकल नहीं पायेंगे। आपने एक तारीख हटाई। क्या उस तारीख के हटाने से जमीन ज्यादा निकल पायेगी ? नहीं। बल्कि इस बिल में लोगों को मौका दिया गया है कि वह ट्रासफर्स कर लें, उस जमीन को लीगलाइज करने के लिये उस बीच में एक तारीख 24 जनवरी, कर दी गयी। कहा जाता है कि सब प्रदेशों में ऐसा हुआ है। इसलिये हमने किया है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

एक बात आपसे कह दूं। यह तारीख हटायी गयी 70 से हटा कर 71 कर दी गयी। क्या 1972 में 1971 के ट्रांसफर्स कर लेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगवीर सिंह—

इतना ही नहीं । मैं और बात कहने जा रहा था । हमारे मंत्री जी ने कहा कि छः महीने के लिये ट्रांस्फर्स 31 दिसम्बर तक बन्द हैं । उस वक्त कहा गया था कि इसका मंशा क्या है । अब बिल को पढ़ा जाय, तो मालूम होगा कि उनका मंशा क्या था। 1971 के बाद जो ट्रांस्फर्स हुए हैं, अगर जिस आफिसर को यह नियुक्त करेंगे वह संतुष्ट हो जाय कि वे जेन्युइन ट्रांस्फर्स हैं तो वह ट्रांस्फर्स मान लिये जायेंगे । इससे साफ जाहिर होता है कि जिन्होंने इस बीच में ट्रांस्फर्स किये हैं वह अगर इत्तफाक से उधर बैठे हुए हैं वह उनको संतुष्ट कर पायें कि जेन्युइन ट्रांस्फर्स हुए हैं तो वह ट्रांस्फर्स मान लिये जायेंगे केवल इन छः महीनों के नहीं माने जायेंगे या उनके ट्रांस्फर्स नहीं माने जायेंगे जिनके पास शक्ति नहीं है कि उनको संतुष्ट कर सके ।

इस बिल से मैं समझता हूं कि लगभग 46 हजार एकड़ जमीन निकलेगी, उसके बाद उसका बटवारा, क्या होगा यह बहुत अजीब बात है । मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं । अगर वह उसको मानते हैं तो बहुत खुशी होगी अगर नहीं मानते हैं तो जबाब दे दें । मैं समझता हूं कि भूमिहीनों को जमीन मिले । लेकिन मंत्री जी की मंशा नहीं है कि छोटे हिस्सों में जमीन मिले और वजन बढ़ जाय जमीन पर और पैदावार न बढ़ सके । इतनी जमीन दी जाय कि ठीक ढंग से वह खेती कर सके। क्या वह उनसे कुछ पैसा पाने की आशा करते हैं या उनको वह पैसा देंगे जिससे खेती पर ठीक ढंग से पैसा लगा कर खेती कर सके ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी साफ दिमाग से सोच लें । जहां पर आप भमिहींनों को जमीन देने की बात करते हैं, हरिजनों को जमीन देने की बात करते हैं, वहां क्या उस नौजवान को जिसने लड़ाई में अपनी जान दी है, क्या उस परिवार वालों को हक नहीं है, जिसने देश की रक्षा की है ? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जो नौजवान मर गये ह, उनके पास जमीन नहीं है, उनको पेंशन जरूर मिलेगी, अगर उनको जमीन का बटवारा कर दें उनको भी इस कटेगरी में रख लें तो उचित बात होगी । उसके अन्दर यह हो कि उस कटेगरी में प्राथमिकता भमिहीनों को, हरिजनों को दी जाय लेकिन उस कटेगरी को नजरन्दाज कर दें तो यह अन्याय होगा उनके साथ जो हर समय इस देश की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं । मुझे आशा है मंत्री जी इस बात को अवश्य मानेगें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की मंशा हो सकती है गरीबी हटाने की, सामाजिक न्याय देने की लेकिन इससे ये बातें पूरी होने वाली नहीं हैं । आपने जो जमीन को लेने की बात रखी है इस बिल में इरीगेटेड तथा अनइरीगेटेड के नाम पर यह क्या न्यायोचित बात है ? यह आपने परिभाषा रखी है इरीगेटेड की जो जमीन दो फसल दे सकती हो। आज के जमाने में जब हाई ईल्डिग वेरायटी होती हो तो कोई भी विशेषज्ञ कह सकता है कि दो फसलें अगर गेंहूं में लग जांय तो आप गेहूं पैदा कर सकते हैं ? कभी नहीं आप पैदा कर सकते। तो फिर दो फसली जमीन कैसे होगी ? किस तरह से आप इरीगेटेड तथा नान इरीगेटेड का हिसाब रखेंगे ? आपने रखा है कि फलां तारीख के बाद आप इरीगेटेड मानेंगे जिसकी ट्यूबवेल से सिंचाई हो सकेगी ।

मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी किस्म जमीन पर बटवारा करें और वह ए, बी तथा सी क्लास हो सकती है और उसी के आधार पर जमीन का बटवारा किया होता तो मेरा निश्चित विचार है कि आपने न्याय की ओर कदम उठाया होता लेकिन बहुत बड़ा अन्याय हो जायगा उनके साथ जिनके पास अच्छी जमीनें हैं और जिनके पास खराब जमीनें हैं । बुन्देलखंड का जिक्र आया । क्या मंत्री जी इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि बुन्देलखंड की हर जमीन मेरठ तथा बुलन्दशहर की जमीन से खराब है। नहीं है। ऐसी जमींनें हैं वहां कि एक एकड़ जमीन आपकी 5 एकड़ जमीन से बदली जा सकती है । इसी प्रकार दे लीजिये

[श्री जगवीर सिंह]

लखनऊ के पास 10 किलोमीटर जमीन 32 एकड़ जमीन के बदले। शहर के पास की जमीन तथा गांव के पास की जमीन में बहुत बड़ा अन्तर है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है इस देश तथा प्रदेश की कोई सरकार रही हो उसने गांव वालों के साथ सौतेला व्यवहार किया है और आज भी गांव वाले के साथ उसी प्रकार से सौतेला व्यवहार हो रहा है।

सीलिंग होना चाहिये। अर्बन सीलिंग को कहा गया था वह लाई जायगी। शायद सेंटर लाये लेकिन यहां पर यह कहा गया था कि दोनों सीलिंग एक साथ लाई जायंगी। क्या हुआ अर्बन सीलिंग का ? मुझे तो सन्देह होता है। मेरी ऐसी जानकारी है कि एक लाख से कम की आबादी पर सीलिंग लगने नहीं जा रही है। अगर मैं गलत हूं तो मंत्री जी मुझे माफ करेंगे। इसी प्रकार से शहर और गांव का भेद हमारी सरकार के दिमाग में रहता है। किसी शहर अथवा कस्बे को ले लीजिये उसके आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ मिल जायगी लेकिन रिमोट गांव के अन्दर उतनी उपजाऊ नहीं हो सकती। आपने इस विधेयक में इस बात को अपनाया है। मुझे शिकायत नहीं है लेकिन इस भेद भाव की नीति को ईश्वर के लिये आप इस प्रदेश के अन्दर बहुत दिनों से जो चलाते जा आ रहे हैं उसे खत्म कीजिये।

इस बिल से बहुत बड़ी मुकदमेबाजी भी शुरू हो जायगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मंत्री जी जरूर चाहते होंगे कि मुकदमेबाजी शुरू हो ताकि कुछ लोगों की वकालत की जा सके। लिहाजा खराब कानून बनना बहुत आवश्यक है वकीलों के लिये। खुदकिस्मती से अथवा बदकिस्मती से हमारे माल मंत्री जी बहुत अच्छे वकील हैं।

अभी तक जो प्रेक्टिस नहीं करते होंगे लेकिन अब इसके आने पर शुरू कर दिये होंगे। जब तक यहां पर हैं तब तक नहीं करेंगे। इस बिल के आने से एक ऐसा दरवाजा खुल जायेगा जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ए० आई० सी० सी० की गाइड लाइन्स का जिक्र यहां पर किया जाता है। हो सकता है, आप हाई-कमान्ड के एक बहुत ही वफादार सिपाही हों। जब उन्होंने 1 एकड़ को 3 के बराबर माना था तो आपको क्या हक था कि आप 3 को घटाकर 2 कर दें।

इसमें कहा गया है कि अगर कोई बाग कट जायेगा तो उसका री-वैलुएशन हो जायेगा। अगर कोई व्यक्ति दुबारा उस जमीन में बाग लगाना चाहे तो उसको आप बाग क्यों नहीं मानते हैं, क्यों उसका री-वैलुएशन आप करेंगे। अगर आप सरकारी जरिये से उसे पानी दे सकें, ज्यादा जमीन आपको मिले तो आपको हक होना चाहिये था कि उसे ले लें लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बाग खराब हो गया है वह आपकी आज्ञा से उसे कटवा भी देता है और उसके अन्दर दुबारा बाग लगाना चाहता है तो कौन सा आपका कल्याण हो जायेगा ? आप उसे बाग क्यों न मानें। आज न्याय का यही तकाजा है कि आपको यह हक उसे देना होगा कि वह उस जमीन में दुबारा बाग लगा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि यह जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है वह सीधे-सीधे एक वोट कचिंग डिवाइस है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि अब आपके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। आपने अब तक बहुत सारे वायदे किये हैं और सब को मालूम है कि आपने कहां तक उन वायदों की पूर्ति की है। आपके वायदों को गांवों में रहने वाले गरीब किसान और जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि आप अपने वायदों को किस प्रकार से निभाते हैं और किस प्रकार से तोड़ते हैं। इससे आपकी नीयत साफ नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आपने जो बड़ी सफाई से यह चीज इस बिल के अन्दर रख दी है कि बनामों को तय करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, वह नहीं होना चाहिये। आपको एक तारीख मुकर्रर कर देनी चाहिये थी कि फलां तरीख तक के बेनामें नाजायज हैं।

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर है कि आपकी नीयत साफ नहीं है । इससे हर व्यक्ति यही कहेगा कि मेरा जायज बेनामा है, मैंने सब ठीक तरीके से किया है और सब चीज मौजूद है । मैं कहता हूं कि जायज और नाजायज मानने का आपके पास क्या पैमाना होगा । मंत्री जी ने तो यह पैमाना रखा होगा कि कौन व्यक्ति किस पार्टी का है और उसकी क्या एप्रोच है और उसके आधार पर उसका बेनामा जायज और नाजायज माना जायेगा । यदि माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को लाने का कोई सार नहीं है यह वोट कैचिंग डिवाइस है और एक छूट दी गई है जनता को । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो कि इसके हर पहलू पर अच्छी तरह से गौर कर सके और सदन को प्रतिवेदन दे ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

उपाध्यक्ष महोदय, इस सीमित समय में प्रस्तुत विधेयक और प्रस्ताव के बारे में मैं अपने विचार बहुत संक्षेप में विनम्रता पूर्वक तीन भागों में प्रस्तुत करूंगा । मान्यवर, सर्वप्रथम प्रस्तुत विधेयक के बारे में जो आपत्ति उठायी गयी है या विचार व्यक्त किये गये हैं जिसके बारे में माननीय राजस्व मंत्री अधिकृत रूप से या औपचारिक रूप से उत्तर देंगे उसके बारे में मैं विचार रखूंगा । तत्पश्चात् सीलिंग के बारे में अपने विचार रखूंगा और अन्त में विधेयक के प्रारूप में जो प्रस्ताव है उसके बारे में कुछ निवेदन करूंगा । इस विधेयक के ऊपर अपनी प्रारम्भिक स्पीच में माननीय चौधरी साहब ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस अधिनियम के निफाज के बाद भी इस प्रदेश के खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की समस्या का ठीक ढंग से हल नहीं हो सकेगा ।

इसी बात को माननीय भानुप्रताप सिंह ने भी दोहराया । उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मूल विधेयक का उद्देश्य प्रदेश के खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की समस्या को हल करना ऐसा नहीं है । इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह इस विधेयक के खंड 2 और इसका जो मेमोरण्डम उद्देश्य और कारण का लिखा हुआ है—उद्देश्य और कारण—उसमें साफ दिया हुआ है । इसका उद्देश्य बहुत उच्च है इसमें सन्देह नहीं है । मान्यवर, इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व दल जो आज तक सोते रहे और 22 वर्ष के अन्दर किसी को नहीं जगा सके, कार्यान्वित किये जायं संविधान की आर्थिक नीति निर्देशक तत्व सम्बन्धी धारा 39 बी0 सी0 को कार्यान्वित करना है ।

मान्यवर, इस प्रदेश में समुदाय की भौतिक सम्पत्ति जो कृषि भूमि है उसका न्यायसंगत वितरण किया जाय और उसका समाज में अहितकर रूप से केन्द्रीयकरण न हो जाय, इस बिल का उद्देश्य था । दूसरी बात यह कही गयी कि इस बिल के अन्दर सिंचित भूमि की सीमा जो 10—18 एकड़ की रखी गयी है वह आरबिटेरी ढंग से निश्चित की गई है । मान्यवर, मुझे इस सदन में 19 वर्ष बैठते हो गये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितना विचार इस बिल के ऊपर हुआ उतना सम्पूर्ण रूप से किसी बिल पर नहीं हुआ और न होने की सम्भावना है । इस बिल के सम्बन्ध में सर्वप्रथम सेंट्रल लैंड रिफार्म्स कमेटी ने रिपोर्ट दी । तत्पश्चात् इस बिल के ऊपर राष्ट्रीय कृषि आयोग की लैंड रिफार्म्स कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट दी । तत्पश्चात् प्राइम मिनिस्टर ने अपने 9 वरिष्ठ सदस्यों की एक कमेटी बनायी थी, उसने रिपोर्ट दी फिर अखिल भारतीय कांग्रेस का जो किसान सेल है, उसने अपनी रिपोर्ट दी और मुख्य मंत्रियों की तो न मालूम कितनी कांफ्रेंस इस सम्बन्ध में हुई हैं । इस बिल के अन्दर जो बातें रखी गयी हैं वह बहुत सोच समझ कर और ढंग से रखी गयी हैं ।

इस 10—12 एकड़ के निर्धारण के सम्बन्ध में मैं तीन तथ्य दूंगा । हमारे केन्द्र में खाद्य और कृषि मंत्रालय के अन्दर एक डायरेक्टरेट है स्टेटिक्स का । उसके एक प्रोफेसर ए0 एम0 खुराव हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े तैयार किये हैं और हर राज्य के सम्बन्ध में तयार किये हैं । उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में भी आंकड़े तैयार किये हैं । वे आंकड़े इस प्रकार हैं—प्रदेश के अन्दर एक जोड़ी बैल—यूनिट पर 10—15 एकड़ भूमि का सायंज ओपटिम है । विभिन्न राज्यों में 5 व्यक्तियों के एक परिवार पर फार्म यूनिट कितना होना चाहिये

[श्री शिवराज सिंह]

उत्तर प्रदेश में आप्टिमम साढ़े 7 एकड़ से 10 एकड़ तक है । फिर सेंट्रल लैंड रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट जो विभिन्न राज्यों की आयी है उसमें दिया हुआ है कि एक हैक्टेयर भूमि में कितनी फार्म बिजनेस इन्कम होती है । हमारे प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले को इसके लिये चयन किया गया एक हैक्टेयर में वह 2,255 रुपये की इन्कम आयी है । यानी 15–16 हजार रुपये प्रति वर्ष की हमारी 18 एकड़ इकाई में दो फसली भूमि से इन्कम है । लगभग 1,500 रु0 प्रतिमाह । यह है आधार 10–12 एकड़ सिंचित भूमि एक परिवार को सीलिंग नियत करने के । यह सीलिंग स्वेच्छा से नियत नहीं की गई है वरन् निर्धारण साइन्टिफिक है ।

मान्यवर, एक बात कही गयी कि इस विधेयक में जो चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी उसकी गाइड लाइन्स का उल्लंघन किया गया है और उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया । उसमें कुछ भ्रान्ति है वे गाइड लाइन्स दो प्रकार की है । एक तो इस प्रकार की है कि इस सीमा तक आप सीलिंग कर सकते हैं । दूसरी गाइड लाइन्स एबसोल्यूट नेचर की है । 54 एकड़ तक सीमा बांध दी गयी है । किसी प्रकार की भूमि की सीमा को कोई राज्य इससे अधिक निर्धारित नहीं कर सकता है । हमारे विधेयक में इस गाइड लाइन्स का उल्लंघन नहीं है । मैं उनसे इस बात में जरूर सहमत हूं कि कुछ गाइड लाइन्स का जरूर उल्लंघन हुआ है । उसमें यह कहा गया कि एक परिवार में 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो अधिक भूमि दी जा सकती है । मान्यवर, यह भी हमारे लिये अधिकार प्राप्त है कि इसको हम मानें या न मानें । यह एबसोल्यूट नहीं थी । लेकिन एक गाइड लाइन है कि भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार करें कि दो फसली सिंचित, एक फसली सिंचित और अन्य भूमि, यह एबसोल्यूट है और इसको मानने के लिये हम बाध्य हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया गया है ।

एक बात मान्यवर, यह कही गयी कि यह जो यह 24 जनवरी, 1971 तिथि निश्चित की गयी है इसका कोई औचित्य नही है और कुछ लोगों ने कहा कि यह तिथि होनी चाहिये । 24 जनवरी, 1970 वह तिथि थी जब इसी सदन में महामान्य राज्यपाल महोदय नें जब बी0 के0 डी0 और कांग्रेस को आलीसन मिनिस्ट्री थी अपने अभिभाषण में यह कहा था कि मेरी सरकार 30 एकड़ की सीलिंग लायेगी । 24–1–73 वह तिथि है जब कांग्रेस नें अखिल भारतीय स्तर पर लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में अपना मैनीफैस्टो रिलीज किया था और इसी दिन कहा था कि हम 10 से लेकर 18 एकड़ तक की सीलिंग लायेंगे । इसीलिये इस तिथि को रखा गया है ।

एक बात मान्यवर, यह कही गई कि भूमि पर तो हदबन्दी करने जा रहे हैं लेकिन अरबन प्रापरटी की सीलिंग करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस संबंध में वर्तमान स्थिति से मैं श्रीमन् संतुष्ट हूं । क्या यह सही नहीं है कि इसी सदन में कुछ दिन पहले अरबन प्रापरटी सीलिंग बिल पेश हुआ था और जोत आरोपण का बिल भी पेश हुआ था । एक को हम करने जा रहे हैं और दूसरे के लिये कहा है कि इस अधिवेशन के अगले हिस्से में इस पर विचार करेंगे । एक बात यह है कि लन्ड के संबंध में हमें अधिकार प्राप्त है और हमें अपने विवेक से ला बनाना है । अरबन प्रापर्टी यह संविधान में कांकरेंट लिस्ट में है । केंद्रीय सरकार इसके संबंध में एक सेंट्रल बिल बनाने जा रही है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि जो कांकरेंट विषय है और केंद्रीय सरकार ऐक्ट बनाने जा रही है इसके अलावा हम सबक आमोज हो और अपने प्रदेश के लिये अलग से बिल लायें, तो उनके बिल से भी कुछ सीख लें ।

एक बात यह कही गई और उससे मैं सहमत हूं । यह बात जरूर है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हदबन्दी कानून की इतनी छानबीन की क्या जरूरत है । यह कानून केवल 10% से संबंधित है कि जो कानून बनाया जाये तो उससे संबंधित वर्ग के साथ पूर्ण न्याय करना चाहिये । एक और विचार माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने रखा था उसके मैं पक्ष में हूं । वह यह था कि यह जो जोत सीमा आरोपण विधेयक हम लाये हैं उसका उद्देश्य

कुछ ज्यादा विस्तृत होना चाहिये था यह लैन्ड रिफार्म्स की ओर जाना चाहिये और निश्चित रूप से प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, ऊंची नौकरशाही, और जो हमारे बड़-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस हैं, प्रदेश के अन्दर और जो फार्म्स खोले उनमें से अधिकांश पर भ्रष्टाचार का पैसा, काले धन का पैसा स्थित है, उनको पूर्णतया शून्य कर देने की आवश्यकता है । यह मेरा विचार नहीं है बल्कि रिफार्म्स पर जो नौ सदस्या कमेटी बनी थी, उसके यही विचार हैं, जिन्हें मैं पढ़े देता हूं । वह इस प्रकार है :—

"Given the acute and growing pressure of population, it is necessary to consider whether it will not be justifiable to bar persons with assured non-farm income above a certain level from competing with others, less fortunately placed, for ownership of land that is in such short supply. One way of doing this will be to prohibit directly land ownership by persons with assured incomes above a minimum level from other sources. In such a scheme of action, Rs.12,000 and above a year from occupations that are of a permanent nature might be considered a reasonable disqualification to possess land simply as a piece of property".

श्रीमन्, ये कुछ विचार थे जिनके संबंध में मैंने अपने विचार व्यक्त किये।

जहां तक सीलिंग का संबंध है इसके 2 पौलिटिकल औचित्य हैं । लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के समय कांग्रेस ने इस बात का वायदा किया था और यह उसकी पूर्ति है । दूसरे आप देखें कि प्रदेश की भूमि का जो वितरण है, उसका क्या एस्पैक्ट्स हैं । 80 फीसदी व्यक्ति 5 एकड़ से छोटे किसान हैं । उनके पास केवल 33 प्रतिशत भूमि है और 3.34 व्यक्ति वे हैं जिनके पास 15 एकड़ से अधिक भूमि है । इनके पास 25.5 प्रतिशत भूमि है । तो इस संबंध में दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जो भूमि बटी हुयी है, उसके एस्पेक्ट्स में बहुत इन्ईक्वेलिटी दिखायी पड़ी है।

तीसरा औचित्य जो है वह यह है कि 25 वां अमेंडमेंट संविधान का जब हुआ, उस वक्त यह वायदा किया गया था कि राज्य के जो आर्थिक नीति निदेशक तत्व हैं, उनका कार्यान्वयन किया जायेगा । वह अमेंडमेंट पास हुआ और शायद राज्यों की भी स्वीकृति मिल गयी होगी । तो कांग्रेस शासन का यह ध्येय है कि उन राज्य के आर्थिक निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन में देरी न हो, इसलिये यह लाया गया है । इस प्रकार से इस मेजर का मैं समर्थन करता हूं ।

अब मैं इस विधेयक के प्रारूप पर आता हूं । मान्यवर कानूनसाजी के भी कुछ सिद्धांत हैं । सर्व प्रथम सिद्धांत तो यह है कि कानून बहुत सरल होना चाहिये । मेरी आपत्ति यह है कि प्रस्तुत विधेयक बहुत ही क्लिस्ट भाषा में है । इसका क्या कारण है? भले ही हमारे प्रदेश की राज्य भाषा, औफिशियल लैंगुएज ऐक्ट 1952 में हिन्दी कर दी गयी हो लेकिन सारी सेक्रेटेरियट कानूनसाजी अंग्रेजी में करते हैं लेकिन उसका अनुवाद करने के लिये भाषा विभाग में भेज देते हैं । इस अधिनियम की धारा 8 को आप श्रीमन्, देखें इसका कोई मतलब नहीं निकलता है । मैंने भी जब तक इसकी अंग्रेजी की प्रति को नहीं पढ़ा इसका कोई मतलब नहीं निकाल पाया ।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कानून बहुत सरल और शीशे की तरह साफ होना चाहिये ताकि उसमें समझने में कोई दिक्कत न हो और मुकदमाबाजी की कोई गुंजाइश न हो ।

मान्यवर, इस विधेयक के दो फलकरम हैं । एक सिंचित भूमि और दूसरे परिवार श्रीमन् सिंचित भूमि की परिभाषा प्रतिनिहित विधायन को सौंप दी है । मान्यवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भी कुछ सिद्धांत हैं जिसकी पुष्टि में केस-ला भी कोट करूंगा । आप जानते हैं कि प्रदेश की प्रतिनिहित विधायन समिति और केंद्र की प्रतिनिहित विधायन समिति ने बराबर कहा है कि लेजिस्लेचर

[श्री शिवराज सिंह]

एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंकशन्स शासन डेलीगेट नहीं कर सकते, आवश्यक विधायी कृतियों के अपने कर्त्तव्यों को यदि हम डेलीगेट करें तो लेजिस्लेचर अपने अधिकार छोड़ता है इस संबंध में कोट करूंगा कि "इन रि0 देल्ही ला ऐक्ट, 1912 सुप्रीम कोर्ट'

इस विधेयक में आप श्रीमन्, देखें खंड 3 के उपखंड 11 के अन्दर उन्होंने कह दिया सिंचित भूमि की परिभाषा नियमों से निश्चित की जायगी। वह निश्चित रूप से इसी विधेयक के अन्दर तय होना चाहिये और श्रीमन् यहां मतलब यह है कि सिंचित भूमि में केवल श्रीमन् निजी नलकूप व नलकूप चाहे परिवारों के हों या न हों शामिल किये जायेंगे। मान्यवर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इस प्रदेश में हर बार चकबन्दी हुई है। मेरा खेत आपके खेत के पास हो तो मेरा आपके कुयें के पानी पर क्या हक होगा, अपनी स्वेच्छा के ऊपर है। आप पानी दें क्या मेरे आपके ताल्लुक पर मुनहसिर नहीं करता आप पानी दें न दें कि गत पंचायतों के आम चुनाव में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया था कि 73 आदमी मारे गये थे और 1300 जख्मी हुए और इस प्रकार के मामलें आये दिन होते रहते हैं। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि अगर कभी नलकूप खुद खराब हो जाय आपकी आवश्यकता नहीं है आप कुछ नहीं करेंगे। आपका आर्थिक बसन हो तो आप मरम्मत नहीं करेंगे। आपके कुयें पर मेरा कोई आर्थिक लियन (अधिकार) पानी पाने का नहीं है। श्रीमन्, उसको इस सिंचित की परिभाषा में से निकाल देनी चाहिये।

मान्यवर, फिर यह कहा गया है कि इसको निर्धारित करेंगे आपके एस0डी0ओ0 मान्यवर, एस0डी0ओज0 कौन हैं इस प्रदेश के वे शिक्षित लोग जो अधिकांश शहर से आते हैं जिनकी जानकरी गांव और खेत के संबंध में श्रीमन् शून्य के बराबर है तो मेरी आपत्ति यह है कि इस प्रदेश में कृषि विभाग के सिफारिशों के अनुसार बहुत से किसान बरसात में सन हरी खाद के लिये बरसात शुरू होते ही बो देते हैं। और कुछ दिनों बाद पलट देते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और भूमि में ह्यूमस बढ़ जाने के कारण बरसात के पानी अबजार्ब करने की शक्ति बढ़ती है और अगली फसल को पानी की कम जरूरत पड़ती है। इसके बाद किसान रबी की फसल बो देता है गेहूं इत्यादि। इस प्रकार साल में फसलें तो दो बोई जाती हैं परन्तु काटी एक ही जाती है। अतः श्रीमन मेरा अनुरोध है कि जब सब खाद के लिये बोयी जाय तो उसे एक फसल नहीं गिनना चाहिये और जो फसल पकाकर काटने की दृष्टि से बोयी जाय केवल उसे ही गिनना चाहिये। उपरोक्त तर्क से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि परिभाषा में 'बोयी गयी' के स्थान पर "पैदा की जाती है" रखना उपयुक्त होगा।

मान्यवर, मेरे पास 1960 का लैन्ड सीलिंग ऐक्ट मौजूद है। उसके अन्दर बहुत सी एग्जैम्प्शन्स हैं और इसमें सेक्शन 6 से लेकर 8 में यह वर्णित है। उनका आधार क्या था? उनमें केवल रेशनेल बयान कर दिया और वह प्रदेश जहां लागू हुआ उनको एग्जेम्प्शन मिल गया। सन् 60 के सीलिंग अधिनियम के अन्दर एरियावाइज कोई छूट नहीं था यह एक नया विस्तृत लूप खोल दिया है जिसके कारण ऐक्ट की मंशा ही खत्म हो जायेगी। 4 (2) में से हम इस ऐक्ट की मंशा को खत्म कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि एरियावाइज एग्जेम्प्शन को न रखा जाय या उसका रेशनेल लिखा जाय। मान्यवर, अतिरिक्त भूमि जो बचेगी उसका वितरण माननीय मंत्री जी इस कानून के द्वारा किस प्रकार करेंगे। इस कानून के पास होने के पश्चात् अतिरिक्त भूमि पर पहला चार्ज खेतिहर मजदूरों का नहीं होगा उस पर पहला चार्ज होगा गांव सभा का यदि उसके पास सामूहिक प्रयोग के लिये पंद्रह एकड़ से कम भूमि हो। मान्यवर, मेरी आपत्ति यह है कि कृषि उत्पादन में इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की इस इज्जत का सवाल बना हुआ है।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कैबिनेट स्तर का कोई मिनिस्टर यहां नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके लिये मैंने इजाजत दी है ।

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, जिस भूमि पर जो खेती हो रही है और अन्न उपज रहा है इस कानून के निफाज के बाद उस भूमि पर गल्ला ही पैदा होना चाहिये। 25वीं धाराओं के अनुसार उसको एक्वायर करके मिसाल के लिये इन्स्पेक्शन हाउस बना सकते हैं और कोई दूसरा काम भी करा सकते है । इसलिये मेरा निवेदन है कि पिछले ऐक्ट की धारा 25, 26, 27 इन सबको निकाल दिया जाय और स्पष्ट रूप से लिखा जाय कि जो अतिरिक्त भूमि मिलेगी उसका वितरण केवल खेती के लिये ही किया जायेगा । अब प्रश्न यह होता है कि किन हरिजनों को भूमि दी जाय । मान्यवर, इसका वितरण इस प्रकार हो कि राष्ट्र का फायदा अवश्य हो । मेरे विचार में जहां राष्ट्र का फायदा हो वहां पार्टी के फायदे को भूल जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि अतिरिक्त भूमि अलाभकर जोतों को दिया जाना चाहिये निश्चित रूप से और हरिजनों में उनको दिया जाना चाहिये जिनके पास अलाभकर जोत हो । दुनियां के सभी प्रगतिशील देश इस चेष्टा में है कि खेती पर से बोझा हटाया जाय । जापान अमेरिका की बहुत बात कही जाती है । वहां पर कृषकों की संख्या उत्तरोत्तर घट रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

संक्षेप में कहिये ।

श्री शिवराज सिंह--

जिस तरह से आपने पंद्रह अगस्त के बाद छूट निजी नलकूपों के निर्माताओं को दी है और उसे राष्ट्रीय हित में किया गया है। उसी प्रकार की छूट आज प्रदेश के अन्दर सिंचित एक फसली भूमि को, जो कल दुफस्ला हो जाय, मिलनी चाहिये । जिस भूमि पर आज एक फस्ली खेती हो रही है उस पर नये आविष्कारों के द्वारा दुफस्ला खेती हो इसलिये उनको यह छूट देना राष्ट्रहित के लिये आवश्यक है ।

अन्त में एक बात बागों के संबंध में कहना चाहता हूं । राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रदेश के अन्दर जंगलात 33 प्रतिशत होना चाहिये । उत्तर प्रदेश में केवल 16.3 प्रतिशत हैं । प्लेन्स में केवल 8.4 प्रतिशत है । जहां 20 प्रतिशत होना चाहिये । पहाड़ में 54 प्रतिशत है जहां कि 60 प्रतिशत होना चाहिये । हमारे यहां पेड़ों की आबादी बहुत कम है इसलिये कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये कि और कम हो जायं । इसलिये बागों के संबंध में कुछ बढ़ा सकें तो उचित होगा ।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं । जहां परिवार में पांच से अधिक संख्या है, जैसी कि सेंट्रल गाइड लाइन के अन्दर एक एब्सोल्यूट गाइडलाइन है, वहां पर अतिरिक्त भूमि मिलनी चाहिये और जहां परिवार में वयस्क पुत्र के पास दो हैक्टेयर से कम जमीन है, क्योंकि दो हैक्टेयर आप उसे दे रहे हैं, उसको दो हैक्टेयर पूरी कर देनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध और विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री उमाकांत बाजपेयी । दस मिनट बोलें ।

*श्री उमाकांत बाजपेयी--

कम से कम 15 मिनट तो दे दें ।

*श्री उपाध्यक्ष--

संक्षेप में बोलिये ।

*श्री उमाकांत बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया । मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, सभी यह जानते हैं कि भूमि की कई प्रकार की किस्में होती हैं और सरकारी कागजात में भी फर्स्ट, दोयम, बलुई, दुमठ, मटियार आदि किस्में लिखी रहती हैं । दुमठ और बलुई भले ही सिंचित हों लेकिन उनकी उपज में जमीन आसमान का अन्तर होता है । शहर के करीब की जमीन और 30-40 मील दूर की जमीन की कीमत में अन्तर होता है । इसलिये किसी काश्तकार को 18 एकड़ जमीन देकर आप सम्पन्न बना देंगे और किसी को 18 एकड़ देकर गरीब बना देंगे । यदि आप भूमि की सीमा निश्चित ही करना चाहते हैं तो उसे एकड़ या हैक्टेयर पर न करके उसकी आमदनी और कीमत के आधार पर निश्चित कीजिये । इसके लिये यह उचित होगा कि माननीय मंत्री जी खेती के विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त कर दें और वह निश्चित करे कि किस प्रकार की भूमि सीमा होनी चाहिये ।

जमीन की उपज और जमीन की किस्म देखना बहुत आवश्यक है । यदि इसको नहीं देखा गया और ऐसे ही कर दिया गया तो बहुत से काश्तकार आपकी सीलिंग के अनुसार जमीन पाकर भी गरीब हो जायेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकेंगे । इसलिये आवश्यक है कि जमीन की सीमा निश्चित करते समय आपको जमीन की पैदावार और जमीन का बाजार मूल्य भी देखना चाहिये, न कि एकड़ या हैक्टेयर के हिसाब से निश्चित कर देना चाहिये । दूसरी बात मान्यवर, बड़ी आवश्यक है । भूमि की सीमा निश्चित करने से पहले आप एक बार लगान को दोहरा लें । आपने कहा है कि भूमि की सीमा हम उसको मानेंगे जो 6 रु0 लगान देता है । मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम फिर से जमीन का सेटिलमेंट करेंगे जो सर्किल रेट होगा उसी के आधार पर लगान निश्चित करेंगे । यही नहीं जो भूमि की हैसियत है कितनी उपजाऊ है और क्या कीमत है इसके हिसाब से पहले आप निश्चित कर लें फिर निर्धारित करें । यह अच्छा होगा । आप शहरी सम्पत्ति की सीमा 5 लाख रुपया निर्धारित कर रहे हैं और देहात में खेती करने वालों के लिये यह कहीं पर 50 हजार, कहीं पर 75 हजार है । इस प्रकार से देहात वालों पर बड़ा भारी अन्याय हो रहा है । इसके माने तो यह हैं कि वह अपने भरणपोषण के लिये दूसरे धंधों को खोजें । मैं चाहता हूं कि भूमि और खेती के विकास के लिये जो आपने शहरी सम्पत्ति की सीमा निश्चित की है उसी आधार पर आप देहाती सम्पत्ति की सीमा भी निर्धारित करें । 19,20 का अन्तर तो हो सकता है लेकिन 10 गुने या 20 गुने का अन्तर न्याय नहीं होगा । यह अन्तर बढ़ता ही जा रहा है । आप एक ही आधार पर इसको करें तो न्याय न होगा अन्यथा न्याय नहीं हो सकता है । आप यह तय करें कि किस हिसाब से किसी जमीन का सीमांकन किया जाय ।

[इस समय 2 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए ।]

आपने यमुना जी के इस पार और उस पार की जमीन की 16 किलोमीटर भूमि को छोड़ दिया है । क्या हमारे प्रदेश में और नदियां नहीं हैं ? क्या वे नुकसान नहीं करती हैं और क्या उनकी बलुई जमीन किनारे की नहीं होती । मेरा यह विचार है कि और नदियों के किनारें 10, 12 किलोमीटर तक भूमि बलुई होती है । यमुना जी को तो लिया लेकिन गंगा जी भी हैं वहां भी बलुई जमीन है । अन्य नदियों को इग्नोर करना न्याय संगत नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा जा सकता है । उनको भी इससे मुक्त करें । जिस जिले से आप जीत कर आये हैं वहां यमुना नदी है और आपने 16 किलोमीटर वहां तो छोड़ दिया अन्य नदियां इग्नोर हो गयीं। आप इस बिल के द्वारा लोगों को और अधिक गरीब बना रहे हैं, उनकी स्थिति को खराब कर रहे हैं । आप जानबूझ कर एक वर्ग विशेष के साथ पक्षपात कर रहे हैं और दूसरे वर्ग की उपेक्षा कर रहे हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, कल की बात है कि बेगम साहिबा कह रही थीं कि महिलाओं को भी उनके अधिकार मिलने चाहिये । जब आपने यह निश्चित कर दिया है कि ये भी पुरुषों के बराबर हैं तब उनको भी उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिये । जिस प्रकार से उनके पति को हिस्सा मिलता है उनको भी हक मिलना जरूरी है । उनको बराबर का अधिकार प्राप्त है तो बराबर का हक भी मिलना चाहिये । अगर कोई पति किसी को तलाक दे देता है तो वह स्त्री बिना जमीन के ही रह जायेगी । उसको अपने भरणपोषण के लिये उस समय क्या कुछ नहीं चाहिये ? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा, आपने पुत्र के लिये तो स्थान रख दिया । कानून में पुत्र के बराबर ही पुत्रियों को भी बराबर का माना गया है और उसमें उनको भी बराबर का अधिकार है। आप उसे बंचित कर रहे हैं । तो इस प्रकार आप महिलाओं को उनके अधिकारों से बंचित कर रहे हैं । यह बड़ा भारी अन्याय होगा।

आप महिलाओं को, पुत्रों को और पुत्रियों को बराबर के अधिकार दें ताकि वे भी उसी प्रकार अपना भरण पोषण कर सकें जिस प्रकार से कि पुरुष करते हैं । बहुत सी ऐसी भी स्त्रियां जिन्हें परिवार के अन्तर्गत मान लिया है । मान लीजिये किसी की बहन विधवा हो गयी । आप उसे जमीन नहीं देते हैं । आप उसे जमीन नहीं देते हैं । अगर उसकी भाई या परिवार वालों से पटती नहीं है या उसके परिवार वाले उसका ठीक से भरण पोषण नहीं करते हैं तो क्या यह मानी हुयी बात नहीं है कि वह कष्ट उठायेगी और दूसरों के आश्रित होकर वह अपना भरण पोषण नहीं कर सकेगी । सभी प्रकार से देखने से यह उचित मालूम होता है कि जिस प्रकार से कि स्त्रियों को हर बात में बराबर का अधिकार मिलता चला आ रहा है उसी प्रकार से भूमि में भी मिले। जैसे 18 व 27 एकड़ की सीलिंग पुरुष के लिय रखी गयी है उसी प्रकार से स्त्रियों को भी मिलनी चाहिये ताकि वे अपना भरण पोषण कर सकें, विशेषकर पुत्रियों को । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, 2 मिनट का समय और दे दें ।

मुख्य बात यह है कि उनको बराबर का अधिकार मिले । आप यमुना के किनारे 16 किलोमीटर जमीन छोड़ते हैं। फिर आप सभी नदियों के किनारे क्यों नहीं जमीन छोड़ते हैं ? यही मेरा निवेदन था । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर यहां से 3 बोलें तो उधर से 4 बोलें ऐसा तय हुआ था।

श्री अधिष्ठाता—

उन्हीं निर्देशनों के अनुसार कार्य कर रहा हूं। वे अभी आ जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे । उन्हें तो काफी समय मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो यही क्रम चलना है, इसे चलने दें।

*श्री राम सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के अगर उद्देश्यों और कारणों को हम पढ़ें तो उस शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है जो कि हमारे विरोधी पक्ष के मननीय सदस्यों ने सरकार की ओर पार्टी की नीयत पर किया है। मान्यवर, उद्देश्य और कारणों में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि संविधान की धारा 39 (क) (ख) के अन्तर्गत जो नीति दर्शायी गयी है उसका पालन करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हमारे समाज के किसी तब्के में सम्पत्ति का ऐसा केंद्रीकरण न हो जाये जिससे कि वह समुचित लाभ-सामूहिक हित के लिये इस्तेमाल न हो सके। उसको समाप्त करने के लिये इस बात की आवश्यकता समझी गयी है कि सीलिंग का यह विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

आप 10 मिनट बोलेंगे।

श्री राम सिंह—

जहां तक शहरी सम्पत्ति की सीलिंग की बात है उसका विधयक भी सदन में प्रस्तुत है। उसके ऊपर भी हम विचार करेंगें। उसकी सीलिंग को भी पारित करने का आश्वासन मुख्य मंत्री जी की तरफ से इस सदन में आ चुका है। मैं एक बात यह कहना चाहता कि इस बात की बड़ी चर्चा है कि आखिर काश्तकार के ऊपर सीलिंग क्यों लगायी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत काश्तकार ऐसे होंगे जो इस विधेयक से प्रभावित होंगे? काश्तकारों के नाम पर इस बात की दुहाई दी जाती है कि हम सीलिंग को न लायें। पूरे प्रदेश के काश्तकारों को मैं 5 श्रेणियों में विभाजित करता हूं। यह बात मैं सरकारी आकड़ों के आधार पर ही कहता हूं। सबसे पहले जो अभावग्रस्त काश्तकार है वह इस प्रदेश में काश्तकारों की कुल संख्या का 40 प्रतिशत है।

दूसरे श्रेणी के काश्तकार छोटे काश्तकार हैं उनका प्रतिशत 30 है और तीसरी श्रेणी में वह काश्तकार आते हैं जिनका प्रतिशत 15 है। इस प्रकार इन तीनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 85 प्रतिशत काश्तकार कुल काश्तकारों की संख्या के हैं। इन काश्तकारों के पास इस प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का 33 प्रतिशत भूमि है। अब जो दो श्रेणियां बचतीं हैं उनमें एक तो बहुत बड़े काश्तकार और दूसरे बड़े काश्तकार जिनका प्रतिशत क्रमशः 1 और 14 प्रतिशत हैं। तो 15 प्रतिशत ऐसे काश्तकार हैं जिनके इन्टरेस्ट पर विचार करने के लिए आज हममें से कुछ लोग दुहाई देते हैं कि सीलिंग नहीं होनी चाहिए। 85 प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं जिनके हित में इस सीलिंग के होने न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब से माननीय चौधरी चरण सिंह ने इस बात की घोषणा की है कि 30 एकड़ की सीलिंग का बिल लायेंगे तब से लेकर 24 जनवरी, 1971 तक सीलिंग से बचने के लिए पट्टे करा लिए गये हैं और सीलिंग से बच गये इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि सीलिंग से काश्तकार को बहुत परेशानी होगी, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं।

दूसरी बात यह है कि जो सम्पत्ति बचेगी उसका वितरण कैसे होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भूमिहीनों को सम्पत्ति देने से क्या लाभ होगा। मेरी मान्यता यह है कि सम्पत्ति समाज में किसी के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक आवश्यक चीज है। अगर किसी के पास सम्पत्ति है तो उस के हो जाने की वजह से उसको समाज में किसी ऊंचा स्तर, ऊंचा स्थान मिल जाता है। भूमिहीन व्यक्ति चाहे वह किसी बिरादरी का हो, यह जरूरी नहीं कि वह हरिजन हो, किसी भी बिरादरी का हो उसका स्तर समाज में उतना ऊंचा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो सकता बनिस्बत उस व्यक्ति के जिसके पास कुछ न कुछ जमीन है, जायदाद है और कमाने के साधन जिसके पास हैं।

एक दलील यह भी दी गयी है कि इस विधेयक के पारित करने से हमारे खेती का उत्पादन घट जायगा। मैं उस दलील को इसलिए नहीं मानता क्योंकि यह देश जैसा कि हम सभी मानते हैं गरीब देश है और यहां छोटी आराजियां बहुत ज्यादा हैं लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके परिणामों को देखेंगे तो उससे विदित होगा कि हमारा प्रोडक्शन बिलकुल नहीं घटेगा। जमींदारी उन्मूलन के बाद जिन लोगों ने बहुत बड़ी जायदादों को निजी तरीके से कब्जा कर रखा था तो जहां पैदावार नहीं होती थी उनके कब्जे में आ जाने के बाद उसकी पैदावार बढ़ी।

सन् 1960 की सीलिंग के कानून के बाद से जो स्थिति हुई है उसके कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा कि पैदावार बराबर बढ़ती गयी है, घटी नहीं है। अगर पैदावार घटी होती तो सीलिंग के करने से 61 के बाद हमारी पैदावार घटनी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास 65-66 से 70-71 तक के आंकड़े हैं। 71-72 के आंकड़े नहीं हैं। 65-66 में सीलिंग ऐक्ट लागू होने के बाद हमारे यहां 132.91 लाख मीट्रिक टन अन्य उत्पन्न हुआ और 70-71 में 193-65 लाख मीट्रिक टन। यानी सीलिंग हो जाने के बाद 61.74 लाख मीट्रिक टन ज्यादा अन्न का उत्पादन हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग यह दलील देते हैं कि सीलिंग ऐक्ट के पारित होने के कारण हमारे देश में अन्न की पैदावार घटेगी, मैं उसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो छोटे काश्तकार हैं ये अपनी हैसियत के मुताबिक और अपने सीमित साधनों के मुताबिक अधिक अन्न उत्पादन करते हैं और अधिक पैदा करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारा अन्न सरप्लस न हो लेकिन इस बात की कोई आशंका नहीं है कि हमारी पैदावार कम हो जायगी।

इन दोनों बातों के अतिरिक्त, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत कुछ छूट आपने इस प्रकार की दी हैं जो आपको नहीं देना चाहिए थी। आपने डिग्री और इण्टरमीडिएट कालेजों के सम्बन्ध में छूट दी है। हमने लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक किसी भी शख्स के लिए जिसको इस कार्य के लिए जमीन की आवश्यकता होगी उसके लिए जमीन एक्वायर करने का अधिकार आपको दे रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस प्राविधान के कारण लाभ उठायेंगे और कुछ जमीन इस नाम पर अपने पास रख लेगा।

इसके अतिरिक्त भूदान समिति के द्वारा मिली जमीन को एग्जेम्प्ट किया है तो मैं उसको उचित नहीं समझता क्योंकि हमें भूदान के अन्तर्गत जितनी जमीन मिली वह भूमिहीनों को नहीं मिली है बल्कि यह हुआ कि जिसकी भूमि थी उसने प्रदर्शन करने के लिए, अपने को दाता दिखलाने के लिए जमीन भूदान समिति को दे दी लेकिन वह भूमि अपने ही कब्जे में रखी।

मान्यवर, बागात के सम्बन्ध में चर्चा की गयी और एक संशोधन भी रखा गया है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। कृषि से बाग की तुलना नहीं की जा सकती। कृषि के ऊपर इंवेस्टमेंट करना पड़ता है और 24 घंटे रखवाली करनी पड़ती है। अगर कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखें तो बाग वाले को ज्यादा आमदनी होती है बनिस्बत कृषि के। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इससे बागात कट जायेंगे तो उसके लिए कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया जा सकता है। दो के बजाय तीन की बात करते हैं तो वह नहीं होना चाहिए। जो प्राविधिक है वह भी मेरी नजर में अधिक है। लेकिन इससे अधिक बढ़ाने की बात नहीं की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री राम सिंह—

जो छूट इस विधेयक में दी गयी है उनको समाप्त किया जाय। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री गोविन्द सिंह नेगी के पुकारे जाने पर)

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

यह जो विधेयक प्रस्तुत है उसके बारे में हम अपना दृष्टिकोण रखना चाहते थे और हम चाहते थे कि साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा हदबन्दी न हो। चार दिन में हमारी पार्टी का एक सदस्य बोला है। यह अन्याय हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी मजबूरी है कि एक समय में एक ही सदस्य को बुला सकता हूं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इसके विरोध में मैं वाक-आउट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

नेगी जी पांच मिनट बोल लें। उनके बाद आपको ही समय दिया जायगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, हमेशा से यह मांग रही है कि जोतने वाले को भूमि मिलेगी। जब देश आजाद हुआ तो सोशलिज्म के नाम पर या समाजवाद के नाम पर बहुत कुछ कहा गया जिसका नतीजा यह निकला कि 1960-61 में सोलहवां नेशनल सर्वे हुआ। उसकी फाइंडिंग यह है कि दो एकड़ से कम वाले जो किसान हैं वह कुल किसान परिवार के 60 प्रतिशत हैं और उनके पास कुल कृषि योग्य भूमि का 7 परसेंट है। जो 25 एकड़ से अधिक वाले वह कुल किसान परिवारों का 3.5 परसेंट है और वह कुल कृषि योग्य भूमि का 30 परसेंट दबाये हुए हैं। आपने जब लैन्ड सीलिंग ऐक्ट पास किया था तो कहा था कि 9 लाख एकड़ जमीन मिलेगी लेकिन आज आप कहते हैं कि केवल ढाई लाख एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। बाकी जमीन कहां गयी? मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि नैनीताल तराई में जायं। वहां तमाम हुक्मरानों ने जिनकी वहां पोस्टिंग हुई, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने अपने बड़े-बड़े फार्म बना लिये। जो कांग्रेस के नेता हैं उनके वहां बड़े-बड़े फार्म्स हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि यह उनके ऊपर हाथ लगा सकें।

दूसरी चीज, मान्यवर, आज आप प्रदेश की जनता के साथ मजाक करना चाहते हैं। आप लागू कर रहे हैं इस कानून को 1 जनवरी से। शर्मा जी ने अपने भाषण में कहा था कि जनवरी, 1971 इसलिए रख रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह है। लेकिन बंगलौर का सम्मेलन कब हुआ था जब इन्दिरा जी का 10 सूत्रीय कार्यक्रम रखा गया था और यह था कि हदबन्दी की सीमा कम कर दी जायगी, क्यों भूल जाते हैं, यह 1970 की बात को?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पांडेय—

इनको याद दिला रहा हूं कि 3 परसेंट इंडीकेट में घुस करके 97 फीसदी की भावनाओं पर दबाव दे दिया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

तो जनवरी, 1970 से 1971 पर आ गये और यह धोखा होगा यह कहना कि जनवरी, 71 की डेट सही डेट है। इस बिल के अन्दर तो ऐसे प्राविधान मौजूद हैं कि अब भी जो ट्रांस्फर्स होंगे उनको अथाराइज करेंगे। धारा 5 (ख) में देखेंगे कि "कोई अन्तरण जो नियत प्राधिकारी के सन्तोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिए किया गया सिद्ध हो..." तो इसको आज भी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। माननीय शर्मा जी, समाजवाद की, मजदूरों की बात बहुत सुन्दर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास जमीन कितनी है? इस कानून के पास होने के बाद कितने एकड़ जमीन उपलब्ध होगी जोकि हरिजनों को उपलब्ध हो सकेगी? जिनको बांटनी थी वह तो बांट चुके। जिस दिन कांग्रेस के अधिवेशन के अन्दर घोषणा की थी, सीलिंग की बात कही थी उस दिन बंट गयी। जिस दिन चौधरी चरण सिंह ने फरवरी, 1970 में घोषणा की थी उसी समय जमीन बंट गयी। आज प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कानून ला रहे हैं—

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त । 5 मिनट हो चुके ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अच्छा एक मिनट और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट और ले लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बागों के बारे में यह कहना है कि आप चाय के बगीचों को छूट दे रहे हैं, न केवल रोप एरिया की बल्कि उसकी भी जोकि विकास के लिए रखी गयी हो। देहरादून में चाय के बगीचे कट चुके हैं उनकी जगह पर खेती की जा रही है, लेकिन चूंकि सीलिंग में एग्जेम्प्ट कर दिये गये थे, आज उनको आप नहीं ले सकते। आज पिथौरागढ़ में चाय के बगीचे के फार्म मौजूद हैं। कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो करें कि जिस दिन इस क्षेत्र में चाय के बगीचे नहीं रहेंगे वह इस विधेयक में लिया जायगा।

धन्यवाद ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपको केवल 5 मिनट बोलना है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

यह जो विधेयक राजस्व मन्त्री जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि इस बिल में पचासों ऐसे बिल हैं जिससे बड़ी जमीन वाले चूहे अलग-अलग छेदों से निकल कर अपना काम करेंगे जमीन की चोरी करेंगे। जमीन के बटवारे के सिद्धान्त में तो यह होना चाहिए कि जमीन को जो अपने हाथ से जोते बोये उसी आदमी को जमीन के रखने का अधिकार है। तो जैसी मंत्री जी ने अपने इस विधेयक में यह परिभाषा दी है कि एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

नाबालिग बच्चे मिलाकर एक परिवार होगा तो जब एक आदमी है केवल, तो एक आदमी एक हल के नीचे कितनी जमीन रख सकता है ? ज्यादा से ज्यादा साढ़े बारह एकड़, 20 बीघे से ज्यादा जमीन एक हल के अन्दर नहीं जोती जा सकती। तो जब एक परिवार को सीमा बांधकर जमीन दे रहे हैं तो साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा किसी को जमीन नहीं रखने देना चाहिए ।

(इस समय 3 बजकर 19 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, नई कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपना ढिंढोरा पीटा कि 10 एकड़ सीलिंग करेंगे। भूमि की सीमा बांधेंगे। इन्दिरा रानी का रोज रेडियो बोलता है कि 10 से 18 एकड़ भूमि की सीलिंग करेंगे, लेकिन आज जो इन्होंने मन्त्री जी ने सीलिंग का विधेयक पेश किया है वह 18 एकड़ से भी ऊपर है। उसमें भी उन्होंने सिंचित और असिंचित जमीन का भेद कर के डेढ़ गुना, दो गुना और ढाई गुना करते हैं जिसका नतीजा यह होगा कि इस प्रदेश में 33 एकड़ तक सिंचित जमीन एक परिवार रख सकेगा, असिंचित करीब 50 एकड़ और ऊसर जमीन करीब 82 एकड़ तक रख सकेगा। यह कौन सी सीलिंग है? हदबन्दी हैं अभी तक तो था कि 40 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी, अब आप 33 एकड़ कर रहे हैं।

इस सीलिंग से गरीब आदमी को भूमिहीन व हरिजनों को और जो अपने हाथ से किसानी करता है कोई फायदा नहीं होगा। मन्त्री जी ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिख रखा है कि कतिपय खातेदारों ने कुछ विमुक्तियों का दुरुपयोग किया है। यानी जो पिछला विधेयक सन् 60 का भूमि हदबन्दी वाला था उसमें बहुत से लोगों ने गड़बड़ी कर दी है इसलिए इस विधेयक को पेश कर रहे हैं। तो जब उन्होंने गड़बड़ी कर दी है और उसके सुधार के लिए यह विधेयक पेश कर रहे हैं तो इस विधेयक को सन् 60 से लागू करना चाहिए। तभी बीच की गड़बड़ी दूर होगी। इन्होंने 9 मई, 72 को जो विधेयक पेश किया था उस समय यह कहा था कि 17, 18 मई, तक इसको पास कर देंगे लेकिन उस के बाद विधान सभा को उठा दिया और आज 8 महीने के बाद यह बिल लाये हैं। इस बीच में जितने बड़े जमीन वाले लोग थे उन्होंने अपनी जमीनों का दूसरों के नाम बैनामा कर दिया।

आज हमारे इस उत्तर प्रदेश में हजारों एकड़ के बड़े-बड़े फार्म हैं। उनको ये छूट देने जा रहे हैं। ये बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर और बनारस में विशेष छूट देने जा रहे हैं। तो बुन्देलखण्ड माननीय राजस्व मन्त्री जी का इलाका है, मिर्जापुर माननीय मुख्य मन्त्री जी के बेटे का इलाका है, और बनारस मुख्य मन्त्री जी का इलाका है। इन इलाकों में ये हदबन्दी में छूट दे कर उनकी सारी जमीनें को बचाना चाहते हैं। मिर्जापुर में एक बहुत बड़ा करीब 10 हजार एकड़ का गोपालपुर फार्म है, माननीय मुख्य मन्त्री जी का है। उसको भी कोआपरेटिव सोसायटी के फार्म के नाम पर बचा देंगे। और भी वहां पर मुख्य मन्त्री जी के फार्म्स हैं ।

इस देश में बिड़ला ऐसे सेठ के पास करीब 50 हजार एकड़ जमीन है। हमारा यह कहना है कि जमीन उसी को मिलनी चाहिए जो अपने हाथ से उसको जोत बो सके। आज एक आदमी शहर में रह कर सोने चांदी की दुकान करता है और गांव में उसका एक बहुत बड़ी जमीन का फार्म है। दूसरा आदमी सरकारी अफसर है लेकिन गांव में भी उसका एक फार्म है। हमारा यह कहना है कि जो व्यापारी या अधिकारी जमीन पर अपने हाथ से खेती करते उनसे जमीन छीन लेनी चाहिये और उस आदमी को देनी चाहिये जो अपने हाथ से जोते और उससे उत्पादन करे। यहां जितने भी नई कांग्रेस के विधायक या मिनिस्टर हैं वे बड़े-बड़े संशोधन इसमें ला रहे हैं। एक संशोधन यह दे दिया कि 9 मई, 72 रख दिया जाय। एक संशोधन में यह कहा गया है कि हर बालिग लड़के को 18 एकड़ जमीन दे दी जाय। इससे इन लोगों के इरादे को आप समझ लें कि ये कितने

प्रतिक्रियावादी है। ये इतने रद्दी विधेयक को भी ठीक से स्वीकार नहीं करते। जो यह विधेयक इन्होंने पेश किया है वह जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। इससे गरीबों, हरिजनों और भूमिहीनों को भूमि कतई नहीं मिल सकेगी ऐसे गरीबी नहीं मिटेगी।

जब तक विधेयक में हमारा यह संशोधन नहीं जोड़ा जाता कि यह विधेयक, सन् 1960 से लागू माना जायगा, जब तक इसमें यह संशोधन नहीं जोड़ा जाता है जमीन उसी को मिलेगी उसी के पास रहने दी जायगी जो जीतेगा, जब तक इसमें यह संशोधन नहीं किया जाता कि किसी के पास साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रहेगी तब तक प्रदेश की उन्नति होने वाली नहीं है और यदि यह हमारे संशोधन नहीं किये जाते तो यह विधेयक किसानों को धोखे में डालने वाला विधेयक होगा। इसलिए यदि वास्तव में मन्त्री जी आप प्रदेश के गरीबों को भूमिहीनों को हरिजनों को भूमि कुछ देना चाहते हैं तो बात को स्वीकार कीजिये। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय क्योंकि यह बहुत लेट हो चुका है। मेरे सुझावों के सहित इसे तो आज ही पास हो जाना चाहिए। मैं प्रवर समिति में इसको भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा बोलने के लिए समय मांगने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। कांग्रेस (संगठन) को अभी मैंने समय नहीं दिया है, छांगुर राम जी, आप 5 मिनट बोलेंगे। परिहार जी, फिर जैसा समय होगा उसी के अनुसार समय दूंगा।

(व्यवधान)

*श्री छांगुर राम—

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल सदन में पेश नहीं हुआ था तो प्रदेश की जनता यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक थी कि जाने किस तरह से जमीन का बटवारा होगा। जमीन के बटवारे की समस्या हमारे प्रदेश और देश की सबसे बड़ी समस्या बन गयी थी। इस सदन में जब भी माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इस बात को कहते हैं। कि जमीन उनको मिलना चाहिए जो जमीन पर काम करते हैं, लेकिन आज तक इसके लिए विधेयक नहीं लाया गया और नतीजा यह हुआ कि देश में एक कोहराम सा मच गया। जब लोगों ने देखा कि सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य कोई कानून जानने वाले नहीं हैं तो उन्होंने अपना संगठन बनाकर जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देश में कोहराम मच गया। कोई उसको नक्सलवादी आन्दोलन कहने लगा, कोई उसको चीन समर्थक आन्दोलन कहने लगा। पिछले चुनाव में हमने देखा कि वह दल जो देश में एक सब से बड़ा दल था, वह दो हिस्सों में बट गया। उसी में से एक दल ने गरीबों के साथ हाथ मिलाया। गरीबों को यह आश्वासन दिया गया कि हम जोतने का बटवारा करेंगे, तुम को जमीन देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस विधेयक के सम्बन्ध में भी कुछ कहेंगे या जनरल भाषण ही देंगे।

श्री छांगुर राम—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही बताना चाहता हूं कि जिन गरीबों ने चुनाव के समय आपका साथ दिया यह जो पूरा बिल हमारे सामने पेश है, उससे क्या गरीबों को कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। कहीं भी उसमें नहीं लिखा हुआ है कि जो आदमी जमीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर काम करता है, उसको कितनी जमीन मिलेगी। लिखा यह है कि जिसके पास जमीन है उसकी सुरक्षा की जायगी, उसी की सुरक्षा की गई है, इसमें यही कहा गया है कि जिसके पास जमीन है, जो जमीन का मालिक है, वह अधिक से अधिक इतनी जमीन अपने पास रख सकता है। उसको सुरक्षा जमीन रखने की प्रदान की गई है। निगम, कम्पनी और कालेजों को इसमें विशेष छूट दी गई है एवं सिंचाई और परिवार की परिभाषा करके गोलमाल की बात की गई है।

इस बिल में केवल ऐसे लोगों की सुरक्षा है, जो जमीन के मालिक हैं और यह जो ढिंढोरा पीटा गया है—जिसके पास जमीन नहीं है उसके लिए यह बिल ला रहे हैं, तो यह उनके साथ केवल धोखाधड़ी है। हमेशा ही जब अपने देश में गरीबों के आन्दोलन हुए हैं यही कहा गया है कि हम जमीन के विषय में संशोधन बिल लाकर तुमको जमीन देंगे। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट भी इसलिए पास किया गया है, लैण्ड सीलिंग ऐक्ट भी इसीलिए लाया गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने लोगों को जमीन दी गई है। एक-एक जिले में कई-कई हजार एकड़ के फार्म्स लेकर लोग बैठे हुए हैं। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आप कब तक गरीबों को गुमराह करेंगे। भू-स्वामियों के सामने आप जो झुकते जा रहे हैं, वह कब तक झुकते रहेंगे, यह आपका साथ देने वाले नहीं हैं। यदि आप गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं, तो जो आपने इस बिल में छूट दी है, उसको समाप्त कर दीजिए। इस बिल के द्वारा जो आप थोड़ी बहुत जमीन निकाल रहे हैं, उसको बांटने की समुचित और नई व्यवस्था कीजिये। अभी तक यह काम आपके उच्चाधिकारी, डी० एम० वगैरह ही कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस कार्य को करने के लिए एक कमेटी बनावें, जिसमें 50 प्रतिशत लोग भूमिहीन और जमीन पर काम करने वाले हों—जो सही जानकारी रखते हों और सही बात कह सकें।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप गरीबों के हित में इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, जो यह भूमि समस्या के बारे में बिल पेश है, इसके बारे में बताया गया है कि इससे जमीन निकलेगी और वह जमीन भूमिहीनों को मिलेगी। लेकिन इस बिल के आने से किसी को जमीन मिल ही नहीं रही है। मैं अपने क्षेत्र में गया और हिसाब लगाया तो किसी भी गांव में जमीन निकल ही नहीं रही है। हमीरपुर, आगरा में जो जमीन छोड़ दी गई, यह बड़ी उपजाऊ जमीन है। यह उस क्षेत्र के गरीबों के साथ बड़ा अन्याय है, जो उन क्षेत्रों में रहते हैं। उनको उम्मीद थी कि उनको जमीन मिलेगी, लेकिन वह उनको मिलने वाली नहीं है। उनको भी जमीन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में रूपनाथ सिंह यादव के सुझाव का समर्थन करता हूं जो उन्होंने पेश किया है, वह बहुत अच्छा सुझाव है। इसे मन्त्री जी स्वीकार कर लें। मैं कल्पनाथ जी वगैरह के सुझाव का भी समर्थन करता हूं जिसमें कहा गया है—"खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उप-धारा (7) में शब्द और अंक "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर "24 जनवरी, 1970" रखा जाय।

लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

खण्डों पर जब आयेंगे तब बताइयेगा ।

श्री हुकुम सिंह परिहार---

दूसरे में यह जानना चाहता हूं, वह कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी बहुत आगे जाती है, वह यह स्थिति स्वीकार न करें, लेकिन नेगी जी द्वारा जो प्रस्तावित सुझाव है, उसको मैं उनके सामने पेश करता हूं। उसका मैं समर्थन करता हूं। तीसरे मेरा कहना यह है कि वह बहुत प्रगतिशील बनते हैं, तो वह बात मान लें, वह संगठन कांग्रेस जिसको वह प्रतिक्रियावादी कहते हैं उनकी बात मान लें, जो उन्होंने खंड तीन में कहा है कि खंड 3 के उपखण्ड (8) में "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर 24 फरवरी, 1970" रख दिया जाय। अगर 1970 रख दिया जाय तो कुछ जमीन मिल सकती है। अगर, "1971 रखा जायगा तो 1971 तक पूरी जमीन बट गयी है। इसलिए संगठन कांग्रेस के इस सुझाव को मान लें। इतना मेरा सुझाव है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य (व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र विक्रम के साथ-साथ श्री छांगुर राम कुछ कहने लगे)

श्री छांगुर राम---

सारा प्रसाद पंडित जी ले कर चले जाते हैं, जब दो घंटे रह जाते हैं तो आप कहते हैं..

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें। आप दूसरे में बाधा डालते हैं, दूसरों को नहीं बोलने देना चाहते हैं। आप दूसरों का समय ले रहे हैं।

श्री छांगुर राम---

आप बिगड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिए ।

श्री छांगुर राम---

आप बिगड़ते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अगर नहीं बैठते हैं तो दिन भर के लिए बाहर जायं। कृपा करके बाहर जायं।

श्री छांगुर राम---

उपाध्यक्ष जी सुनिये। आप ऐसे बाहर भेजना चाहते हैं---

श्री उपाध्यक्ष---

आप खुद बोलते हैं और दूसरों को बोलने देना नहीं चाहते हैं। आप असामाजिक हैं आप सदन के बाहर जायं ।

श्री छांगुर राम--

मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप मेरी भावनाओं को दबाकर बाहर भेजना चाहेंगे तो मैं...

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो माननीय सुरेन्द्र विक्रम भाषण दें। उसके बाद मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

यह बिल जो लाया गया है..

(श्री छांगुर राम साथ-साथ बोलने लगे)

श्री छ गुर राम--

आप हम लोगों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, रक्षा का हनन करने के लिए नहीं बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप नहीं मानते हैं तो आप निकल जायं। अगर आप बाहर नहीं जायेगें तो इंगित करना पड़ेगा। (मार्शल)

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था...

श्री उपाध्यक्ष--

(मार्शल के आने पर)

उनको स्पष्ट कर दो कि वह बाहर जायं। छांगुर राम जी उधर बैठे हैं।

श्री बांके लाल--

वह बैठ गये। आप की आज्ञा का पालन हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

इतना समय नष्ट करके बैठ गये, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिन भर के लिए उनको निकाला है।

(मार्शल के श्री छांगुर राम के पास पहुंचने पर)

श्री बांके लाल--

व्यवस्था का सवाल है....

श्री राज मंगल पांडेय--

वह बैठ गये हैं लिहाजा उपाध्यक्ष महोदय आप उनको क्षमा कर दें।

श्री त्रिवेणी राय--

आपके आदेश का मार्शल पालन करेंगे ही लेकिन अब माननीय सदस्य को माफ कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से माननीय सदस्य ने 5 मिनट का समय नाश कर दिया और कोई बात भी नहीं कह सके।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो लाया गया है वह प्रदेश तथा देश में जो असमानता है उसे दूर करने के लिये लाया गया है । लेकिन क्या यह सारी असमानता गांवों तक ही सीमित है चाहे जमींदारी एबोलीशन बिल हो, चाहे भूमि संरक्षण बिल हो सब गांव वालों पर ही लागू होते हैं। शहर के निवासियों में भी यह असमानता दूर करने का प्रयास किया गया होता। इस बिल के साथ शहरी सम्पति पर सीलिंग का बिल भी पेश किया गया होता लेकिन न जाने किन वजूहात के कारण उसे टाला जा रहा है ? इससे शंका पैदा होती है कि जरूर कोई ऐसा बिल सेंटर से आ जायगा जिससे यह अधिकार प्रदेश का नहीं रह जायगा और जो गरीब जनता शहर की रहने वाली है उसके साथ न्याय नहीं हो सकेगा । यह जो सीलिंग बिल गांव की जमीन के लिये लाया जा रहा है इससे १८ एकड रखा गया है। जब मंत्री जी ने सारे प्रदेश में चकबन्दी कराई थी तो भूमि की कीमत के आधार पर चकबन्दी की थी एक आने से लेकर १६ आने तक । १६ आने वाली भूमि कम मिली थी बनिस्बत १ आने वाली के जो बंजर थी, जिसमें रेत था । उस हिसाब से जमीन का वैल्युएशन किया गया था। यह डबल स्टैंडर्ड क्यों इस समय रखा गया ? १८ एकड़ के स्टैन्डर्ड को उस समय भी क्यों नहीं रखा गया ? अब क्या फर्क हो गया है उत्तर प्रदेश की जमीन में ?

सरकार सीलिंग ला रही है। जरूर लाये। जिनके पास जमीन नहीं है उनको मिलना चाहिये । मेरे पास 90 एकड़ हो और किसी के पास 2 एकड़ जमीन भी न हो ऐसा नहीं होना चाहिये लेकिन आप यह भी देखें कि एक तरफ मेकेनाइज्ड फार्मिंग पर जोर दिया जाता है । बड़े-बड़े ट्रेक्टर इम्पोर्ट होते हैं । उनका क्या होगा ? अच्छा जो छोटे ट्रेक्टर ऐसे इम्पोर्ट किये जायं जिनको छोटे किसान इस्तेमाल कर सकें वर्ना सरकार का पैसा बड़े ट्रेक्टर में फंस जायगा और कोई भी किसान ट्रेक्टर रखने को तैयार नही होगा । यह भी विचारणीय बात है।

सीलिंग में इस बात का ध्यान भी रखा जाता कि बहुत-सी जमीनें ऐसी होती कि जो नदियों के पास होती हैं और जब बाढ़ आती है वे डूब जाती हैं और सारी फसल बाढ़ से नष्ट हो जाती हैं। ऐसी भूमि को सीलिंग में नहीं रखनी चहिये या जो परमानेन्ट सैलाब से प्रभावित रहती हैं ।

इसी तरह से जो सीलिंग की परिभाषा रखी गई है उससे मैं असहमति प्रकट करता हूं। हाई ईल्डिंग वेरायटी जो मेक्शिकन गेहूं की है जिससे खेती की समस्या प्रदेश की हल हो गयी है उस गेहूं की वजह से लोगों ने ट्यूबवेल लगाये हैं क्या उसके लिये दो पानी काफी होगा जब कि हाई ईल्डिंग वेरायटी के लिये छै पानी की जरूरत होती है।

एग्रीकल्चर विभाग के लोग बराबर परिपत्र निकालते रहते हैं। अभी 2 अक्टूबर को भी परिपत्र निकाला गया है। कितने पानी की फर्टिलाइजर और कितने खाद-बीज की आवश्यकता किसान को उस जमीन के लिये होगी ऐसा कोई निश्चित नहीं है । आपके ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० तथा एग्रीकल्चर के आफीसर प्रोपैगंडा करते रहते हैं । किसी जमीन में 6 पानी की आवश्यकता होती है उसे उचित पानी नहीं दिया जाता है । आप कहते हैं आप गरीबों में जमीन को बांटेंगे । यदि ऐसा था तो आपको इसकी तारीख 24 फरवरी, 1970 ही रखनी चाहिए थी। क्यों आपने 24 जनवरी, 1971 उसे कर दिया। इस बीच तो न जाने कितनी जमीन का हस्तांतरण हो गया होगा ।

यह बिल तो आपका धोखा-मात्र है, जनता को दिखावा मात्र है । यह तो समाजवाद के नाम पर एक फैशन हो गया है। बिल में आपने "लेकिन" शब्द जोड़ दिया है । इससे साफ जाहिर होता है कि आप बड़े-बड़े लोगों से डरते हैं । आप तो न आदमी रह गये हैं और न ही औरत रह गये हैं । आप खुद अपनी आत्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

जिस आदमी की आत्मा और स्टैण्डर्ड लो हो गया हो वह क्या सीलिंग करेगा। अभी हमारे भाई रामसिंह जी कह रहे थे कि एक-दो प्रतिशत से क्या असर पड़ने वाला है। मैं कहता हूं कि .0001 प्रतिशत से भी काफी असर पड़ता है। एक दो प्रतिशत तो बहुत हो जाता है।

आप हरिजनों की बात करते हैं कि यह जमीन निकाल कर हरिजनों को दी जायगी। मैं पूछता हूं कि आज तक आपने कितनी जमीन हरिजनों को दी। मेरी जमीन भी खेड़ा-बहेड़ा में निकली थी करीब 70 एकड़ के, उसका क्या हुआ। उसके लिये आपको यह चाहिये था कि आप एक सामूहिक कोआपरेटिव सोसाइटी बना देते और किसानों को ट्रैक्टर आदि की सुविधा देते गवर्नमेंट से उसे सब्सिडाइज्ड रेट पर दिला देते। तब तो किसान का कुछ फायदा हो सकता था किन्तु आप कुल दो एकड़ ही दे रहे हैं। इससे क्या फायदा उनका होगा। 30/40 एकड़ जमीन होती तो बैल भी वह खरीद सकता था। लेकिन आपका तो यह थोथा नारा ही है। अब यहां की जनता समझ गई है। जनता आपके इस थोथे नारे को कभी माफ नहीं कर सकती है। इसलिये यदि आप उसका भला चाहते हैं तो आप इसे 24 फरवरी, 70 से कर दें। तब तो हम इसे स्वीकार कर सकते थे और इसका समर्थन कर सकते थे।

आप कहते हैं कि अन्य सारे प्रदेशों में भी ऐसा ही है। मैं कहता हूं कि यदि और प्रदेश डूब जायं तो आप इस प्रदेश को भी डुबो देना चाहते हैं। श्रीमन्, हमारा यह उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कई मानों में गया-गुजरा प्रदेश है। सन् 60-61 के मुकाबले में यह प्रदेश आज गिरा हुआ है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल आदि प्रदेश काफी बढ़े हुये हैं। ये तो आजकल चुनाव में लगे हुये हैं। सीलिंग से तो कोई मतलब इनका है ही नहीं। ये तो राजेन्द्र कुमारी और कुरील दोनों में कौन बैठे, इसी में लगे हुये हैं। इस बिल को लाने का तो इनका एक पोलिटिकल मोटिव था। इसलिये सारी बातों पर गम्भीरता से विचार, करके जितने भी सज्जन बोल चुके हैं चाहे वे इधर के हों, चाहे उधर के हों उनके भाषणों को देखते हुये उनका आदर करें और ऐसा कार्य करें जो व्यावहारिक हो। केवल नारेबाजी में बह गए तो हमारा प्रदेश बर्बाद हो जायेगा। केवल इस समय थोड़ी सी हवा ही लूटने से आगे आने वाले पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज न कोई मर्द है न कोई औरत है और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों सभी ने इस विधेयक में बड़ी कमियां दिखलायी हैं और इसलिये उनका कहना है कि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय। इसके जो मुख्य कारण हैं उनको हम बतलायेंगे और कुछ को माननीय सदस्यों ने बतलाया भी है कि यह क्यों प्रवर समिति को भेजा जाय। अभी हमारे माननीय शिवराज सिंह ने बतलाया कि कुछ ऐसे खंड हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यह मैं अवश्य मानता हूं कि माननीय मंत्री जी की भी कुछ कठिनाइयां हैं। वे फौजदारी के वकील हैं, रेवेन्यू साइड के वकील नहीं हैं इसलिये उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्वालिटी आफ स्वायल कितनी होती है। जैसा कि सन् 1960 के ऐक्ट में इसकी परिभाषा दी गयी है कि अच्छी क्वालिटी की जमीन वह है जिसका सर्किल रेट 6 रुपये से अधिक हो लेकिन इनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि सर्किल रेट क्या है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हाई कमांड के निर्देश पर सिंचित भूमि की परिभाषा जो की गयी है कि वह 10-18 एकड़ तक हो, क्या आप समझते हैं कि अगर किसी के पास 18 एकड़ ऊसर भूमि हो और उसमें दो या चार पानी दे देने से जो फसल पैदा होगी वह 18 एकड़ अच्छी जमीन की फसल की पैदावार की बराबरी कर सकेगी? यह बहुत बड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खामी इस बिल के अन्दर है इसलिये इसकी परिभाषा को आपको बदलना चाहिये । इसकी कारण यही है कि पूरी बात को अच्छी तरह से समझने की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है इसीलिये माननीय शिवराज सिंह ने कुछ खंडों की कमियों के बारे में बतलाया । मैं तो माननीय मंत्री जी को और उधर बैठने वालों को चुनौती देता हूं कि वे खंड 4 का अर्थ निकाल दें कि क्या होता है ? हालांकि उन्होंने दिया है कि बुन्देलखंड भी इसमें आता है । इसी प्रकार से और बहुत सी कमियां हैं। इन कमियों को पूरा करने के लिये बहुत आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय ।

समय के लिये कुछ सम्मानित सदस्यों ने बतलाया कि इसका समय बढ़ाया जाय । आप इसका समय भी बढ़ा दें वरना जो गरीबों का फायदा होने वाला है वह नहीं हो पायेगा । उदाहरण के तौर पर मैं बतला दूं कि शहरी भवन किराया कंट्रोल विधेयक जब आया था तो उसे प्रवर समिति में भेज दिया गया था और आपने देखा कि वह कितनी जल्दी पास हो गया । इसलिये मैं कहता हूं कि इस में जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय । इसका नतीजा यह होगा कि जो कल ही से अमेंडमेंट लाने की कोशिश करते थे अमेंडमेंट नहीं ला सकेंगे और इससे सदन का समय भी बहुत बच जायेगा ।

जहां तक विधेयक के उद्देश्य का प्रश्न है, हम इसका विरोध नहीं करते लेकिन हमारे दल की भी कुछ मान्यतायें हैं । हम चाहेंगे कि जितनी जमीन से 1,500 रुपये मासिक की आमदनी हो, उतनी ही जमीन अपने पास रहनी चाहिये । आपने सन् 1960 के ऐक्ट द्वारा 40 एकड़ की सीमा रखी थी और लोग समझते थे कि अब आगे कोई अमेंडमेंट विधेयक नहीं आने वाला है । उन्होंने इस 40 एकड़ को मान कर मिकेनाइज्ड फार्म बना लिये और उसमें 42 हजार का ट्रैक्टर खरीद लिया और 16 हजार का ट्यूब वेल लगवा लिया । यह सोचकर कि यह हमारा फार्म है । ऐसे लोगों के लिये आपने क्या किया । वह जमीन जो आपको मिलने वाली है वह बन्धक पड़ी हुई है, उसके लिये आपने क्या विचार किया । जो 18 एकड़ रखने वाले हैं उनकी सारी जमीन निकल जायेगी ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय सदस्य सोचते हैं कि इस तरह से सीलिंग नहीं होनी चाहिये क्योंकि मिकेनाइज्ड फार्म बन चुके हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मैंने आपको बता दिया कि हम सीलिंग के विरोधी नहीं हैं। लेकिन आपने 40 एकड़ भूमि रखकर जो लिविंग स्टैन्टर्ड रखा था उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ? 40 एकड़ भूमि पर जिसने 42 हजार ट्रैक्टर लगवा कर और 16 हजार का ट्यूब वेल लगवा कर खर्च कर दिया उसको आप बर्बाद करने जा रहे हैं । हमने तो कहा है कि जिनकी आमदनी 1500 रुपये से ज्यादा है उनको आप ले लीजिये ।

इस प्रकार से आप संशोधन बिल लाये लेकिन आपने कुछ बताया नहीं । आपने कुछ आंकड़े नहीं दिये कि आपका सीलिंग ऐक्ट बनेगा तो कितनी भूमि निकलेगी और कितनी मिलने वाली है। माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने बताया कि आप डेढ़ लाख एकड़ जमीन प्राप्त नहीं कर सके । उनके लिये क्या करेंगे ? कोई आंकड़े आपने नहीं दिये । क्या आप बतायेंगे कि 18 एकड़ और एकड़ से अधिक जो जोते है वे कितनी हैं ? उनसे जो जमीन निकलेगी वह किन को देंगे । आज हमारे माता प्रसाद जी और गंगा प्रसाद जी मुंह बाये खड़े हैं कि जमीन हमें मिल जायेगा । लेकिन केन्द्र का क्या कहना है । इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान दिया है या नहीं ।

अब कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 39 (ख) (ग) का माननीय शिवराज सिंह ने सहारा लिया है। वे कहते हैं कि कुछ खातेदारों ने विमुक्तियों का दुरुपयोग किया । इस आर्टिकिल में वह प्रापर्टी आ सकती है जो कामन यूज की हो सके अब यह बताइये कि हाथ को आप काट रहे हैं और दूसरे हाथ की उंगली जोड़ रहे हैं । आप देखें कि विमुक्तियों को कम नहीं किया है बल्कि

[श्री हरिनाथ तिवारी]

ज्यादा किया है। यह जो सहारा लिया है उद्देश्य और कारणों में विमुक्तियों का दुरुपयोग किया है तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? आपका उद्देश्य निरर्थक है।

अब आपकी सिंचित भूमि की परिभाषा असंगत है। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने दें और यह जो परिभाषा है वह सही होगी। आपने कह दिया कि सरकारी सिंचित साधन हैं और कुछ निजी साधन हैं। सरकार सिंचित साधनों का कमांड बनाये हुए है और पानी वहां तक नहीं पहुंचता। नलकूपों को बिजली नहीं मिल पाती है। आप रात के 8 बजे से 2 बजे तक गांव वालों को बिजली देते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को दिन में देते हैं। रात में किसान पानी पाता है या नहीं। यह बड़ी मुश्किल है। इसका भी रोस्टरिंग होता है।

आपको मालूम होगा कि हर गांव से लाख डेढ़ लाख रुपया निकलवा लिया है क्योंकि आपने डिसक्रीशन दे रखा है। इस प्रकार से आपने सारी शक्ति सरकारी अधिकारियों को बिल में दे रखी है। परिवार में कौन बालिग होगा और कौन नाबालिग होगा, किस स्त्री को तलाक दिया या नहीं।

इसी प्रकार से सिंचन सिद्धान्त के लिए दिये। जहां पर जमीन का बटवारा होगा, वे ही करेंगे। सारे अधिकार आपने अधिकारियों को दे दिये हैं। आप उसके लिये स्पष्ट कानून बनायें ताकि जिस गरीब को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसे राहत मिले। ऐसा न हो उनसे ये अधिकारीगण सब कुछ ले लें। जहां तक सिद्धान्त की बात है आज आपको ममता लगी है, छोटे काश्तकारों की, लैंडलेस लेबरर की। 25 वर्ष तक आपने क्या किया ? कौन सी कटौती मिनिस्टरों की सेलेरीज से की है और कौन से साधन का प्रयोग किया है जिनसे इन गरीब-किसानों को फायदा होता ? आज करोड़ों और अरबों रुपया खर्च हो रहा है। आप चाहते हैं कि नारे बाजी होनी चाहिये कि गरीबी हटेगी और जब वह नारे बाजी कामयाब नहीं हुयी तो दूसरी शुरू हो गयी। इस प्रकार से आपने डिस्क्रिमिनेशन क्यों दिखाया है। ठीक है आप बुन्देलखंड के रहने वाले हैं, वहां पर पैदा हुए हैं, उस इलाके का अवश्य कुछ फायदा होना चाहिये लेकिन और जो क्षेत्र हैं, उनमें आपके कौन से और साथी हैं, जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं ? "क" विदड्रा किया, "ख" लगाया गया 16 किलोमीटर पुराने वाले ऐक्ट में नहीं रखा था। दबाव पड़ा होगा इसलिये इसमें रख दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों यह डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ? क्या और गंगा और यमुना और मिर्जापुर के जिले में पहाड़ों का ही हो सकता था ? क्या प्रदेश में और नदियां नहीं हैं। अगर वहां की जमीन भी छोड़ते तो हम समझते कि आपका दिल साफ है। लेकिन इससे स्पष्ट है कि आपने कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाने के लिये यह प्रयत्न किया है ?

अब समय के बारे में भी देखिये। ट्रान्सफर्स 30 जनवरी, 1970 से 71 तक नहीं रोके हुए थे।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, 5 मिनट का और समय मुझे दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब 4 से अधिक समय हो गया है। आधा घंटा रह जाता है तो सब के बोलने की चौथ हमारे ऊपर पड़ती है। तो इस समय भी अगर आप आग्रह करते हैं तो आज 5 बजे सूची 12 ले लें।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, आपकी पीठ और सीना भी चौड़ा है। आपको बर्दाश्त करना चाहिये कि यह जो आपकी कमजोरी है यह ही चौपट करा रही है। आप नियमों का पालन कीजिए। आज इनको

यह भी पता नहीं है कि प्रदेश का 4 करोड़ रुपया विरला को जा रहा है। अगर कुछ समझते होते तो असर होता। अगर आप इसे 5 से 7-1/2 बजे तक लेंगे तो सदन में केवल 5 व्यक्ति ही दिखायी देंगे, कर दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

हम तो कोशिश करेंगे। यह आप पर ही निर्भर है। इसीलिये मैंने कहा था कि आप जल्दी समाप्त कीजिए ?

श्री हरिनाथ तिवारी—

साल भर में जो ट्रान्सफर्स हो गये वे सब वैलिड हैं। आप इसके लिये क्या करते हैं ? दूसरे आपने रखा 15 अगस्त, 1972। आपके पास कौन सा आला है जिससे आप देख सकेंगे कि यह नलकूप 15 अगस्त के पूर्व का है या बाद का है। इसी प्रकार से आपने बागों के लिये भी रखा है। उसके लिये 21 जनवरी, 1971 रखा है। कौन सा बाग इस तारीख को लगा और कौन-सा बाग बाद में लगा। आपने जो डैड लाइन कर दी है वह बहुत ही विनाशकारी है।

जमीन तो आप ले रहे हैं। धारा 6 में दिया हुआ है कि इमारत होगी जो कुआं होगा, पेड़ होगा वही होगा। आप जिस उद्देश्य से ले लेंगे। आप तो सीलिंग कर रहे हैं। जिन काश्तकारों ने अपने घर और कुएं बना लिये हैं और जिनके पेड़ हैं वे पेड़ न तो बाग में आते हैं और न लैन्ड में आते हैं और इसी प्रकार से न उनकी इमारत लैन्ड में आती है तो आप किस डिफनीशन में उनको लेने जा रहे हैं। शुरू से आखिर तक जो भी आपने विधेयक का प्रारूप बनाया है उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन सब कारणों से माननीय राजस्व मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपनी अज्ञानता में जो उन्होंने इस बिल को पायलट किया है तो समाज के सुधार के लिये और इस विचार से कि गरीबों का पैसा अधिकारियों के पास न जाये इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज कर आप जनता की सेवा कर सकते हैं। मई से आप टाल रहे हैं और अगर हमने 4 दिन का समय मांगा है तो कहने के मुताबिक देर हो जायगी। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि इसको प्रवर समिति के समक्ष जाने दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर कई दिनों से चर्चा चल रही है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जहां बहुत ही नुक्ताचीनी केवल नुक्ताचीनी के लिये की गई हैं वहां बहुत से अच्छे सुझाव भी दिये गये हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन सुझावों से अधिक से अधिक लाभ उठायें।

मान्यवर, जो आपके सामने संशोधन का प्रस्ताव पेश है, जिसमें इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग की गई उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं यद्यपि सारी चर्चा उसी पर हो रही है। कारण यह है कि मैं ऐसा समझता हूं कि यह मांग, मांग के लिये हुई है। वास्तव में सभी माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त हैं कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक पर विचार करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने 6 दिन निर्धारित किये थे और श्रीमन् इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर बोलते हुये कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय यह भी कहा है कि भले ही एक दो दिन के लिये भेजा जाय। मैं समझता हूं कि इस सदन के चार, छः या 15–20 सदस्य बैठ जायं और एक–दो दिन या दस-बीस घंटे में क्या निचोड़ निकल सकेगा और क्या सुधार हो सकेगा जब कि बराबर इस विधेयक पर 4 दिन तक सदन के सामने चर्चा होती रही है।

दूसरी बात, एक तरफ बराबर इस विधेयक को लाने की चर्चा हुई है और इस बात का आरोप लगाया जाता है कि हम इसे टाल रहे हैं लेकिन जब हम इसे लाये हैं तो इस सिफारिश का प्रस्ताव पेश किया है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय भले ही एक दो दिन की देर हो जाय। माननीय रामपाल सिंह जी ने जो बात कही वह बड़ी सफाई के साथ कही कि जैसा कि आपका बिल

[श्री उदित नारायण शर्मा]

है आप ले आयें। कृपा करके जल्दी से पास करें। मैं भी इस सम्मानित सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो कुछ बिल आपके सामने है, अभी जो चर्चा की गई है उसके बारे में, जो आपत्तियां इस चर्चा के दौरान में कही गई हैं, लगभग उन सभी से सम्बन्धित संशोधन कल से इस सदन के सामने आयेंगे और शुरू होंगे और प्रत्येक के ऊपर विस्तार के साथ चर्चा होगी और शासन का उनके प्रति जो उत्तर है वह भी आपके सामने रखने का आप कृपा करके अवसर देंगे जब विशेष रूप से सम्बन्धित आपत्तियों पर सूक्ष्म रूप से निवेदन कर सकूंगा।

मान्यवर, कुछ बातें जो कही गई हैं उनकी तरफ बहुत थोड़े में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि केन्द्र से जो गाइड लाइन आई थी उनको भी नहीं माना। श्रीमन्, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी गाइड लाइन्स दी गई थीं उनसे कहीं भी अन्यथा बात नहीं की गई है। गाइड लाइन्स का अर्थ यह दिया है कि हमको किसी जगह बांध दिया गया था। जहां बांधा गया था उसके आगे कहीं नहीं हम गये। गाइड लाइन्स का साधारण अर्थ यह था कि आपको यह जो परिधि दी जाती है उसके अन्दर सारा काम आप करते रहेंगे और हमने प्रयास किया है कि उसके अन्दर ही करें।

श्रीमन्, यह तो कहा गया था किन निजी कलकूपों को अधिक दे दिया जाय, लेकिन श्रीमन् उसके साथ प्रतिबन्ध लगा हुआ था कि 18 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिये। हमने अपनी परिस्थितियों को देखते हुये यह मुनासिब समझा कि सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा अठारह एकड़ रखें। गाइड लाइन्स के अनुसार 18 एकड़ से अधिक नहीं रख सकते थे। अगर कम रखी होती तो जिनके पास निजी नलकूप थे उनको निश्चित रूप से अधिक देते। इसी कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि हमने गाइड लाइन्स के विरुद्ध कहीं काम किया है। जहां तक वयस्क लोगों को देने की बात है, या जहां तक परिवार के परिभाषा की बात है यह सही है उसमें यह कहा गया है कि पति पत्नी और तीन नाबालिग बच्चे हैं। हमने तीन नाबालिग बच्चों की सीमा नहीं रखी है। सभी को रखा है। यहां पर इस बहस के दौरान बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की है। कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि आप तीन बच्चों की बात करें, औरों की न करें। यह जो जाहिरा बात मालूम पड़ती है इसको दूर करने का प्रयास करेंगे और कोई संशोधन आयेगा जिससे जो आपत्ति का कारण है वह न रहे ...

श्री चरण सिंह—

मुझे कोई हक तो है नहीं बीच में बोलने का। लेकिन कान्वेन्शन है कि बीच में भी एकाध बात पूछी जा सकती है। पति हो या पत्नी नाबालिग बच्चा कोई न हो, बालिग लड़का हो तो आपके ऐक्ट के मुताबिक 23 एकड़ पाने का मुस्तहक है या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब इस पर कह चुके थे और मैं इसका उत्तर भी देने वाला था। श्रीमन्, सारा अभिप्राय इस जोत हदबन्दी का यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक सीमा से अधिक जमीन न रह जाय। और जब तक वह अभिप्राय पूरा होता जाय तब तक हम समझते हैं कि जो इसका मूलाधार है उससे अन्यथा कार्य हम नहीं कर रहे हैं। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि यह सम्भव नहीं है कि जितने तरह-तरह के केसेज हो सकते हैं, दो लड़के हैं, चार हैं या एक लड़का है, जवान है या बूढ़ा आदमी है उन सबको लिया जाय, यह किसी भी कानून में सम्भव नहीं है और न इस कानून में सम्भव है।

माननीय चौधरी साहब ने जो कहा उसका उत्तर एक ही है। यदि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके एक भी बालक नहीं है, जो अकेला है और 18 एकड़ जमीन उसके पास है, तब यह समझना पड़ेगा कि और बच्चे होने वाले हैं, उनको जमीन मिलेगी। यदि एक के पास 36 एकड़ है,

वह है और बालिग लड़का है तो 18 प्लस 5 यानी 23 एकड़ होगी। जब भी यह सक्सेशन खुलेगा, जिसको आप समझ रहे हैं कि 23 एकड़ हो गयी वह 18 एकड़ ही रहेगी। उसी तरह से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बुड्ढा हो। वह मरेगा तो उसकी जोत उनको ही जा सकती है जिनके पास 18 एकड़ से कम होगी। तो जो अभिप्राय अपेक्षित है, उसकी पूर्ति कानून से हो रही है या नहीं, यह अस्ल चीज है....

श्री चरण सिंह---

मेरी मोटी अक्ल में बात बैठी नहीं। मान लो एक बालिग लड़का हो और नाबालिग एक भी न हो और मियां बीबी हों तो 23 एकड़ है या नहीं?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, मैंने उसका उत्तर दे दिया।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो आधार बनाया गया है सिंचित और असिंचित को आज अगर आगे बढ़कर जोत की हदबन्दी करने का औचित्य हम प्रमाणित कर सकते हैं तो उसका भी एक ही आधार है और वह यह है कि आज के विकास शील युग में जमीन से जिस तरह की पैदावार होती थी वह बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से जो पहले ज्यादा में आदमी का निर्वाह होता था वह कुछ कम में भी हो सकता है। लेकिन यह बात मानी हुई है कि कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है जो उपज के बढ़ाने और घटाने में जिम्मेदार हुआ करती है सिवाय पानी के। माननीय चौधरी साहब कह रहे थे बुन्देलखंड में सब तरह की जमीन है। लेकिन अगर खराब से खराब जमीन में वहां पानी दें तो भी वह कहीं की अच्छी जमीनों के मुकाबले नहीं हो सकती है। उसका कारण है, श्रीमन्। पैदावार खाद पर, पैदावार पानी पर और आज के युग में बहुत थोड़े से अंशों में जमीन के टैक्सचर पर मुनहसर करती है। (व्यवधान) काफी छानबीन के बाद हम इस नतीजे पर पंहुचे हैं कि वास्तविक आधार अगर जमीन की जोत हदबन्दी का हो सकता है तो वह केवल सिंचित और असिंचित के आधार पर ही हो सकता है।

माननीय चौधरी साहब ने किस्म जमीन की भी बात कही। पहले जो जमीन की किस्म निर्धारित की गयी थी, जो सरकिलरेट निर्धारित किया गया था, यह अब इतना पुराना हो गया है मानी हुई बात है कि उसके आधार पर काम नहीं किया जा सकता। वह तभी दुरुस्त हो सकता है जब फिर से सेटिलमेंट किया जाय जिसमें कि बीस साल लगा करते हैं। उन्होंने यह हल बताया कि अभी हाल में चकबन्दी की गयी है और उसमें हर जमीन की कीमत आंकी जा चुकी है। इसमें, श्रीमन्, एक बड़ी भारी फैलिसी इन्वाल्व्ड है। चकबन्दी में हर गांव में जो जमीन होती है उसमें 16 आने के हिसाब से ही लगायी जाती है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक गांव की 16 आने वाली हो और दूसरी जगह आठ आने शुरू कर दी जाय। इस लिये चकबन्दी मालियत का आधार जोत हदबन्दी के वास्ते बना ही नहीं सकते हैं। वह किसी तहसील, या ब्लाक के लेहाज से नहीं गांव के लेहाज से होता है। जो चकबन्दी के बारे में कहा करते हैं और जैसा कि मैंने निवेदन किया है उसके होते हुये यह होना असम्भव है कि चकबन्दी में दी हुई मालियत का आधार बनाकर हदबन्दी की जाये।

जहां तक कि सिंचित और असिंचित की बात है, वह सही है। सदस्यों ने जो आलोचना की वह सही है। मैं यह समझता हूं कि आज कृषि में जो विकास हुआ है उसका कारण हाई वील्डिंग वैराइटीज हैं और उनके लिये आधिक पानी की भी आवश्यकता है। यह जो कहा गया है इसमें औचित्य है। इसमें एक दो तीन नहीं बल्कि 5 पानी लगते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ संशोधन करें जो सम्भवतः आयेगा। जिसको पांच पानी मिलता है वह तो सिंचित है ही लेकिन जिसको दो पानी मिलता है उसको सिंचित माना जाय या नहीं।

एक बात और है कि यह तो हमारे यहां की परम्परा बन गई है कि आपको कोई बात कहना है तो आप तर्क या तथ्य उपस्थित करें क्योंकि आपका इरादा तो कोई बता नहीं सकता है कि

[श्री उदित नारायण शर्मा]

क्या है । बुन्देलखंड में ज्यादा जमीन दी गई तो मैं बुन्देलखंड का हूं। हमारे तिवारी जी और अन्य मित्र कहते हैं कि किसी नियत प्राधिकारी को रख दिया और जब मैं मिनिस्टर नहीं रहूंगा तो मुझे वहीं वकालत करनी होगी । एक बात समझने की है । आज हम अपने दूसरे मित्रों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, किन भावनाओं से और औचित्य से। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मित्रों ने आलोचना की है कि नियत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है तो क्या कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो एक एक आदमी के हिसाब से देखकर हर बात को विधेयक में ही तय करें । कोई फोरम इसके लिये निश्चित किया जाता है । और उसी का आधार लेकर कार्य संचालित होता है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

आगरा, हमीरपुर और बुन्देलखंड में ड्योढ़ी जमीन छोड़ी है। वहां पर कोई जमीन निकल नहीं रही है तो किस प्रकार से वहां पर भूमिहीनों तथा हरिजनों को वह जमीन मिलेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह तो दावा नहीं किया गया है कि हर एक भूमिहीन और हरिजन को भूमि दी ही जायेगी यह तो बड़ी फैलिसी होगी । अगर आप इस बिल की आलोचना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं परन्तु उसका यह अर्थ तो न निकालिये कि जो जमीन निकलेगी वह जमीन हर एक भूमिहीन और हर हरिजन को दी जायेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

माननीय शर्मा जी इस बात को जानते हैं कि सन् 1959 से या उसके आसपास से सीलिंग की चर्चा हो रही है ।

गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल भी आ गया था। उस वक्त से लोग बराबर कोशिश में है कि वे जमीन निकाल लें या ट्रांसफर कर दें और उनके पास अधिक न रह जाये । फिर इसी विधान सभा में यह कहा गया सन् 1970 में कि सीलिंग ऐक्ट लाया जायगा और इस-इस तरह की तरमीम होगी । उसके बाद आपने 24 जनवरी 1971 तक टाइम बढ़ा दिया । इस बीच में लोगों ने जमीन ट्रांसफर कर दी है । उनको आपने मौका क्यों दिया ? क्या आप तैयार हैं सन् 1959 से लागू करने के लिये या सन् 1960 से करने के लिये तैयार हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अगर आपने यह कहा होता कि सन् 1960 से ही क्यों करना चाहते हैं तो मैं जवाब देता ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

सन् 1959 में ही कह दिया था कि हम सीलिंग ऐक्ट लायेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

अगर माननीय जायसवाल जी यह कहते कि सन् 1960 से क्यों नहीं लाये तो मैं समझ सकता था और उसका जवाब देने की कोशिश भी करता । यहां तो यह कह कर तूमार बांध दिया है कि सन् 1970 से संशोधन कर 71 से शुरुआत की ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

जो संशोधन अभी आये हुए हैं । उन्हें शायद आपने देखा नहीं । हमारी पार्टी ने तो यह कहा है कि सन् 1960 क्या सन् 1952 से मान लीजिये और अगर उसमें दिक्कत हो तो सन 1959 से मान लें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

सन् 1970 में अधिवेशन में पास कर चुके थे इसलिये सन् 1970 कहा जा रहा है ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

हम कुछ भी पास नहीं कर चुके । पुराना बिल वापस लिया था और नया बिल पुर स्थापित किया था ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)--

क्या आप यह बता देंगे कि एक औरत का स्टेप सन है जो कि उसके पहले शौहर से है और दूसरे से 3 बच्चे हैं तो क्या वह स्टेप सन अपने बाप के अलावा 18 एकड़ जमीन रख सकेगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने पहले ही कहा कि आगे चलें, मगर आप कोई बात उठा देते हैं ।

श्री बंशीधर पान्डेय--

उनकी पार्टी के ही लोग नहीं समझ रहे हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह तो मैं समझा रहा हूं । श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक प्रश्न अभी उठाया गया और इसके पहले 2-3 दिन से चर्चाएं चलती रही हैं कि लड़कियों को हक क्यों नहीं दे रहे हैं । आपको एक बात समझ लेनी चाहिये कि हम कोई सक्सेशन का मामला नया बिल ला कर तय नहीं कर रहे हैं । सक्सेशन जिस तरह से टेनेन्सी ऐक्ट में है वह अपनी जगह पर मौजूद है । आज तक जो विधि भूमि सम्बन्धी बनी हुयी है उसके अन्तर्गत लड़कियों को अधिकार नहीं होता है । पर्सनल ला से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । हिन्दू ला क्या है अधिकारों के बारे में या मुस्लिम ला क्या है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

अब तक उत्तराधिकारी बड़े लड़के के लिये एडिशनल होल्डिंग तो एलाउड नहीं है ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं यह कह रहा था कि फेमिली की परिभाषा का जो आकार है उसके लिहाज से एक बात है और किसी आदमी के मरने के बाद जमीन किस को मिलनी चाहिये, कौन अधिकारी है, कौन नहीं है, यह दूसरी बात है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)--

मैं शंका का समाधान करना चाहता हूं । 24 जनवरी, 1972 का जो वर्णन इस बिल में आया है वह तो हमारे घोषणा-पत्र के अनुरूप है ।

लेकिन 24 जनवरी 1971 तक बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी जमीनों का वितरण कर दिया क्या उस पर आप कोई कानून ला रहे हैं या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसी कानून में वह लिखा हुआ है । माननीय जायसवाल जी ने जो दरियापत किया था उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि सन् 1960 में जो सीलिंग ऐक्ट आया था उसके पहले भी लोगों ने इंतजाम कर लिया था । यह जो आप नया सीलिंग बिल लाये हैं जिस पर आप विचार कर रहे हैं इसमें कुछ त्रुटियां जो पहले से थीं वह अब दूर हो गयी हैं उदाहरण के लिये, उस वक्त जो जमीनें लोगों ने बागों या कोआपरेटिव फार्मिन्ग के नाम पर

[श्री उदित नारायण शर्मा]

बचायी थीं उसमें एक बात यह जरूर थी कि जहां एक भी दरख्वास्त नहीं लगाये गये थे बाग के नाम पर वह जमीन भी उनके पास हैं । अब वह इसमें से निकाल दिया गया है और ऐसी जमीन चाहे बाग के नाम पर ली गयी हो या कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर ली गयी हो वह उनके पास नहीं रहेगी । माननीय जयराम वर्मा जी जब कल बोल रहे थे तब उन्होंने उस विमुक्ति की तरफ ध्यान दिलाया था। जिसमें कहा गया है कि ऐसी सहकारी समितियां जिनमें सरकार का प्रयक्ष या अप्रयक्ष रूप से धन लगा हो उसको हमने विमुक्त कर दिया है । वह सही था और हम कल ऐसा संशोधन लायेंगे जिससे इसको निकाल देंगे । हमारा इरादा है कि हम इस प्रकार के सारे लूपहोल्स को निकाल दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आप इस तरह से जो कर रहे हैं उससे कितने एकड़ भूमि उपलब्ध होगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

हमारा ख्याल है क्योंकि सही आंकड़े इस समय दिये नहीं जा सकते और आप यह तो मानेंगे ही कि इस समय अनुमान के सिवा सही आंकड़े दिये नहीं जा सकते लेकिन जो जमीन मिलेगी वह 3 लाख एकड़ के लगभग होगी ।

आप (श्री जायसवाल की तरफ इशारा करके) का जवाब अब मैं देना चाहता हूं कि 59 और 60 की ओर हमारा विचार है कि जिन लोगों ने उस समय जमीन बचाई है और इस कानून की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की है उनके लिये तो इस कानून में नहीं हमारा जो एक रेवेन्यू कोड आ रहा है उसमें हमने इसके लिये लाने की कोशिश की है । यहां लाने में दिक्कत यह है कि नियत प्राधिकारी के इस बात से डिटरमिन करने में कानूनी अड़चन पड़ेगी। ऐसे कितने हस्तान्तरण हैं जिन्होंने एक नहीं, दो-दो, तीन तीन बार उसम अदालत से निर्णय प्राप्त किये हुये हैं और उनके बारे में भी सोचना होगा ।

श्री चरण सिंह—

मैं एक बात यह पूछ लूं कि 18 से 50 एकड़ तक आपका रेंज है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

45 एकड़ तक ।

श्री चरण सिंह—

नहीं साढ़े 49 एकड़ तक है । अब उसका औसत 30 एकड़ आता है तो 30 एकड़ से बड़ी साइज की कितनी होल्डिंग्ज होंगी । यह तो फिगर्स आपके रेविन्यू डिपार्टमेंट में होगी सन् 58 में यह 8 हजार थी, अब कितनी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये तो आंकड़े कल निकलवा कर देखकर बता दूंगा । तो मैं जायसवाल जी की बात पर कह रहा था कि इसमें कुछ कानूनी दिक्कत पड़ रही है ।

हम उसके ऊपर यह सोच रहे हैं कि क्या किसी तरह से यह भी सम्भव होगा. . . देखिये दो चीजें हैं । एक तो स्थानान्तरण द्वारा जमीन बचाने की कोशिश की है और दूसरे 229 (बी०) में मुकदमें दायर करके कर लिया है । उन्हें पूरी-पूरी छूट है ऐसा करने की । हमने इस पर काफी विचार किया । अगर आप इसमें हमारी मदद कर सकें और कोई रास्ता बतला सकें तो हम उसको जरूर करेंगे ।

माननीय सदस्यों ने यह भी आलोचना की कि जो जमीन निकली उसको किसी को नहीं दे सके । काफी अंश तक सही है । लेकिन जब यह कहा जाता है कि किसी को नहीं दी गयी तो यह भी उतना ही गलत है । करीब 1 लाख 67 हजार को हमने बांटा । इसमें कुछ यह हो सकता है कि जिनको जमीन दी उनको कब्जा न मिला हो । आपने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया है और पहले से इरादा है कि अब की बार जो सीलिंग ला रहे ह तो गैरसरकारी कमेटियां प्रान्तीय स्तर पर और जिला स्तर पर बनायेंगे। बंटवारे के मामले में और जो लोग छिपाने की कोशिश करते ह उसमें सहायता लेंगे जिससे दुबारा इन चीजों की पुनरावृत्ति न हो सके । श्रीमन्, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था कल से इसके संशोधन आरम्भ होंगे । करीब-करीब जितनी बातें कही गयी हैं उन पर संशोधन आने वाले हैं और उनके बारे में हम अपना दृष्टिकोण उपस्थित करेंगे । अगर आप हमको आश्वस्त कर सकें कि वह सही हैं तो हम उन्हें मानने की कोशिश करेंगे । लेकिन हम भी आपसे अपेक्षा करेंगे कि हम आपको आश्वस्त कर दें तो आप भी हमारी बात मान लें । इन शब्दों के साथ. . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

तर्क की बात तो आप मानेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

तर्क की बात जरूर मानेंगे बशर्ते कि वही तर्क न हो जो यह कहें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मालूम पड़ता है कि सदन समता और न्याय के पार्श्व में आपके नियम को रखना चाहता है । अब मैं संशोधन आपके सम्मुख रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन एक मास में दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अनन्त राम जायसवाल—

हमारा दल इस संशोधन के पक्ष में नहीं है । इसको नोट कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नहीं बोलें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इतनी जोर से लाउड स्पीकर पर बोले फिर भी कसर रह गई ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसके खंडों पर कल से विचार होगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें मिली थीं । तीन को स्वीकार किया गया है । इसलिये आज आप ज्यादा समय नहीं लेंगे । पहला बंशीधर पांडेय, सुरेन्द्र विक्रम, राम बिलास पांडेय, निहाला सिंह का है । देवरिया के बी0 आर0 डी0 कालेज में एक छात्र को दूसरे छात्र द्वारा छुरा भोंके जाने की घटना में पुलिस की कार्यवाही से अध्यापकों व विद्यार्थियों में असंतोष। यह 22 दिसम्बर, 1972 को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ है ।

दूसरा है शफीक अहमद खां, त्रिलोक चन्द, शम्भूनाथ चौधरी, मोहम्मद असरार अहमद का। बरेली जनपद के बहेड़ी में चेचक का प्रकोप । यह भी 22 दिसम्बर, 1972 को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ है।

तीसरा है दीपनारायण मणि त्रिपाठी और राम नगीना मिश्र का देवरिया में पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर कथित अत्याचार इसको क्रम संख्या तीन के साथ जोड़ दिया गया है ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

हमारा तो आपने प्रश्न पढ़ा भी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नम्बर 1 पर जो है उसमें आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें, यह केवल एक का मामला है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

यह एक ऐसी अभूतपूर्व घटना है कि इस पर तो वक्तव्य होना चाहिये, जिसमें कि फर्रुखाबाद की पुलिस पर डकैती का आरोप है । मान्यवर, फर्रुखाबाद, कायमगंज के विधायक और डिप्टी मिनिस्टर ने माननीय मुख्य मंत्री को लिख कर दिया है कि पुलिस पर डकैती का मामला कायम किया जाय. . . यह 6 लाख का मामला है । डकैती का आरोप है पुलिस पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

गम्भीर हो सकता है, अविलम्बनीय नहीं है । गम्भीर मामले पर ही अल्पसूचित प्रश्न किया जाता है । कोई घटना हो गयी, गड़बड़ी हो गयी तो उस पर अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

बात यह है कि उन दिनों विधान सभा चल नहीं रही थी, अब चल रही है, इसलिये अविलम्बनीय हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं-नहीं । अविलम्बनीयता उसी चीज की प्रकृति में निहित रहती है ।

प्रान्तीय सिंचाई एवं बांध योजना श्रमिक महापरिषद् की मांगों के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

उक्त महापरिषद् एक नवगठित संस्था है जो सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों द्वारा बनायी गई प्रतीत होती है । जैसा कि उक्त परिषद् के महा मंत्री के पत्र से विदित होता है यह संस्था शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है । इस संस्था के प्रतिनिधि अपनी कुछ

मांगों को लेकर विधान भवन के समक्ष अनशन कर रहे हैं । इनकी प्रमुख मांगें जिनका उल्लेख उक्त माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नोटिस में किया गया है निम्नलिखित है:—

प्रदेश भर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत समान पद के लिये समान वेतन दिया जाये। तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मकारों को नियमित किया जाये।

उक्त (1) में दी गई मांग के संबंध में स्थिति यह है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन नियमित अधिष्ठान के कर्मचारियों की भांति वेतन क्रम में निर्धारित नहीं किये जाते है । सिंचाई विभाग में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन में एक-रूपता न होने के कारण यह है कि कार्य प्रभारित कर्मचारी किसी विशेष कार्य के लिये उस कार्य की समाप्ति तक के लिये ही रक्खे जाते हैं तथा उनके कार्य की गरिमा को ध्यान में रख कर ही वेतन दिया जाता है ।

उक्त (2) के संबंध में स्थिति यह है कि सिंचाई विभाग में विभिन्न परियोजनाओं तथा अन्य स्थानों में कार्य करने वाले उन कार्य प्रभारित कर्मचारियों को, जिनका सेवाकाल तीन वर्ष से अधिक हो गया है, जिनके लगातार चलने की संभावना है और जो अपेक्षित योग्यता भी रखते हैं उन्हें नियमित अधिष्ठान में लेने के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है । अब उक्त निर्णय के कार्यान्वियन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कार्य की गरिमा को ध्यान में रख कर वेतन दिया जाता है । मैं वर्क-चार्ज की बात करता हूं । उसमें जो काम कर रहे हैं वह कालागढ़ में काम कर रहे हैं, एक शारदा में और एक गंडक में कर रहे हैं । तो उसमें बेलदार के पद पर, उसी पद पर काम करने के लिये एक जगह 160, रुपया, एक जगह 80 रुपया और एक जगह 90 रु0 मिल रहा है, तो क्यों ? वर्क-चार्ज के अन्दर कालागढ़ और गूलर-मोज में वर्क चार्ज के मजदूर को अन्तरिम भत्ता दिया । और जगह वर्क चार्ज में ही आपने कोई भत्ता नहीं दिया ।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह तो मैंने निवेदन किया । उनमें समानता नहीं है इसलिये कि कालागढ़, रामगंगा का काम दूसरी तरह का है और छोटे-मोटे वर्कशाप में काम दूसरी तरह का है।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

1970 में एक जी0ओ0 हुआ था कि तीन वर्ष से ऊपर के जो वर्क चार्ज एम्पलाईज हैं मेंटिनेंस ऐंड रिपेयर डिवीजन में उन सब को स्थायी कर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब है इसमें, आप पढ़िये तो।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी ने जो कर्मचारी बाहर अनशन पर बैठे हैं उनका मांग-पत्र पढ़ा है और क्या उसमें एक मांग यह भी है कि सब प्रोजेक्ट्स के अन्दर प्रोजेक्ट एलाउन्स दिया जाता है जो कि यमुना प्रोजेक्ट के अन्दर देहरादून में नहीं दिया जाता तो वह भी उनको दिया जाय ? यदि हां, तो इसके बारे में क्या निर्णय लिया ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह जो मांग-पत्र मेरे सामने है इसमें तो यह नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं, उसको मान लेता हूं । जब और मांगों पर विचार होने लगेगा तो इस पर भी विचार हो जायेगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जैसा कि पी0डब्लू0 डी0 तथा अन्य विभागों में है इन वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिये यूनिफार्म रूल बनाने की कृपा करेंगे ताकि जो उस तरह का काम कर रहे हैं सबको एक समान वेतन मिल सके ?

श्री राजबिहारी सिंह—

वर्कचार्ज के लिये समान वेतन देने के लिये कोई बोर्ड बनाया जाय ऐसा विचार सरकार का नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जैसे पी0डब्लू0डी0 में है, मेंटिनेंस और कांस्ट्रक्शन दोनों उनके विभाग में चलते हैं । तो क्या मंत्री जी को विदित है कि पी0 डब्लू0 डी0 में जो तीन वर्ष तक वर्कचार्ज में रह जाता है उसको रेगुलर कर दिया जाता है । यदि हां, तो उस प्रणाली को सिंचाई विभाग में लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री राजबिहारी सिंह—

शासन की नीति यह है, इसमें आखिर में मैंने कहा भी है कि जो लोग तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उस कार्य के चलने की संभावना है उनको रेगुलर में रख लिया जायेगा । यह एक विभाग के लिये नहीं बल्कि सभी विभागों के लिये नीति है।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी—

कोई भी परियोजना अगर चल रही है, जैसे कालागढ़ डैम या दूसरे डैम, तो ये डैम तो एक निश्चित अवधि में समाप्त हो जायेंगे लेकिन और डैम आप बनाते चले जायेंगे और जो हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स आपके पास हैं और जो उनके टेक्निशियन्स आपके पास हैं, तो उन कर्मचारियों और टेक्निशियन्स को जो उन मशीनों पर काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

कोई आपत्ति नहीं है। मैंने साफ कहा है कि जिस कार्य के चलने की संभावना होगी उसके कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में रख दिया जायेगा ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

उद्योगशाला, झांसी और रुड़की को आपने 4 प्रतिशत के हिसाब से अनुग्रह धनराशि दी है तो क्या मेरठ और बरेली की कर्मशालाओं के कर्मचारियों को भी अनुग्रह धनराशि दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसकी सूचना मुझको नहीं है, सूचना मिलने पर विचार कर लिया जायेगा ।

प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रदेश में शांति और व्यवस्था की स्थिति पर मान ीय चौधरी साहब विचार प्रारम्भ करेंगे।

श्री यादवेंद्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मैं एक जानकारी आपसे चाहूंगा । आज का जो प्रस्ताव माननीय चौधरी साहब उठा रहे हैं बड़े महत्व का है । क्या इसमें बोलने की कोई सीमा रखेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को समय मिल सके या जैसे कल रहा कि कोई सीमा नहीं रही उस ढंग से करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

ढाई घंटे की बहस है।

श्री निन्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कम से कम जिन्होंने नोटिस दिया है उनको तो आप समय देंगे । मुझे कल भी समय नहीं मिला और आज भी डर लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नोटिस का सहारा क्यों लेते हैं, एक दिन आपको मौका नहीं मिला तो आपको आपत्ति हो गयी । अब मान लीजिये नोटिस में 20–25 नाम हैं तो सभी को तो समय नहीं मिल सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

समय बांध दीजिये । यह तो आपके अधिकार में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसी अभी मैं डिबेट सुन रहा था, स्तर बड़ा अच्छा रहा । हम चाहते हैं स्तर ऊंचा रहे और यदि कोई अपनी पूरी तैयारी करके आता है तो उसको कुछ समय ज्यादा भी मैं दे देता हूं । चौधरी साहब आप कितना समय लेंगे ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं स्वयं भी यही प्रश्न उठा रहा था । मैंने तो कल ज्यादा समय लिया नहीं । 40 मिनट मुझे दे दीजिये । वैसे मेरी तबियत ठीक नहीं है, आधा घंटा दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको अन्त में भी मौका मिलेगा ।

श्री चरण सिंह—

आधा घंटा शुरू में दे दीजिये, 20 मिनट बाद को दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

शेष को 15–15 मिनट । दल के नेताओं को 5 मिनट ज्यादा ।

*श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आज सदन के सामने मेरे द्वारा तथा मेरे अन्य साथियों के द्वारा उठाया गया, बड़ा अहमियत रखता है । किसी भी समाज का आधार ला ऐंड आर्डर हुआ करता है । सोसाइटी का कोई उद्देश्य बिना इसके पूरा नहीं हो सकता । और ला एन्ड आर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है । लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था बिगड़ती जा रही है । आज हमारे मित्र उधर के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

चाहे मानें, चाहे न मानें, लेकिन हमने तो लोगों को यही कहते सुना है कि आज कोई शासन नहीं रह गया है । वह तो हमारे जैसे शांतिप्रिय लोग हैं जो सब तरह के अन्याय को सहते हुये चलते रहते हैं, सोचते हैं कल सुधार होगा, कल नहीं तो परसों होगा । दरख्वास्त, कोई बात होती है तो भेज देते हैं, डी0एम0 को, एस0पी0 को, चीफ मिनिस्टर को, प्रधान मंत्री तक को भेज देते हैं, मगर कहीं से भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता । खैर ! अपनी कुछ इस तरह की परम्परा है कि बेइंसाफी को सहते रहते हैं ।

अब मैं आपको प्रदेश में शांति व्यवस्था की क्या हालत है वह बताना चाहता हूं । आप किसी भी दिन के अखबार के किसी भी ईशू को उठाकर देख लीजिये, सही हालत पता चल जायेगी । मेरे पास 13 सितम्बर का पायनियर है, इसको मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पढ़ना चाहता हूं । इसे मैंने उठा कर रख लिया था कि इसे यहां पढ़ूंगा । अब उसमें जयपुर, पटना, बाम्बे और दिल्ली की जो खबरें हैं, वे निकाले देता हूं । लेकिन जो 7 खबरें अपने प्रदेश की हैं वह मैं बताना चाहता हूं जो अखबार में सुरखी में दी हुई हैं, वे इस प्रकार है पहला "गाजियाबाद स्टूडेंट्स आन रैम्पेज" यानी गाजियाबाद के विद्यार्थी उत्पात कर रहे हैं, फरनीचर तोड़ा और दो लाख रुपये का नुकसान किया । दूसरा 'इलाहाबाद स्टूडेंट्स फोर्स क्लोजर आफ यूनिवर्सिटी आफिसेज' इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के दफ्तरों को बन्द करवा दिया । तीसरा, "रायबरेली कालेज स्टूडेंट्स आन स्ट्राईक" फिर 'पंत यूनिवर्सिटी क्लोज्ड इंडेफिनिटली', फिर पांचवां, "हाफ डे बंध इन वाराणसी' उसके बाद "ए0डी0एम0, कानपुर इंवाइट्स इन कनेक्शन विद दि डिस्टरबेंसेज ऐज दि यूथ रैली मीटिंग ऐट फूलबाग आन अगस्त 9," तो ये है एक ही दिन के अखबार में एक दिन में एक सूबे में अपराध की घटनायें ।

मैंने एक आध बार अखबारों में यह पढ़ा कि हमारे आई0जी0 साहब का ख्याल यह है कि अपने प्रदेश में ला ऐंड आर्डर की सिचुवेशन नार्मल है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं है । और इसकी पुष्टि में आंकड़े भी देते है । आंकड़े का जहां तक ताल्लुक है आपको मालूम होना चाहिये कि सन् 1918, 1919 व 1920 में आंकड़े वही थे जब सन् 1957, 1958, 1959 में थे । सन् 1961 में जब उसको देखा तो एक डी0आई0जी0 हमारी नोटिस में लाया कि ये आंकड़े अब बहुत बढ़ गये हैं, हम लोग कोई शांतिप्रिय नहीं हो गये है, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग नहीं होती है, इसलिये इनकी संख्या कम दिखाई पड़ती है । सन् 61 में जब मैं होम मिनिस्टर था तो साल भर में दुगुनी रिपोर्ट्स हो गईं । उसके बाद जब मैं हटा, तो दूसरे साल तो उसी तरह फीगर्स दे दीं, किन्तु उसके बाद फिर घटना शुरू हो गई । सन् 67 में फिर कुछ बढ़ी और फिर घटना शुरू हो गयी क्राईम्स तो आप लिखी गई रिपोर्ट्स से देखते हैं और रिपोर्ट्स का लिखना या न लिखना आपके हाथ में है ।

सिर्फ कत्ल ही एक ऐसा क्राइम है, जिसको छिपाना मुश्किल होता है, इसलिये आप देखेंगे, उसमें बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है । उनको भी यदि किसी अन्य सेक्शन में लिखा जा सकता या छिपाया जा सकता तो इनकी भी संख्या कम होती । आई0जी0, मुख्य मंत्री और उन्होंने पूरे अधिकार जो गोस्वामी जी को दे रखे हैं इन तीनों की यदि यह तसल्ली हो कि शांति व्यवस्था बड़ी संतोषप्रद है तो मैं कहूंगा कि इस खुशनसीबी के लिये आपको मुबारकबाद । लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, आज सिचुवेशन दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है, यह वाक्यात है । उसके बाद दिया हुआ है "शार्प राईज इन मर्डर्स इन हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट" जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले साल 8 मर्डर यहां रोजाना हुए हैं, 10 महीने में 85 हो गये । लखनऊ के बारे में लिखा हुआ है दूसरे ईश्यू में कि 58 मर्डर अबकी बार हुए हैं जनवरी से अगस्त तक । पिछले साल 45 हुए थे । पिछले साल 3 चोरी ट्यूबवेल के सामान की हुई थीं इस बार 7 हुईं । मर्डर लखनऊ में बढ़े हैं । और क्राइम भी बढ़ रहे हैं सारे सूबे में ।

न मुझे ज्ञान है न समय लगाया । इकट्ठा करता तो इकट्ठा हो जाते । लेकिन केवल मेरठ की बात कह रहा हूं।

कार में जा रहे है बदमाशों ने लूट लिया । दिल्ली से मुरादाबाद जा रहे थे कुछ दूरी पर आये तो लूट लिये गये । ट्रेन जा रही है मुरादाबाद से दिल्ली को । पिलकुवा और डासना स्टेशनों के बीच पहुंची तो यात्री लूट लिये गये । बारात अलीगढ़ से जा रही है हापुड़ और मेरठ के बीच में बस पहुंची, उनके पास जेवर था, वह लूट लिया । नैनीताल से बस जा रही मेरठ, किठौर और शाहजहांपुर के आसपास जो मेरठ जिले में है वह लूट ली गयी । सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने क्या इंतजाम किया ? हर कार में जो जाने वाला हो या बस में जो यात्री जाने वाले हों सब को रोको, कनवाय चलेगा, उसके साथ पुलिस की एक कार चलेगी । मेरी सुपरिंटेंडेंट पुलिस से बात हो गयी । मैंने कहा कि यह इम्प्रैक्टिकेबिल है, कब तक करोगे ? खैर मैंने जो मशविरा दिया था उन्होंने कि मैं उससे सहमत हूं, मैंने आई0जी0 को उन्हीं लाइंस पर लिख रखा है । जो मेरठ जिले में घटनायें हुईं, हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थीं जो वहां हो रही है । यही सारे सूबे का हाल है । शार्प राइज इन मर्डर्स इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट । विलेजर्स पवायल अटेम्प्ट टु लूट रेलवे स्टेशन । कुछ लोग रेलवे स्टेशन को लूटने जा रहे थे । गांव वालों ने जा कर रक्षा की । यह आम तस्वीर है हमारे यहां के ला ऐंड आर्डर को । कोई आदमी महसूस नहीं करता कि वह सुरक्षित है । मेरे पास एक तार आज आया । कुछ लड़के पुलिस के जरिये पीटे गये लाकअप के अन्दर वह लिखते हैं कि "चौदह छात्र नेताओं को पुलिस ने कल रात घरों से गिरफ्तार करके कोतवाली में लाठी जूतों से परगनाधीश उप-पुलिस कप्तान देवरिया, सरकिल निरीक्षक तथा इन्द्रजीत उमादत्त दरोगा ने मारा छात्रों की हालत दयनीय तत्काल हस्तक्षेप न्यायिक जांच हो" मैं इसलिये इसको बयान कर रहा हूं कि लड़कों को कोतवाली के अन्दर मारा और आफिसर्स की मौजूदगी में मारा ।

अब मैं तीन चार बातें विशेष तौर पर रखूंगा। 30–31 अक्तूबर के आसपास एक गांव नौनारी है उसमें दो कत्ल हुए। उसमें चालान हुए । ठीक है होना चाहिये। उनको सजा मिलनी चाहिये। इसमें कोई आदमी दो बात नहीं कह सकता । 30–31 अक्टूबर को बलवा हुआ और 14–15 को रात में मर्डर होते है । थाने में कोई गये नहीं । चौकीदार गया नहीं । लोग इकट्ठा हो गये । कुछ पहले से टेंशन चल रहा था । पी0ए0सी0 वहां पर थी, दो रोज पहले वह हटा ली गयी थी। ये मर्डर हुए । भीड़ इकट्ठा हो गयी, हजारों आसपास के लोग, यह बात भी समझ में आ सकती है। एक टेंशन था, मर्डर हुए, लोग इकट्ठा हुए । लेकिन इसके बाद उस गांव को लूटा गया और आग लगायी गयी । यह बात भी आप कह सकते हैं वहां के लोगों ने कर लिया, बाद में सजा देंगे तहकीकात करके । इसको हम कैसे रोक सकते थे । लेकिन नहीं । मेरी यही शिकायत है । दस बजे सुबह को वहां एक स्टेशन आफिसर, एस0ओ0 वह आ गया है दस आर्म्ड पुलिस मैन उसके साथ थे। उनके सामने मकान जलाये गये है, लूटे गये हैं।

इस वाकये में जहां तक मुझे मालूम है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । मेरे सहयोगी शफीक साहब गये थे आजमगढ़ लेकिन वहां चले गये । वहां आई0जी0 साहब से जो मालूम हुआ वह यह था कि महीने भर बाद भी नौनारी कांड में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । मुसलमानों के कुल 119 मकान थे जिनमें 73 जला दिये गये, 116 लूटे गये और 3 मकान सिर्फ अनएफेक्टेड रहे और 20 लाख रुपये का नुकसान अन्दाजा जाता है। पुलिस के सामने मकान लूटे जायं और आग लगाई जाय इसका मतलब यह होता है कि पुलिस बजाय इसके कि खुद अमन कायम करे, वह बदअमनी में मददगार होती है ।

उसके कुछ दिन बाद सजनी में एक घटना होती है । एक लड़की को छेड़ा जाता है एक गांव के कुछ लड़कों के द्वारा । उनको सजा मिलना चाहिये जो किसी लड़की की अस्मत

[श्री चरणसिंह]

को लूटना चाहता है लेकिन हुआ वह जो नौनारीनी में हुआ। पी0ए0सी0 के सामने मायनारिटी कम्युनिटी के मकान चलाये गये। मकान 46 थे जो जलाये गये। इस सिलसिले में रिपोर्ट कोई नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि पी0ए0 सी0 के सामने यह हुआ। मैं यह जानना चाहूंगा कि पुलिस अथवा पी0ए0सी0 जो गार्जियन है ला ऐंड आर्डर को मेंटेन करने के लिये उसी के सामने अगर ला तोड़ा जाय तो कहां अपील होगी। अभी वाराणसी तथा फिरोजाबाद में 74 घंटे का करफ्यू लग चुका था। कई कत्ल हुए थे और कहा गया हिन्दू-मुसलमान का सवाल उठा कर कि यह कम्युनल है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जब ला ऐंड आर्डर के सिलसिले में बातचीत हुयी तो त्रिपाठी जी ने शायद यह कहा अगर गलत है तो वह मेरी तरदीद कर देंगे कि कम्युनल फोरसेज सिर उठा रही हैं जिससे ला ऐंड आर्डर बिगड़ रहा है। जब किसी बात का जवाब नहीं है साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं अथवा सी0आई0ए0 करा रही है। ऐसा मालूम होता है कि अब साम्प्रदायिक दंगे यहां होते रहेंगे, कराये जायेंगे।

अब मैं मुरादनगर तथा मोदीनगर के कांड पर आता हूं जो 11 नवम्बर का वाकया है। 17 नवम्बर को हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान निकलता है उसमें यह निकलता है कि माननीय गोस्वामी जी ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में कहा है जैसे ही हमको यह बात मालूम हुई तो मने भी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी होम सेक्रेटरी को फोन कर आदेश दे दिये थे। माननीय गोस्वामी जी मुझे बतलायेंगे कि उनको यह बात कब मालूम हुई? यह वाकया 11 नवम्बर का है।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

12 तारीख को ही, जैसे अखबार मेरे सामने आया तत्काल मैंने उसकी सूचना होम सेक्रेटरी को दे दी थी . . .

श्री चरण सिंह—

मैं तो यह कह रहा हूं कि आपको मालूम कब हुआ ? आप इसको फिर देख लीजियेग मैं इस वक्त यह कहना चाहता हूं कि यह इतना संगीन मामला था कि फौरन ही उसी रात को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट की नोटिस में ला देनी चाहिये थी। होम सेक्रेटरी को तुरन्त इसकी इत्तिला देनी चाहिये थी कि इस तरह का वाक्या हो गया है। एक श्री ओम प्रकाश जी हैं, मेरठ के रहने वाले ह वे कहते हैं उन्होंने इसकी तहकीकात की है। एक शाकिर अली साहब हैं कांग्रेस संगठन के एम0एल0सी0 हैं उन्होंने कौंसिल में अपने बयान में कहा कि वे वहां गये और उन्होंने भी इस मामले की तहकीकात की। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 6 बजे के करीब 10–15 लड़कियां अपनी दो-तीन अध्यापिकाओं के साथ ट्रेन में चढ़तीं हैं। मोदीनगर में एक फंक्शन आयोजित किया गया था न उसमें हिस्सा लेने वे जा रही थीं। वे गाजियाबाद की लड़कियां थीं। चूंकि ये लोग ज्यादा थीं इसलिये एक डिब्बे में न बैठकर अलग-अलग डिब्बों में बैठ गईं। जैसे ही गाड़ी चल दी वैसे ही 10–15 गुंडे छुरे चाकुओं के साथ उसी गाड़ी में सवार हो गये और बल्ब फोड़ दिये गये। उसके बाद क्या कांड हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं और न जरूरी समझता हूं।

मुरादनगर में वे लोग उतर गये। पार्लियामेंट में यह सवाल गया। होम मिनिस्टरी के पास इस मसले के जाने के बजाय एक शाह नवाब साहब हैं, उनके पास चला गया। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है जैसा वाक्या हुआ है। उपाध्यक्ष जी, अखबार वालों ने कहा है कि जिस प्रकार का वाकया रवीन्द्र सरोवर कलकत्ता में हुआ था उससे कम संगीन मामला यह नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात और हो ही क्या सकती है कि इस मपकार से लड़कियों की असहमत को लूटा जाय। सवाल यह है कि गोस्वामी जी ने कहा कि हम

और माननीय मुख्य मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे ऐसी बात न हो। मैं कहता हूं कि आगे किसने क्या देखा है कि क्या होगा। सवाल यह है कि ऐसा हो ही क्यों गया उसी हिन्दुस्तान अखबार की खबर में यह भी लिखा है कि "आरोप है कि इन गुंडों का दल मोदीनगर और मुरादनगर के बीच चलती गाड़ी में पहले भी कई गम्भीर वारदातें कर चुका है मगर पुलिस आजतक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी।

मैं कहना चाहता हूं कि जो गुंडे हैं वे बड़े लोगों से संबंध रखते हैं और यह गवर्नमेंट बड़े लोगों के लिये है न कि गरीबों के लिये। बड़े लोगों के खिलाफ इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं होने वाला है इसलिये उन पर कार्यवाही नहीं हुई थी पहले और अब भी कार्यवाही होने में देर है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब होता है यह देख कर कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखायी इसलिये जरा सी कुछ देर हो गयी या शायद उसकी अहमियत ही में कुछ कमी आ गयी थी। अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखायी तो हम सब इसी मुल्क के रहने वाले हैं, यहां की सोसायटी से वाकिफ हैं, आप बतला दें कि कौन लड़की रिपोर्ट लिखायेगी? किसी ने कहा कि जब कागनिजेबिल आफेंस है तो पुलिस उस पर ऐक्शन ले सकती है। इसलिये वहां के आफिसर परेशान हैं और वहां के आफिसर एक्सप्लेनेशन दें कि क्या इसी तरह से समाज चलेगा और क्या इसी तरह से समाज के गुन्डों और बदमाशों से प्रजा की, जनता की रक्षा हो सकेगी?

अगर किसी साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखायी तो आप का खून क्यों नहीं खौला? आपका खून खौलना चाहिये था, आपकी मशीनरी हिल जानी चाहिये थी, आपको एस0 एस0 पी0 को यहां तलब करना चाहिये था लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल यह कहा गया कि किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखायी और कोई गवाही देने के लिये तैयार नहीं है। नहीं देगा कोई गवाही क्योंकि सर। मस्टेंसेज ऐसे हैं, उनमें कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनकी शादियां नहीं हुई होंगी। बहुत सी बातें कहने की नहीं हैं। अगर आपका इरादा है कि उन गुन्डों को सजा मिले तो इस कानूनी एक्सक्यूज से कोई फायदा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी या कोई गवाही देने के लिये तैयार नहीं है। अखबारों में यह निकला है कि जब यह सवाल लोक सभा में उठा तब से वहां पुलिस वाले बड़े सक्रिय हो गये हैं और वर्दी पहन-पहन कर कई आदमी लड़कियों के घर जाते हैं। इस तरह से कहीं गवाही मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। खैर, गवाही मिले या न मिले प्वायंट यह है कि हमारे सूबे में यह हवा कैसे आ गयी कि इस तरह से मास तरीके पर रेप हो जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, अब हरिजनों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बनारस में जहां के मुख्य मंत्री जी रहने वाले हैं, जहां के हमारे स्टेट मिनिस्टर श्री राजबिहारी सिंह रहने वाले हैं, और जहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री राम लखन जी भी रहने वाले हैं, इन तीनों मिनिस्टरों की कांस्टीटुएंसीज में, हल्कों में अलग-अलग हरिजनों के साथ ज्यादती हो चुकी है, मकानात जलाये जा चुके हैं। मुझे पूरी तफसील याद नहीं है लेकिन 12–13 हल्कों में जुल्म हुए हैं।

इसी तरह से प्रतापगढ़ में भी हुआ जहां के रहने वाले राजा साहब हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आप भी वहीं के रहने वाले हैं। मैंने लोगों से पूछा तो वहां के हरिजनों ने यह कहा कि माननीय उपाध्यक्ष को भी अब हम लोगों से हमदर्दी नहीं है। अभी मैं गया था प्रतापगढ़ और इस सम्बन्ध में आपसे अलग से बात करूंगा। टाइम्स आफ इंडिया अखबार के कारस्पोंडेंट भी गये थे तो वहां सभी का बयान था कि अभी पुराने राजे महाराजाओं की हवा है। अभी वहां गरीबों के दिन नहीं आये हैं। मैंने एक मामले में वहां के एक बड़े आदमी का चालान कराया था तो सारा राजसी ठाट ही हिल गया था। पहली बात हुई थी यह कांग्रेस के लिये कि कांग्रेसी जमाने में एक बड़े आदमी का चालान हो गया था।

[श्री चरण सिंह]

जिला हरिजन समिति, बलिया का प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के नाम यह खुला पत्र है। इसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। पायनियर में यह बात निकली थी लेकिन उसमें कुछ बात गलत थी वह मैंने निकाल दी हैं। माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा कि इतनी बात गलत और इतनी सही है। सही बात मैं सुना रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, रोशनी बेकार है (बैठ कर पढ़ दीजिये)

"आज देश को आजाद हुये 23 वर्ष गुजर रहे हैं। आये दिन हरिजनों के साथ नाना प्रकार के जोर जुल्म ढाये जा रहे हैं। बलिया जनपद के अन्तर्गत दुवहर ग्राम में ब्राह्मण परिवार द्वारा 14 नवम्बर को छोड़हरा निवासी एकम नामक 30 वर्षीय हरिजन युवक की इस प्रकार पिटाई की गई कि 36 घंटे की बेहोशी की हालत में बलिया अस्पताल में 17 नवम्बर को मृत्यु हो गई, भाई तपेशा को खम्भे से बांध कर पीटा गया। सोनामति और प्रभावती नामक हरिजन युवतियों को (इसमें से सोनामति की बात गलत बताई जाती है) घर में बन्द करके उसके साथ बलात्कार किया गया। (शेम शेम की आवाजें) शेम की बात और है वह आगे आयेगी। घरमू द्वारा कोतवाली में रपट लिखाये जाने पर रपट नहीं लिखी गई और उसको गाली गालौज देकर भगा दिया गया। दूसरे दिन 15 नवम्बर को हल्ला गुल्ला करने पर गलत 323 का रपट लिखा गया। जनपद के चन्द नेताओं एवं अधिकारियों द्वारा इस हरिजन कांड को दबाने की कोशिश की जा रही है। बलिया के महतवार कांड, बैजल पुर के गनपति हरिजन की हत्या, सहतवार थाने तिलक तिवारी के हाता पर 10 वर्षीय मदन हरिजन बालक की हत्या, हल्दी लखवलिया में मुरत हरिजन की हत्या, भीमपुरा कांड सूर्यपुरा आदि क्षेत्रों में हरिजनों के ऊपर बर्बर हमले हुये हैं।

क्या देशभक्ति, समाजसेवा, अधिकारों के नाम पर हरिजनों को यही इनाम मिलेंगे,' देश के सेवक सरकार की यही जिम्मेदारियां हैं कि हरिजन घुट-घुट कर मरते जायं, सिर न उठायें। मर्यादा की बात न करें, संघर्ष न करें, क्या सरकार की खामोशी अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम नहीं है ?"

इस नोटिस में 20 लोगों के नाम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कांड हुआ। पहले जहां ला ब्रीच हुआ था वहीं अगर सजा दे दी जाती तो कुछ नहीं होता। इस लड़की का बनारस में ले जाकर डाक्टरी मुआयना कराया गया क्योंकि मुलजिमान ऐसे थे कि उनके संबंधी वहां थे। अब सुना गया है कि उनका तबादला हो गया है। दो गिरफ्तार हुये जिनके नाम सत्य नारायण और वशिष्ट नारायण हैं, उनकी जमानत के लिये जिन पर 304 और 374 आई0 पी0 सी0 की दफात थीं। इनकी बेल एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट ने यह लिखा है कि केस डायरी दिखाओ लेकिन नहीं दिखाई गई। उन्होंने एक बात और कही कि मेरे सामने वह सामान लाओ लेकिन नहीं लाया गया। मजबूर होकर उन्होंने (मजिस्ट्रेट) ने आदेश दिया कि इन्वेस्टिगेशन अधिकारी मेरे सामने पेश हो, तारीख लगायी गयी, पेश नहीं हुआ, एफ0 आई0 आर0 के लिए तारीख लगायी गयी। एफ0 आई0 आर0 पेश हुयी लेकिन फिर वापस ले ली गयी। कहा गया कि यह मामला 323 का था औप एफ0 आई0 आर0 भेजने की जरूरत नहीं थी। मैजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। उनका जो जजमेंट है उससे स्पष्ट होता है कि उनको अपनी तबियत के खिलाफ काम करना पड़ा है, उनको बेल देना पड़ा है।

तो पुलिस जुर्म हो, रेप का केस हो, अस्पताल में जाकर मर जाता हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह एटीट्युड क्यों नहीं है। वे जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है सिफारिश से सारे मामले तय हो सकते हैं। अनुशासन का काम शासन में नहीं रह गया है। पुलिस इस तरह से बिहेव करती है। जो लड़का मरा है मजिस्ट्रेट उसका बयान लेंगे नहीं। दूसरी किसी रिपोर्ट में प्रेस में था कि बयान उसका नहीं लिया गया और वह मर गया। एक हरिजन

लड़का हाथरस में मरा। पुलिस ने जलाया गाजियाबाद में, लोगों ने नहीं। पुलिस यह कर रही है। 4 पुलिस वाले हरिजन लड़के को पकड़ कर कोतवाली में ले गये, लौक अप या थाने में रखा, उसके ऊपर तेल डाल दिया। कहते हैं कि उसने अपने ऊपर तेल डाल लिया। डिफेन्स को देखिए, हवालात में लड़के ने अपने ऊपर तेल डाल लिया। बाद में वह मेरठ मेडिकल कालेज में पहुंचाया गया। उसका बयान ही तहसीलदार लेने गया। उस लड़के ने बताया कि मेरे ऊपर तेल डाल कर आग लगा दी गयी। फिर इन 4 पुलिस वालों को पकड़ा गया। सवाल यह नहीं कि एक लड़का मरा या 2 लड़के मरे। सवाल यह है कि जो लोगों के रक्षक हैं वे कैसे बिहेव करते हैं। वाकया यह है कि वे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, तुम्हारे बल पर ? आप इस पर विचार करें कि क्यों पुलिस के लोग आग जला देते हैं। यह हाथरस की बात हुयी।

अब बांदे की बात सुनिये तो माननीय राज्य गृह मंत्री के हल्के की बात है मेरी प्रार्थना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरा जो बाद वाला 20 मिनट का समय होगा उसमें इस समय को काट लीजिए ? बांदा की बड़ी मजेदार बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि जितना समय ज्यादा दिया जाय, वह माननीय मुख्य मंत्री के समय से काट लिया जाय, हमारे में से नहीं ?

श्री चरण सिंह--

आप 6 दिसम्बर के नेशनल हैराल्ड को देखें। इसमें दिया है कि इस जिले में हरिजनों के साथ जो हैरेसमेंट, जो परेशानी और जो अन्याय है, वह बढ़ रहा है। और इस जिले में 2 गांव ऐसे हैं जहां पर हरिजनों को गुन्डों के कारण अपने घरों को छोड़ना पड़ा।

एक गांव सोडा सांनी है और दूसरा झंझरी पुरवा है। सोडा सानी में गुन्डे इतने दिलेर हैं कि वे पुलिस थाने के अन्दर घुस जाते हैं, शराब पी-पी कर और पुलिस वालों को चैलेन्ज करते हैं, अगर गांव में पुलिस जाती है। तो अपनी रक्षा के लिये पुलिस की शरण लेनी पड़ती ह, वहां से दौड़ पड़ते हैं। प्रधान के घर में जाकर पुलिस वालों ने शरण ली। स्टेट होम मिनिस्टर के हल्के में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसीडेन्ट का गांव एक मील पर है। अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो उस पुलिस अधिकारी को फौरन तबादला कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि एम0 एल0 ए0 ने कहा था, रोक दिया या कर दिया। कांग्रेसमैन क्या कहते हैं ? अगर पुलिसवाले गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो उनका तबादला कर दिया जाता है।

एक हरिजन 70 वर्ष का बूढ़ा है। उसके पुत्र और उसकी पुत्र बधू और उसके दो बच्चे जो अभी सन्डासानी से निकाल दिये गये हैं मन्डे को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने यह बतलाया कि गांव के जो गुन्डे हैं उन्होंने उनकी पुत्र बधू के जेवर और 7,000 रु0 चीट कर लिया। गांव में पंचायत हुई और यह निर्णय हुआ कि अन्याय हुआ है। उसमें यह भी तय हुआ कि कैश और दूसरी चीजें हैं उनको लौटा दिया जाय। बुलीज रिफ्यूज्ड टू एबाइड बाई दि पंचायत डिसीजन। और गुन्डों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। और उन्होंने कहा कि हरिजनों ने यह हिम्मत की कि पंचायत बुलाई और डि0 एम0 के पास चले गये। इस पर उन्हें नाराजगी हुई। हरिजनों पर उन्होंने गोली चलाई और उनको गांव छोड़ने पर मजबूर किया। यह परिवार गत 5 माह से बबेरू तहसील हेडक्वार्टर्स में पड़ा हुआ है। इन हरिजनों में कोई दूकान करता था तो उनकी गैर मौजूदगी में उस दूकान को लूट लिया गया। गांव वाले इतने टेरीफाइड हैं कि डर के कारण कोई भी व्यक्ति हरिजनों के हक में गवाही देने को तैयार नहीं है। जिलाधीश ने आदेश दिया है कि सब शिकायतें लिख ली जायं और इस अखबार के करेस्पाडेंट को बतलाया गया कि दीज

[श्री चरणसिंह]

गुन्डाज वेयर डेरिंग आन एकाउन्ट आफ फुल सपोर्ट बाई सम पोलिटिकल लीडर्स एन्ड दि पुलिस वेयर इम्पोटेन्ट बिफोर देम ।

राजनीतिक नेताओं के कारण गुन्डों का हौसला बढ़ गया है और पुलिस उनके सामने बेकार हो गई है । वे पुलिस स्टेशन पर जाकर धमकी देते हैं और जिस दीवान ने इस पर एतराज किया तो उसका तबादला करा दिया गया । एक पुलिस पार्टी जो हरिजन की दुकान लूटने के सिलसिले में गांव में गई थी वह गुन्डों द्वारा चेज की गई और उनको एक प्रधान के घर शरण लेनी पड़ी जहां से वे केवल स्नीक अवे कर गये । पुलिस पार्टी के ऊपर दूकान को लूटने वाले गुन्डों ने हमला किये और उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचा कर प्रधान के घर में शरण ली जहां से वे किसी प्रकार खिसक आये । हरिजन परिवार को डर है कि यदि वह गांव में लौटेंगे तो मार दिया जायगा ।

एक दूसरी और छोटी सी घटना के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक हरिजन पलियां पुलिस सर्किल में चन्दरीपुरवा में एक कुयें पर नहा रहा था । उसको ठाकुर साहेब ने बुलाया । उसको कहा कि मैं नहा कर आता हूं । इससे ठाकुर साहब नाराज हुये और कहने लगे कि उसकी यह हिम्मत । वह अपने साथ कुये पर गुन्डों को ले गये जिन्होंने उसको घसीट लिया और पीटा । यह सब इस अखबार में लिखा है । पैलानी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गये तो रिपोर्ट के बाद उसकी मां को पीटा गया । अब वह गांव में जा नहीं पा रहा है ।

तो यह स्थिति है आपकी पुलिस की । इसका नतीजा क्या होगा । लन्डन टाइम्स में छपा है कि 500 आदमियों का एक मार्च निकला । उस भाग में हरिजनों की जो स्थिति है उसका जिक्र है । उसमें पी0 सी0 एम0 और अम्बेदकराइट के लोग थे । एन्टी इन्दिरा गांधी । और ये सी0 पी0 एम0 के लोग नहीं थे । उसमें लिखा है कि—

Dr, Ambedkar Memorial Committee took part in the protest and distributed a leaflet entitled 'Smash Hinduism.' It alleged the increasing number of atrocities were being perpetrated against the untouchables by the Caste Hindus in India.

अभी आपके जिले के अन्दर (मुख्य मंत्री के) एक हजार आदमियों का धर्म का परिवर्तन किया गया । इसलिये किया है कि आपको हिन्दू कहने वाले, रामकृष्ण का नाम लेने वाले, जो दूसरी परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, अपने को जो ऊंची बिरादरी का समझते हैं, उन्होंने समझा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा हमको उनमें न्याय नहीं मिलेगा अखबारों में पहले से छप रहा था । मुझे नहीं मालूम कि माननीय मुख्य मंत्री को इसकी कोई फिक्र हुई या नहीं । उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की या नहीं कि भाई क्यों छोड़ते हो अपने धर्म को । कहा जा सकता है कि एक बी0 के0 डी0 के एक एक्स-जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने अपने किसी स्वार्थ में किया होगा ।

एक हजार ने क्यों धर्म छोड़ा । सन 57 में अलीगढ़ में क्यों छोड़ा । यह ठीक है कि बड़े-बड़े उद्देश्य हमारे वेदों के और दर्शनों के और उपनिषदों के । एक्चुवल प्रेक्टिस में हमारी सरकार क्या इतनी अनुदार है कि वह यह न सोचे कि वे हिन्दू धर्म में क्यों रहे और चले गये तो मुख्य मंत्री क्या बतलायेंगे कि उन्होंने कोशिश की है । अगर दिल से कोशिश करते तो एक हजार आदमी इस तरह से छोड़कर जाते । मैं यह सब भी छोड़ देता हूं । एक बात कहता हूं कि हमारे सेक्रेटरी थे एक आई0 एन0 ए0 के लैफ्टिनेन्ट हैं हरपाल सिंह । इन्होंने एक याचिका दी । एक जमींदार साहब हैं रुस्तम सिंह उनके गांव के पास इटावा में वह हरिजन हैं । उनके साथ किस तरह न्याय करते हैं । इसके साथ

जो मैजिस्ट्रेट बर्ताव करते हैं उनकी वह शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने लिख कर दिया कि ये सब चीजें अगर गोस्वामी जी कार्यवाही करने के लिये तैयार हों (श्री गोस्वामी जी की ओर संकेत करते हुए) आप पढ़ेंगे।]

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं पढ़ रहा हूं।

श्री चरण सिंह--

अगर आप ऐक्शन लेते तो हिम्मत होती। मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या-क्या बातें की हैं। परगना अधिकारी श्री बागची और सिटी मैजिस्ट्रेट उपाध्याय हैं। (श्री राजितराम पांडेय की ओर संकेत करते हुए) मालम होता है आप परेशान हैं। यहां शोर हो गया है, अशान्ति हो गई है उसमें शान्ति कर रहे हैं पांडे जी। इसका कारण क्या है। अब मैं तीन चार कारण बड़ी जल्दी-जल्दी बतलाये देता हूं। एक कारण तो यह है कि कानन पर अमल नहीं होता है। सिफारिश से सब कुछ हो सकता है। एक दफा यह फीलिंग हो जायेगी कि कानून का उल्लंघन हो फिर कोई परवाह नहीं करेगा। सिफारिश पहुंच जाय तो ला एन्ड आर्डर नहीं कायम किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि कुछ आदमियों को कानून के ऊपर समझा जा रहा है लेकिन डेमोक्रेसी जभी चलेगी जब कानून एक तरफ से बरता जाय।

तीसरी बात यह है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका खुद का जो दृष्टिकोण है उससे सारा रंग बदल जायेगा। मैंने कहा था कि जब चीफ मिनिटिस्र होने पर ये बनारस गये थे तब जनाब ने वहां जो दावत खाई थी उस पर 16 मुक मों में पुलिस ने चालान कर रक्खा है और वह हिस्ट्रीशीटर था। उसने दावत दी। मैंने माना कि पालिटिक्स में सब तरह के लोगों से ताल्लुक होते हैं लेकिन जब आप मुख्य मंत्री हो गए तो जिस आदमी पर मुकदमे चल रहे हैं, पुलिस ने चालान किए और हिस्ट्रीशीटर है, उसके यहां आप खाना खाएं? और एस0 पी0 बाहर खड़ा रहे? वह क्या सोचेगा? उस पर कार्यवाही कर सकता है? इसी तरह से एक और शख्स थे, उन्होंने निमंत्रण दो दिन बाद का दे रखा था। पुलिस ने एक मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया। यह है पुलिस का करेक्टर। तो हिम्मत वाले तो हैं पुलिस वाले। मैंने तो उस रोज यह बात कही थी। मैं उठ कर चला गया था लेकिन आपने उसका कंट्राडिक्शन नहीं किया। मुझे चिट्ठी ही लिख देते कि आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, यह सही नहीं है। अभी हाल का वाकया देखिए, उपाध्यक्ष महोदय। जो 13 आदमी मुगलसराय की चोरी के सिलसिले में पकड़े गए मैंने सुना है कि उसमें भी वह आदमी था। फिर, डी0 एम0, एस0 पी0 एक ऐक्शन लेते हैं और आप कहते है कि ला डिपार्टमेन्ट ने यह एडवाइज कर दिया कि यह खिलाफ कानून है। अगर था भी तो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट में दो महीने के अन्दर एक ट्रिब्यूनल बैठता है....

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

किसके यहां दावत खायी थी? पिछले डेढ़ साल से तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं मुगलसराय में दावत खाने का.....

श्री चरण सिंह--

मुगलसराय में नहीं, वाराणसी में। मैंने तो नाम भी बताया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वाराणसी में भी डेढ़ वर्ष के बीच में कहीं दावत खाने का मौका नहीं मिला।

श्री चरण सिंह—

बीस महीने सही। अप्रैल 71 की बात है। मैंने तो नाम और तारीख भी बतायी थी....

एक सदस्य—

सुनी हुई कह रहे हैं या जानकारी है ?

श्री चरण सिंह—

आप तशरीफ रखिए। आपकी लायलटी में कोई शक नहीं है। तो मैं यह कह रहा था कि एल0 आर0 ने राय दी। उनकी राय सही होगी। लेकिन क्या डी0 एम0, एस0 पी0 जितने ऐक्शन बदमाशों के खिलाफ लेते हैं, उन सबमें आप एल0 आर0 से पूछ कर कहते हैं कि मुकदमा वापस ले और जब कि ऐक्ट के अन्दर यह प्रावीजन है कि दो महीने में ट्रिब्यूनल बैठेगा और डी0 एम0 से रीजंस पूछे जायेंगे कि क्यों डिटेन किया तब आपने उनको छोड़ दिया। इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा? ला ऐन्ड आर्डर की मशीनरी क्या नतीजा निकाल लेगी ? जहां लाखों रुपये की चोरी रोज होती है और वहां के अफसर हिम्मत करके पकड़े तो आप को तो बुलाकर शाबाशी देनी चाहिये थी और हिम्मत देनी चाहिए थी कि हम मदद करेंगे। लेकिन नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 17 तारीख को मैं गोरखपुर में था। "आज" के एडीटोरियल में—वह आज जो कि आपको निरन्तर सपोर्ट करता है—उसने सख्त एडीटोरियल इस सम्बन्ध में लिखा है कि क्यों छोड़ा क्योंकि वाराणसी के लोग जानते हैं कि सही आदमी पकड़े गए थे और उन 12 दिनों में कोई चोरी नहीं हुई थी।

मैंने अखबार में पढ़ा किसी ने कहा है कि दस साल आपको मुख्य मंत्री रहना है। आप इस एटीट्यूड को रिवाइज कर लें तो मुमकिन है कि दस क्या पन्द्रह साल तक चल जायं। जो हो गया वह हो गया अब आगे के लिए तो रिवाइज कर लीजिए। फिर, हरिजनों के साथ ही यह सब क्यों हो रहा है ? आप कास्टिज्म में विश्वास करते हैं, कास्टिज्म में ही नहीं बल्कि 2378 बिरादरी में विश्वास करते हैं। हमारे बी0 के0 डी0 में आधे आदमी तो छोटी जाति के हैं। मैं भी हूं, श्याम लाल यादव और जगवीर सिंह भी हैं छोटी ही जाति के फिर पिछड़े हुये हरिजनों को कौन पूछता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उसमें भी सबसे ऊंची जाति के त्रिपाठी जी और स्वामी जी हैं।

श्री चरण सिंह—

लखीमपुर खीरी में जब आपको वेलफेयर दिया गया तो वहां पर ब्राह्मण कुल शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया।

(हंसी)

यह लेजिस्लेटिव काउन्सिल में भी आ चुका है। मैं बहुत ही संजीदगी से त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि आपको केवल ब्राह्मण कुल का ही नहीं वरन् सारे प्रदेश की 9 करोड़ जनता का शिरोमणि होना चाहिये। आप कास्ट सिस्टम में विश्वास करते हैं जिसने ही सारे हिन्दुस्तान को गारद में मिला दिया। आपने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। आज कास्ट सिस्टम के कारण ही हरिजनों पर यह अत्याचार हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस मैन इतनी गल्ती करता है लेकिन उसको सजा नहीं दी जाती है और साथ ही जब वह अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ भी नहीं ठोंकी जाती है। सब-इन्सपेक्टर को वाइस-चान्सलर का अधिकार अपने-अपने क्षेत्र में है परन्तु वे अपने अधिकारों का

प्रयोग नहीं कर सकते और उनको वही करना होगा कि जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसीडेन्ट या कांग्रेस मैन उनसे कहेंगे। ईमानदार से ईमानदार सब इन्सपेक्टर का भी ट्रान्सफर इसी बिना पर कर दिया जाता है कि कांग्रेस मैन नहीं चाहते। साथ ही बेईमान का समर्थन किया जाता है। क्योंकि उसके लिये कांग्रेस मैन कह रहा है। प्रशासन कैसे चल सकता है इस प्रकार रोज इन्टरफियरेन्स से। परन्तु आपको तो करना है। आज वह रूलिंग पार्टी है, सत्ता आपके हाथ में है।

मैं तो कहता हूं कि आज हर एक कांग्रेस मैन रूलर हो गया है। ईमानदार आदमी इससे परेशान है। वह क्या करे और क्या न करे। वह कोई ऐक्शन नहीं ले सकता है और इसीलिये ला एण्ड आर्डर बिगड़ा हुआ है। ऐडमिनिस्ट्रेशन में बात-बात पर इन्टरफियरेंस होता है। उसका तो इनीशियेटिव ही समाप्त हो गया है। जिस अधिकारी के पास जो अधिकार हैं उसको पूरी तरह से काम करने दीजिए। अगर वह गल्ती करता है तो आप उसको सजा दें। साधारण पटवारी का ट्रान्सफर आप यहां से कैंसिल करवा देते हैं तब तो कलेक्टर और एस0 डी0 ओ0 तो बेकार हो गया। मान्यवर, यहां के आई0 जी0 के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको काफी दिनों से जानता हूं जब कि वे डी0 आई0 जी0 थे। मैंने एक पत्र 26 अक्टूबर को लिखा। मेरे हल्के के जो प्रमुख थे वे बड़े ही प्रामीनेन्ट आदमी थे। वह आदर्श नगला के थे। उनको अपने मर्डर का खतरा पैदा हो गया।

एक सदस्य—

चौधरी साहब आप को बोलते हुए एक घन्टे से अधिक हो गया है।

श्री चरण सिंह—

अब मैं खतम ही कर रहा हूं। 26 अक्तूबर को खत लिखा कि उनको कत्ल होने का अन्देशा है। उस खत के साथ मैंने एक और खत एटैच कर दिया और मैंने उसमें कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप कार्यवाही करेंगे। मैंने बेवकूफी की या हिम्मत की यह समझने को मैं मुस्तहक हूं जबाब पाने का कोई एकनालेजमेन्ट नहीं आया। मैं समझा कि आई0 जी0 साहब इससे नाराज हो गये कि मैं जवाब पाने का मुस्तहक हूं। जवाब क्या आता है देखें। 26 अक्टूबर का खत 14 नवम्बर को एकनालेज दिया जाता है और आई0 जी0 साहब खुद दस्तखत नहीं करते, केवल पी0 ए0 एकनालेज करता है। एक एम0 एल0 ए0 के खत पर दस्तखत करना आई0 जी0 अपनी कसरे शान समझते हैं। पी0 ए0 ही दस्तखत कर देते—मैं मान लेता अगर वे फार आई0 जी0 दस्तखत करते। जब मैंने पर्सनल लेटर लिखा था तो यह उनका फर्ज था कि 26 अक्तूबर के खत पर 27 अक्टूबर को लिख देते:—

प्रिय या जो कुछ भी लिखते या कुछ भी न लिखते, आपका खत आया। उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश आज ही दे दिये हैं।

एक सदस्य—

आप तो एक्स चीफ मिनिस्टर थे।

श्री चरण सिंह—

मैं तो उस डर के मारे नहीं कह रहा हूं। यह तो फैक्ट है कि मैं एक्स चीफ मिनिस्टर हूं। यह हर एम0 एल0 ए0 का हक है कि अगर वह कोई पर्सनल लेटर आई0 जी0 को लिखता तो उसके जवाब में जो खत आए उस पर आई0 जी0 खुद दस्तखत करे। आपके पी0 ए0 टू0 आई0 जी0 ने कह दिया:—

प्रिय महोदय, आपके पत्र दिनांक 26—10—72 की जिसके साथ श्री मनी राम निवासी नगला ख्वाजा थाना छपरौली जिला मेरठ का प्रार्थना-पत्र नत्थी है, प्राप्ति स्वीकार की जाती है। मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

[के0 एन0 दारूवाला]

[श्री चरण सिंह]

मैं जानता हूं कि वे आई0 जी0 के पी0 ए0 हैं। बड़े अच्छे आफिसर हैं। उन्होंने कह रखा होगा कि कुछ ही जवाब दे दो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपकी कोई गिरफ्त नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है। ऐडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है? आप किसी का जवाब तलब नहीं करते, कोई आप से डरता नहीं, पुलिस वाले मनमानी करते है, उनको डर नहीं है, पुलिस वाले शायद यह सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई हुकुम नहीं है और इसीलिये ऐडमिनिस्ट्रेशन डूब रहा है। मैं माननीय मित्रों से दरख्वास्त करूंगा उधर वालों से कि वे अपनी पार्टी में इस सवाल को उठाएं और अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं। वे यह न समझें कि इन्दिरा जी की हवा में सब जीत जायेंगे। हवा आज उठती है, खत्म हो जाती है। जो हमारी डिवटी है एम0 एल0 एज0 की हैसियत से उसे अदा करें। बस अब मैं समाप्त करता हूं।

श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन))--

एक घंटे के भाषण का मतलब है कि आप सरकार को बदनाम करना चाहते हैं इन्दिरा जी की हवा कह कर। हम तो प्रयास कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह--

बावजूद प्रयास के you have failed. Then you must quit .मैं तो यह मानकर चलता हूं कि आप कैपेबिल नहीं हैं। अगर मैं एक घंटे का भाषण दे रहा हूं तो आपको अफसोस मानना चाहिए था। आप उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं और अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। इसके ऊपर आवाज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी और गोस्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया। आगे और ज्यादा ध्यान दें तो शायद मामला सुलझ जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

एक सदस्य--

कथा वाचन सुनिए।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, कथावाचक तो हैं ही जिन्दगी भर से।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या...

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

महाराज कहते है कि कथा वाचन सुनिए। मैं माननीय चौधरी साहब का आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। लेकिन हमारे प्रदेश के वे एक वरिष्ठ नेता हैं और बहुत समय तक उनकी छत्रछाया में हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला है। इसके पहले कि मैं अपनी भावनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है कुछ कहूं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे वास्तविकताओंके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी और करने का प्रयास कर लेते तो मैं और अधिक आभार उनका मानता जिन समाचार पत्रों से उन्होंने उद्धरण दिये हैं उन्हीं समाचार पत्रों के कई समाचारों के आधार पर शासन ने भी अपनी कुछ फाइंडिंग्ज प्रकाशित की हैं मैं अब खेद ही कर सकता हूं कि माननीय चौधरी साहब ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जिन समाचार पत्रों से उन्हें शासन में कालिमा दिखलाई पड़ती है जिन समाचारों के कारण उन्हीं को उन्होंने प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। इसके लिये मैं क्या कहूं, केवल इतना ही कह सकता हूं कि चौधरी साहब तो आंकड़ों में विश्वास करने वाले हैं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, चौधरी साहब ने जहां तक मैं समझ पाया हूं उन्हीं के समाचार-पत्र नेशनल हराल्ड को निर्दिष्ट किया है और अगर उस में यह खबर गलत छपी हैं जिनको आपने वेरीफाई किया है तो कृपया इसपर भी प्रकाश डाल दें कि क्या आपने पता लगाया कि आपकी गवर्नमेन्ट के खिलाफ आपके अखबार में यह खबरें कौन छापता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अब अखबार किस का है किसका नहीं है । यह किस का हो सकता है यह तो माननीय सदस्य ही कह सकते हैं, हमारी सरकार और हम तो समाचार-पत्रों को स्वतंत्र विचारों को प्रकट करने का प्रतीक मानते हैं । जो समाचार उनके पास आते हैं जिस भी सोर्स से उनके पास आते हैं उनको वह प्रकाशित करते हैं । जो सही है वह तो सही हैं लेकिन जो गलत हैं उस के बारे में प्रतिवाद भी निकल जाता है ।

सबसे पहले मैं बांदा के समाचार की ओर माननीय चौधरी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके बारे में उन्होंने बार-बार यह बात कही है । सांडासानी के बारे में वह विशेष रूप से कह रहे थे । आज से 2 साल पहले का यह किस्सा है कि वहां एक औरत फतेहपुर जिले से ले जायी गयी और वह भी अपने ढंग से ले जायी गयी और वह एक हरिजन की बहू बन कर रहती है । एक रात को वह बहू किसी कारण से अपने घर से निकलती है और एक ठाकुर के यहां जाकर शरण लेती है । जिस ठाकुर के यहां वह शरण लेती है उसके विरुद्ध वह हरिजन हो जाता है और उसके ऊपर यह हरिजन बराबर आक्षेप लगाता रहा और यहां तक कि उसने अपने ऊपर घातक हमले की रिपार्ट भी दर्ज करायी और 307 के अन्दर आज भी मुकदमा दर्ज है और चल रहा है ।

मान्यवर, अब इन तथ्यों को न देख कर और वास्तविकता में न जाकर केवल इस लिये कि नेशनल हेराल्ड में एक समाचार प्रकाशित हो गया और कह दिया गया कि राज्य मंत्री गोस्वामी उसके लिये दोषी हो गया । मुझे दुख न होता अगर माननीय चौधरी साहब ने कुछ आगे पता लगा लिया होता या मुझी से वह पूछ सकते थे । उनको इतना तो मेरे ऊपर अधिकार है ही और अगर वे ऐसा कर लेते तो मुझे विश्वास है कि वे ऐसे समाचार के ऊपर मुझ पर आक्षेप न करते । मैं समाचार पत्रों के ऊपर आक्षेप नहीं करता, वे अपनी जानकारी के आधार पर ही समाचार दे देते हैं लेकिन जिलों में समाचार पत्रों के बहुत से रिपोर्टर्स होते हैं जो किसी पार्टी विशेष से सम्बन्धित होते हैं और उसके कारण वे समाचार अपने ढंग से देते हैं ।

दुर्भाग्य की बात है और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि बांदा में जो रिपोर्टर महोदय इस समाचार पत्र के हैं वे एक विशेष पार्टी से संबंधित (एक आवाज किस पार्टी से?) यह बताना इस वक्त जरूरी नहीं हैं लेकिन प्रारम्भ से लेकर अब तक कोई एलेक्शन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने से उन्होंने छोड़ा नहीं है और आज ऐसा राजनीति का समय है जब गोस्वामी आज यहां पर है जिसको होम मिनिस्टरी का काम करने का मौका मिला है तो स्वाभाविक है कि वे मेरे ऊपर आक्षेप लगावें और मेरी पार्टी के ऊपर आक्षेप लगावें, यह असम्भव बात नहीं है । जो चीज आयी इसलिये असम्भव नहीं है । सुन कर ही यदि आप किसी बात को स्वीकार करने को तैयार हो जावें तो फिर तो असम्भव और सम्भव का अन्तर नहीं रह जाता है । यह देखने की बात है । माननीय चौधरी साहब पर कोई आक्षेप नहीं लगाता ।

श्री चरण सिंह--

मैं आपके दिल को जानता हूं लेकिन दो दिन बाद इसी नेशनल हेराल्ड में आपकी कलम से कुछ निकल जाता तो मैं इसको न उठाता ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दो दिन बाद सही या दस दिन बाद सही। लेकिन जब तक मैं तथ्यों से अवगत न हो जाऊं तब तक कोई कन्ट्राडिक्शन निकालना उपयुक्त नहीं समझता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने किसी भी अधिकारी के ट्रांस्फर के लिए अपने जिले में नहीं कहा। जिस दीवान का माननीय चौधरी साहब ने जिक्र किया उसके खिलाफ काफी रिपोर्ट थीं। वह ब्राह्मण था। उसके नाते रिश्तेदार थे। अनेक शिकायतें थीं। डी0 आई0 जी0 के यहां रिपोर्ट पहुंची तो कई ऐसे आदमियों का जिनके नाते रिश्तेदार थे ट्रांस्फर किया। मेरी जानकारी में भी नहीं। लेकिन आज तो यह एक बिडम्बना है और परम्परा है कि शासन में रहने वाले को सब सुनना पड़ेगा। चौधरी साहब जैसे वरिष्ठ नेता तथ्यों में न जाकर आरोप लगा दें तो केवल सुनने के अलावा कोई उपचार नहीं है। इस सम्बन्ध में एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जैसे दिमघट वाला समाचार निकला। चुनाव का झगड़ा था। दुर्भाग्य से वहां एक ब्राह्मण और नान ब्राह्मण का चुनाव हुआ। चुनाव में बैकवर्ड जीता। लेकिन उसके पहले एक ब्राह्मण की हत्या हो चुकी थी।

श्री चरण सिंह—

मैंने तो उसको नहीं उठाया।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आज नहीं उठाया तो कल उठा सकते हैं। बिना जानकारी किये तथ्यों की आपका माध्यम समाचार-पत्र है, वही आपके सोर्स हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं। आपके ऊपर आक्षेप करने का साहस मैं नहीं कर सकता। लेकिन समाचार-पत्रों पर ही बेस करके आप बिना तथ्यों की जांच किये रखते हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं करता, सफाई देना चाहता हूं। इस समय प्रदेश में शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बहुत पीड़ा है। लेकिन यह कल्पना करना कि हमको पीड़ा नहीं है उचित नहीं समझता। कोई भी शासन, जिसके कन्धों पर उत्तरदायित्व है, यदि प्रदेश में शांति व्यवस्था नहीं कर सकता है तो उचित नहीं है। आंकड़ों पर ही चौधरी साहब विश्वास करते हैं। लेकिन अगर उनका भी वह प्रतिवाद करना शुरू कर दें तो कोई उपचार नहीं है। ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलती हैं, समाज में नई समस्याएं आती हैं, अपराधों की रूपरेखा में परिवर्तन होता जाता है। यह प्रतिदिन का नियम है, सनातन नियम है। उस नियम के आधार पर आज अपराधों की स्थिति है। माननीय चौधरी साहब वरिष्ठ नेता हैं। जब वह विद्यार्थी थे तो क्या उस समय कोई विद्यार्थी बहन बेटी को छेड़ता था। लेकिन आज नवयुवकों का रास्ते चलते बहन बेटी को छेड़ना दृष्टि-कोण बन गया है। इसमें किसका दोष है? समाज को दोष न देकर केवल शासन ही दोषी है।

मुरादनगर की एक समस्या है। उन्होंने कहा कि मैंने कौंसिल में एक स्टेटमेंट दे दिया। दिया, तथ्यों के आधार पर दिया। निश्चित स्टेटमेंट दिया। मुरादनगर की घटना के बारे में जब कौंसिल में प्रश्न आया तो 12 तारीख को डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 मौके पर पहुंच चुके थे। 25 तारीख को एक हाई पावर कमेटी बैठी जिसमें आर0पी0 एफ0 के लोग थे, सेन्टर के थे, पुलिस अफसर थे, रेलवे के अधिकारी थे।

श्री चरण सिंह—

सेंट्रल गवर्नमेंट के आने की नौबत आयी क्यों?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सेंट्रल कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश से कोई संबंधित नहीं है। उसकी रेल है, उसमें दुर्घटना हुई। स्वाभाविक है कि उसको दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। तो मान्यवर, उस तारीख

को यह कहना कि मैंने यह कहा तो सूचना वास्तव में उन लड़कियों के द्वारा या अध्यापिकाओं के द्वारा या किसी अभिभावक के द्वारा कोई नहीं था। एक डी0 वाई0 एस0 पी 0इंटेलिजेंस साखों, उस पर यात्रा कर रहे थे, सरदार जी। जिस समय ये सब लड़कियां बैठीं तो कुछ लड़के भी जो गाजियाबाद के किसी कालेज में यूनियन का चुनाव था, उसके बाद वह लौट रहे थे उन्होंने कुछ छेड़-छाड़ करने की कोशिश की। उस दिन संयोग की बात थी कि वह ब्रांच लाइन थी, उसमें प्रकाश भी नहीं था। लड़कियां, अध्यापिकाएं अपने छोटे से केबिन में मोमबत्ती जलाये बैठी हुई थीं। जिस समय उन्होंने छेड़-छाड़ करनी शुरू की तो डी0 वाई0 एस0 पी0 ने तत्काल उस पर हस्तक्षेप किया। फल क्या हुआ कि सारे लड़के उस पर जुट गये। उस को मारा उसकी घड़ी छीन ली और मोदीनगर से मुरादनगर का 12 मिनट का रन है तो 5 मिनट बाद ही चेन खींची गयी, गाड़ी रुकी, लड़के उतर गये। जब तक गाड़ी स्टेशन पर पहुंची लड़के भाग गये, नहीं मिले। साखों ने रिपोर्ट की। उन्हीं की रिपोर्ट आधार बनी और तत्काल कार्यवाही शुरू हुई। यह कहना कि रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी इसलिये उसको नजर अन्दाज कर दिया गया है तो आरोप लगाने को लगाया जा सकता है और चौधरी साहब लगा सकते हैं और शासन में बैठ कर स्वीकार भी करना ही पड़ेगा, लेकिन स्पष्टीकरण भी अपना एक स्थान रखता है। तत्काल तीन उससे संबंधित लोग जो मारपीट से संबंधित थे वह अरेस्ट हो गये और 7 के खिलाफ जो अभी तक भागे हुए हैं दफा 87–88 में कार्यवाही हुई। यह कहना कि पुलिस बिल्कुल निश्क्रिय है, ध्यान ही नहीं दिया, यह गलत है।

अध्यापिका जो साथ थी उसका कहना है कि जरा सी छेड़-छाड़ करने की कोशिश की साखों ने उसमें आपत्ति की इस पर लड़के उन पर जुटे गये, फिर जंजीर खींची और भाग गये। मिसेज सक्सेना जो लड़कियों के कालेज की प्रिंसिपल है उनका स्टेटमेंट नहीं था। अध्यापक, अध्यापिकाएं, उस स्कूल के विद्यार्थी कुछ अभिभावक जिलाधीश से मिले उन्होंने कहा कि यह जो कंट्रेडिक्ट कर दिया गया ऐसी चीज नहीं है, जरूर छेड़ने की कोशिश की लेकिन हस्तक्षेप के बाद.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि डी0 वाई0 एस0 पी0 की रिपोर्ट आधार है तो क्या वह गलत थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनकी रिपोर्ट यह हुई—मैं उसका सारांश बता दूं, विवरण चाहेंगे तो वह भी दे दूंगा। जैसे ही गाड़ी चली, कुछ लड़के उसमें आये और उन्होंने लड़कियों से छेड़-छाड़ करना शुरू किया। उन्होंने शब्द "मोलेस्ट" इस्तेमाल किया है। तो मैंने हस्तक्षेप किया तो तत्काल लड़के मुझ पर जुट गये और मेरी पगड़ी उतार डाली, मेरी [illegible] फेंक दीं मेरी घड़ी छीन ली और गाड़ी की चेन खींच कर उतर गये। अब यह कहना कि पुलिस निष्क्रिय है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, काम ही नहीं करती है—ठीक है, माननीय चौधरी साहब सक्षम हैं, कह सकते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यह मैं जानता हूं कि वर्तमान शासन को जैसे ही किसी अप्रिय घटना की सूचना मिलती है, तत्काल कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटता है। किसी को भी बख्शने का कोई प्रश्न नहीं आता है।

यह कहना कि अब तक कुछ ऐसे लोगों को पुरिस्कृत किया जाता है जो गलत काम करते हैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता जो सही काम करते हैं, यह तो कहने की बात है। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। जो गलत काम करते हैं दंड भी मिलता है, उनके खिलाफ कार्यवाहियां भी होती हैं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अगर गलत बात भी करें तो क्या वह उस के लिए भी सक्षम हैं जो कहे जा रहे हैं गलत बात ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, हमीरपुर जिले में जो मर्डर्स के बारे में आपने बात कही, तो हमीरपुर, बांदा फतेहपुर, हरदोई, ये ऐसे जिले हैं दुर्भाग्य से कि हमीरपुर वगैरह के बारे में तो एक अपनी कहावत मशहूर है कि पुरानी दुश्मनी किसी भी समय जाकर अपनी स्थिति पैदा करती है। बैकवर्ड एरिया, है वहां के लोग पिछड़े हुये हैं। दुर्भाग्य से हम उसी इलाके के हैं। वहां लड़का पैदा होते ही आल्हा गाने लगते हैं कि "जो नर न लेइ बाप का बदला ता कर मांस गीध खायं।" अब इस परम्परा को बदलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि 80 हत्यायें हुई हैं, तो उससे पहले और उसके बाद की स्थिति क्या है ? हत्या का काई समय नही होता, मौके की बात होती है। दुर्घटना के आधार पर यह हो जाता है कितनी भी कोशिश करिये। लेकिन जहां तक डाके, राहजनी, चोरी, नकब इन सब चीजों की बात है अपराधों में निश्चित रूप से कमी हुई है, इसमें दो रायें नहीं हैं। (यह गलत है, की आवाजें)।

श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—

मुनियार में जो घटना हुई उसमें जो दिन में मारने वाला आदमी था रामलीला के मैदान में वह आदमी पकड़ा गया ? छतारी सिंह को दिन में स्टेशन पर जिसने मारा क्या वह आज तक पकड़ा गया ? और सजनी और नौनारी में जो हिन्दू और दूसरी जाति के लोग अपने खेतों म काम कर रहे थे, जिनका कोई वास्ता नहीं था उनको पकड़-पकड़ कर ठूंसा गया क्या इससे शान्ति-व्यवस्था स्थापित होगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य ने भी अपनी भावनाओं को अपने ढंग से व्यक्त कर दिया। (व्यवधान) आप बोल लेने दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम लोगों को भी बोलने का समय है आपने स्वयं नियत किया है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय चौधरी साहब जब एक घंटे प्रशस्ति भाषण करते रहे तब तो आपने कुछ नहीं कहा और जब मैं उनकी प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे रहा हूं तो आपको भी आपत्ति हो रही है। इसको मैं दुर्भाग्य की बात न कहूं तो और क्या कहूं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

स्पष्टीकरण नहीं, कैसे इस हालत को रोका जाय यह बताइये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो बात है उसको रोकते हैं। अब नौनारी के बारे में जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वह दुर्घटना किस प्रकार हुई, माननीय सदस्य उस जनपद के हैं। उस परिस्थिति में क्या हो सकता है ? शासन को जो करना चाहिये उसकी व्यवस्था हुई, उसकी रोकथाम हुई। लेकिन यह चुनाव का मामला है। एक सवर्ग युग से वहां का प्रधान चला जाता था। वहां के गरीब तबके ने संगठित हो कर एक आवाज उठाई और प्रधान के एलेक्शन में जीते। जीतने के बाद उस प्रधान की भी हत्या की योजना थी लेकिन वह नहीं मिला, शायद कहीं चला गया

था तो उसके प्रमुख सपोर्टर्स की हत्या हुई। उसके फलस्वरूप कौन-कौन सी रूपरेखा सामने आयी। अब चूंकि जुडिशियल इन्क्वायरी में है इस लिये बहुत विवरण में मेरा जाना उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

पी0 ए0 सी0 की मौजूदगी में मकान जलाये गये या नहीं ? अगर यह बात सही है तो इसका स्पष्टीकरण तो दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जो यह आरोप लगाया है कि पी0 ए0 सी0 ने जलवाया यह बिलकुल गलत है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और न ही ऐसे कोई आरोप हैं। इन सब बातों की गहराई जानने के लिये ही हमने जुडिशियल इनक्वायरी बिठाई है। उसकी प्रतीक्षा भी नहीं की जा रही है। यह भी मान्यवर, एक बिडम्बना ही है .....

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

नूमारी गांव में मुसलमानों की संख्या है, मगर जीत वहां हिन्दू की हुई, उन्होंने उसका साथ दिया था.....

(व्यवधान)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने हिन्दू मुसलमान की बात कही ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उसमें न हिन्दू का सवाल है न मुसलमान का सवाल है। पुलिस आपकी अगर ढीली न होती तो बात न होती। अतरौली का थानेदार निकम्मा साबित हुआ। उसने 20 हजार रुपया लिया था...(व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां के जिलाधीश वगैरह का तत्काल ट्रान्सफर कर दिया जाय, व शान्ति व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी सबसे बाद में बोल लें।.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया नियम देखें, नियम यह नहीं है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम यह कह रहे हैं कि मान्यवर, हम लोगों की भी सुन लें.....

श्री रामधारी शास्त्री——

समय की पाबन्दी नहीं हो रही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

समय की पाबन्दी हो रही है। इस तरह से नहीं, आप कृपया बैठें। आपके दल के नेता बोल रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह महत्वपूर्ण विषय है सभी अपना दृष्टिकोण रखना चाहेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—

सभी को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है, लेकिन क्या शासक दल को जवाब देने का अधिकार नहीं है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

है, पर हम लोगों को पहले सुन लें, फिर वे जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जब प्रश्न करने लगते हैं बीच-बीच में तो उत्तर देना ही पड़ता है, मंत्री जी को। अगर सुनते रहते तो जल्दी खत्म हो जाता।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, इनकी मंशा यह है कि यह सब पहले बोल लें और आखिर में जब जवाब दिया जाय तो सदन से उठ कर चले जायं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं श्रीमन्, शीघ्र खत्म कर रहा हूं। वाराणसी में धर्म परिवर्तन की बात कही गयी। मैं सदन की जानकारी के लिये सूचित करना चाहता हूं कि उसमें केवल वाराणसी के ही लोग नहीं थे, उसमें बाहर के लोग भी थे। दिल्ली से लोग गये थे, केवल वाराणसी के ही नहीं थे कि मुख्य मंत्री के शहर से एक हजार आदमियों ने धर्म परिवर्तन किया।

श्री चरण सिंह—

तो कितने थे वाराणसी के ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसमें पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोग उपस्थित थे। गाजियाबाद में जिस लड़के को जलाने के बारे में चौधरी चरण सिंह ने आक्षेप किया, उसका नाम चन्द्र सेन था। वह कम से कम 11–12 जुल्मों में आगरा, फिरोजाबाद और कहां-कहां के मामलों में पकड़ा हुआ था। उसके बारे में सूचना जो मिली है वह यही है कि वहां स्टोव रखा हुआ था और आत्मग्लानि के कारण उसने उसमें से तेल अपने ऊपर डालकर आग लगा ली। लेकिन इसमें चूंकि सिपाहियों पर आरोप था हत्या का आरोप लगाया गया था, तुरन्त कार्यवाई की गई और मुकादमा कायम हो गया। लेकिन अब यह कहा जाय कि इस घटना के होने पर कुछ नहीं किया गया तो यह आक्षेप ही कहा जायगा, जबकि सरकार ने पुरी तत्परता से इसमें कार्यवाई की है।

श्री चरण सिंह—

यह मैंने कब कहा कि वह निरपराध था, जुल्मी नहीं था। सवाल यह है कि उसे गिरफ्तार करने के बाद उस पर तेल उंडेल कर उसे जलाया गया और उसने इसे डी० एम० के सामने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा। चाहे जैसा अपराधी हो उसे पुलिस आग में जलाकर तो नहीं मार सकती है।

(व्यवधान)

यदि वह कातिल था भी तो पुलिस को यह हक नहीं मिल जाता कि वह उसे जला दे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यदि यह बात भी सही हो कि पुलिस वालों ने किया हो, ऐसे राक्षस सब जगह हो सकते हैं और पुलिस में भी हो सकते हैं। यदि उसने किया है तो उसको सस्पेंड करके, उसको गिरफ्तार

करके उस पर 302 का मुकदमा चलाने के सिवा और क्या कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकती है। क्या उसको भी आग में झोंक दिया जाता ?

श्री चरण सिंह—

राक्षस होते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट होती है। सब जगह एंटी सोशल एलीमेंट्स होते हैं, और उन्हीं के लिए आपकी गवर्नमेंट की जरूरत होती है, लेकिन यह पहला मौका है जब पुलिस-वाले हवालात में बंद किसी आदमी को जलाकर मार डाले। इस मामले में सिवा उस पर मुकदमा चलाने के आपके पास चारा ही क्या था, जब यह प्राइमाफेसी केस था और उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन तक दे दी थी। इसमें आपने एहसान क्या कर दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बहुत बार ऐसा हुआ है, लोगों को पीटा गया है, घायल किया गया है और लोग मरे हैं। इसमें दफा 302 का मुकदमा चल रहा है, यह कोई नहीं कह सकता है कि यह वाक्या सही है या नहीं, यह अदालत फैसला करेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिये मान लीजिये इसे सही मान लीजिये तो इसके सिवा कौन सा कानूनी तरीका था कि तत्काल सस्पेन्ड करें, गिरफ्तार करें और जेल भेजें तथा 302 का मुकदमा चलावें। हर जगह पर ऐसे बुरे आदमी रहे हैं और हमेशा रहते हैं, आपके शासनकाल में भी रहे हैं। उनके साथ इस कार्यवाही के अलावा और क्या कार्यवाही हो सकती है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

लेकिन एक तथ्य सामने रख रहा हूं। चौधरी साहब पंडित जी की भाषा जल्दी समझ लेते हैं।

श्री चरण सिंह—

उनके मुखारबिन्दु से गलत बातें सही मान कर चुप हो जाता हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि पुलिस की यह हालत हो गयी है, आपकी शिथिलता की वजह से। आपने मुकदमा चलाया वह ठीक हो रहा है। उसमें कोई आल्टरनेटिव आपके लिये नहीं है। मैंने मिसाल दी कि आपकी शिथिलता की वजह से पुलिस में कितनी शिथिलता आ गयी है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कानूनी कार्यवाही की जायगी। वह ठीक है। जब अपराधी हैं तो कानूनी कार्यवाही की गयी है। लेकिन यह कहना कि लाक अप में मुलजिम गया, लाक अप में क्या स्टोव और सलाई रखी गयी थी जिससे जला दिया। आप जो बयान दे रहे हैं कि लाक अप में जला लिया क्या आप अनुभव करते हैं कि इसमें सच्चाई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब एक तथ्य सामने आ गया तो तत्काल कार्यवाही हो गयी। कहां जलाया गया, किसने जलाया, यह आगे आ रहा है। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन पर तत्काल कार्यवाही हो गयी।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि माननीय चौधरी साहब जब मुख्य मन्त्री थे उन्होंने अपने क्षेत्र में, मोदीनगर में, मेरठ में और कहां-कहां लाठी और गोली चलवायी और अपने खिलाफ राय देने वालों के कितने लोगों को मारा और सताया, स्वयं सताया, इसकी भी जांच की जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव ले आयें उस पर चर्चा हो जाय। वैसे कैसे उठाते हैं ? यह जबरदस्ती में कैसे इजाजत है ? उनका कोई प्रस्ताव तो है नहीं। इस वक्त तो सरकार से सम्बन्धित है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

साढ़े 6 बज गये हैं। मैंने आपसे पहल प्रार्थना की थी कि कोई समय की सीमा लगा दें जिसके अन्दर सब लोग अपनी बात कह सकें। मैं समझता हूं कि होना यह चाहिये था कि यह व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है और इसका उपचार क्या है, इस पर चर्चा होती तो लाभ होता। आरोप और प्रत्यारोप न हो तो अच्छा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चौधरी साहब ने आध घंटे का टाइम स्वयं मंजूर किया था। वह घंटे भर बोले। अब उसका जवाब दे रहे हैं। आप उसको सुनते नहीं हैं। जवाब सुन लीजिये। जितना टाइम बचता है उतने में अपनी बात कह दीजिये और बाद में उठ जाइये।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री मेरी बात सुनने को तैयार हैं कि वह समय बढ़ा दें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, बलिया में उन लड़कियों के साथ जो बलात्कार करने का आक्षेप सामने आया। स्वयं माननीय शम्भूनाथ जी ने और चौधरी साहब ने स्वीकार किया जो लड़कियों का आरोप आया था जिनके साथ बलात्कार हुआ। जब डाक्टरी मुआयना हुआ तो केवल एक के ऊपर तथ्य निकला।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

दो लड़कियों का नहीं है। केवल एक लड़की का है एक लड़की का डाक्टरी मुआयना हुआ है। सारी घटना दो लड़कियों को बन्द करने की है। उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना है जिसके कारण बलिया लेडी डाक्टर का मुआयना हुआ और उस पर रेप साबित हो रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय—

असेम्बली में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें 15, 20 मिनट एक तरफ से और 10–15 मिनट दूसरी तरफ से डिस्कशन होता जिससे सब लोग बोल सकते। हमारा इस डिबेट में बैठना ही बेकार है जब सब लोगों को मौका नहीं मिल सकेगा। मैं इस पर प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसे ही यह सूचना मिली और रिपोर्ट आई सत्यदेव पांडेय और वशिष्ठ पांडेय के खिलाफ कार्यवाही हुई। दोनों अरेस्ट हुए। एक अदालत के जरिये अरेस्ट हुआ और दूसरा पुलिस के जरिये अरेस्ट हुआ। पहले मामूली चोट की सूचना थी और जैसे ही मरने की सूचना मिली 304 का मुकदमा चल गया। पुलिस निष्क्रिय थी ऐसी बात नहीं थी। जो कार्यवाही हो रही है वह आपके सामने है। मुझे कष्ट इस बात का है कि माननीय सदस्यों ने चौधरी साहब द्वारा लगाये गये आरोपों को बड़े प्रेम से सुना और जब मैं स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

कोई मर जाय और रिपोर्ट मामूली मारपीट की 323 में लिखी जाय जबकि बेहोशी की हालत में वह ले जाया जाय, यह कहां तक न्यायसंगत था ?

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा श्री वंशीधर पांडेय जी ने कहा समय की सीमा रहनी चाहिये ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

जो बात यहां कही गयी उसका जवाब आना चाहिये मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन सब मिलाकर ढाई घंटे की यह चर्चा रखी गयी और उस समय के अन्दर सबको अपने ख्यालात रखने का मौका मिलना चाहिये था । अगर इतना समय नहीं है तो हम लोगों का यहां बैठना बेकार है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

वर्तमान परिस्थिति में शासन द्वारा जो शांति व्यवस्था के लिये उपचार किये जा रहे हैं और उसके रास्ते में जो बाधायें हैं उनको दूर करने के लिये शासन ने जो कदम उठाये हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं । पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमने थानों में वृद्धि की और 171 नये थाने स्थापित किये जिनमें 950 सब इंस्पेक्टर, 850 कान्सटेबिल तथा 900 कांस्टेबिल के अतिरिक्त पद सृजित किये गये ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

जो सब इंस्पेक्टर बढ़ाये गये हैं यह नया रेक्रूटमेंट हुआ है अथवा हेड कांस्टेबिल्स को प्रोमोटेड करके बढ़ाये गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ए० एस० आई० का जो केडर है उसमें यह नई भरती हुई है । बजट में सारे डिटेल्स सामने आ जायेंगे ।

इसके अलावा राज्य में पी० ए० सी० की नई टुकड़ियां तैयार की गयीं । पी० एस० सी० पर भी आक्षेप लगाये गये हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कितने सब इंस्पेक्टर्स को आपने इंटेलिजेन्स तथा सी० आई० डी० में भेजा और उसमें से कितनों ने वहां ज्वायन किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जब मैं पुलिस के बजट के सम्बन्ध में बोलूंगा उस समय आपके इस प्रश्न का जवाब दे दूंगा या यदि इस पर कोई सवाल हो जायगा तो उसका उत्तर दे दूंगा । इस वक्त समय नहीं है कि मैं इसकी जानकारी आपको करा सकूं ।

मान्यवर, जिस तरह से आज अपराधों की संख्या बढ़ रही है वह अपने ही ढंग की है । उसी के आधार पर आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध करने जरूरी हैं । मान्यवर, 5 बड़े नगरों के थानों में 65 हल्के वायरलेस सेट्स प्रदान किये गये । आगरा, इटावा जिलों में जहां डकैतों के विरुद्ध अभियान चलाये गये, सात लाख रुपये के व्यय से 26 रेडियो स्टेशन स्थापित किये गये । उत्तरी सीमा पर भी लगभग डेढ़ लाख रुपये के व्यय से 6 रेडियो स्टेशन स्थापित किये गये हैं । अलीगढ़ और मुरादाबाद में भी कंट्रोल रूम की काफी दिनों से मांग की गई थी अतः यहां पर सवा दो लाख रुपये की लागत से कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है । 5 तहसीलों में भी साढ़े

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

चार लाख रुपये की लागत से कंट्रोल रूम स्थापित किये जा रहे हैं और एक लाख की आबादी की अन्य पांच तहसीलों में भी ऐसी व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा पुलिस विभाग की वैज्ञानिक शाखा के भी आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। 17 नगरों में राज्य की ओर से अग्निशमन की व्यवस्था थी। गुंडा गर्दी को रोकने के लिये गुन्डा ऐक्ट के अन्तर्गत 351 गुंडों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। अक्तुबर, 1972 तक की अवधि में सशस्त्र डकैतों से 268 अवसरों पर मुठभेंड़ हुई हैं जिनमें 7 डकैत मारे गये और 137 गिरफ्तार किये गये। पिछले कुछ वर्षों में लूटमार की वारदातें बढ़ गई थीं। कुल 131 वारदातें हुईं। मान्यवर, इस बीच राहजनी के केसेज बहुत ही कम हुए। पिछले वर्ष जहां अक्तूबर मास तक 111 वारदातें हुई थीं और इस वर्ष उसकी संख्या कुल 63 ही है। अतः इस वर्ष इनकी संख्या बहुत कम हो गई है।

मान्यवर, किडनैपिंग की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। आंकड़े आप उठाकर देख लें। यदि आप आंकड़े चाहेंगे तो दे दूंगा। किडनैप्ड किये हुए व्यक्तियों का पता लगाया गया है। इटावा में जो आतंक राम लखन और कप्तान सिंह ने किया हुआ था उन्हें पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। इसके लिये दो हजार रुपया का इनाम रखा हुआ था। यह काम पुलिस का आपके सामने है जिनको कि अपराधियों के साथ जूझना पड़ता है। चौबीसों घंटे एक विशेष परिस्थिति में रहना पड़ता है। आपको केवल पुलिस की बुराइयों को ही देखते हैं और अच्छाइयों को नजरन्दाज कर दिया जाता है। उसका उत्तरदायित्व है कि वह शांति और सुव्यवस्था कायम रखे। उसकी अच्छाइयों की भी आपको प्रशंसा करनी चाहिये।

मान्यवर, अभी माननीय चौधरी साहब ने उन पर इतने आरोप प्रत्यारोप लगाये किन्तु जो-जो उन्होंने अच्छे काम किये हैं उन्हें भी तो वे अपनी उस लिस्ट में रख लेते कि फलां उन्होंने अच्छे काम किये हैं। जो गल्तियां हुई हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनके आदेशों और निदेशों को न मानें। लेकिन यह कहते रहना कि पुलिस बेईमान है, पुलिस निकम्मी है, पुलिस चोर है, ठीक नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 9 करोड़ जनता है और 90 हजार पी0ए0 सी0 और सब पुलिस के कर्मचारी हैं। आप इसका अनुपात लगा सकते हैं.... यह तो संभव नहीं है कि 9 करोड़ की आबादी के लिए 9 करोड़ पुलिस भी हो। एक व्यवस्था है, एक प्रशासन का ढंग है जिसके आधार पर काम करने की कोशिश की जाती है। चौधरी साहब ने बहुत से आरोप लगाये और उनको मैं सुनता रहा। आपने ऐसे सुझाव दिये हैं जिनकी शासन से अपेक्षा की जाती है। उसीके आधार पर हम मार्गदर्शन करके उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। अगर माननीय सदस्य उन्हीं सब बातों का पिष्टपेषण करने लगे और उनकी प्रशस्तिवाचन में कुछ कहने लगे तब फिर उनमें और आपके कथन में अन्तर ही क्या रह गया। जो आरोप लगाये गये हैं उनका स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। जहां तक हरिजनों के ऊपर अत्याचार आदि का प्रश्न है, समाज के इस पिछड़े वर्ग के लिये जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम करते हैं। अगर उनके साथ कोई जुल्म करता है तो उसका इनवेस्टिगेशन करते हैं और जो दोषी पाये जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी करते हैं। श्रीमन्, यही काम करने की प्रक्रिया है जिन पर हम चल रहे हैं और जो भी कठिनाई आती है उससे जूझना भी पड़ता है और शासन हमेशा उनसे जूझने के लिये तैयार है। और आगे भी तैयार रहेगा। मैं आप सब से सुझाव आमन्त्रित करता हूं ताकि उसके अनुसार मैं काम कर सकूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, जैसा कि मेरे माननीय मन्त्रियों की इच्छा है जितना भी सम्भव हो सके उतने कम समय में भाषण को समाप्त किया जाय, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि आज के इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न को देखते हुए मैं भी समझता हूं कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय सदस्यों के भी अनेक प्रश्न हैं, उनको भी उनपर अपने विचार प्रकट करने के अवसर मिलें, इसलिये मैं संक्षेप में ही कहूंगा। मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जैसा कि प्रारम्भ में ही लगभग अपने जीवन के सारे ऐसे पहलू पर जिसने पुलिस को स्पर्श किया, अपने विचार प्रकट किये और उदाहरण भी दिये। अन्त में उन्होंने यह साबित किया कि यह प्रशासन प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रखने में बिल्कुल ही असफल रहा है। मैं भी उनकी पुष्टि में कुछ कहना चाहता हूं और उन्हीं के उदाहरण का सहारा भी लूंगा। एक बात मैं प्रारम्भ में ही कह दूं कि व्यक्तिगत आलोचना को छोड़कर सिद्धांत रूप से बहुत थोड़े शब्दों में सुझाव के रूप में कुछ कहूंगा। साथ ही गोस्वामी जी से भी मैं कहूंगा कि अगर कोई बात मैं कहूं तो वे उसको यह न समझ रखें कि किसी नुक्ताचीनी की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। जो कुछ सत्य होगा वही कहूंगा। इसमें कोई आशंका नहीं है कि आज शांति और व्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो गयी है, कोलेप्स कर गयी है। यह मैं केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं बल्कि अगर उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के अन्तःकरण से पूछा जाय तो वे भी यही कहेंगे कि सारे प्रदेश की स्थिति यह है कि कोई भी अपने धन और जन की सुरक्षा आज नहीं अनुभव करता है।

हाईवेज राबरी बढ़ गयी है, डकैती बढ़ गयी है, कत्ल बढ़ गये हैं। किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। बम और हथियार बनाने वाली बहुत सी फैक्टरियां भी मिली हैं लेकिन सरकार उनका सही पता नहीं लगा सकी है। आज हर प्रकार से जुर्म बराबर बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर गोंडा जिले को ले लिया जाय। ये जो आंकड़े हैं वे भी आपके ही बनाये हुए हैं। पुलिस द्वारा भेजे हुए यह आंकड़े हैं। प्रशासन में आप भी रह चुके हैं और हम भी रह चुके हैं। अपनी स्थिति को संभालने के लिये पुलिस इस तरह के आंकड़े देती है। अगर आप शासन में सुधार लाना चाहते हैं तो इनके आंकड़ों पर विश्वास मत कीजिये।

मान्यवर, मेरे घर से तीन मील की दूरी पर एक डकैती पड़ी। उसकी रिपोर्ट दरोगा ने नहीं लिखी। जब मुझे मालूम हुआ, पहले तो मैंने कहा कि कौन झंझट में पड़े लेकिन बाद में मैं अपनी मोटर लेकर वहां गया और उस स्थान पर जानकारी हुई कि घटना सही थी। वह आफिसर प्रिप्रेटरी टू रिटायरमेंट लीव पर चला गया है। मैं तो यह एक आफिसर का उदाहरण दे रहा हूं। अगर माननीय मन्त्री जी मेरा चैलेंज स्वीकार करें तो किसी जिले को ले लीजिये और एक सैम्पिल तौर पर ले लीजिये। बस्ती, गोंडा, बनारस, बलिया किसी भी जिले को ले लीजिये और देखिये कि पुलिस के आंकड़े सही हैं या नहीं। इसके लिये माननीय सदन की एक समिति बना लीजिये और उसमें विरोधी दल के केवल दो सदस्य माननीय चौधरी साहब और अनन्तराम जायसवाल या किन्हीं दो सदस्यों को ले लीजिये बाकी उधर के सदस्यों को रख लीजिये। जब चौधरी साहब थे तो कुछ आंकड़े बढ़े थे क्योंकि हर रिपोर्ट लिखी जाती थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन आंकड़ों को फिर से देखिये।

आप कहते हैं कि स्थिति को संभालने के लिये आपने पुलिस फोर्स बढ़ा दिया है। इसके पहले एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो मास रेप हुआ है। इसका क्या कारण है। विद्यार्थी आपके जमाने में भी थे और हमारे जमाने में भी थे। यह काग्नीजेबिल आफेंस था। यह निश्चित है पुलिस स्टेशन पर मौजूद रहती है। उसको ऐक्शन लेना चाहिये था। डिप्टी सुप0 को सूचना देनी चाहिये थी। यह पहले छोड़ दीजिये। लेकिन आजादी के बाद इन 25 सालों में आपने जो नौजवान पैदा किया है जिसके हृदय में उदण्डता है और जिसके ऊपर शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है, जिसका नैतिक चरित्र कुछ भी नहीं है। उसके चरित्र गठन का आपने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया। इसका सारा उत्तरदायित्व इस सरकार पर है। जो आज उच्छृंखलता समाज में, लूट मार डकैती हो रही है वह सब किसकी देन है। यह आपकी देन है और इसको ठीक करने की ओर अपना कदम बढ़ाइये अन्यथा जुर्म बढ़ते चले जायेंगे। चरित्र गठन परम आवश्यक है। आप किसी धार्मिक ढांचे में उनको ढालना नहीं चाहते हैं।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

(श्री राजितराम पांडेय के खड़े होने पर और कुछ कहने पर)

मैं नहीं मानता। मैं पूरा समय लूंगा। डिबेट के लेबिल को आप मत गिराइये (व्यवधान) इसमें हमारे बेटे और बेटियां होंगी उनको अच्छे सांचे में ढालने का किस का उत्तरदायित्व है ? यह सरकार का उत्तरदायित्व है।

यह जो मास रेप की घटना हुई है इसके हमारे होम मिनिस्टर साहब को अपने से त्याग-पत्र दे देना चाहिये था। दुनिया में जब यह मास रेप की खबर गई होगी तो क्या स्थिति हुई होगी। आज लूट मार, डकैतियां एक साधारण चीज हो गई हैं। मैं कहूंगा कि आप अपना शासन चलाने में पुलिस का विश्वास न करें। आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मैं सच बात कह रहा हूं। आपने कह दिया कि मैंने इतना पुलिस फोर्स बढ़ा दिया, इतनी वान बढ़ा दीं, इतने वायरलेस सैट्स लगवा दिये, इतना रुपया व्यय कर दिया। लेकिन इस सबसे लाभ क्या हुआ ? आपने जो यह सब चीजें कीं उसका परिणाम क्या हुआ ? पब्लिक इसे देखना चाहती है। आपने पुलिस फोर्स बढ़ायी, बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या पुलिस ने जनता का विश्वास प्राप्त किया ? आप इसकी एफिशिएन्सी की बात मत कहें, यह दोनों बातों में असफल रही है। आप इस बात की भी डींग न मारिए कि आपने पुलिस की फोर्स बढ़ा दी है। क्या आपकी पुलिस ने जनतंत्र में विश्वास प्राप्त किया, कैसे प्राप्त कर सकती है।

मान्यवर, मैंने गाजियाबाद का उदाहरण दिया। कानपुर के एक गौरीशंकर, हरिजन की हत्या की गयी। गाजियाबाद का भी उदाहरण दिया। हसनगंज में पुलिस ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। कुछ पुलिस के सिपाही गत दिनों में चोरी और डकैती में पकड़े गये। लखनऊ, बनारस आदि स्थानों में विद्यार्थियों को पकड़ा जाता है और उनके विरुद्ध झूठी शहादत बनायी जाती है। चाहे शिक्षित समाज हो या चाहे अशिक्षित हो सभी का विश्वास प्राप्त करने में आपकी पुलिस असफल रही है। क्या आज कोई पुलिस के हाथों में अपने को सुरक्षित समझता है, नहीं समझता है। अगर कोई व्यक्ति 10 हजार रुपये लेकर किसी शहर में जाता है तो वह किसी मामूली घर में बैठकर अपने को सुरक्षित समझता है लेकिन किसी थाने में बैठकर वह नहीं समझता है। हमारी बहू बेटियां थाने में पहुंचकर अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। पुलिस की स्थिति आज कम्पलीटली होपलैस हो गयी है।

देवरिया में कल परसों की बात है मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पब्लिक की निगाह में क्या है, इसको भी देखें। वहीं पर एक अध्यापक की मूछें पकड़ कर दौरी कराया जाता है। कमरे में बन्द करके दौरी चलायी। आज हमारे माननीय साही साहब जो विधान मंडल के सदस्य हैं उन्होंने अपने आंखों से देखा है। तो कैसे आपकी पुलिस विश्वास अर्जित कर सकती है। हमारे एम0एल0ए0 और एम0एल0सी0 के बयान को अगर आप चलेंज करें तो संभल कर करें। इसमें पार्टी बाजी का प्रश्न नहीं आना चाहिए।

आज आपकी पुलिस किसके प्रभाव में कार्य कर रही है ? यह तो केन्द्र को भी कुछ नहीं समझती है। अलीगढ़ में चन्दौसी एक स्थान है जहां पर कन्डेन्स्ड मिल्क बनाया जाता है, जिसकी पार्लियामेंट में भी गूंज हुई है, केन्द्रीय सरकार में भी आपकी बदनामी और आपकी पुलिस से दुर्गन्ध आती है। फूड डिपार्टमेंट के आदमी आईडेंटीटी दिखाते हैं। आपका कर्तव्य था कि आइडेंटीटी आप ले लेते और सैम्पिल लेते और देखते कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने 228 और 232 में इन ड्यू डिस्चार्ज आफ पब्लिक सर्विस में पुलिस वालों पर कोई मुकदमा चलाया। टक्नीकैलिटीज में आप मत जाइये। कौन रुपया

पैसा लेकर उसे बड़े व्यापारी की रक्षा करने के लिए आया? आपकी पुलिस इतनी क्यों अक्षम्य है, क्यों यह पक्षपात करती है।

श्रीमन्, इसके भी २ कारण हैं। यह केवल मेरी ही राय नहीं है बल्कि आपके पुलिस कमीशन ने भी कहा है। समय-समय पर मान्यवर, हमारी पुलिस के कार्य में पोलीटिशियन्स और मिनिस्टर्स दखल देते हैं। पोलिटिशियन्स दबाव डाल रहे हैं पुलिस पर और हम जल्दी न्याय भी नहीं पा सकते। मुख्य मंत्री भी कहते हैं कि हम परेशान हैं, लोग इतने पहुंच जाते हैं कि मुश्किल हो जाती है। आज पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स और मिनीस्टीरियल इन्टरफीरियेन्स ने पुलिस को डिमारलाइज कर दिया है। आप कहते हैं कि पुलिस में करप्शन की बात हर वक्त नहीं करनी चाहिये क्योंकि सरविसेज में डिमारलाइजेशन हो जायेगा। मुझे चिन्ता है और मैं आपसे पूछता हूं कि यदि लोकतंत्र की आस्था को चलाना है तो विरोधी पक्ष को ऐसी बातों का भी जिक्र न करें और हमें कहने का भी अवसर न दें यह कहकर कि फोरसेज डिमारलाइज हो जायेगी। मैं अब आपके सामने डिमारलाइज करने के लिए नहीं कहता। अगर आर्थिक स्थिति के कारण ही जुर्म बढ़ते हैं तो क्यों इंगलैण्ड और अमेरिका में इससे ज्यादा जुर्म नहीं बढ़ते। देश और प्रदेश में आज एनार्की फैली हुई है। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत प्रहार न करके आप चरित्र का एसेसिनेशन जब तक न करें, जब तक शासन के लिये प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक हो। यह कह देना कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है यह कोई जवाब नहीं।

मुझे शिकायत है कि इस सेक्रेटेरियेट में प्रोग्राम में हमारा नाम हरिजनों की समस्याओं पर नहीं लिखा इसलिये मुझे अवसर ही नहीं मिला लेकिन हरिजनों के बारे में मेरी वही दलील है। 14.6% आपने उनका प्रतिनिधित्व मंजूर किया था लेकिन नहीं हुआ। यह आर्थिक शोषण है। वे बान्डेज लेबर का काम करते हैं। क्या कारण है कि 25 वर्षों में आपने उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं सम्भाला है। आपके हरिजन कल्याण विभाग ने कौन-कौन से काम किये हैं। जमींदारी एबालिशन हुई, सीलिंग ला रहे हैं, कितनों को आपने जमीन दी और सर्विसेज में उनका क्या परसेंटेज है। दो चार को छोड़कर आर्थिक दृष्टि से उनका क्या उत्थान हुआ जिनको आप एम0 एल0 ए0 बना दिया या जिनके लिये मकान वगैरह बनवा दिये। आर्थिक दृष्टि से आप उन्हें इतना कमजोर दुधारू गाय के समान करते जा रहे हैं। ब्राह्मण और ठाकुर भी उन्हें कहते हैं कि हमारी खेती करो। आपने 25 वर्षों में क्या वास्तव में भूमिहीनों को जीवन निर्वाह करने के लिये कोई साधन दिया है। कहा जाता है कि जनसंघ में केवल ब्राह्मण हैं और तुमको खा जायेंगे। ये लोग आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से उठ नहीं पाये। करोड़ों रुपया खर्च का परिणाम क्या हुआ, यह मान्यवर मेरा दूसरा पहलू है।

अब मैं हत्या और रेप आदि के केसेज पर आता हूं। मैं कहते हुये बहुत डरता हूं। ऊपर के लोग जो इनका शोषण करते आये हैं उसके लिए ही दोषी हैं। लेकिन उस हर चीज के लिये पहले जो कुछ रहा हो, अब इनको दोषी बनाते हैं। मैं पूछता हूं कि आप बताइये कि पिछले दस वर्षों में अनटचेबिलिटी ऐक्ट के खिलाफ कितना प्राजीक्यूशन किया गया। कितनों को सजा हुई। आज हमारे जितने माननीय सदस्य कांग्रेस (आर0) की सीट पर जीत कर आये हैं उन्होंने क्या अपने अपने क्षेत्रों में अनटचेबिलिटी दूर कर दी है। उनका सामाजिक स्तर उठा दिया है। यह निश्चित है कि उनके यहां का स्तर मेरे क्षेत्र से गया गुजरा होगा। जैसे कि पाइलेट प्राजेक्ट कहते हैं पाइलेट प्राजेक्ट की दृष्टि से नहीं बनाया, सामाजिक दृष्टि से नहीं बनाया। आज भी उनको कुओं में पानी नहीं पीने देते। आप देखें साल भर में एक भी प्रासीक्यूशन नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं प्रासीक्यूशन किया।

कांग्रेस भाइयों के क्षेत्र में वे बतायें कि कितने प्रासीक्यूशन हुए हैं। बाहर कुछ प्रचार करते हैं और अन्दर कुछ प्रचार किया जाता है। अब हत्या और बलात्कार पर आता हूं। माननीय चौधरी साहब ने सारे उदाहरण दे डाले। मान्यवर, हत्यायें, बलात्कार, डिग्रेडेशन और जो-जो उनके साथ हो रहा है, उनके साथ अफसर भी कर रहे हैं, ब्राह्मण, ठाकुर और

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

अपर जाति के कर रहे हैं। यह गलत बात नहीं है। मुस्लिम भी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक भी कर रहे हैं। मान्यवर, हिन्दू जाति के मस्तिष्क से यह कलंक जितनी जल्दी दूर हो जाय उतना ही अच्छा है। यह स्थिति दूर नहीं है जब यह स्थिति दूर हो जाय। हमारे दो हजार भाई उधर चले गये। क्या-क्या परिवर्तन नहीं हुए। महात्मा गांधी ने इसके लिये जान दे दी थी। सैपरेट इलेक्ट्रोरेट के लिये उन्होंने चिन्ता की थी।

मैं कहना चाहता हूं कि सवर्णों का जहां तक प्रश्न है उसके लिये बनारस का एक उदाहरण है। ब्राह्मण और नान-ब्राह्मण दोनों थे जिन्होंने घर जलाये और न जाने क्या-क्या किया। ननारी में भी धनिकों ने नष्ट कर डाला। मन्दिर नष्ट नहीं हुआ। यह सब आपके सामने आयेगा जब जुडिशियल इन्क्वायरी होगी। मैं पूछता हूं कि मछली गांव जहां अल्पसंख्यकों ने क्यों सताया। मैं आज उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। इस पाप का दोषी सारा समाज है। आर्थिक कारण भी हैं इसके, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, चाहे सवर्ण हों या गैर-सवर्ण वे बाउन्डेड लेबर करते हैं। इसमें हमारी पी० ए० सी० क्या करेगी। मैंने एक ही उदाहरण दिया था, मुख्य मंत्री ने उसको रिबेट कर दिया था। कान्स्टेबल अपने साथ बैठकर खाना नहीं देते ये बातें सही हैं इनको स्वीकार करना पड़ेगा। यह दरोगा, एस० पी० आदि में भी होगा। जो सवर्णों का ही खाते हैं। कास्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है जहां ब्राह्मण या अहीर बहुमत में हैं वे वहां लड़ते हैं, हरिजन बहुमत में हैं तो वे लड़ते हैं। सारे समाज को नष्ट भ्रष्ट करने की जिम्मेदारी आप की है। इस प्रशासन को ढीला करने की जिम्मेदारी आपकी है। मान्यवर, मैंने व्यक्तिगत आक्षेप न करके सारे दल की बातों को कहा है। आशा है, मान्यवर, मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

चौधरी गिरधारी लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी तो वक्त दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

समय रहेगा तो...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमने तो शुरू में ही कहा था कि या तो सीमा बांधिए (व्यवधान) जब से सदन बैठा है हमारे साथ यही व्यवहार हो रहा है।

*चौधरी गिरधारी लाल—

उपाध्यक्ष महोदय अभी कुछ दिन पहले मैं यह सोच रहा था कि हमारे साथी, हमारे मित्र, माननीय त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो इस वक्त हिन्दुस्तान की दूसरी पृष्ठभूमि में एक सरकार चल रही है इसकी क्या-क्या उपलब्धियां हैं। विचार करते हुए जो अखबारों को मैं देख रहा था तो उसके विपरीत सी एक चीज मालूम पड़ रही थी। आज ला ऐण्ड आर्डर का प्रश्न यहां आ गया और उसमें माइनारटी का भी प्रश्न आ गया और उन तबकों का भी प्रश्न आ गया जिनके सिलसिले में हमारे संविधान में ही उल्लेख नहीं है बल्कि मैं तो समझता हूं गांधी जी ने उसको अपना धर्म बना लिया था। वह समझते थे कि हमारी आजादी बेकार है, रीढ़ की हड्डी उसकी खत्म है अगर हरिजनों को पूरे तौर पर समानता और आजादी नहीं मिली (तालियों की आवाज)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन आज मैं यहां हूं और पंडित जी उधर हैं, कल तक हम साथ थे, हम उन तमाम चीजों को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखते चले आ रहे हैं।

आप कल्पना कीजिए, वह गांधी अगर जीवित होता तो क्या नक्शा हमारे मुल्क का हुआ होता। एक मौलिक प्रश्न हमारे देश का था और इस वजह से बहुत हद तक हमारे मुल्क की आजादी भी रुकी हुई पड़ी थी। गांधी जी उसको एक समानता का प्रश्न मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा जन्म लूं तो अच्छा है किसी हरिजन परिवार में लूं। खैर, वह तो अलग प्रश्न है। इस वक्त तो मैं ला ऐण्ड आर्डर की बात कह रहा हूं। इस वक्त हम शासन के दायरे में बैठे हैं। वेलफेयर स्टेट है और चारों तरफ उसकी शाखाएं फैली हुई हैं और उसका तना ला ऐण्ड आर्डर है। अगर ला ऐण्ड आर्डर खत्म हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वह स्टेट नेस्तनाबूद हो जाती है। मारेली भी और लीगेली भी। देखना यह है कि कहां तक हमारे देश और प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर कायम है।

नेचुरल ला भी एक चीज है। भगवान के भी कुछ कानून हैं कि सूरज सुबह को निकलता है और शाम को छिपता है। उसमें आदमी निश्चित होकर दिन में काम करता है और रात में आराम करता है और उम्मीद करता है कि शासन की तरफ से इतनी सुरक्षा मिलेगी कि अपनी बीबी-बच्चों को, अपनी दौलत को, जो कुछ भी हंडिया, झोपड़ी आदि उसके पास है, महफूज रख सकेगा। बड़े आदमी अपने और तरीके से इंज्वाय करते हैं, वह वहीं अपने मिल-जुल कर रहता है। लेकिन यह उस वक्त होता है जब उसे कान्फीडेंस होता है जैसे कि नेचुरल ला में कान्फीडेन्स है कि भगवान सुबह को छः बजे या सात बजे सूरज निकालेगा।

लेकिन क्या हममें से कोई भी आदमी बतला सकता है कि क्या हमको विश्वास है? आज बाजार में हमारा कोई भी भाई सामान खरीदने के लिये जाता है, अपनी साइकिल को बाहर खड़ी कर देता है और अन्दर सामान लेने के लिये जाता है। उसको बराबर यही डर बना रहता है कि कहीं उसकी साइकिल चोरी न हो जाये। हो सकता है कि वह न चोरी हो लेकिन उसके मन में इसका डर बराबर बना रहता है। इस बात का क्या कारण है। उसके मन में खटका बैठा है। उसका विश्वास सुरक्षा पर से हट गया है। जिस वक्त मैं गवर्नमेंट को देखता हूं तो यही मालूम होता है कि किसी तरफ सिक्योरिटी नहीं दिखलाई देती है। सुरक्षा को कोई महसूस ही नहीं करता है। लोगों के अन्दर जब सुरक्षा की भावना ही नहीं है तब उनके अन्दर आत्मविश्वास कैसे पैदा हो।

देश में कान्फीडेंस कैसे कायम हो सकता है। यह तो बुनियादी चीज है, ला ऐण्ड आर्डर। करोड़ों रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्च किया जाता है लेकिन क्या हम इसको दे पा रहे हैं। अगर यह चीज हमारे दिल से न गई तो देश का कोई विकास होने वाला नहीं है। बड़े आदमी के लिये तो सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है, सुरक्षा के अर्थ तो उस छोटे आदमी के लिये है जिसके पास कोई साधन नहीं है। वीकर सेक्शन के लिये ही इसकी आवश्यकता होती है। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी तरह से आज बड़े आदमी छोटे आदमी को सता रहे हैं, खा रहे हैं। उसकी असुरक्षा होनी चाहिये। छोटा आदमी हर तरह से परेशान है, वह मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तबाह हो रहा है, इधर उधर मारा-मारा फिर रहा है। उसको कौन देखे। हमारे नेता सदन इस बात को जानते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी भी मजबूरियां हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है।

मैं जिस वक्त मंत्री था तो मैं तो यह जानता था कि मंत्री का काम तो पालिसी तय करना है और एक चौकीदार की तरह से उसको देखना है कि कहां पर उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। सचेत रहना चाहिये एक मंत्री को। हमारे मुख्य मंत्री जी की सज्जनता में कोई कमी नहीं। परन्तु उनकी भी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। मैं यह देखता हूं कि आपकी पुलिस तो कुछ

[चौधरी गिरधारी लाल]

चन्द लोगों की रक्षा के लिये ही न बनी है। मैसूर और राजस्थान पुलिस और सुरक्षा पर कितना व्यय कर रहे हैं यह देखें और हमारे पास सन् 51 में कितनी पुलिस थी और आज कितनी है। आज हमारे यहां की पुलिस में कितनी कमियां हैं उसको तो आप देखें जो कि सुरक्षा के लिये जिम्मेदार बनाई गई है। लेकिन साथ ही साथ यह भी बात है कि इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है।

आज कौन सा जिला ऐसा बाकी है जिस जिले के अन्दर अमन और चैन है और जिस जिले में लोग सुरक्षित अपने आपको महसूस करते हैं। ये तो थोड़ी सी खबरें हैं जो अखबार में निकल आती हैं---फैजाबाद से निकल आयी, शाहजहांपुर से निकल आयी, गाजियाबाद से निकली, हाथरस से निकल आयी, कभी-कभी बनारस या गाजीपुर से आ गयी या यह आ गयी कि मुगल-सराय में चोरी हो गयी और पुलिस और कलेक्टर ने लोगों को पकड़ा मगर सरकार ने उनको छोड़ दिया। ये तो थोड़ी सी चीजें हैं जो बातें मेरी और आपकी नोटिस में आती हैं। बहुत से लोग इस प्रकार के हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और आपके सामने हैं जो मायूस होकर बैठ जाते हैं कि अपनी बेइज्जती करानी है इस वक्त रिपोर्ट करने में।

बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नोटिस न तो हमारे अखबारनवीस लेते हैं और न हमारे दूसरे नुमाइन्दे ले पाते हैं। सरकार भी कोई नोटिस नहीं लेती है। आज उनका भी हिसाब लगाएं कि उनकी क्या हालत होगी ? आज हमारे प्रदेश के अन्दर ला एण्ड आर्डर की यह हालत है। क्या आप समझते हैं कि लैक आफ कानफिडेन्स के साथ प्रोडक्शन बढ़ायेंगे, गरीबी को दूर करेंगे और बेकारी को दूर करेंगे ? इस तरह से तो आप इस देश के अन्दर ब्राह्मणों को भी अनटचेबिल बनाएंगे और ठाकुरों को भी अनटचेबिल बनाएंगे, अछूत बनाएंगे, हरिजन बनाएंगे। इस वक्त जो लेक आफ कानफिडेंस इस सूबे में हो रहा है वह होता चला जाएगा। आज हमारे सूबे के अन्दर पैरेलल इकोनोमी चल रही है---ऊपर से लेकर नीचे तक एक ब्लैक मनी है और एक ह्वाइट मनी है। किसी भी स्थान पर काम नहीं होता। नीचे चपरासी से ऊपर तक सबका हाल वही है। इन सब चीजों का ला एण्ड आर्डर पर असर पड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेल के मामले को आप नजरान्दाज न करें। मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेन का एक सूचक तो आप को शाहदरा के अन्दर दिखलायी पड़ा जहां पुलिस कांस्टेबिल का किस्सा हुआ। कहीं पर रेलवे स्टेशन में आग लगी और ला एण्ड आर्डर का मेंटेन करना मुश्किल हो गया। एक एनार्की सी मच गयी। यह किस बात का सूचक है ? जो ईमानदार से ईमानदार आदमी है उसका काम नहीं होता है चाहे वह शास्त्र, कायदे और नियम के साथ ही काम करता हो। एक गरीब आदमी दिन भर काम करके आता है, जानखपा कर जाता है और शाम को देखता है कि उसके घर में टी० बी० और कैंसर से लोग मर रहे हैं। तो ये टेंशन्स डिमाक्रेसी के ऊपर आ पड़ी है और उसका सूचक शाहदरा के अन्दर दिखलायी पड़ा। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आप भी समझते हैं। वह तस्वीर पूरे सूबे के अन्दर आने में देर नहीं लगेगी। मैं पूरे मसले के अन्दर नहीं जाना चाहता।

एक बुनियादी चीज हमारे सामने है और वह यह है कि आपको गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा। इससे काम नहीं चलेगा कि सेक्रेटरी ने जो कुछ भी आपके सामने सफाई दे दी, उसको आपने यहां पर पढ़ दिया और एक बड़ा अच्छा सा बयान दे दिया। उससे आप यह न समझ लें कि आप हरिजनों से बड़ी हमदर्दी रखते हैं, उनके बड़े हामी हैं और उनके ऊपर न्याय हो रहा है। मुझे इस बात का दुःख है कि माइनेरिटी कम्युनिटी के जजबात का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता। आप यह करेंगे, वह करेंगे, इन बातों से काम नहीं चलेगा। आप बहुत सी बातें कहते हैं। लेकिन यह कहना ठीक नहीं, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था कि मैंने आदेश दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पब्लिक आदेश नहीं चाहती वह तो रिजल्ट चाहती है, आज जनता नतीजा चाहती है, आज वह देखना चाहती है कि क्या चीज सरकार हमारे सामने कर के लाती है। आप यहां सुरक्षित हो कर बैठे हुये यहां से आदेश देते हैं, हुकुम दे देते हैं, लेकिन उससे जनता को क्या लेना देना। आप किसी मसले को देखेंगे या उस पर विचार करेंगे इस बात से जनता को कोई मतलब नहीं है। ठीक है अभी 25, 26 वर्ष इस देश को आजाद हुये हुआ, अभी बहुत से वेस्टेजेज लोगों के दिमागों पर हुये पड़े हुये हैं, बहुत से नारे लोगों पर छाये हुए हैं लेकिन बहुत अरसे तक वह रहने वाले नहीं हैं। यह भी बात है कि कोई भी नागरिक थोड़े समय के लिये तो आपके प्रोपैगैन्डे में, आपके बहकावे में आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं आ सकता है और सबके सब हमेशा नहीं आ सकते हैं। तो हमको यह सोचना है और जो हमारे नेता सदन हैं वह एक परम्परा के आदमी हैं।

मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि मैं उनकी कद्र करता हूं लेकिन उनके होते हुये आज भी इस सूबे के अन्दर यह सब हो रहा है जो कि एक बड़ी ही शर्मनाक सी चीज है। मैं कहूंगा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले इस बात का फख्र जाहिर किया था और व्यक्त भी किया था कि हमारा सूबा हर चीज में सब से आगे हैं तो क्या रवीन्द्र सरोवर कांड से भी बदतर जो गाजियाबाद और मुरादाबाद के कांड आये जिसकी आप ने अभी सफाई दी है क्या उसमें आगे होने की शान आप बघाड़ना चाहते हैं। यह एक लज्जा की बात है केवल आप के लिये नहीं, हमारे सूबे के लिये है, और हमारे सूबे के उस प्राइम मिनिस्टर के लिये है जो इस सूबे से चुनी जा कर हिन्दुस्तान भर पर राज्य कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सूबा है जिसने लालबहादुर शास्त्री को पैदा किया जो सारे हिन्दुस्थान में चमका और इसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जो संसार भर में चमका और जो इस संसार भर के प्राइममिनिस्टरों का बुजुर्ग माना जाता रहा है, उस सूबे के अन्दर इतनी हिम्मत ? आप बहुत सी सफाई देंगे, बहुत सी बातें कहेंगे लेकिन इतनी हिम्मत क्यों पड़ी लोगों की और आप की सरकारी मशीनरी की और आपने कैसे इन बातों को बरदाश्त कर लिया। इसका जवाब हम आप से चाहते हैं। हम इस बात को नहीं सुनना चाहते कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, हम उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे यह चीजें तो बहुत हो चुकीं, हम सुनते-सुनते थक गये, परेशान हो गये। इस वक्त मैं ज्यादा वक्त आप का नहीं लेना चाहूंगा लेकिन यह आप से बतलाना चाहूंगा कि बहुत सी मिसालें हैं उनको आप खुद जानते हैं लेकिन यह हुआ क्यों वह आप बतलाइये।

जहां तक आप की ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सम्बन्ध है उसका हाल यह है कि उसके लिये मैं दो एक मिसालें दे दूं। एक खड्गपाल सिंह हैं जो शाहजहांपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। हमारे आई० जी० पुलिस और हो सकता है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी इनसे परिचित हों। कितने शर्म की बात है। और फिर एक किस्सा हो तो खैर चल जाय हजारों आदमियों में एकाध ब्लैक शीप हो तो कोई बात नहीं लेकिन एक नहीं, दो नहीं, पचासों किस्से हैं। एक पुलिस सब इन्स्पेक्टर की हिम्मत। आज किडनैपिंग केस के अन्दर फंसता है। किसी लड़के को ले जाता है, अनाप शनाप न जाने क्या-क्या बदतमीजी करता है और फिर जब चारों तरफ शोर व गुल मचा तब कुछ हुआ लेकिन जो होना था वह हो गया। यह सब शाहजहांपुर में हुआ।

फिर मैं आपको बतलाऊं कि एक बेचारी लावारिस बेवा, बेवा मैं इसलिये कह रहा हूं कि उसका हस्बैंड जेल के अन्दर पड़ गया, वह अपने हस्बैंड से मिलने के लिये गयी और जिस वक्त मिलने के लिये गयी तो वहां पर जेल के वार्डर ने उससे कहा कि हाथ के कड़े निकाल कर मुझे दे दो, पैर के कड़े मुझे निकाल कर दे दो तो मैं आप के हस्बैन्ड को छुड़ा दूंगा। यह एडमिनिस्ट्रेशन है, यह सरकारी कर्मचारियों की हिम्मत है। इंदिरा गांधी सेंटर में बैठी हैं, यहां

[चौधरी गिरधारी लाल]

पर कमलापति जी बैठे हैं। उनके होते हुए वह कर्मचारी यह हिम्मत करते हैं कि एक मजलूम से कहते हैं कि अपने हाथ के कड़ उतार कर दे दो, पैर के कड़े उतार कर दे दो तो तुम्हारे पति से मिलवायेंगे, उनको छुड़वा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

समय हो गया। आप समाप्त करें।

श्री रामबिलास पांडेय—

आपने अभी तक किसी को नहीं टोका। इनको बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 7 बज कर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
19 दिसम्बर, 1972।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 770 पर)

तालिका

(ख) ट्रेक्टर, जीपकार ट्यूबवेल तथा कृषि के अन्य साधन :—विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित जीप, ट्यूबवेल व कृषि सम्बन्धी अन्य उपकरण है :—

(1) ट्रेक्टर .. 108
(2) कार/जीप .. 76
(3) ट्यवेल .. 146

(आर्टिजन—47, ट्यूबवेल—26, सैलो ट्यूबवेल—33, ओपेन बैल—48)

(4) कृषि के अन्य उपकरण

प्लाऊ—54
हैरो—74
लेमलर लेड लेमलिंग इम्प्लीमेंट 27
कल्टीवेटर—22
फर्टीलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर-6
सीडड्रिल—41
स्पाइक टूथ पडलर—15
पेडोपडलररोटरी टाइप—20
कम्बाइन—36
रोजर्स—11
केज हबीब सेड्स—33
सेलर —2
स्पेयर्स—36
पावर टिलर्स—2
रोटा बेटर—1
फीडर कलक्टर—1
पोटेटो डिगर—1
रोलर—20
वार्डर हैरो—6
ग्रेसस—66
विनावर—8
ड्रायर —1
ग्रास कटर—3
ट्रेलर—66
कार्न प्लान्टर—2

(ग)—गत तीन वर्षों में इनके रखरखाव पर व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है :—

				लाख रुपये में
1969—70	..	..	..	6.94
1970—71	..	..	..	8.05
1971—72	..	..	..	6.79

(घ) गत तीन वर्षों में उपरोक्त मशीनरी हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया।

गत तीन वर्षों में निम्नलिखित अनुदान उनके सम्मुख लिखित मदों हेतु दिया गया :—

1969—70	31,30,000	1—स्टाफ क्वार्टर्स	2—इलेक्ट्रोफिकेशन
1970—71	30,05,000	3—वाटर स्प्लाई	4—रोड एण्ड ड्रेन्स
1971—72	39,68,000	5—लाइब्रेरी	6—सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट
		7—स्टाक आदि	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 773 पर)

उन 20 जिलों की सूची जिनमें तुलसिता नामक रोग फैला

1—आगरा
2—मथुरा
3—अलीगढ़
4—एटा
5—इटावा
6—मैनपुरी
7—लखनऊ
8—गाजीपुर
9—जौनपुर
10—वाराणसी
11—इलाहाबाद
12—प्रतापगढ़
13—मिर्जापुर
14—रायबरेली
15—सहारनपुर
16—बरेली
17—बदायूं
18—बुलन्दशहर
19—कानपुर
20—शाहजहांपुर

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 777 पर)

राम चन्द्र उनियाल, मंत्री जिला युवक कांग्रेस, कोटद्वार, जिला गढ़वाल के शिकायती पत्र दिनांक 19 मई, 1972 के उल्लिखित कोटद्वार नगरपालिका की कथित अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण--

(1) अप्रैल, 1971 से अक्टूबर, 1971 तक नगरपालिका का बजट प्रस्तुत नहीं हो सका और अध्यक्ष स्वयं ही इस काल में पालिका का भुगतान करते रहे। बोर्ड का गठन जुलाई, 1971 में हुआ था।

(2) अग्रवाल मिल्स, जो अध्यक्ष की निजी है उससे लगा हुआ उनका पैट्रोल पम्प जो अब ओम प्रकाश एन्ड संस के नाम पर है पहले नगराध्यक्ष के नाम पर था उसका किराया वे वर्मा शैल कम्पनी से 2,700.00 रु० वार्षिक लेते रहे किन्तु गृह कर उतनी राशि पर न देकर कम किराया दिखा कर दिया है।

(3) अग्रवाल आटा मिल्स तथा बन्द शुदा अग्रवाल आयल मिल्स ने कभी चक्की का स्थानीय निकाय का लाइसेन्स नहीं लिया। पालिका के सेम्पल इन्सपेक्टर ने कभी आटे के सेम्पल लेने की हिम्मत नहीं की जब कि बाजार में यही आटा बिकने पर सेम्पल लेने पर मिलावट पाई गई।

(4) अध्यक्ष इतना खर्च कर देते हैं कि पालिका का जितना सुरक्षित कोष हर समय रहना चाहिये वह भी कम हो जाता है।

(5) जल सम्भरण हेतु पिछले बोर्ड ने (जब भी यही अध्यक्ष थे) एक इंजन खरीदा जो पानी सप्लाई करने में असमर्थ रहा। विद्युत् की कमी तथा इंजन के खराब होने के कारण जनता को पानी नहीं मिल पाता और उस पर 30,000 रु0 खर्च किये गये हैं जो व्यर्थ हो गया।

(6) पिछले (तथा वर्तमान) बोर्ड के अधिदर्शक ने सीमेन्ट में गोलमाल कर दिया था, की जांच खुफिया विभाग से करायी जाय।

(7) म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा 96 में बोर्ड को प्राप्त अधिकार के अनुसार बोर्ड ने अध्यक्ष को 250 रु0 व्यय करने का अधिकार दिया है जब कि अध्यक्ष द्वारा बिना बोर्ड की स्वीकृति के हमेशा 500 रु0 के लगभग व्यय किया जाता है।

(8) जुलाई, 1972 में कोटद्वार के आमचौड़ मैदान में एक सरकस ने 15 दिन तक खेल का प्रदर्शन किया था। नगरपालिका ने केवल 90 रु0 किराये के लिये परन्तु उसके चले जाने के बाद मैदान के मरम्मत हेतु पालिका कोष से 500 रु0 व्यय किया गया जो अपव्यय हुआ और बोर्ड से उसकी मंजूरी भी नहीं ली गई।

(9) दिनांक 13-5-1971 को आमचौड सड़क के नाम पर लगभग 500 रु0 व्यय किया गया था जो केवल कागजों में ही दिखाया गया है, व्यवहार में नहीं।

(10) पालिका के कर्मचारी श्री संतेह सिंह असवाल के क्वार्टर की मरम्मत बिना बोर्ड की स्वीकृति के करवा दी गई और मेजरमेन्ट बुक में कार्य की समाप्ति भी चढ़ाकर भुगतान की कार्यवाही में अनियमितता की गई।

(11) बोर्ड की दिनांक 8-1-1972 की बैठक में अध्यक्ष को अधिकार प्रदान किये गये थे कि नियमानुसार टेन्डर स्वीकार करके कार्य प्रारम्भ कर दें परन्तु अध्यक्ष की लापरवाही से ठेकेदारों द्वारा 'रिंग' कर लिये जाने से बोर्ड को घाटा

उठाना पड़ा। बाद में अध्यक्ष, सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा एतराज करने पर टेन्डर निरस्त किये गये।

(12) राजकीय स्नातक महाविद्यालय जो पालिका के जूनियर हाई स्कूल के भवन में चलाया जा रहा है, के लिये सामयिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में पालिका की ओर से जो प्रस्ताव पारित किये गये हैं उनके विपरीत भी अनेक कार्य टेन्डरों के सम्बन्ध में किये जा रहे हैं जिनकी छानबीन आवश्यक है।

(13) कोटद्वार के श्रमिकों की बस्ती आम पड़ाव मुहल्ले में उनको ठीक से बसाने के बजाये मुकदमों द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है जब कि बद्रीनाथ मार्ग पर अध्यक्ष ने अपने किसी मित्र को कैसरे हिन्द भूमि प्रदान करने के लिये जिलाधिकारी से सिफारिश की है।

(14) 27-9-1971 को मेसर्स वर्मा शैल कम्पनी के नाम 6,000 रु० अग्रिम किसी पालिका कर्मचारी को दिया गया। उक्त धनराशि उक्त कम्पनी को न देकर उसी कर्मचारी के पास वह धन 15 दिन तक रहा।

(15) बाल्मीकि बस्ती में लगाये गये ईटों के खड़न्जे में वह सामान नहीं लगा जैसा कि स्टीमेट व टेन्डर में दिखाया गया था और न उसके अनुरूप कार्य हुआ।

(16) गोखले मार्ग पर एक पेशाबघर का निर्माण किया गया है जिसकी सफाई हेतु 498 रु0 के भुगतान में बिल की सत्यता का ध्यान नहीं रखा गया।

(17) लकड़ी पड़ाव में श्री ताहिर हुसैन की भूमि में जो सड़कें हैं और जिनको सार्वजनिक सड़कें घोषित किये जाने का प्रस्ताव पालिका की 8-1-1972 की बैठक में लिया गया था पालिका कोष से बिजली के खम्बे प्रस्ताव से पूर्व लगाया जाना और उक्त क्षेत्र में सड़कों पर धन व्यय किया जाना पालिका के धन का दुरुपयोग है।

(18) दुकानों के बरामदों में स्टाल बनाकर आने-जाने में बाधा खड़ी करने वालों के विरुद्ध अध्यक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की। केवल एक बार दिखावे के लिये नोटिस दी गई परन्तु बाद में भी यह काम चलते रहे।

(19) पालिका का कार्यालय अध्यक्ष की शिथिलता से एक बाजार सा लगता है और अनेक महत्वपूर्ण पत्रावलियां दीमक खा चुकी हैं।

(20) कई सड़कों में से गोखले मार्ग में की गई अनियमितता के विषय में कहा गया है कि ठेकेदार को जितने ड्रम कोलतार के दिये गये उन सबकी कीमत न लेकर कुछ ड्रमों की कीमत वसूल की गई और सड़क के भुगतान में अनियमितता की गई।

(21) पालिका द्वारा संचालित किसी कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका को दोहरा भत्ता देकर तथा जल कल विभाग में खलासी को इंजन ड्राइवर का वेतन देकर अनियमितता की गई है।

(22) पालिका के विश्रामगृह में पिछले दस माह से बिना अनुमति के कोई सज्जन रह रहे हैं और उनसे कोई चार्जेज नहीं लिये गये जो लगभग 600 रु0 होते हैं। अध्यक्ष द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है।

(23) गांधी शताब्दी के अवसर पर पालिका द्वारा 2,334 रु0 शुल्क सचिवालय के सम्बन्ध में राज्य कोष में जमा किया गया था। पता नहीं उसका एडजेस्टमेन्ट किस प्रकार हुआ।

(24) शिक्षिकाओं की नियुक्ति हेतु विगत मास में किये गये साक्षात्कार में मनमाने निर्णय लिये गये जिसके फलस्वरूप आज तक कार्यान्वित नहीं हो सके।

(25) पालिका की स्वास्थ्य समिति में यह स्पष्ट हो गया था कि सफाई के लिये महिला कर्मचारियों को न रखा कर पुरुषों को कार्य दिया जाय परन्तु अध्यक्ष ने महिला कर्मचारियों को भी नियुक्त किया।

(26) नया गांव जहां कृषि योग्य भूमि थी उसके स्वामी ने अपनी भूमि बच दी थी। उस पर एक कालोनी बननी शुरू हो गई थी जिसे पालिका ने नोटिस देकर रोक दिया था परन्तु अब वह फिर बनने लगी है जिसकी छानबीन होनी चाहिये।

(शिकायत दिनांक 19-5-1972)

मुद्रण विभाग सुधान

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 259 एल० ए०—1973—835. ।